



Compilation of **Post Office Act, Rules & Regulations**

Edition 2025



**Department of Posts
Ministry of Communications
Government of India**

भारतीय डाक
डाक सेवा-जन सेवा



India Post
Dak Sewa-Jan Sewa



MESSAGE

The Post Office Act, 2023, along with the Rules and Regulations, 2024, represents a significant milestone in India's journey toward modernizing and streamlining its postal legislation. This progressive legal framework is a testament to our vision of a responsive, digitally empowered, and inclusive postal ecosystem- one that resonates with the aspirations of a *Viksit Bharat*.

Guided by the ethos of "Dak Seva, Jan Seva", the Department of Posts has embarked on a transformative path. It is now redefining its role from a conventional organization to one that is forward-looking, technology-driven institution at the heart of citizen-centric service delivery. This legislation provides a simplified, technology-neutral, and adaptive framework that empowers the Department to enhance efficiency, promote innovation, and ensure last-mile connectivity for every citizen, regardless of our vast geography. It not only strengthens the legal our broader vision of good governance where accessibility, innovation, and responsiveness form the core of public service delivery.

I extend my sincere appreciation to the Department of Posts for its foresight and dedication in bringing this reform to fruition. I am confident that this framework will serve as a robust foundation for an efficient and future-ready postal system. The release of this consolidated postal legislation will prove immensely beneficial to both the personnel of the Department and to the citizens it steadfastly serves.

Jai Hind!

Jyotiraditya M. Scindia

Union Minister of Communications
and Development of North Eastern Region



MESSAGE

The enactment of the Post Office Act, 2023 and the formulation of its Rules and Regulations in 2024 demonstrates the Department of Posts' commitment to legal clarity, operational transparency, and service excellence.

This compilation will serve as a vital reference for citizens and stakeholders and reinforces our resolve to build a modern, accessible, and accountable postal system.

I congratulate the Department of Posts for releasing this compilation at the opportune time.

Dr. Chandra Sekhar Pemmasani

Union Minister of State for
Communications and Rural Development



FOREWORD

The Department of Posts has been a cornerstone of public service in India for more than 170 years. Over the decades, it has continually evolved to meet the growing and diverse needs of the nation. In pursuit of modernisation and legislative coherence, the Post Office Act, 2023 was enacted, replacing the over-a-century-old Indian Post Office Act, 1898. This landmark legislation represents a significant step forward in aligning postal services with the aspirations of a digitally empowered India.

Following the enactment of the Act, the Post Office Rules, 2024 and Post Office Regulations, 2024 were notified to provide a robust operational framework for the implementation of the Act. Subsequently, five amendments to the Post Office Regulations, 2024 were also issued to further clarify, streamline, and adapt the regulatory provisions in light of practical experience and evolving service needs.

To ensure accessibility, consistency, and ease of reference, the Department has undertaken the task of compiling these legislative instruments into a single, consolidated volume. This publication brings together the Post Office Act, 2023, the Post Office Rules, 2024, and the Post Office Regulations, 2024, along with all subsequent amendments. A comparison with earlier legislation is also included.

I hope this consolidated edition will serve as a valuable resource for postal officials, policymakers, legal practitioners, researchers and all stakeholders engaged with the postal ecosystem.

I commend the team involved in the preparation of this user-friendly compilation for their effort and for making it available in a timely manner.

Vandita Kaul
Secretary (Posts)



FOREWORD

The Post Office Act, 2023 signifies a transformative step in the evolution of India Post, creating a statutory framework that is aligned with the needs of a digital and service-driven economy. The subsequent framing of the Post Office Rules, 2024 and Post Office Regulations, 2024, along with their amendments, represents the operationalization of this vision in a structured and efficient manner.

This consolidated compilation has been prepared with the aim of ensuring that all relevant legal instruments under the new framework are available in a single, accessible reference. It integrates the Post Office Act, 2023, the Rules, and the Regulations along with its five amendments, offering clarity and uniformity in application across the Department and its stakeholders.

The publication will be of immense use to postal functionaries at all levels, policy implementers, and those involved in training, regulation, and legal compliance.

I extend my appreciation to all officials who contributed to the timely preparation and publication of this important document. It is our hope that this consolidated edition will aid in the smooth implementation of the new legal framework and further strengthen the efficiency and responsiveness of postal services in India.

Jitendra Gupta

Director General Postal Services



PREFACE

The Post Office is much more than an administrative agency; it is a vital thread that weaves the social and economic fabric of India. As we embrace a new era of governance, the Post Office Act, 2023 exemplifies our dedication to reform and digital innovation.

The Act establishes a clear, modern legal framework to support the seamless delivery of essential mail, parcel financial, and citizen-focused services throughout the urban and rural communities. It enables the Department of Posts to undertake international cooperation and introduces concepts such as postcode management and digital identifiers.

The accompanying Rules and Regulations, 2024, specify the operational protocols, procedural standards, and governance structures that allow the Department to operate with transparency, efficiency, and accountability. This publication not only serves as a statutory reference but also as a strategic guide for a future-ready India Post.

I extend my sincere gratitude to the officers and legal experts who contributed to this significant achievement.

Harpreet Singh

Member (Operations),
Postal Services Board



ACKNOWLEDGEMENT

The successful compilation of this consolidated volume—comprising the Post Office Act, 2023, the Post Office Rules, 2024, and the Post Office Regulations, 2024, along with its five subsequent amendments and comparative analysis—has been made possible through the collective efforts of team members from the Postal Operations and other divisions of the Department of Posts.

I would like to express my sincere gratitude to the team members of Postal Operations Division, Members from various committees which were constituted to prepare drafts for various subordinate legislation and all team members from functional Divisions of the Postal Directorate for their invaluable contributions and technical support during the preparation of this compilation. Their expertise and meticulous attention to detail have ensured the accuracy, coherence, and completeness of this publication.

I also gratefully acknowledge the guidance and encouragement received from the senior leadership of the Department especially, the then and current Member Operations, Director General and Secretary Posts who have been instrumental in bringing this initiative to fruition.

It is my earnest hope that this compilation will serve as a dependable reference for field officers, operational units, and all stakeholders engaged with the postal network.

This publication is not only a guide but also a source of strength as India Post continues its journey of transformation and service to the nation since 1854.

Vivek Kr. Daksh

Deputy Director General (Postal Operation)

INDEX

Sl. No.	Title	Page No.
1	The Post Office Act, 2023	1-4
2	The Post Office Rules, 2024 (Hindi & English)	5-12
3	The Post Office Regulations, 2024 (Hindi)	13-116
4	The Post Office Regulations, 2024(English)	117-217
5	The Post office (First Amendment) Regulations, 2025 (Hindi & English)	218-222
6	The Post office (Second Amendment) Regulations, 2025 (Hindi & English)	223-227
7	The Post office (Third Amendment) Regulations, 2025 (Hindi & English)	228-229
8	The Post office (Fourth Amendment) Regulations, 2025 (Hindi & English)	230-234
9	The Post office (Fifth Amendment) Regulations, 2025 (Hindi & English)	235-238
10	Previous Vs New Act	239-248



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

 सी.जी.-डी.एल.-आ.-24122023-250875
 CG-DL-E-24122023-250875

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 11 — छपण 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

क्र. 48]

नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 24, 2023/पौष 3, 1945 (शक)

No. 48]

NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 24, 2023/PAUSH 3, 1945 (SAKA)

इस भाग में यिन पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
 Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 24th December, 2023/Pausha 3, 1945 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 24th December, 2023 and is hereby published for general information:—

THE POST OFFICE ACT, 2023

No. 43 of 2023

[24th December, 2023.]

An Act to consolidate and amend the law relating to Post Office in India and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Post Office Act, 2023.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "Director General" means the Director General of Postal Services appointed by the Central Government and includes any officer authorised by the Central Government to perform the duties of the Director General;

(b) "item" means an indivisible article which the Post Office accepts for providing a service;

(c) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(d) "Post Office" means the Department of Posts and includes every house, building, room, place or any other asset used by the Post Office for providing any service;

(e) "prescribe" means prescribe by rules made under this Act and the expression "prescribed" shall be construed accordingly;

(f) "regulations" means the regulations made under this Act.

Services to be provided by Post Office.

3. (1) The Post Office shall provide such services as the Central Government may prescribe.

(2) The Director General may make regulations—

(a) in respect of activities necessary to provide services referred to in sub-section (1); and

(b) to fix charges for, and the terms and conditions in respect of, services referred to in sub-section (1).

(3) Any service provided by the Post Office shall be subject to any other law for the time being in force.

4. (1) The Post Office shall have the exclusive privilege of issuing postage stamps.

(2) The Director General may make regulations relating to the supply and sale of postage stamps and postal stationery.

(3) In this section, the expressions—

(a) "postage stamp" means any stamp provided by the Central Government, in any form, physical or digital, for denoting sums payable in respect of such service provided by the Post Office, as may be prescribed and includes stamps affixed, printed, embossed, embedded, impressed, or otherwise indicated on an item;

(b) "postal stationery" means stationery, issued by the Post Office such as envelopes, letter cards, postcards, bearing imprinted stamps or inscriptions indicating that sum payable in respect of a service provided by the Post Office has been prepaid.

Addresses and postcodes.

5. (1) The Central Government may prescribe standards for addressing on the items, address identifiers and usage of postcodes.

(2) In this section, "postcode" means a series of digits, letters or digital code or a combination of digits, letters or digital code used to identify a geographic area or location, and ease the process of sorting and delivery of items and for other purposes.

Power to give effect to arrangements with other countries.

6. The Central Government may make rules to give effect to arrangements made with any foreign country or territory for services provided by the Post Office between India and the said foreign country or territory.

Recovery of sums due in respect of services provided by Post Office.

7. (1) Every person who avails a service provided by the Post Office shall be liable to pay the charges in respect of such service.

(2) If any person refuses or neglects to pay the charges referred to in sub-section (1), such amount shall be recoverable as if it were an arrear of land revenue due from him.

8. The Central Government may prescribe the conditions for denoting the official marks on items to be used as *prima facie* evidence of the facts so denoted.

Official mark
to be evidence
of certain
facts denoted.

9. (1) The Central Government may, by notification, empower any officer to cause any item in course of transmission by the Post Office to be intercepted, opened or detained in the interest of the security of the State, friendly relations with foreign states, public order, emergency, or public safety or upon the occurrence of any contravention of any of the provisions of this Act or any other law for the time being in force.

Power to
intercept,
open or detain
any item or
deliver item to
customs
authority.

(2) The Central Government may cause any item referred to in sub-section (1) to be disposed of in such manner as it deems appropriate.

(3) The Central Government may, by notification, empower any officer of the Post Office to deliver an item, received from within or beyond the limits of India and reckoned to contain anything liable to duty or which is suspected to contain any prohibited item to such customs authority or any other authority as may be specified in the said notification, and such customs authority or any other authority shall deal with such item in accordance with the provisions of any law for the time being in force.

10. (1) Notwithstanding anything in any other law for the time being in force, the Post Office shall not incur any liability except such liability as may be prescribed with regard to a service provided by the Post Office.

Exemption
from liability.

(2) No officer of the Post Office shall incur any liability with regard to a service provided by the Post Office, unless the officer has acted fraudulently or wilfully caused loss, delay or mis-delivery of service.

11. The Central Government may, by notification, authorise, either absolutely or subject to conditions, the Director General to exercise any of the powers conferred upon the Central Government by this Act, other than the power to make rules.

Delegation of
power, other
than rulemaking
powers to
Director General.

12. The Central Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to
make rules.

13. The Director General may, with the prior approval of the Central Government, by notification, make regulations for carrying out the provisions of this Act.

Power to
make
regulations.

14. Every rule or regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

Laying of
rules and
regulations in
Parliament.

15. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Power to
remove
difficulties.

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

Repeal and
savings.

16. (1) The Indian Post Office Act, 1898 is hereby repealed.

6 of 1898.

(2) Notwithstanding the repeal of the Act by sub-section (1), all rules, notifications and orders, made or purported to have been made under the Indian Post Office Act, 1898, shall, in so far as they relate to matters for which provision is made in this Act and are not inconsistent therewith, be deemed to have been made under this Act and shall continue in force unless and until they are superseded by any rules or notification or order made under this Act.

6 of 1898.

S.K.G. RAHATE,
Secretary to the Govt. of India.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-आ.-16122024-259441
CG-DL-E-16122024-259441

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705।

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/अग्रहायण 25, 1946

No. 705।

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/AGRAHAYANA 25, 1946

संचार मंत्रालय

(दाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 767(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय डाकघर नियम, 1933 को उन वातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर नियम, 2024 है।
(2) ये, 16 दिसंबर, 2024 को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि सांदर्भ से अन्यथा व्योमित न हो,-
(क) "अधिनियम" मे भारतीय डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) अधिप्रेत है;
(घ) "बोर्ड" मे नियम 5 मे विनिर्दिष्ट डाक सेवाएं बोर्ड अधिप्रेत है;
(ग) "सर्किल प्रमुख" मे मुख्य महा डाकपाल या सर्किल मे मुख्य महा डाकपाल की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी अधिप्रेत है;
(घ) "प्रभागीय प्रमुख" मे डाक प्रभाग या रेल डाक सेवा (आरएमएस) प्रभाग या विदेश डाक का निदेशक या विशिष्ट अधीक्षक या मुख्य डाकपाल या अधीक्षक, अधिकारी डाक प्रभाग या रेल डाक सेवा (आरएमएस) प्रभाग

या विवेश डाक का निदेशक या वरिष्ठ अधीक्षक या मूल्य डाकपाल या अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी अभिषेत है;

- (अ) "मेल कार्यालय" ने डाक विभाग द्वारा डाक-वस्तुओं की हैंडलिंग, प्रोसेसिंग या पारेपण के लिए प्रयोग में लाया जा रहा डाक कार्यालय या परिवहन अभिषेत है;
- (ब) "मेल नेवा" ने मर्दों के एकत्रण, हैंडलिंग, परिवान, अप्रैपण, आपसी और धारण करने से संबंधित गभी कियाकलाप अभिषेत है;
- (च) "डाक महानगर" ने डाक सेवा पर प्रभार्य राशि अभिषेत है;
- (ज) "छोटीय निदेशक" में संबद्ध निदेशक या खेत्र में निदेशक की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी अभिषेत है;
- (झ) "छोटीय प्रभुत्व" से संबंध महा डाकपाल या खेत्र में महा डाकपाल की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी अभिषेत है;
- (अ) "सार्वभौमिक डाक सेवा" से गोपी डाक सेवा का उपबंध अभिषेत है जो देश के भीतर और बाहर गभी प्रयोक्ताओं के लिए वहन करने योग्य और उपलब्ध हो, और
- (ट) "मूल्य संबंधित सेवाएं" ने मेल सेवाओं पर गड-ओन फीचर्स अभिषेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं पर परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो इन अधिनियम में हैं।

3. डाकपर (परेलू/विवेशी) द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाएं:- प्रत्येक डाकपर, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर सकेगा, अवश्य:-

- (क) देश की सीमाओं के भीतर या बाहर डाक सेवाएं;
- (ख) खंड (क) की बाबत लागू मूल्य संबंधित सेवा;
- (ग) खंड (क) की बाबत सार्वभौमिक डाक सेवा;
- (घ) वित्तीय सेवाएं, जिसके अन्तर्गत बैंकिंग, भरकार का बचत बैंक, भुगतान प्रणाली और कोई अन्य वित्तीय सेवाएं, सम्मिलित हैं;
- (ङ) देश की सीमाओं के भीतर या बाहर भून प्रेषण सेवाएं;
- (च) बीमा सेवाएं, जिसके अन्तर्गत जीवन बीमा या कोई अन्य बीमा सम्मिलित है;
- (झ) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत नागरिक-केंद्रित सेवाएं;
- (ज) पते के पहचान सूचकों और डाक कोड से संबंधित सेवाएं;
- (झ) राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा प्रस्थापित कोई सेवा;
- (अ) लोक या निजी इकाइयों के महायोग के माध्यम से प्रस्थापित अन्य सेवा;

4. महानिदेशक द्वारा कठिपय सेवाएं प्राधिकृत किया जाना:- महानिदेशक-

- (क) इन नियमों में उल्लिखित सेवाओं में संबंधित नए उत्पादों को पुरास्थापित करने, उपांतरित करने या विसी उत्पाद को बद करने, और
- (ख) नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में लोक या निजी इकाइयों के माध्यम सहयोग करने, के लिए प्राधिकृत होना।

5. डाक सेवा बोर्ड:- (1) डाक सेवा बोर्ड, नियम (3) के अधीन डाकपर द्वारा प्रदत्त किन्हीं सेवाओं के लिए स्थायी उनराधिकार और कौमन सील मुद्रा वाला शीर्ष स्तरीय नीति बनाने वाला निवाय होगा।

6. केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड की संरचना, और उसकी शक्तियां, कार्य और कानून निर्दिष्ट कर सकेगी।

7. डाक महसूल स्टॉपो के संबंध में अनन्य विशेषाधिकार:- नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार या महानिवेशक नियन्त्र, स्पारक, विशेष डाक महसूल स्टॉप या विनी अन्य प्रकार के डाक महसूल स्टॉप या संबंधित सामग्री जारी करेगा।

8. फिलैटली सलाहकार समिति:- केंद्रीय सरकार फिलैटली सलाहकार समिति गठित कर सकती, जो स्पारक और विशेष डाक टिकट जारी करने पर और उसने संबंधित अन्य महबूद मामलों पर सलाह देंगी।

9. डाक महसूल या अन्य प्रभारों के संदाय की रीति:- नियम 3 के अधीन डाक सेवाओं के लिए डाक महसूल या अन्य प्रभार गतियों का संदाय निम्नलिखित किसी इंग के माध्यम से और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) नकद में; या
- (ख) डिजिटल इंग के माध्यम से संदाय; या
- (ग) डाक महसूल स्टॉप द्वारा; या
- (घ) फ्रैकिंग मशीन की छाप के माध्यम से; या
- (ङ) किसी अन्य इंग में, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

10. अन्य सेवाओं के संदाय के इंग,- इन वियमों में उल्लिखित किसी अन्य मेल सेवाओं पर प्रभारी राशि के संदाय का इंग ऐसा होगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

11. पते और पोस्ट कोड,- (1) महानिवेशक विनियमों द्वारा,-

- (i) डाक-वस्तु पर संबोधन के लिए मानक विनिर्दिष्ट करेगा;
- (ii) पता पहचान सूचकों और पोस्ट कोड का प्रबंधन और आवंटन करेगा।
- (2) महानिवेशक, डाक कोड या डाक गूचकों (पिन) कोड का प्रबंधन, आवंटन और प्रकाशन करेगा।

12. अन्य देशों के साथ समझौते करने की शक्ति,- (1) केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय डाक महायोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए इन वियमों में यथा उल्लिखित सेवाएं प्रदान करेगी।

(2) अंतर्राष्ट्रीय डाक महायोग अन्य देशों या देशों के अधीन विवरण या अन्य डाक संघों या लोक अथवा निजी एकाइयों के साथ होगा और यूपीयू कवेशन मैनुअल और विनियमों के उपबंधों, विवेशन, अन्य गतियों के साथ बहु-स्तरीय या द्वि-स्तरीय करारों, तस्वीर विधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अनुरूप होंगे।

(3) महानिवेशक उपनियम (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए विनियमों को जारी करने के लिए प्राधिकृत है।

13. शासकीय चिह्न विनियमों का द्योतक होगा- विनियमों के संबंध में, डाक-वस्तु पर डाकपर के चिह्न कलिपय तथ्यों के नाम्य का द्योतक होगे,-

- (क) डाक-वस्तु प्रस्तुत करना व उस पर डाकघर का शासकीय चिह्न जो इसका द्योतक है कि मद इंकार या नामजूर या अदावाकृत हो चुकी है, या किसी अन्य कारण से या इन प्रकार द्योतक किए गए, किसी अन्य टिप्पणी के बारण परिवर्तन नहीं की जा सकती, उपदर्लित तथ्य का पर्याप्त नाम्य होगा, और
- (ख) अधिनियम के अधीन बगूल की जाने वाली कोई डाक महसूल या अन्य अभिक्षित देय राशि के लिए प्रत्येक कार्यवाही।

14. डाक-वस्तु का प्रेषक :- व्यक्ति या पता या जिसने मद आई हुई तात्पर्यित है, को उसका प्रेषक रामज्ञा जाएगा।

15. डाक-वस्तुओं पर शासकीय चिह्न :- महानिवेशक, विनियमों द्वारा कलिपय अधिकारियों या कर्मचारियों को किसी डाक-वस्तु पर शासकीय चिह्न बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकता, जो इसका द्योतक होगा कि-

- (क) डाकघर के संबंध में उसकी कोई डाक महसूल या अन्य राशि देय है;
- (ख) चिह्न इस नाम्य का द्योतक होगा कि उस राशि इन प्रकार देय है; और

(ग) डाक-वस्तु इंकार या नामंजूर या अदावाकृत की जा चुकी है, या किसी अन्य कारण से परिवर्त नहीं की जा सकती।

16. डाक-वस्तु (डाक-वस्तुओं) का अंतर्दूद, निरुद्ध किया जाना और उन्हें खोला जाना- (1) धारा 9 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, डाक विभाग में प्रचालन कार्य देख रहे बोर्ड के सदस्य अथवा सर्वाल प्रमुख द्वारा किए गए किसी आदेश द्वारा के सिवाय, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किसी डाक-वस्तु या डाक-वस्तु के वर्ग के अंतर्दूद, निरोध या खोले जाने के लिए कोई निदेश नहीं जारी किया जाएगा।

(2) अपरिहार्य परिस्थितियों में, ऐसा आदेश थेट्रीय प्रमुख या थेट्रीय निदेशक के रैंक से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

(3) आपातकालीन दशाओं में, जहां किसी मद के अंतर्दूद, निरुद्ध और खोले जाने के लिए पूर्व निदेशों को अभिप्राप करना साध्य नहीं है, अपेक्षित मद के अंतर्दूद, निरुद्ध और खोले जाने को प्रभागीय अध्यक्ष के निदेशों पर कारित किया जाएगा, जो ऐसे अंतर्दूद, निरुद्ध किए जाने या उन्हें खोले जाने के तीन कार्यकारी दिन के भीतर उपनियम (1) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट संबद्ध मध्यम प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसा आदेश संबद्ध मध्यम प्राधिकारी द्वारा सात कार्यकारी दिन की अवधि भीतर पुष्ट किया जाएगा :

परंतु यह कि यदि सधम प्राधिकारी से पुष्टिकरण नियत मात्र दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा अंतर्दूद प्रचालन करना समाप्त हो जाएगा तथा सधम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना पुनः प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

(4) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन सधम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश में ऐसे निदेश के लिए लेखबद्ध रूप से अभिलिखित किए गए कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

(5) उपनियम (1) उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन किए गए अंतर्दूद की निगरानी के लिए, केंद्रीय सरकार एक पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात :-

(क) महानिदेशक, डाक - अध्यक्ष और

(ख) बोर्ड के दो सदस्य, उपनियम (1) में उल्लिखित सदस्य से भिन्न - सदस्य।

(6) पुनर्विलोकन समिति तीन मास में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी और उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन जारी सभी निदेशों का पुनर्विलोकन करेगी।

(7) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को सधम प्राधिकारी के आदेशों पर डाक-वस्तुओं के अंतर्दूद और निरुद्ध किए जाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात :-

(क) डाकघर का प्रभारी अधिकारी या कोई उच्चतर अधिकारी; या

(ख) मेल कार्यालय का प्रभारी अधिकारी या कोई उच्चतर अधिकारी।

(8) कोई प्राधिकृत अधिकारी, संबद्ध विधि प्रवर्तन प्राधिकारी की उपस्थिति के सिवाय इस नियम में विनिर्दिष्ट किसी डाक-वस्तु को नहीं खोलेगा।

(9) प्राधिकृत अधिकारी समुचित अभिलेखों का अभिरक्षण करते हुए, उसमें डाक-वस्तु का प्रवर्ग जिसके अंतर्गत कोई ट्रैकिंग संस्था, प्रेपक और प्रेपिटी की विशिष्टियां, डाक-वस्तु का भार, डाक महमूल, मद के अंतर्दूद और निरुद्ध किए जाने के लिए कारण, डाक-वस्तु के अंतर्दूद और निरुद्ध किए जाने की तारीख तथा कालावधि जिसके लिए निदेश प्रवृत्त रहेंगे, का उल्लेख करेगा।

(10) प्राधिकृत अधिकारी, डाकघर विनियम, 2024 में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन अंतर्दूद की गई डाक-वस्तु का निपटान सुनिश्चित करेगा।

(11) अंतर्दूद और निरुद्ध के लिए निदेश तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उन्हें जारी करने की तारीख से तीस दिन की अनधिक अवधि के लिए तथा और बढ़ाने के लिए, पहले ही प्रतिसंहत न किया जाएँ।

परंतु यह कि अवधि नव्वे दिनों से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, निरुद्ध डाक-वस्तु को संबद्ध विधि प्रवर्तन प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।

(12) उपनियम (1) से उपनियम (3) के अधीन किसी डाक-वस्तु का अतरुद्ध और निरुद्ध किया जाना, प्रेपक को किसी कार्रवाई में छूट नहीं देता है, जो कि हो चुकी होगी, यदि डाक-वस्तु सम्पर्क क्रम में डाक के माध्यम से परिवहन की गई होती।

(13) उपनियम (1) से उपनियम (11) के उपर्युक्त विवेशों को खेजी नहीं और उन से प्राप्त डाक-वस्तुओं पर यथावधारक परिवर्तन सहित नाम नहीं।

17. डाक-वस्तुओं के परिवान में प्राधिकृत अधिकारी का कर्तव्य :- प्राधिकृत अधिकारी, अधिनियम की धारा 9 की उपचारा (3) के अधीन जारी अधिनूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे सीमा शुल्क प्राधिकारी या किसी अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी को, ऐसी डाक-वस्तु जिसमें शुल्क हेतु वायी गणना अन्तर्भूत है या जिसमें कोई प्रतिपिद्ध डाक-वस्तु अन्तर्भूत होने की शक्ति है, डाक-वस्तु का परिवान करने के लिए सक्त करेगी, ताकि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपर्युक्तों के अनुमति में ऐसी डाक-वस्तु के संबंध में यथावधारक कार्रवाई की जा सके।

18. अन्य कानूनों के अतिरिक्त अंतरुद्ध परंतु उनके उल्लंघन में नहीं :- नियम 16 में अन्तर्भूत कोई बात, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यथा प्रयोगित डाक-वस्तुओं के अंतरुद्ध का निवारण नहीं करेगी तथा ऐसी विधि के अधीन नाम नहीं होगी।

19. वायिल से छूट :- (1) बेंद्रीय मरकार, विनियमों में गवाविनिर्दिष्ट किसी डाक-वस्तु या उसकी अन्तर्वस्तुओं या किसी अन्य आधार पर हानि या खति के लिए, यदि कोई हो, प्रतिकर का उपर्युक्त करेगी।

(2) प्रतिकर, हानि या खति की रकम में अनधिक होगा तथा प्रतिपिद्ध डाक-वस्तुओं या प्रेपक की गलती या उपेक्षा द्वारा कारित या अनिवार्य वाध्यता से उद्भूत हानि या खति पर संवत्त नहीं होगा।

[का. सं. 01-04/2024-पीओ]

विनेक कुमार दक्ष, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2024.

G.S.R. 767(E).— In exercise of the powers conferred by section 12 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), and in suppression of the Indian Post Office Rules, 1933, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Post Office Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the 16th day of December, 2024.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means "the Post Office Act, 2023" (43 of 2023);

(b) "Board" means the Postal Services Board specified in rule 5;

(c) "Circle Head" means the Chief Postmaster General concerned or an officer exercising the powers of Chief Postmaster General in the circle;

(d) "Divisional Head" means Director or Senior Superintendent or Chief Postmaster or Superintendent of Postal Division or Railway Mail Service (RMS) Division or Foreign Post, or an officer exercising the powers of Director or Senior Superintendent or Chief Postmaster or Superintendent of Postal Division or Railway Mail Service Division or Foreign Post;

(e) "mail offices" means the Post Offices or premises associated with handling, processing or transmission of items, used by the Department of Post;.

(f) "mail service" means all activities related to collection, handling, transmission, delivery, forwarding, returning and holding of items;

(g) "postage" means the sum chargeable on mail service;

(h) "Regional Director" means the Director concerned or an officer exercising the powers of Director in the region;

(i) "Regional Head" means the Postmaster General concerned or an officer exercising the powers of Postmaster General in the region;

(j) "universal postal service" means the provision of such postal services which are affordable and made available to all users, within and outside the country; and

(k) "value-added service" means add-on features on mail services.

(2) Words and expressions used herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Services to be provided by Post Office (Domestic/Foreign). Every Post Office may provide the following service for carrying out the purposes of the Act, namely: -

- (a) mail services within or beyond the limits of the country;
- (b) value-added service applicable in respect of clause (a);
- (c) universal postal service in respect of clause (a);
- (d) financial services including banking, Government Savings Bank, payment system and any other financial services;
- (e) money remittances services within or beyond the limits of the country;
- (f) insurance services including life insurance or any other insurance;
- (g) citizen-centric services as authorised by the Central Government;
- (h) services associated with addressing identifiers and postcodes;
- (i) any service offered by State Government or Local Government;
- (j) any service offered through collaboration with public or private entities.

4. Director General to authorize certain Services.— The Director General is authorised to -

- (a) introduce new products, or modify or discontinue any products related to the services mentioned in these rules; and
- (b) enter into a collaboration with public or private entities in respect of services specified under rule 3.

5. Postal Services Board.— The Postal Services Board shall be the apex level policy making body, having perpetual succession and a common seal, for any of the services provided by the Post Office, under rule 3.

6. The Central Government may, by notification in the Official gazette, specify the composition of the Board; and powers, functions and duties of the Board.

7. Exclusive privilege in respect of postage stamps.— Subject to the provisions of rule 8, the Central Government or, as the case may be, the Director General shall issue definitive, commemorative, special issues of postage stamps or any other form of postage stamps or related material.

8. Philatelic Advisory Committee.— The Central Government may constitute a Philatelic Advisory Committee which shall advise the Government on issues of commemorative and special postage stamps and other allied matters related thereto.

9. Modes of payment of postage or other charges.— The payment of the postage or other sums chargeable for mail services under rule 3, shall be made through any of the following mode and in such manner as may be specified in the regulations, namely: -

- (a) in cash; or
- (b) payment through digital mode; or
- (c) by postage stamp; or
- (d) by means of impressions of franking machines; or
- (e) any other mode, as may be specified in the regulations.

10. Modes of payment for other Services. - The modes of payment for the sum chargeable on any other services mentioned in these rules shall be such, as may be specified in the regulations.

11. Addresses and postcodes. - (1) The Director General shall, by regulations, -

- (i) specify the standards for addressing on the items;
- (ii) manage and allocate addressing identifiers and postcodes.

(2) The Director General shall manage, allocate and publish Postcodes or Postal Index Number (PIN) codes.

12. Power to give effect to arrangements with other countries. - (1) The Central Government shall provide the services as mentioned in these rules in furtherance to international postal co-operation.

(2) The international postal co-operation shall be with other countries or territories, Universal Postal Union (UPU), or other postal unions, or public or private entities, and in conformity with the provisions of the UPU Convention Manual and Regulations, multilateral or bilateral agreements with the foreign countries, other unions, laws and bye-laws, and the international laws, as may be applicable, for the time being in force.

(3) The Director General is authorised to issue regulations, for the purposes of sub-rules (1) and (2).

13. Official mark to be denoted. - The Post Office marks shall be the proof of certain facts denoted on the item, in respect of, —

(a) the production of the item, having thereon the official mark of the Post Office denoting that the item has been refused or rejected or unclaimed, or cannot for any other reason be delivered, or any other remark so denoted, shall be sufficient proof of the fact indicated, and

(b) every proceeding for the recovery of any postage or other sum alleged to be due under the Act.

14. Sender of Item. - The person or the address or from whom the item is purported to have come, shall, be deemed to be the sender thereof.

15. Official mark on items. - Director General may, by regulations, authorise certain officers or officials to make an official mark on an item denoting that—

(a) any postage or other sum is due in respect thereof to the Post Office;

(b) the mark shall be the proof to denote that the said sum as is so due; and

(c) the item has been refused or rejected or unclaimed, or cannot for any other reason be delivered.

16. Interception, detention and opening of item(s). - (1) Subject to the provisions of sub-section(1) of Section 9, no direction for interception, detention or opening of any item or class of item under sub-section (1) of section 9 of the Act shall be issued, except by an order made by a Member of the Board looking after the work of operations in the Department of Posts or the Circle Head.

(2) In unavoidable circumstances, such order may be made by an officer, not below the rank of the Regional Head or the Regional Director.

(3) In emergent cases, where obtaining of prior directions for interception, detention or opening of item is not feasible, the required interception, detention or opening of item shall be carried out on the directions of the Divisional Head, who shall inform the concerned competent authority specified in sub-rule (1) or sub-rule (2) within three working days of such interceptions, detention or opening and that such order shall be got confirmed by the concerned competent authority within a period of seven working days:

Provided that if the confirmation from the competent authority is not received within the stipulated seven days, such interception shall cease to operate and shall not be recommenced without the prior approval of the competent authority.

(4) Any order issued by the competent authority under sub-rules (1), (2) and (3) shall contain reasons to be recorded in writing for such direction.

(5) In order to oversee the interception done under sub-rules (1), (2) and (3), the Central Government shall constitute a review committee consisting of the following, namely: -

(a) Director General, Posts- Chairman and

(b) two Members of the Board, other than the Member mentioned in sub-rule (1) – Members.

(6) The review committee shall meet at least once in three months and review all directions issued under sub-rules (1), (2) and (3).

(7) The Central Government hereby notifies the following officers as authorized officers to intercept and detain items on the orders of the competent authority, namely:-

- (a) Officer in-charge of Post Office or any higher officer; or
- (b) Officer in-charge of the Mail Office or any higher officer.

(8) No authorized officer shall open any item specified in this rule, except in the presence of the concerned law enforcement authority.

(9) The authorised officer shall maintain proper records mentioning therein, category of the item including any tracking number, particulars of sender and addressee, weight of the item, postage, reason for interception and detention of the item, date of interception and detention of the item and the duration for which the directions remain in force.

(10) The authorised officer shall ensure the disposal of the item intercepted under sub-rules (1), (2) and (3) in the manner as specified in the Post Office Regulations, 2024.

(11) The directions for interception and detention shall remain in force, unless revoked earlier, for a period not exceeding thirty days from the date of issue and may be further extended:

Provided that the period may not be extended beyond ninety days:

Provided further that on the expiry of the period specified in the first proviso, the detained item shall be handed over to the concerned law enforcement authority.

(12) The interception and detention of an item under sub-rules (1) to (3) does not exempt the sender from any action which might have been taken, if the item had been delivered in due course through post.

(13) The provisions of sub-rules (1) to (11) shall apply mutatis mutandis to the items sent to and received from foreign countries.

17. Duty of authorized officers in delivering items.— The authorized officers shall be empowered to deliver an item, reckoned to contain anything liable to duty, or which is suspected to contain any prohibited item, to such customs authority or any other law enforcement authority as may be specified in notification issued under sub-section (3) of Section 9 of the Act for taking necessary action in respect of such item in accordance with the provisions of any law for the time being in force.

18. Interception in addition to and not in derogation of other laws.— Nothing contained in rule 16 shall prevent interception of items as required under any law for the time being in force and shall be governed by any procedures applicable under such law.

19. Exemption from Liability.— (1) The Central Government shall provide compensation for loss or damage of an item or its contents or on any other grounds, if any, as specified in the regulations.

(2) The compensation shall not exceed the amount of the loss or damage, and shall not be paid on prohibited items, or loss or damage caused by the fault or negligence of the sender, or arising from force majeure.

[F. No. 01-04/2024-PO]

VIVEK KUMAR DAKSH, Dy. Director General



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.डी.डी.एल. - 31-12-2024-259461
CG-BL-E-17122024-259461

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5033] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/ अग्रहायण 25, 1946
No. 5033] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/ AGRAHAYANA 25, 1946

संचार मंत्रालय
(डाक विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5440(अ).—महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुग्रहोदान से, डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं।
अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और पारंपरा।— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर विनियम, 2024 है।
(2) ये 16 दिसंबर, 2024 के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभ्राषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "ब्रेखादेय डाक-वस्तु" से ऐसी वस्तु से अभिप्रेत है जो बुकिंग के समय ट्रैक एवं ट्रैस (डाक-वस्तु की मूवमेंट का चरणवार इलेक्ट्रॉनिक डेटा) के लिए रसीद प्रदान करती हैं और डिलिवरी का साक्ष्य देने के लिए वस्तु की प्राप्ति पर प्राप्तकर्ता, आदाता या उनके प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (स्थाही या डिजिटल में) की अपेक्षित होते हैं और इसमें इंडिया पोस्ट पार्सल, स्पीड पोस्ट, मैगजीन पोस्ट, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सेवाएं (ईएमएस), इंटरनेशनल एयर पार्सल, इंटरनेशनल ट्रैकड पैकेट्स, इंटरनेशनल रजिस्ट्रीकृत पत्र वस्तुएं, मनीऑर्डर और मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे रजिस्ट्रीकरण, बीमा और कैश-ऑन-डिलीवरी (सीओडी) वाली वस्तुएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अधिनियम" से डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) अभिप्रेत है;

(ग) "प्रेषिती" प्राप्तकर्ता या वह व्यक्ति, जिसे कोई वस्तु परिदृत की जानी है अभिप्रेत है;

(घ) "प्रशासनिक अनुदेश" से यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या विनियम 178 या विनियम 179 या विनियम 180 के अधीन विनिर्दिष्ट महानिदेशक द्वारा जारी कार्यकारी या प्रशासनिक आदेश या अनुदेश जिसके अधीन मार्गदर्शक सिद्धांत भी सम्मिलित हो, अभिप्रेत है;

(ङ.) "प्राधिकृत व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रेषिती द्वारा डाक-वस्तु प्राप्त करने के लिए या उसकी ओर से धन प्राप्त करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है;

(च) "परिदान" से किसी वस्तु के डिलिवरी प्रेषिती प्राप्तकर्ता के पते पर, या प्रेषिती या अन्य व्यक्ति या स्थान पर जिसे प्रेषिती तक वस्तुओं के डिलिवरी के सामान्य तरीके के अनुसार वस्तु प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत माना जाता है;

(छ) "निदेशक (डाक सेवाएं)" से डाकघर के किसी प्रशासनिक कार्यालय में निदेशक या निदेशक (डाक सेवाएं) की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में" डाकघर द्वारा किसी वस्तु की प्राप्ति से लेकर प्रेषिती तक उसके डिलिवरी या प्रेषक को वापस करने या अन्यथा निपटान तक की अवधि अभिप्रेत है;

(झ) "ब्रेटर बॉक्स" से डाकघरों या मेल कार्यालयों या सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित बॉक्स अभिप्रेत है, जिसमें पूर्णतः पूर्वभुगतान वाले पत्र, पोस्टकार्ड, लेटर कार्ड और बुक पोस्ट डाक-वस्तु पोस्ट किए जाते हैं;

(ञ) "प्राप्तकर्ता" से ऐसा व्यक्ति जो धन प्रेषण सेवाओं के माध्यम से धन प्राप्त करता है, अभिप्रेत है;

(ट) "डाक" से डाक नेटवर्क द्वारा वस्तुओं के संग्रहण, निकासी, छंटाई, प्रेषण, परिवहन और वितरण के लिए कोई प्रणाली अभिप्रेत है;

(ठ) "पोस्टमास्टर" से यथास्थिति, जनरल पोस्टऑफिस जीपीओ के निदेशक या मुख्य पोस्टमास्टर या प्रधान डाकघर के वरिष्ठ पोस्टमास्टर या हेड पोस्टमास्टर या पोस्टमास्टर की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी, जो ऐसे डाकघर का प्रमुख है, अभिप्रेत है;

(ঢ) "পুনর্নির্দেশ" से কিসী বিনির্দিষ্ট কারণ কে লিএ কিসী ঵স্তু কো উস পতে কে অলাবা কিসী অন্য পতে পর নির্দিষ্ট যা নির্দেশিত করনে কী কাৰ্যবাই অভিপ্রেত হৈ, জো প্রারংভ মে দিয়া গয়া থা,

(ठ) "धन प्रेषणकर्ता" से ऐसा व्यक्ति जो धन प्रेषण सेवाओं के माध्यम से धन प्रेषित करता है, अभिप्रेत है;

(ण) "नियम" (रूल्स) से डाकघर नियम, 2024 अभिप्रेत है और "नियम" (रूल) पद से उक्त नियमों के नियम, अभिप्रेत हैं;

(त) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(थ) "प्रेषक" से ऐसा व्यक्ति जो कोडे डाक-वस्तु भेजता है, अभिप्रेत है; और

(द) "वजन" से जब तक कि अन्यथा कथित न हो के सिवाय सकल वजन या आयतन वजन जो भी अधिक हो, अभिप्रेत हैं।

(2) शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभ्राषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या डाकघर नियम, 2024 में परिभ्राषित हैं।

अध्याय ॥

सामान्य

3. कारबार घंटे- (1) डाकघर में कारबार घंटे, जिसके दौरान जनता के साथ कारोबार किया जाता है, सामान्यतः सामान्य कार्यदिवसों पर, जो डाकघर के लिए अवकाश या सरकारी अवकाश नहीं हैं, निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :-

क्रम सं.	कार्य	कारबार के घंटे
(i)	संदर्भ एवं पूछताछ के लिए	कार्यालय के सम्पूर्ण कार्य समय के दौरान
(ii)	काउंटर सेवाएं जिनमें वस्तुओं की बुकिंग और डाक-वस्तुओं की पोस्टिंग, बीमा प्रीमियम का संग्रह शामिल है	छह घंटे
(iii)	धन प्रेषण- इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर, भारतीय पोस्टल ऑर्डर आदि।	छह घंटे
(iv)	बचत बैंक	छह घंटे

(2) शाखा डाकघरों को एक दिन में अधिकतम पांच घंटे तक खुला रखा जाएगा।

4. (1) सर्किल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और संभागीय प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक डाकघर की उस अवधि को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त हैं, जिसके दौरान जनता या ग्राहक के साथ कारोबार किया जाता है और वह समय जिस पर डाक-वस्तु वितरित और भेजी जाती है, जिसमें अधिकतम कार्य घंटे, कारोबारी घंटे, स्थानीय सुविधा और डाक-वस्तुओं के आगमन और प्रस्थान का समय और डाकघर काउंटरों की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखा जाता है।

(2) सर्किल प्रमुख या क्षेत्रीय प्रमुख, यदि जनता की आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक या समीचीन हो, या किसी विशेष परिस्थिति में, विनिर्दिष्ट कर सकेगा-

(क) कारोबार के घंटे और कार्य दिवसों को छोड़कर अन्य दिन, जिनमें रविवार और छुट्टियां भी शामिल हैं, जिनमें डाकघर कारोबार के लिए खुले रहेंगे ;

(ख) ऐसे कारोबारी घंटों के दौरान उपलब्ध संव्यवहार (लेन-देन) के प्रकार; और

(ग) डाकघर में काम की अधिकता को पूरा करने तथा जनता को सुविधाओं की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कारोबारी घंटों के दौरान बुकिंग के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या।

5. डाक शुल्क और वस्तुओं पर प्रभार्य अन्य राशियों का भुगतान- (1) डाक शुल्क का भुगतान सामान्यतः नियम 9 में उल्लिखित तरीकों से किया जाएगा।

(2) इन विनियमों में अन्यथा उल्लिखित के सिवाय किसी वस्तु पर देय डाक शुल्क एवं अन्य राशि का पूर्व-भुगतान अनिवार्य होगा।

6. गैर-लेखादेय डाक-वस्तुओं और असंदत डाक-वस्तुओं पर डाक शुल्क।— (1) यदि गैर-लेखादेय डाक-वस्तुओं पर, जिन पर डाक टिकट एम्बॉस्ड है, अपेक्षित डाक शुल्क उन पर मुद्रित टिकट के मूल्य से अधिक है, तो अंतर की भरपाई अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर की जाएगी।

(2) असंदत किए गए या अपर्याप्त संदत किए गए सामान को उन पर देय डाक शुल्क वसूलने के लिए रोक कर रखा जा सकता है।

7. डाक शुल्क और प्रभार्य राशियाँ पूर्व संदत योग्य नहीं मानी जाएंगी।— किसी वस्तु पर प्रभार्य डाक शुल्क और अन्य राशियों को उचित स्टाम्प या फ्रैकिंग छाप या विक्रय केन्द्र की रसीद के माध्यम से पूर्व संदत नहीं समझा जाएगा, यदि—

(क) स्टाम्प या स्टाम्प की छाप या ऐसी छाप जो इन विनियमों या नियमों के अधीन डाक टिकट या फ्रैकिंग छाप या विक्री रसीद के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ख) स्टाम्प हट गया हो, विकृत हो गया हो, फट गया हो, कट गया हो या अन्यथा क्षतिग्रस्त हो गया हो;

(ग) स्टाम्प या फ्रैकिंग छाप या विक्री रसीद पर कोई शब्द, अक्षर, आकृति या डिजाइन जिसे पोस्ट किए जाने से पूर्व महानिदेशक द्वारा या छापित न करवाया गया हो; या

(घ) स्टाम्प को किसी उभरे हुए लिफाफे या पोस्टकार्ड या आवरण से काटा गया है या अन्यथा अलग किया गया है।

परंतु इस विनियम की कोई बात होते हुए भी डाक टिकटों पर छोटे-छोटे छेद करने उनके आरंभिक अक्षर या अन्य पहचान चिह्न अंकित करने से नहीं रोकेगी।

परंतु यह और कि इस विनियम की कोई बात बुक-नाउ-पे-लेटर (बीएनपीएल) डाक-वस्तुओं या समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य डाक-वस्तुओं के पारेषण को नहीं रोकेगी।

8. डाक टिकटों की आपूर्ति।— (1) डाक टिकटों की आपूर्ति, अभिरक्षा और बिक्री के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति या इकाई या संस्थान या संगठन या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म महानिदेशक की पूर्व अनुमति के बिना डाक टिकटों की बिक्री या वितरण नहीं करेगा या किसी अन्य तरीके से डाक टिकटों का सौदा नहीं करेगा।

(3) जो कोई उपरोक्त विनियम (2) के उपबंधों या इसके अधीन जारी अनुमति के किसी भी निबंधन या शर्त का उल्लंघन करता है, तो वह तत्समय प्रवृत्त देश की लागू विधि व्यवस्था के प्रासंगिक उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

9. डाक-टिकटों का कपटपूर्ण उपयोग।— (1) यदि कोई पूर्व में उपयोग किए गए डाक टिकट का कपटपूर्वक या सरकार को हानि पहुंचाने के इरादे से उपयोग करने का कार्य करता है, तो वह तत्समय प्रवृत्त देश की लागू विधि व्यवस्था के अधीन दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई ऐसा डाक टिकट पहले से भेजी गई किसी वस्तु पर पाया जाता है, तो उस वस्तु को वितरित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामले में समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा कारवाई की जाएगी।

10. डाक टिकटों का अवैध विनिर्माण या उपयोग।— (1) यदि कोई डाक टिकटों का अवैध विनिर्माण और उपयोग है, जैसे कि जाली, नकली या फर्जी डाक टिकट बनाता है, तो वह तत्समय प्रवृत्त देश की लागू विधि के अधीन दंडनीय होगा।

(2) टिकटों का पुनरुत्पादन केवल डाक टिकट संग्रह संबंधी प्रकाशन में, या डाक टिकटों से पूर्णतः संबंधित किसी सामग्री, जो किसी प्रकाशन में या सामान्य स्वरूप में प्रयोग में आ सकता है, इटांत के प्रयोजनों के लिए ही अनुजात किया जाएगा, और ऐसा पुनरुत्पादन केवल ऐसे प्ररूप में होगा, जैसा कि समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

11 टिकट-संग्रहण।— (1) टिकट संग्रहण, टिकटों, डाक स्टेशनरी, पोस्टमार्क और अन्य टिकट संग्रहण सामग्रियों का अध्ययन और संग्रह है।

(2) डाक टिकट संग्रह से संबंधित परिचालन प्रक्रियाएं समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

12. डाक टिकट संग्रहण सामग्री।— (1) डाक टिकट सामग्री डाकघर द्वारा जारी समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) डाक टिकट सामग्री में शामिल हैं—

(क) डाक टिकट संग्रहण;

(ख) प्रथम दिवस आवरण, ब्रोशर या सूचना पत्र, विशेष आवरण, मैक्रिस्म कार्ड, वार्षिक पैक, डाक स्टेशनरी और विभिन्न डाक टिकट संग्रहण प्रकाशन और सहायक सामग्री;

(ग) कलाकृतियाँ, प्रूफ, प्रगतिशील शीट, मुद्रित शीट और डाक टिकट संग्रहण टिकटों की मुद्रण प्लेटें, तथा

(घ) डाक टिकट, स्लोगन डाइस और डाक टिकट संग्रहण टिकटों के उत्पादन के संबंध में प्रयुक्त अन्य कलाकृतियाँ।

(3) महानिदेशक प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा डाकघरों में बेची जाने वाली डाक टिकट संग्रहण सामग्री को विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) डाक टिकट संग्रह संग्रहण सामग्री के उत्पादन और निर्गमन से संबंधित सभी गतिविधियाँ समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार की जाएंगी।

13. डाक टिकट जारी करना।— डाक टिकट निम्नलिखित प्रकार से जारी किए जाएंगे, अर्थात्—

(क) नियत श्रृंखला के डाक-टिकट : परिनिश्चित टिकट डाक वह टिकट होते हैं, जो विशेष रूप से दिन-प्रतिदिन की डाक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं और एक विशेष श्रृंखला के स्टॉक समाप्त होने तक विक्री के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें डाकघर की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न मूल्यवर्गों में मुद्रित और पुनर्मुद्रित किया जाएगा।

(ख) स्मारक टिकट:

(i) स्मारक टिकट वह डाक टिकट हैं जो किसी घटना, संस्था, विषय और व्यक्तित्व के स्मरणार्थ जारी किए गए टिकट, जो केवल एक बार, सीमित संख्या में मुद्रित किए जाएंगे और फ़िलैटेलिक व्यूरो, डाक टिकट संग्रहण काउंटर, ऑनलाइन चैनलों या प्राधिकृत कार्यालयों के माध्यम से सीमित अवधि के लिए बेचे जाएंगे, जिसे कि समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ii) स्मारक टिकटों को संग्रहणीय वस्तु के रूप में रखा जा सकता है तथा डाक शुल्क के भुगतान के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।

(ग) विशेष टिकट : विशेष टिकट वे डाक टिकट होते हैं जो किसी विशेष घटना का स्मरण किए बिना वनस्पति, जीव, वास्तुकला या कला जैसे विषयगत होते हैं।

(घ) संयुक्त जारी टिकट: संयुक्त जारी टिकट वे डाक टिकट हैं जो भारत और किसी अन्य देश द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और नियमों पर जारी किए जाते हैं।

(ङ.) मेरा टिकट (माई स्टैम्प): मेरा टिकट ऐसे टिकट हैं जो याहक या प्रस्तावक द्वारा प्रदान किए गए व्यक्तिगत या अनुकूलित मुद्रण तत्वों के आधार पर जारी किए जाते हैं, जो समय-समय पर निर्दिष्ट प्रशासनिक अनुदेशों की पुष्टि के अधीन होते हैं।

14. (1) स्मारक डाक टिकट जारी करना.- भारत का कोई भी नागरिक समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

(2) ऐसे सभी प्रस्तावों की जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अनुदेशों के आधार पर की जाएगी।

(3) संस्थाओं या आयोजनों या संगठनों से संबंधित स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्तावकों को समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संख्या में ऐसे टिकटों की अनिवार्य खरीद करनी होगी:

परंतु अपवादात्मक एवं आवश्यक मामलों में केन्द्रीय सरकार इस शर्त में छूट दे सकेगी।

(4) डाक टिकटों के मूल्यवर्ग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय डाक शुल्क के अनुरूप होंगे।

(5) किसी जीवित व्यक्ति पर कोई डाक टिकट जारी नहीं किया जाएगा।

(6) स्टाम्प का डिजाइन और मूल्यवर्ग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होगा।

(7) सभी डाक टिकट संग्रह टिकट (फ़िलैटली), ब्रोशर, प्रथम दिवस कवर और डाक टिकट संग्रह संबंधी सहायक सामग्री डाकघर द्वारा निर्धारित मूल्य पर या समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा निर्दिष्ट मूल्य पर बेची जाएंगी।

15. डाक टिकट संग्रहण सलाहकार समिति.- (1) डाक टिकट संग्रहण सलाहकार समिति स्मारक टिकटों, विशेष टिकटों और उससे संबंधित अन्य संबद्ध मामलों के मुददे पर सलाह देगी।

(2) संचार मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री डाक टिकट संग्रहण सलाहकार समिति के पद्देन अध्यक्ष होंगे तथा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार समिति के सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेंगे।

16. डाक टिकट चिपकाने का तरीका.- (1) किसी वस्तु पर चिपकाए गए टिकट पूरी तरह से उस वस्तु से चिपके होने चाहिए, न कि उसकी सामग्री के किसी भाग से या वस्तु से बंधे या संलग्न किसी पृथक लेबल या अन्य उपकरण से।

(2) टिकटों को पते वाली तरफ के दाहिने ऊपरी कोने पर चिपकाया जाना चाहिए।

(3) इस विनियम के उपर्युक्त सम्पूर्ण डाक-वस्तुओं की फ्रैकिंग पर लागू होंगे।

17. डाक टिकटों और स्टेशनरी की कीमत.- (1) डाक टिकट, पोस्टकार्ड, लेटर कार्ड और एरोग्राम उन टिकटों के अंकित मूल्य पर बेचे जाएंगे।

(2) उभरे (एंबॉस्ड) लिफाफे और रजिस्ट्रीकरण लिफाफे अनुसूची । की सारणी vii में उल्लिखित कीमतों पर बेचे जाएंगे।

(3) विशेष राखी लिफाफे संबंधित सर्किल प्रमुख द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाएंगे।

18. घरेलू वस्तुओं पर पते के मानक.- (1) किसी डाक-वस्तु का एक से अधिक वितरण पता नहीं होगा;

परंतु इस उप-विनियम की कोई बात किसी वस्तु को किसी अन्य ऐसे पते पर पहुंचाने से नहीं रोकेगी, जिसे समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) पता, चाहे हस्तलिखित हो या मशीन से मुद्रित, में निम्नलिखित तत्व और क्रम शामिल होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

नाम

मार्फत, पुत्री, पुत्र, पत्नी, पति

मोबाइल नंबर (वैकल्पिक)

मकान/ इमारत (मंजिल सहित)/ अपार्टमेंट (मंजिल सहित)

गली / सड़क / लेन

सीमाचिह्न

क्षेत्र / इलाका / सेक्टर

गांव/कस्बा/शहर

डाक घर

ज़िला

राज्य

पिन कोड/ पोस्टकोड

(3) प्रेषिती का पता लिफाफे के सामने वाले भाग के मध्य में लिखा जाएगा तथा प्रेषक का पता लिफाफे के सामने वाले भाग के निचले बाएँ भाग में लिखा जाएगा।

(4) प्रेषिती और प्रेषक का पता क्रमशः "सेवा में" और "की ओर से" शब्दों से शुरू होना चाहिए।

(5) लिफाफे के बाएं, नीचे और दाएं तरफ न्यूनतम 15 मिमी का रिक्त स्थान रखा जाएगा तथा प्रेषिती के पते वाले ब्लॉक में ऊपर से न्यूनतम 40 मिमी का अंतर होगा।

(6) स्टाम्प या फ्रैंक छाप ऊपरी दाहिने कोने पर अधिकतम 74 मिमी क्षेत्र में चिपकाई जाएगी।

(7) प्रेषिती और प्रेषक का पता लिफाफे की लंबाई के समानांतर लिखा जाना चाहिए।

(8) पता ब्लॉक के चारों ओर 10 मिमी का क्षेत्र किसी भी मुद्रण या लेखन से मुक्त होना चाहिए।

(9) गैर-पता संबंधी जानकारी जैसे कि प्रेषक का कोड, सीरियल या खाता संख्या या अन्य जानकारी को आम तौर पर प्राप्तकर्ता के पते में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो इसे पते की पहली पंक्ति के ऊपर मुद्रित किया जाना चाहिए, लेकिन कभी भी अंतिम पंक्ति के नीचे नहीं।

(10) पता पंक्तियों के बीच की दूरी एक समान होगी तथा 1 मिमी से अधिक तथा 5 मिमी से कम होगी।

(11) शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़कर प्रति पंक्ति वर्णों की अधिकतम संख्या 40 वर्ण है।

(12) डाकघर में प्रेषण के लिए प्रस्तुत कोई जवाबदारी वस्तु तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह किसी विशेष व्यक्ति या फर्म या संस्था को संबोधित न हो।

(13) किसी विशिष्ट व्यक्ति या फर्म को संबोधित ऐसी वस्तुएं, मार्फत पोस्ट बॉक्स और उस कार्यालय का नाम जहां पोस्ट बॉक्स स्थित है, भी स्वीकार किए जाएंगे, परन्तु वे उन व्यक्तियों या फर्मों को संबोधित हों जिनके नाम पर पोस्ट बॉक्स रजिस्ट्रीकृत हो ;

परन्तु यदि पहुंच कार्यालय में यह पाया जाता है कि प्राप्तकर्ता के नाम पर कोई पोस्ट बॉक्स नहीं है, या प्राप्तकर्ता पोस्ट बॉक्स का किरायेदार नहीं रह गया है, तो वस्तु प्रेषक को वापस कर दी जाएगी।

19. रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए डाक.- रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए उन वस्तुओं के मामले में, जिन्हें सेना डाकघरों के माध्यम से वितरित किया जाना है, पते में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे:-

संख्या

ईक

नाम

इकाई

ऐसी डाक-वस्तुओं को मार्फत (सी/ओ) 56 एपीओ या मार्फत (सी/ओ) 99 एपीओ को संबोधित किया जाना चाहिए।

20. कुछ मामलों में किसी डाक-वस्तु पर पता लिखने की विधि में छूट.- ऐसे प्राधिकारियों को संबोधित तथा लिफाफे पर विनिर्दिष्ट उपरिलेख के साथ डाकघर में प्रस्तुत की गई वस्तुएं, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रेषक के नाम और पूर्ण पते के बिना प्रेषण के लिए स्वीकार की जाएंगी।

21. अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तुओं पर संबोधन के लिए मानक।—(1) किसी डाक-वस्तु का एक से अधिक वितरण पता नहीं होगा:

परंतु इस उप-विनियम में कोई बात किसी वस्तु को किसी अन्य ऐसे पते पर पहुंचाने से नहीं रोकेगी, जिसे समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) पता, चाहे हस्तलिखित हो या मशीन से मुद्रित, सटीक, पूर्ण और सुपारु तरीके से लिखा जाएगा ताकि वस्तु का आसानी से संचरण सुनिश्चित हो सके और गंतव्य देश या क्षेत्र में प्रेषिती तक उसका वितरण हो सके।

(3) प्रेषक और प्रेषिती का पता रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में लिखा जाना चाहिए, और जहां आवश्यक हो, प्राप्तकर्ता का पता गंतव्य देश या क्षेत्र की भाषा में भी लिखा जा सकता है।

(4) गंतव्य स्थान और गंतव्य देश या क्षेत्र का नाम बड़े अक्षरों में सही पोस्ट कोड संख्या या डिलीवरी क्षेत्र संख्या के साथ लिखा जाएगा, जो भी लागू हो।

(5) प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पते में ऐसे तत्व, जो भी लागू हों, और नीचे दिए गए क्रम में होंगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो :—

नाम

मोबाइल नंबर (वैकल्पिक)

इमारत (दरवाजा, मंजिल, सीढ़ी, विंग, इमारत, अलग-अलग उदाहरण)

गली (गली का नाम/संख्या/प्रकार, प्राथमिक मार्ग, द्वितीयक मार्ग)

पी. ओ बॉक्स

डाक घर

शहर/कस्बा/गामीण क्षेत्र

प्रशासनिक क्षेत्र (क्षेत्र स्तर)

पोस्टकोड

देश/क्षेत्र

(6) लिफाफे पर प्रेषिती का पता सामने की ओर दाईं ओर तथा प्रेषक का पता सामने की ओर बाईं ओर नीचे लिखा जाएगा।

(7) प्रेषिती और प्रेषक का पता क्रमशः "सेवा में" और "की ओर से" शब्दों से शुरू होना चाहिए।

(8) लिफाफे के बाएं, नीचे और दाएं तरफ कम से कम 15 मिमी का खाली स्थान रखा जाएगा और प्रेषिती के पते के ब्लॉक में ऊपर से कम से कम 40 मिमी का अंतर होगा। ऊपरी दाएं कोने पर अधिकतम 74 मिमी के क्षेत्र में टिकट या फँक छाप लगाई जाएगी।

(9) पता ब्लॉक के चारों ओर 10 मिमी का क्षेत्र किसी भी मुद्रण या लेखन से मुक्त होना चाहिए।

(10) गैर-पता संबंधी जानकारी जैसे कि प्रेषक का कोड, सीरियल या खाता संख्या या अन्य जानकारी को आम तौर पर प्राप्तकर्ता के पते में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो इसे पते की पहली पंक्ति के ऊपर मुद्रित किया जाना चाहिए, लेकिन कभी भी अंतिम पंक्ति के नीचे नहीं।

(11) पता पंक्तियों के बीच की दूरी एक समान होगी तथा 1 मिमी से अधिक तथा 5 मिमी से कम होगी।

(12) शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़कर प्रति पंक्ति वर्णों की अधिकतम संख्या 40 वर्ण है।

(13) डाकघर में प्रेषण के लिए प्रस्तुत की गई लेखादेय डाक वस्तु तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हें विनियम 18, 19 और उप-विनियम (5) के अनुसार संबोधित न किया गया हो।

22. डाक-वस्तुओं का भ्रेजना-डाक-वस्तुओं को डाक से भ्रेजने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया जा सकता है:-

(क) पत्र पेटी - पत्र, पत्र कार्ड, एरोब्राम, पोस्टकार्ड, एयरमेल पोस्टकार्ड, बुक पोस्ट, छोटे पैकेट, मुद्रित पत्र और इच्छितानों के लिए साहित्य पत्र पेटी में डाले जाएंगे, परंतु कि देय डाक शुल्क का पूर्ण भुगतान पूर्व में किया गया हो।

टिप्पणी 1: रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र सामग्री, आवधिक पोस्ट सामग्री और फ्रैक्ड डाक-वस्तुएं इन पत्र में पोस्ट नहीं की जाएंगी और यदि पोस्ट की जाती हैं तो इन्हें अदत माना जाएगा और इनका निपटान विनियम 71 के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पण 2: लेखादेय डाक-वस्तुएं भी पत्र पेटियों में नहीं डाली जाएंगी।

टिप्पण 3 : बड़ी मर्द, जो अपने आकार के कारण लेटर-बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें डाकघर की खिड़की पर हाथ से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी डाक-वस्तुओं को लेखादेय डाक-वस्तुएं नहीं माना जाएगा।

(ख) डाकघर काउंटर.- सभी लेखादेय डाक-वस्तुएं डाक द्वारा पारेषण के लिए डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत की जाएंगी।

(ग) फ्रैचाइजी आउटलेट.- समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट डाक-वस्तुएं डाकघर के फ्रैचाइजी आउटलेट के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं।

(घ) स्व-बुकिंग कियोस्क.- अभिहित डाकघरों में उपलब्ध स्व-बुकिंग कियोस्क का उपयोग प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट डाक-वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए किया जा सकता है।

टिप्पण: क्षेत्रीय प्रमुख को उन डाकघरों को अभिहित करने का अधिकार है, जहां स्व-बुकिंग कियोस्क की सेवा उपलब्ध है।

(ङ) वेब या मोबाइल एप्लीकेशन.- प्राधिकृत वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट डाक-वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए किया जा सकता है।

23. डाक द्वारा पारेषण के लिए रसीद- उस व्यक्ति को रसीद दी जाएगी जो डाक द्वारा पारेषण के लिए लेखादेय डाक-वस्तुएं प्रस्तुत करता है।

24. डाक-वस्तुओं का स्वामित्व- (1) घरेलू डाक-वस्तुओं के लिए, कोई डाक-वस्तु तब तक प्रेषक की संपत्ति बनी रहेगी जब तक वह सही प्रेषिति को नहीं पहुंचा दी जाती, सिवाय उस दशा के जब उस डाक-वस्तु को तत्समय प्रवृत्त देश की विधि के अधीन अभियहण कर लिया जाता है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तुओं के लिए, कोई डाक-वस्तु तब तक प्रेषक की संपत्ति बनी रहेगी जब तक वह सही प्रेषिति को नहीं पहुंचा दी जाती, सिवाय उस दशा के जब उस डाक-वस्तु को उस मूल देश या उसके राज्यक्षेत्र या अभिवहन अथवा गंतव्य स्थान की किसी विधि के अधीन अभिग्रहण कर लिया जाता है।

25. घरेलू डाक-वस्तुओं का प्रतिषेध- (1) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति डाक द्वारा निम्नलिखित नहीं पारेषित करेगा, -

(क) कोई विस्फोटक, खतरनाक, गंदा, अपायकर या हानिकारक पदार्थ, कोई तीक्ष्ण उपकरण जो समुचित रूप से संरक्षित न हो, या कोई जीवित प्राणी जो डाक या डाकघर के किसी अधिकारी द्वारा पारेषित किए जाने के दौरान अपायकर हो या जिससे डाक-वस्तुओं को क्षति पहुंचने की संभावना हो; या

(ख) डाक द्वारा पारेषित किए जाने के दौरान किसी मद, या डाकघर के किसी अधिकारी को क्षति पहुंचने की संभावना वाली कोई चीज; या

(ग) लॉटरी से संबंधित कोई टिकट, प्रस्ताव, विज्ञापन या कोई अन्य विषय, सिवाय उस दशा के जहां लॉटरी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित या प्राधिकृत हो; या

(घ) कोई भी अशिष्ट, अनैतिक या अश्लील मुद्रण, पैटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, उत्कीर्ण, पुस्तक या कार्ड, या कोई अन्य डिजिटल मीडिया, या कोई अन्य अशिष्ट, अनैतिक या अश्लील मद; या

(ङ) कोई भी डाक-वस्तु जिस पर या उसके कवर पर अशिष्ट, अश्लील, राजदौही, गंदे, धमकी भरे या धोर घृणोत्पादक प्रकृति के कोई शब्द, चिह्न या डिजाइन हों; या

(च) कोई ऐसी डाक-वस्तु जिस पर या उसके कवर पर कोई ऐसी बात हो जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो; या

(छ) कोई डाक-वस्तु जिस पर या उसके आवरण पर किसी ऐसे व्यक्ति का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व हो जो उद्घोषित अपराधी हो या जिसे देश में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो; या

(ज) कोई डाक-वस्तु जिसके आवरण पर, उसके पते वाले भाग पर कुछ लिखा, मुद्रित या अन्यथा अंकित या संलग्न हो, जिसके कारण या तो उसे शुल्क के भुगतान के लिए प्रयुक्त टिकटों के रूप में समझे जाने की सम्भावना हो या किसी ऐसे टिकट से असुविधाजनक निकटता हो या पता आसानी से और शीघ्रता से पढ़े जाने में बाधा उत्पन्न हो; या

(झ) अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा परिभाषित स्वापक और मनःप्रभावी पदार्थ, या अन्य अवैध ओषधियां जो गंतव्य देश या उसके राज्यक्षेत्र, मूल देश या उसके राज्यक्षेत्र, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों या किसी प्राधिकृत अभिकरण में प्रतिषिद्ध हैं; या

(ज) कूटकृत और पायरेटेड मदें; या

(ट) कोई भी ऐसी चीज, जो अपनी प्रकृति या पैकिंग के कारण पदधारियों या जनसाधारण को खतरे में डाल सकती है, या अन्य मदों, डाक उपस्करों या तीसरे पक्ष की संपत्ति को गंदा या नुकसान पहुंचा सकती है; या

(ठ) खतरनाक माल, स्वापक और मनःप्रभावी पदार्थ, प्रतिषिद्ध ओषधियां और सौंदर्य प्रसाधन मर्दें, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए), अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़डयन संगठन (आईसीएओ), वन्यजीव विभाग और ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) द्वारा या उसके अधीन प्रतिषिद्ध डाक-वस्तुएं या देश की किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध मर्दें; या

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "खतरनाक माल" से वे डाक-वस्तु या पदार्थ अभिप्रेत हैं जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए जोखिम उत्पन्न करने में सक्षम हैं, जिसके अधीन विस्फोटक, गैसें, ज्वलनशील तरल पदार्थ, विषाक्त और संक्रामक पदार्थ, संक्षारक और अन्य विविध डाक-वस्तुएं सम्मिलित हैं जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय हैं:

परंतु बैटरी और अन्य मर्दें, जिनका वायु मार्ग से पारेषण प्रतिषिद्ध है, प्रेषिति तक केवल सतही माध्यम से ही भेजी जाएंगी; या

(ड) इन विनियमों में अन्यथा अनुज्ञात के सिवाय जीवित पशु ; या

(ठ) विशेष प्रक्रिया के माध्यम से अनुमति प्राप्त के सिवाय सिक्के, बैंक नोट और अन्य मूल्यवान डाक-वस्तुएं :

परंतु यह आदेश, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (मुद्रा का नियोग और आयात) विनियम, 2015 या इस विषय पर देश में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप होगा:

परंतु यह और कि करेसी नोट, सिक्के या बैंक नोट हमेशा बीमारूप डाक-वस्तुओं के रूप में पारेषित किए जाएंगे; या

(ण) अन्य मर्दें, जिनका आयात या परिचालन मूल या गंतव्य देश या राज्यक्षेत्र में प्रतिषिद्ध हैं; या

(त) वर्तमान और व्यक्तिगत पत्राचार की प्रकृति वाले दस्तावेज, अभिलेखीय सामग्रियों के अपवाद के साथ जो प्रेषक और प्रेषिति या उनके साथ रहने वाले व्यक्तियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों के बीच आदान-प्रदान किए गए हों; या

(थ) विश्व डाक संघ (यूपीयू) या किसी अन्य संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं में प्रतिषिद्ध कोई चीज; या

(द) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिषिद्ध कोई अन्य चीज।

26. अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तुओं का प्रतिषेध:- इन विनियमों में अधिकथित शर्तों को पूरा न करने वाली अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा कपटपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या डाक या अन्य डाक शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से भेजी गई डाक-वस्तुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

27. अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तुओं पर विनियम 25 का लागू होना.- निम्नलिखित मामलों के सिवाय विदेश या उसके राज्यक्षेत्र से डाक द्वारा पारेषित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तुओं पर विनियम 25 लागू होगा, अर्थात्:-

(क) ऐसे खतरनाक माल, जो मूल देश या उसके राज्यक्षेत्र और गंतव्य के बीच डाक द्वारा पारेषित किए जा सकते हैं, जिन्होंने उन्हें पारस्परिक रूप से या एक दिशा में स्वीकार करने की अपनी इच्छा की घोषणा की है, परंतु वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुसंगत विधियों के अनुपालन में हों;

(ख) जीवित पशु, जिन्हें निम्नलिखित में प्रवेश दिया जाएगा-

(i) बीमाकृत डाक-वस्तुओं से भिन्न डाक पत्र मर्दें: मध्यमकिख्यां, जॉक और रेशम के कीड़े; हानिकारक कीटों के परजीवी और विध्वंसक, जो उन कीटों के नियंत्रण के लिए आशयित हैं और आधिकारिक रूप से मान्यताप्राप्त संस्थाओं के बीच आदान-प्रदान किए जाते हैं; जैव-चिकित्सा अनुसंधान के लिए ड्रोसोफिलिडे परिवार की मकिख्यां, जिनका आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के बीच आदान-प्रदान किया जाता है;

(ii) पार्सल: जीवित पशु जिनका डाक द्वारा प्रवहण संबद्ध देशों या राज्यक्षेत्रों के डाक विनियमों या लागू विधियों द्वारा प्राधिकृत है।

28. बहमूल्य धातुओं और बहमूल्य पत्थरों का पारेषण- (1) बहमूल्य धातुएं (जिसके अधीन सोना, चांदी, प्लेटिनम या अन्य बहमूल्य धातुएं सम्मिलित हैं), बहमूल्य पत्थर (जिसके अधीन हीरा या अन्य बहमूल्य पत्थर सम्मिलित हैं), आभूषण या इनका कोई संयोजन, चाहे विनिर्मित हो या नहीं, सिक्के, बैंक नोट, करेंसी नोट, धारक को देय किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियां, यात्री चेक, अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय, किसी भी स्थिति में, बीमा रहित लेटर-पोस्ट डाक-वस्तु में डाक द्वारा पारेषित नहीं किए जाएंगे।

(2) उप-विनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी देश या राज्यक्षेत्र, अपने राज्यक्षेत्र से प्रारंभ होने वाले या उसके पते पर आने वाले या उसके राज्यक्षेत्र में अभिवहन (खुले अभिवहन) में पारेषित किए गए बीमाकृत या गैर-बीमाकृत पार्सल में स्वर्ण बुलियन के संलग्नीकरण पर इस प्रकार पारेषित डाक-वस्तुओं के वास्तविक मूल्य तक प्रतिबंध लगा सकता है।

29. कतिपय मामलों में दृष्टिहीनों के लिए डाक-वस्तुओं का नियेध- निम्नलिखित शर्तों के अधीन दृष्टिहीनों के लिए मुद्रित पत्र और साहित्य के रूप में सामग्री के पारेषण पर प्रतिबंध रहेगा, अर्थात्-

(क) उस पर कुछ उत्कीर्ण नहीं होगा या कोई पत्र-ट्यवहार नहीं होगा;

(ख) उन मामलों के सिवाय जहां डाक-वस्तु में एक कार्ड, लिफाफा या आवरण संलग्न हो, इसमें कोई डाक टिकट या पूर्वभुगतान का प्ररूप, चाहे रद्द किया गया हो या नहीं, या धनीय मूल्य दर्शाने वाला कोई कागज नहीं होगा, जिस पर डाक-वस्तु के प्रेषक या मूल डाक-वस्तु के पोस्टिंग या गंतव्य के देश या राज्यक्षेत्र में उसके प्राधिकृत व्यक्ति का मुद्रित पता हो, जो वापसी के लिए पूर्वभुगतान किया गया हो।

30. विनियम 27 के उल्लंघन में पारेषित मर्दें- (1) विनियम 27 के उल्लंघन में किसी डाक-वस्तु को किसी भी परिस्थिति में यथास्थिति उसके गंतव्य स्थान पर नहीं भेजा जाएगा, प्रेषितियों को नहीं सौंपा जाएगा, या मूल स्थान पर नहीं लौटाया जाएगा जो भी लागू हो।

(2) जहां उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई डाक-वस्तु अभिवहन के दौरान पाई जाती है, उसे अभिवहन के देश या उसके राज्यक्षेत्र के लागू विधि के अधीन संभाला जाएगा।

(3) जहां उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई डाक-वस्तु पारेषण के दौरान पाई जाती है, उसे प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से हटाया और निपटाया जा सकेगा तथा शेष डाक-वस्तुओं को उसके गंतव्य स्थान पर अयोग्यित कर दिया जाएगा, साथ ही ऐसी अव्याहय डाक-वस्तु के निपटान के बारे में सूचना भी दी जाएगी।

31. सीमा शुल्क नियंत्रण।— (1) डाकघर में प्रस्तुत सभी अंतर्राष्ट्रीय आउटबाउंड मर्दे, सीमा शुल्क नियंत्रण तथा मूल देश या उसके राज्यक्षेत्र और गंतव्य देश या उसके राज्यक्षेत्र के लागू विधियों के अधीन होंगी।

(2) सभी अंतर्राष्ट्रीय आवक मर्दे, सीमा शुल्क नियंत्रण और देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन होंगी।

(3) सीमा शुल्क विभाग द्वारा लगाया गया कोई भी सीमा शुल्क, अनुसूची III की सारणी XII में उल्लिखित अतिरिक्त डाक शुल्क के साथ, डिलिवरी के समय प्रेषिति से प्रभारित किया जाएगा।

32. डाकघर को सीमा शुल्क आदि एकत्र करने के लिए प्राधिकृत किया जाना।— डाकघर को, यथास्थिति, डाक-वस्तुओं के प्रेषक या प्रेषिति से सीमा शुल्क तथा अन्य सभी शुल्क जो देय हों, एकत्र करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

33. किसी विधि के उल्लंघन में भेजी गई मर्दे।— किसी अधिनियम, नियम, विनियम या देश के किसी अन्य विधि के उल्लंघन में डाक द्वारा भेजी गई किसी भी डाक-वस्तु को, यथास्थिति, प्रवर्तन अभिकरण या प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा निदेशित रीति से निरुद्ध किया और निपटाया जा सकता है।

34. अन्तर्राष्ट्रीय डाक-वस्तुओं का निपटान।— (1) यदि डाकघर के किसी पदधारी या अधिकारी को समुचित आधारों पर संदेह हो कि किसी डाक-वस्तु के पारेषण के दौरान-

(क) इसमें कोई ऐसी डाक-वस्तु सम्मिलित है जिसके संबंध में कोई अपराध किया जा रहा है या अपराध करने का प्रयास किया जा रहा है; या

(ख) इसमें कोई ऐसी डाक-वस्तु सम्मिलित है जो किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करती हो; या

(ग) किसी अपराध के अवसरण में भेजी जा रही हो; या

(घ) जिसे रक्षा, लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में, प्राप्त करने और परीक्षित करने की आवश्यकता हो।

ऐसा पदधारी या अधिकारी, नियमों के उपबंधों के अनुसार संबंधित विधि प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के प्रयोजनार्थ डाक-वस्तु को निरुद्ध करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(2) यदि उप-विनियम (1) के अधीन किसी डाक-वस्तु की परीक्षा करने पर वह संदेह जिसके कारण उसकी जांच की गई थी-

(क) प्रमाणित हो जाता है, तो उस डाक-वस्तु को आपराधिक अभियोजन में साक्ष्य के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है या ऐसी अन्य रीति से निपटाया जा सकता है जैसा कि विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों के आदेशों में प्राधिकृत हो;

(ख) प्रमाणित नहीं होता है, तो डाक-वस्तु को उस व्यक्ति को जिसे वह संबोधित है या प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा ।

35. ऐसी डाक-वस्तुएं जिनमें खतरनाक पदार्थ होने का संदेह है।- (1) जहां किसी डाक-वस्तु में कोई विस्फोटक, खतरनाक, अपायकर, हानिकारक या गंदा पदार्थ या कोई ऐसी डाक-वस्तु होने का संदेह है जिससे डाक या डाकघर के किसी अधिकारी को क्षति पहुंचने की संभावना है, जहां ऐसा पता चलता है, उसे पारेषण बिंदु पर अन्तर्सूदृधि किया जाएगा और निरुद्धि किया जाएगा और डाकघर का प्रभारी अधिकारी मामले की सूचना तुरंत यथास्थिति, पुलिस प्राधिकारियों, डाकघर प्राधिकारियों और अन्य अभिहित प्राधिकारियों को देगा।

(2) डाक-वस्तु के संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के निदेशों के अनुसार की जाएगी।

36. प्रकटीकरण पर निर्बंधन।- कोई भी व्यक्ति किसी संचार या सूचना का प्रकटन नहीं कर सकता है, जो इन विनियमों के अनुसार उसकी शक्तियों के प्रयोग या उसके कर्तव्यों के पालन में प्राप्त की गई है, सिवाय इसके कि-

(क) किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे इन विनियमों के अनुसार अपने कार्यों के समान प्रयोग या पालन के लिए इसकी आवश्यकता हो;

(ख) ऐसी सूचना जिसका किसी विधि के अनुसार या किसी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रकटन किया जाना अपेक्षित हो।

37. खोली गई डाक-वस्तुओं का निपटान।- (1) यदि नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट डाक अधिकारी द्वारा खोली गई या परीक्षित की गई कोई डाक-वस्तु विधिविरुद्ध या प्रतिषिद्ध डाक-वस्तु पाई जाती है, तो ऐसी डाक-वस्तुओं का निपटान विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के निदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) यदि उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट मद, विधिविरुद्ध या प्रतिषिद्ध नहीं पाई जाती है, तो उसे उसके गंतव्य स्थान पर इस प्रकार भेजा जाएगा मानो उसे खोला या परीक्षित नहीं किया गया हो।

38. किसी डाक-वस्तु को खोलने की सूचना।- जहां कोई डाक-वस्तु विधिविरुद्ध पाई जाती है, उसे अधिनियम की धारा 9 के अधीन डाक अधिकारी या पदधारी द्वारा खोला जाता है, तो प्रेषक को और यदि वह नहीं पाया जाता है, तो प्रेषिति को सूचना भेजी जाएगी ।

39. दायित्व से राहत नहीं।- अधिनियम या नियमों या इन विनियमों के अधीन किसी डाक-वस्तु को निरुद्धि किया जाना, खोलना, परीक्षण करना, नष्ट करना या निपटाना किसी व्यक्ति को इन विनियमों के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

40. प्रतिकर का कोई अधिकार नहीं।- किसी व्यक्ति को अधिनियम या नियमों या विनियमों या देश की तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन किसी डाक-वस्तु या उसके संलग्नक को निरुद्धि करने, खोलने, परीक्षण करने, अभियहन करने, नष्ट करने या निपटाने, के कारण प्रतिकर का कोई अधिकार नहीं होगा, न ही संचार मंत्रालय के डाक विभाग या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोई दायित्व उपगत किया जाएगा।

अध्याय III

डाक-वस्तुओं के डिलिवरी की रीति

41. लेखादायी मदें.- लेखादायी डाक-वस्तुओं का डिलिवरी इस प्रकार किया जाएगा-

(क) रजिस्ट्रीकृत मद, बीमाकृत मद, कैश ऑन डिलीवरी, मनीऑंडर के मामले में प्रेषिति या प्राधिकृत व्यक्ति को;

(ख) स्पीड पोस्ट मद, इंडिया पोस्ट पार्सल आदि के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति को या उसके पते पर।

42. लेखादायी डाक-वस्तुओं के डिलिवरी के लिए जारी किया जाना.- (1) लेखादायी डाक-वस्तु डिलिवरी के लिए जारी की जाएगी और यदि किसी कारणवश प्रथम प्रस्तुति पर उसका डिलिवरी नहीं किया जाता है, तो उसे डिलिवरी के लिए पुनः जारी किया जाएगा। यदि दो प्रयासों के बाद भी डिलिवरी नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी स्थिति में इसे डिलिवरी के लिए पुनः जारी नहीं किया जाएगा।

(2) तथापि, लेखादायी डाक-वस्तु के आगमन की सूचना प्रेषिति को जारी की जाएगी, ताकि वह स्वयं या डाकघर के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसी डाक-वस्तु का डिलिवरी ले सके।

43. प्रेषिति द्वारा रसीद पर हस्ताक्षर करना.- (1) लेखादायी डाक-वस्तु का प्रेषिति या प्राधिकृत व्यक्ति, उस डाक-वस्तु की रसीद और डिलिवरी के सबूत पर, यदि वह उससे संबंधित हो, हस्ताक्षर करेगा, जब तक कि आवरण के बाहरी स्वरूप से छेड़छाड़ का संदेह उत्पन्न न हो।

(2) जहां लेखादेय डाक-वस्तुएं के आवरण के बाहरी स्वरूप के बारे में संदेह हो कि उसमें छेड़छाड़ की गई है, वहां डाक-वस्तु को डाकघर में पोस्टमास्टर की उपस्थिति में खोला जाएगा और उसकी अतर्वस्तु को एक सूची में दर्ज किया जाएगा, जो दो प्रतियों में तैयार की जाएगी और जिस पर प्रेषिति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) डाकघर द्वारा प्रेषक को हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति, उसके साथ संलग्न डिलिवरी के अहस्ताक्षरित सबूत के साथ अयोधित की जाएगी और यदि उस डाकघर के कर्मचारिवृद्ध, जहां से डाक-वस्तु परिदृत की जानी है प्रेषिति या प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो डाकघर के कर्मचारिवृद्धों के किसी परिचित व्यक्ति द्वारा प्रेषिति या प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान किया जाना या पोस्टमास्टर की संतुष्टि के लिए उसकी पहचान स्थापित करने वाले साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, यदि डिलिवरी करने वाले डाकघर के पदधारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए।

44. लेखादेय डाक-वस्तुओं से भिन्न अन्य डाक-वस्तुओं का पत्र डिलिवरी बॉक्स.- (1) ऐसे प्रेषिति के लिए, जिसने पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग की सुविधा का उपभोग किया है, डाक-वस्तुओं का डिलिवरी पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग में किया जा सकेगा।

(2) पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग का उपभोग न करने की स्थिति में, डाक-वस्तुओं का डिलिवरी प्रेषिति के परिसर में संस्थापित पत्र डिलिवरी बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा।

(3) प्रेषिति द्वारा उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक घर या भवन के भूतल पर, जिसमें प्रेषिति अवस्थित है, एक पत्र डिलिवरी बॉक्स, जिस पर नाम और पता लिखा हो और जो प्रेषिति की

अपेक्षानुसार आयाम का हो, संस्थापित किया जाएगा और ऐसे पत्र डिलिवरी बॉक्स सुविधाजनक स्थान पर रखे जाएंगे, जो डाकिया या डिलिवरी करने वाले व्यक्ति के लिए आसानी से पहुंच योग्य हो।

स्पष्टीकरण।- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, "भवन" पद से दो या अधिक मंजिलों वाले संनिर्माण से हैं, जिसमें ऊची इमारतें भी सम्मिलित हैं, और जो अस्तित्व में हैं या जिनका निर्माण पूरा हो चुका है;

परंतु एक इमारत या इमारत की एक ही मंजिल पर स्थित एक या अधिक या सभी प्रेषितियों द्वारा एक ही पत्र डिलिवरी बॉक्स को एक सामान्य पत्र बॉक्स के रूप में प्रदान किया जा सकता है:

परंतु यह और कि जहां रसीद के विरुद्ध परिदत की जाने वाली मद, प्रेषिति की अनुपलब्धता के कारण परिदत नहीं की जाती है, तो उससे संबंधित सूचना, पत्र डिलिवरी बॉक्स या डिजिटल संचार के माध्यम से दी जा सकती है।

(4) प्रत्येक ऐसे पत्र डिलिवरी बॉक्स में शीर्ष पर स्थित एक पोस्टिंग छिद्र होगा जो सामने की ओर होगा, जिसमें पोस्टिंग छिद्र के निचले किनारे से अंदर की ओर निकला हुआ एक क्षैतिज किनारा सम्मिलित होगा।

(5) जहां ऐसा पत्र डिलिवरी बॉक्स स्थापित नहीं है, ऐसी डाक-वस्तुओं का डिलिवरी केवल डाकघर में ही किया जाएगा, जब तक कि पत्र डिलिवरी बॉक्स स्थापित न हो जाए।

(6) जहां किसी विशेष भवन में इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन करने में वास्तविक कठिनाई हो, वहां प्रभागीय प्रमुख, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उक्त भवन को इस विनियम के उपबंधों से छूट दे सकते हैं।

(7) ऐसे आकार की डाक-वस्तुएं जिन्हें पत्र डिलिवरी बॉक्स में परिदत नहीं किया जा सकता है, तथा बिना भुगतान की गई या अपर्याप्त भुगतान की गई डाक-वस्तुओं को डाकिया या डिलिवरी करने वाले व्यक्ति के माध्यम से प्रेषिति या प्राधिकृत व्यक्ति को या पते पर परिदत किया जाएगा।

(8) बिना भुगतान की गई या अपर्याप्त भुगतान की गई डाक-वस्तुओं का डिलिवरी केवल अपेक्षित डाक शुल्क वसूल करने के पश्चात् ही किया जाएगी।

45. खिड़की द्वारा परिदान।- किसी डाक-वस्तु का प्रेषिति, पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग प्रणाली की सुविधा के बिना, बिना किसी प्रभार के, पोस्टमास्टर को लिखित अनुरोध देकर, व्यावसायिक घंटों के दौरान डाकघर में डाक-वस्तु प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठा सकता है और ऐसे मामले में, डाक-वस्तु को दरवाजे पर डिलिवरी के लिए डाकिया को नहीं दिया जाएगा।

46. पोस्ट बॉक्स।- (1) कोई व्यक्ति, फर्म या अन्य निकाय, पोस्ट बॉक्स संख्या वाली पूर्ण प्रीपेड डाक-वस्तुओं की पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलिवरी के लिए अनुसूची I की सारणी IX में उल्लिखित लागू फीस के साथ आवेदन करके कुछ डाकघरों में पोस्ट बॉक्स की सुविधा का लाभ उठा सकता है।

(2) पोस्ट बॉक्स से संबंधित शर्तें समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

47. पोस्ट बैग।- (1) कोई व्यक्ति, फर्म या अन्य निकाय, पोस्ट बैग संख्या वाले पूर्णतः पूर्वभुगतान किए गए डाक-वस्तुओं को पोस्ट बैग के माध्यम से प्राप्त करने और परिदत करने के लिए अनुसूची

। की सारणी IX में उल्लिखित लागू फीस के साथ आवेदन करके किसी भी डाकघर में पोस्ट बैग की सुविधा का उपभोग कर सकता है।

(2) पोस्ट बैग से संबोधित शर्ते समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

48. स्मार्ट डिलिवरी बॉक्स।— (1) सर्कल प्रमुख को डाकघरों या अन्य स्थानों को अभिहित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जहां स्मार्ट डिलिवरी बॉक्स की सेवाएं उपलब्ध हैं।

(2) किसी भी व्यक्ति द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट फीस या प्रभार के साथ डाकघर में आवेदन करके सेवा का लाभ उठाया जा सकता है।

(3) स्मार्ट डिलिवरी बॉक्स का उपयोग समय-समय पर प्रशासनिक निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट बॉक्स के समनुदेशिती को संबोधित ऐसी डाक-वस्तुओं के डिलिवरी के लिए किया जाएगा।

49. लोक अधिकारियों को परिदत्तगी।— (1) जिन डाक-वस्तुओं पर "भारत सरकार सेवार्थ" लिखा हो और जिनमें पते में लोक अधिकारी का नाम और पद दोनों हों या जिनमें पद नहीं हो, उन्हें उनके पद के अनुसार ही परिदत्त या पुनःनिर्देशित किया जाएगा, भले ही अभिहित व्यक्ति अब पद पर न हो या वह अपना स्थान छोड़ चुका हो।

(2) जिन डाक-वस्तुओं पर "भारत सरकार सेवार्थ" लिखा न हो, किन्तु पते में लोक अधिकारी का नाम और पद दोनों हों, उन्हें उनके नाम के अनुसार ही परिदत्त या पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जबकि जिन डाक-वस्तुओं पर पते में नाम नहीं हों, उन्हें संबोधित व्यक्ति के पद के अनुसार ही परिदत्त किया जाएगा।

50. फर्मां आदि को डाक-वस्तुएं परिदत्त करने की विशेष प्रक्रिया।— (1) फर्म या कंपनी को डिलिवरी के लिए संबोधित डाक-वस्तुएं यथास्थिति, स्वामी, भागीदार या प्रोपराइटर द्वारा, प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जाएंगी।

(2) यथास्थिति, प्राधिकार पत्र, स्वामी या प्रोपराइटर या भागीदार द्वारा परिदान, उस राज्यकोत्र के डाकघर के पोस्टमास्टर को किया जाएगा जहां फर्म या कंपनी का कार्यालय स्थित है।

51. मृत व्यक्तियों को संबोधित मर्दें।— मृत व्यक्तियों को संबोधित डाक-वस्तुओं को इस प्रकार माना जाएगा मानो वे दावाकृत नहीं हैं तथा उनका विनियम 65 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अनुसार निपटान किया जाएगा।

52. क्षतिग्रस्त डाक-वस्तु का परिदान।— जहां कोई लेखादेय डाक-वस्तु क्षतिग्रस्त स्थिति में डिलिवरी कार्यालय में प्राप्त होती है, तो प्रेषिति को एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें उसे डिलिवरी लेने के लिए घरेलू डाक-वस्तु के मामले में सात दिन के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तु के मामले में पंद्रह दिन के भीतर डाकघर में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाएगा तथा ऐसी डाक-वस्तु का डिलिवरी या निपटान प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

53. प्रेषिति को सूचना।— डाकिया द्वारा प्रेषिति को उन लेखादेय डाक-वस्तुओं के लिए सूचना दी जाएगी, जैसा कि समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

54. यदि आवश्यक हो तो प्रेषिति की पहचान प्राप्त करना।—(1) डाकिया या डिलिवरी करने वाला व्यक्ति, डाक-वस्तु परिदृत करने से पहले प्रेषिति या प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान प्राप्त कर सकता है, यदि प्रेषिति या प्राधिकृत व्यक्ति उसे जात नहीं है।

(2) पासपोर्ट, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य डाक-वस्तुओं से संबंधित लेखादायी डाक-वस्तुओं के परिदान, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रेषिति की पहचान प्राप्त करने के पश्चात् ही की जाएगी।

55. डाक-वस्तुओं का पुनःनिदेशन।—(1) किसी डाक-वस्तु का प्रेषक, अनुसूची I की सारणी VI में उल्लिखित डाक शुल्क का भुगतान करके, प्रेषिति की सहमति के संदर्भ के बिना, लेखादेय घरेलू डाक-वस्तु और अंतर्राष्ट्रीय आवक डाक-वस्तु के संबंध में निम्नलिखित सुविधा का लाभ उठा सकता है, अर्थात्:-

(क) डाक से डाक-वस्तु को वापस मंगाना;

परंतु समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी कारण से बुकिंग कार्यालय से पारेषित किए जाने से पहले डाक-वस्तु को रद्द किया जा सकता है; या

(ख) प्रेषिति के पते या नाम में परिवर्तन।

(2) यदि मूल पता और वैकल्पिक पता एक ही डाकघर के डिलिवरी क्षेत्र में हैं, तो डाक-वस्तु का प्रेषिति पते में परिवर्तन की सुविधा बिना किसी प्रभार के प्राप्त कर सकता है; या अन्यथा, उप-विनियम (1) में उल्लिखित डाक शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है।

(3) डाकघर लागू फीस की रसीद देगा।

56. कुछ सुविधाओं का उपभोग करने का अनुरोध।—विनियम 57 के अधीन किसी डाक-वस्तु के प्रेषक या प्रेषिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि डाक-वस्तु गंतव्य डाकघर में डिलिवरी के लिए है, या संबंधित देश की किसी लागू विधि के अधीन अभियहित, अधिहरित या नष्ट कर दी गई है।

57. अनुरोध करने की रीति।—(1) कोई प्रेषक या प्रेषिति या प्राधिकृत व्यक्ति, विनियम 55 में उल्लिखित सुविधाओं का उपभोग करने के लिए, कारण सहित, लागू फीस के साथ डाकघर को लिखित अनुरोध कर सकता है:

परंतु किसी विदेश या उसके राज्यक्षेत्र को संबोधित किसी डाक-वस्तु के मामले में ऐसा कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसी डाक-वस्तु किसी ऐसे देश या उसके राज्यक्षेत्र को संबोधित न हो, जिसे इस संबंध में प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) डाक शुल्क और आवेदन फीस का भुगतान एक बार करने के पश्चात्, किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

58. डाकघर अनुरोध को पूरा न करने के लिए उत्तरदायी नहीं है—डाकघर, विनियम 55 और विनियम 56 में उल्लिखित शर्तों के अधीन, प्रेषक के अनुरोध को पूरा न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और इस संबंध में किए गए आवेदन के विपरीत किसी डाक-वस्तु संबंधी डिलिवरी के कारण उस पर कोई दायित्व उपगत नहीं होगा :

परंतु ऐसे मामलों में, ऐसे अनुरोध के लिए ली जाने वाली फीस वापस कर दी जाएगी।

59. डिलिवरी पर देय डाकशुल्क—पोस्टमास्टर या प्रभारी अधिकारी, यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित वर्गों की डाक-वस्तुओं पर उनकी उपस्थिति में उचित रूप से डाक शुल्क लगाया जाए :

- (क) अपर्याप्त रूप से संदत डाक-वस्तु पर, जिनको पूर्ण संदत माना गया है ;
- (ख) असंदत की गई मर्दों, जिन पर देय डाकशुल्क स्टांप नहीं लगाया गया है ; और
- (ग) ऐसी मर्दों, जिन पर प्रेषण के कार्यालयों द्वारा देय डाकशुल्क की पूरी रकम प्रभारित नहीं की गई है।

60. देय-डाक शुल्क स्टांप— (1) विनियम 59 में उल्लिखित डाक-वस्तुओं पर देय-डाकशुल्क स्टांप लगाया जाएगा और प्रेषण के कार्यालय के देय-डाकशुल्क स्टांप द्वारा दर्शित रकम का उल्लेख पोस्टमास्टर या प्रभारी अधिकारी या अधिकृत कार्यालय या अधिकारी के आद्याक्षर के अधीन किया जाएगा।

(2) विदेश डाक द्वारा प्राप्त किसी डाक-वस्तु की दशा में, किसी भी परिस्थिति में, उस विदेश डाकघर के अतिरिक्त, जिसके माध्यम से वह आता है, किसी अन्य डाकघर द्वारा डाकशुल्क नहीं लिया जाएगा।

(3) यदि विदेश डाक की कोई असंदत मर्द, जिस पर मूल कार्यालय द्वारा टी-स्टाम्प नहीं लगाया गया है और जिस पर विदेश डाकघर द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शित गलती से स्टाम्प नहीं लगाया गया है, डाकघर में डिलिवरी के लिए प्राप्त की जाती है, तो ऐसी डाक-वस्तुएं संबंधित विदेशी डाकघर को उचित स्टाम्प लगाने के लिए वापस भेज दी जाएगी और देय डाकशुल्क की वसूली के पश्चात् वापस प्राप्त होने पर परिदत की जाएगी :

परंतु मूल देश या क्षेत्र को दर्शित करने वाली केवल मुद्रित छाप, और किसी डाकशुल्क की रकम संगृहीत नहीं किया जाना दर्शित करने वाली, "कर अनुनय" अभिव्यक्ति, जिसका अर्थ "प्रभार संगृहीत" है, "पोर्ट प्राप्तिकर्ता" अभिव्यक्ति, जिसका अर्थ "डाकशुल्क संदत" है, या मूल देश या क्षेत्र की भाषा में इसी प्रकार की समान अभिव्यक्ति, सहित प्राप्त डाक-वस्तुओं पर, विनिमय के कार्यालयों द्वारा या वितरण के कार्यालयों द्वारा कर नहीं लगाया जाएगा और इस प्रकार परिदत किया जाएगा, मानो पूर्णतया पूर्वसंदत है ।

61. उन डाक-वस्तुओं का परिदान, जिन पर सीमाशुल्क देय है—उन मर्दों, जिन पर वसूल किए जाने वाला सीमाशुल्क, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, का डिलिवरी सामान्य रूप से डाकघर की खिड़की पर किया जाएगा और ऐसे शुल्क का भुगतान या तो नकद में या चेक द्वारा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट रीति द्वारा किया जा सकेगा ।

62. वस्तुओं से इनकार—(1) किसी डाक-वस्तु का प्रेषिती डाकघर को देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा, यदि वह इसका डिलिवरी नहीं लेना चाहता है और ऐसी दशा में, डाकिया द्वारा कवर पर "इनकार" शब्द लिखा जाएग ।

(2) अदावाकृत और इनकार की गई डाक-वस्तुओं को, तुरंत, प्रेषक को डिलिवरी के लिए भेजने वाले कार्यालयों को सीधे वापस कर दिया जाएगा और यदि भेजने वाले कार्यालय को इस प्रकार लौटाई गई डाक-वस्तुओं का प्रेषक नहीं पाया जाता है, तो वस्तुएं रिटर्नेंड लेटर ऑफिस को भेजी जाएंगी।

(3) अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तु के संबंध में, ऐसी डाक-वस्तु को आगे के निपटान के लिए विदेश डाकघर को वापस कर दिया जाएगा।

63. प्रभारित राशि का भुगतान करने का दायित्व—जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी डाक-वस्तु की डिलिवरी लेता है, जिस पर डाकघर को कोई राशि देय होती है, तो वह उस पर अंकित राशि का भुगतान करेगा।

64. प्रेषिती के डाकघर में अपरिदत डाक-वस्तुओं का निरुद्ध और निपटान—(1) जब सभी प्रूफ्टाइचर के पश्चात् प्रेषिती को दूदना असफल साबित हुआ हो, तब कोई डाक-वस्तु सामान्य तौर पर उस डाकघर में सात दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जिसका उस पर पता है।

(2) कोई मद, प्रेषिती से प्राप्त डाकघर में जमा करने के लिए अनुदेशों पर, ऐसी अवधि के लिए, जो प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, उस डाकघर में रहेगी, जिसका इस पर पता है।

65. कतिपय मामलों में अपरिदत डाक-वस्तुओं का वापस किया जाना—(1) कोई अपरिदत मद,—

(क) जिसका प्रेषिती ने डिलिवरी लेने से इनकार किया है या सम्यक् नोटिस के पश्चात् लोप किया है या समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रेषिती डिलिवरी नहीं लेता ; या

(ख) प्रेषिती द्वारा डाकघर को अपने पत्राचार के पुनर्निर्देशन के बारे में संसूचना दिए बिना पता छोड़ देना जात हुआ है ; या

(ग) प्रेषिती मृत है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसे डाक-वस्तु ठीक से परिदत की जा सके,

उस डाकघर में नहीं रखी जाएगी, जिस पर उसका पता है और यदि डाक-वस्तु पर प्रेषक का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्रेषक को वापस कर दी जाएगी, या अन्यथा, संबंधित वापसी पत्र कार्यालय को भेज दी जाएगी।

(2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट डाक-वस्तु प्रेषक या अधिकृत व्यक्ति को परिदत की जाएगी और उससे संलग्न डिलिवरी के किसी सबूत को परिदत और नष्ट नहीं किया जाएगा।

(3) प्रेषक को डाक-वस्तु के अपरिदत होने की दशा में, ऐसी डाक-वस्तु संबंधित वापसी पत्र कार्यालय (आरएलओ) को भेज दी जाएगी।

66. अपरिदत डाक-वस्तुओं पर मानक टिप्पणियां—(1) अपरिदान के कारण समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मानक टिप्पणियों के उपयोग द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) किसी डाक-वस्तु का प्रस्तुत करना, जिस पर डाकघर का आधिकारिक चिह्न है, यह दर्शाता है कि डाक-वस्तु को उपविनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट किसी भी मानक टिप्पणी द्वारा इंगित किए गए अनुसार निपटाया गया है, इस प्रकार दर्शाए गए तथ्य का प्रमाण होगा और जिस व्यक्ति से डाक-वस्तु आने का तात्पर्य है, जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, उसे उसका प्रेषक माना जाएगा।

67. रिटर्नड लेटर ऑफिस (आरएबओ) में अपरिदत डाक-वस्तुओं को रोकना और उनका निपटान-ऐसी मद्दें, जो पते के साथ-साथ प्रेषक को परिदत न की जा सकी हों, निम्नलिखित अवधि के लिए वापसी पत्र कार्यालय में रखी जाएंगी,--

- (क) पंद्रह दिन, जब वे अनुतरदेय हैं ; और
- (ख) तीस दिन, जब वे उत्तरदेय हैं।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए, "रिटर्नड लेटर ऑफिस" से ऐसा कार्यालय अभिप्रेत है, जो अदावाकृत और इनकार की गई मद्दों, या बिना पते वाली मद्दों, या अनिर्णीत या अपूर्ण पते से संबंधित कार्य करता है।

68. अपरिदत डाक-वस्तुओं से संबंधित मामले में प्रक्रिया—(1) विनियम 64 से विनियम 66 में निर्दिष्ट अपरिदत डाक-वस्तुओं पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी :—

- (क) आंतरिक मूल्य के बिना, जैसे मुद्रित या हस्तलिखित कागजों वाली डाक-वस्तुओं का, इसे अपशिष्ट कागज के रूप में बेचकर या नष्ट करके तुरंत निपटान किया जाएगा ;
- (ख) क्षेत्रीय प्रमुख के विकल्प पर पत्रिकाओं, आवधिक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का उपयोग किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा ;
- (ग) आंतरिक मूल्य वाली डाक-वस्तुओं का नीलामी के माध्यम से निपटान किया जाएगा ;
- (घ) जिन पोस्टकार्डों और लेटर कार्डों पर डाकशुल्क का पूर्व-भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा ;

परंतु इस विनियम की कोई भी बात लोक हित के लिए आवश्यक समझे जाने वाली किसी भी डाक-वस्तु के तत्काल नष्ट किए जाने को निवारित नहीं करेगी।

(2) विनियम 67 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, किसी डाक-वस्तु का, रिटर्नड लेटर ऑफिस में संबंधित सर्कल प्रमुख या क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा उचित समझी जाने वाली रीति में निपटान किया जाएगा।

69. वह अवधि, जिसके लिए पते में परिवर्तन के संबंध में सूचना विधिमान्य रहती है—(1) कोई निवासी, अपने आवासीय या आधिकारिक पते में परिवर्तन के संबंध में, उसे संबोधित या उसके नए पते को संबोधित डाक-वस्तुओं के डिलिवरी हेतु संबंधित डाकघर को लिखित सूचना दे सकेगा।

(2) ऐसी सूचना तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए वैध रहेगी।

(3) विनियम 55 के उपविनियम (2) के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित डाक-वस्तुओं के डिलिवरी के लिए लागू होंगे ।

70. किसी शासकीय चिह्न को बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या पदधारी—(1) निम्नलिखित अधिकारी या पदधारी उन डाक-वस्तुओं पर कोई शासकीय चिह्न बनाने के लिए प्राधिकृत हैं, जो यह प्रकट करता है कि उसके संबंध में डाकघर को कोई डाकशुल्क या अन्य राशि देय है और ऐसा चिह्न इस बात का प्रमाण होगा कि इस प्रकार प्रकट राशि देय है ; और यह कि डाक-वस्तु को लेने से इनकार कर दिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है या अदावाकृत है या किसी अन्य कारण से परिदृत नहीं की जा सकती है :—

(क) कार्यालय का पोस्टमास्टर ;

(ख) संबंधित पर्यवेक्षक और पदधारी, जिन्हें डाक-वस्तुओं के डिलिवरी का कार्य सौंपा गया है;

(ग) डाकिया या डिलिवरी करने वाला प्राधिकृत व्यक्ति ।

(2) शाखा डाकघरों से संबंधित मामलों में, उपविनियम (1) में यथासंदर्भित, पोस्टमास्टर और डाकिया या डिलिवरी करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का प्रत्यायोजन, क्रमशः डाक-वस्तुओं के डिलिवरी का कार्य कर रहे ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर और ग्रामीण डाक सेवक को किया जाएगा ।

(3) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी, जो समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

71. असंदत और अपर्याप्त रूप से संदत घरेलू डाक-वस्तुओं के संबंध में देय की वसूली—कोई मद, जिस पर डाकशुल्क या एयरमेल शुल्क पूर्वसंदत नहीं किया गया है, या अपर्याप्त रूप से पूर्वसंदत है, डाक डाक-वस्तुओं के प्रेषिती को डिलिवरी पर, या अप्राप्य की दशा में, प्रेषक को, अनुसूची I की सारणी VIII में उल्लिखित दरों से प्रभारित होगी ।

72. असंदत और अपर्याप्त रूप से संदत अंतरराष्ट्रीय डाक-वस्तुओं के संबंध में देय की वसूली—कोई आवक अंतरराष्ट्रीय मद, जिस पर डाकशुल्क या एयरमेल शुल्क पूर्वसंदत नहीं किया गया है, या अपर्याप्त रूप से पूर्वसंदत है, डाक डाक-वस्तुओं के प्रेषिती को डिलिवरी पर, या अप्राप्य की दशा में, प्रेषक को, अनुसूची III की सारणी X में उल्लिखित दरों से प्रभारित होगी ।

(2) कोई जावक अंतर्राष्ट्रीय मद, जिस पर डाकशुल्क या एयरमेल शुल्क पूर्वसंदत नहीं किया गया है, या अपर्याप्त रूप से पूर्वसंदत है, गंतव्य को अयोग्यता की जाएगी, परंतु बिना किसी शुल्क के प्रेषक को परिदृत की जाएगी ।

अध्याय IV

प्रतिकर

73. घरेलू डाक-वस्तुओं के संबंध में प्रतिकर—(1) इन विनियमों में उल्लिखित शर्तों के अधीन, अन्यथा निर्दिष्ट के सिवाय किसी डाक-वस्तु के नुकसान, आंशिक नुकसान या देरी की स्थिति में संचार मंत्रालय में डाक विभाग द्वारा डाक-वस्तु के प्रेषक को प्रतिकर देय होगा।

(2) किसी डाक-वस्तु के नुकसान, आंशिक नुकसान या देरी की स्थिति में तब तक प्रतिकर नहीं दिया जाएगा, जब तक वह मट,—

(क) निम्नलिखित परिस्थितियों में डिलिवरी करने योग्य नहीं मानी जाएगी, अर्थात् :—

(i) असफल डिलिवरी के पश्चात, प्रेषिती ने रोकने की अवधि के भीतर "संसूचना दी गई" के अधीन अवसर का लाभ नहीं उठाया है ; या

(ii) पता असुरक्षित या असंरक्षित है या यदि डिलिवरी बिंदु तक पहुंच को निवारित या बाधित किया गया है ; या

(iii) जिस पते पर डाक-वस्तु वितरित की जानी है, उस पर किसी भी व्यक्ति का स्थायी रूप से अधिभोग नहीं है ; या

(iv) डाक-वस्तु पर पूरी तरह से और सही ढंग से इस तरह से पता नहीं लिखा गया है, जिसमें पते के सभी तत्व शामिल हैं, जो सामने, या लिफाफे के सामने संरक्षित रूप से जुड़े लेबल पर (या अन्यथा इस तरह से कि पता स्पष्ट रूप पूर्णता से दिखाई देता है मानो इसे लिफाफे के सामने लिखा गया हो) स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं; या

(v) उसका पता अपठनीय है; या

(vi) किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोखिम में डाला जा सकता है; या

(vii) किसी अन्य कारण से, यदि यह पाया जाता है कि डाक-वस्तु का डिलिवरी करना अव्यावहारिक या अयुक्तियुक्त है ;

(ख) इन विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है ;

(ग) अनुरोध की गई सेवा के लिए अपर्याप्त डाकशुल्क भुगतान किया गया है या कोई डाकशुल्क भुगतान नहीं किया गया है ;

(घ) जिसमें किसी भी विधि द्वारा या अधिनियम या इन विनियमों के अधीन निषिद्ध डाक-वस्तु या प्रतिबंधित डाक-वस्तु अंतर्विष्ट हैं ;

(ङ) जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है, असाधारण रूप से गंभीर मौसम की स्थिति, आतंकवाद या बर्बरता के कृत्यों सहित नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण डिलिवरी नहीं की गई है ;

(च) जहां नुकसान या क्षति या विलंब अव्यक्त या अंतर्निहित दोष या प्राकृतिक हास के कारण होता है।

(3) घरेलू डाक-वस्तुओं के डिलिवरी में विलंब, हानि या क्षति या आंशिक क्षति की स्थिति में देय प्रतिकर वह होगा, जो अनुसूची 1 की सारणी V में उल्लिखित है।

74. बीमित डाक-वस्तुओं के संबंध में प्रतिकर-संचार मंत्रालय में डाक विभाग द्वारा किसी बीमित डाक-वस्तु के प्रेषक को देय प्रतिकर, उस राशि से अनधिक होगा, जिसके लिए डाक-वस्तु का, डाक द्वारा पारेषण के दौरान, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मामलों में के सिवाय, किसी डाक-वस्तु या उसकी किसी अंतर्वस्तु या उसे कारित किसी भी क्षति के लिए सामग्री के नुकसान के लिए या किसी भी क्षति के लिए, बीमा किया गया है:

परंतु किसी भी दशा में, प्रतिकर किसी डाक-वस्तु या उसकी किसी भी खोई हुई अंतर्वस्तु के मूल्य, या कारित नुकसान की राशि से अधिक नहीं होगा, और परंतु नुकसान की दशा में, प्रेषक डाक-वस्तु की अंतर्वस्तु के ब्यांरे और उसका मूल्य प्रस्तुत करेग ।

75. घरेलू या बीमित डाक-वस्तुओं के संबंध में शिकायत- (1) प्रेषक, साथ ही, किसी डाक-वस्तु का प्रेषिती भी शिकायत कर सकता है-

(क) किसी डाक-वस्तु की प्राप्ति न होने के लिए पंद्रह दिनों के पश्चात् और साठ दिनों के भीतर;

(ख) डाक-वस्तु की प्राप्ति के दो दिनों के भीतर, क्षतिग्रस्त या नुकसान के मामले में।

(2) प्रतिकर के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि इसे डाक-वस्तु प्रेषित किए जाने के साठ दिनों से अधिक समय पश्चात् किया जाता है।

76. शिकायत फाइल करना। -(1) समय-समय पर निर्दिष्ट प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार शिकायत फाइल करनी होगी।

(2) विनियम 82 में निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से शिकायतें की जा सकेंगी।

77.डाक-वस्तुओं को खो जाने के रूप में माना जाना - (1) वह अधिकतम अवधि, जिसके पश्चात प्रतिकर के भुगतान के उद्देश्य से अंतिम डिलिवरी की स्थिति के अभाव में किसी डाक-वस्तु को खोया हुआ माना जा सकेगा, बुकिंग की तारीख से साठ दिन या शिकायत की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन, जो भी पश्चातवर्ती है, होगी, परन्तु शिकायत उक्त अवधि के भीतर हुई हो।

(2) डाक-वस्तु के प्रेषक को दावे के विरुद्ध प्रतिकर, जिसे खो जाने के रूप में घोषित किया गया है, उसके पश्चात् दस दिनों की अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।

(3) प्रेषक या प्रेषिती इन विनियमों के अधीन निर्धारित प्रतिकर का दावा लिखित रूप में मांग के साथ बुकिंग का वैध प्रमाण प्रस्तुत करने पर कर सकेगा।

78. अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के दशा में प्रतिकर- (1) प्रतिकर संचार मंत्रालय में डाक विभाग द्वारा लेखादेय अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं से जुड़े मामलों में केवल इन विनियमों में उल्लिखित शर्तों के अधीन, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, देय होगा।

(2) किसी डाक-वस्तु के नुकसान, आंशिक नुकसान या देरी की स्थिति में तब तक प्रतिकर नहीं दिया जाएगा, जब तक वह मद,--

(क) निम्नलिखित परिस्थितियों में डिलिवरी करने योग्य नहीं मानी जाएगी, अर्थात् :--

(i) असफल डिलिवरी के पश्चात्, प्रेषिती ने रोकने की अवधि के भीतर "संसूचना दी गई" के अधीन अवसर का लाभ नहीं उठाया है ; या

(ii) पता असुरक्षित या असंरक्षित है या यदि डिलिवरी बिंदु तक पहुंच को निवारित या बाधित किया गया है ; या

(iii) जिस पते पर डाक-वस्तु वितरित की जानी है, उस पर किसी भी व्यक्ति का स्थायी रूप से अधिभोग नहीं है ; या

(iv) डाक-वस्तु पर पूरी तरह से और सही ढंग से इस तरह से पता नहीं लिखा गया है, जिसमें पते के सभी तत्व या विश्व डाक संघ के एस 42 पते के मानक के अनुसार, शामिल हैं, जो सामने, या लिफाफे के सामने संरक्षित रूप से जुड़े लेबल पर (या अन्यथा इस तरह से कि पता स्पष्ट रूप पूर्णता से दिखाई देता है मानो इसे लिफाफे के सामने लिखा गया हो) स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "एस42" से विश्व डाक संघ द्वारा विनिर्दिष्ट पता लिखने का मानक अभिप्रेत है;

(v) उसका पता अपठनीय है; या

(vi) किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोखिम में डाला जा सकता है; या

(vii) किसी अन्य कारण से, यदि यह पाया जाता है कि डाक-वस्तु का डिलिवरी करना अव्यावहारिक या अयुक्तियुक्त है ;

(ग) इन विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है ;

(ग) अनुरोध की गई सेवा के लिए अपर्याप्त डाकशुल्क भुगतान किया गया है या कोई डाकशुल्क भुगतान नहीं किया गया है ;

(घ) जिसमें तत्समय किसी भी विधि द्वारा या अधिनियम या इन विनियमों के अधीन निषिद्ध डाक-वस्तु या प्रतिबंधित डाक-वस्तु अंतर्विष्ट हैं और या तो यह नष्ट कर दी गई है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त कर ली गयी है ;

(ङ) कोई डाक-वस्तु जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है, असाधारण रूप से गंभीर मौसम की स्थिति, आतंकवाद या बर्बरता के कृत्यों सहित नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों (अप्रत्याशित घटना) के कारण डिलिवरी नहीं की गई है, गंतव्य देश या राज्य क्षेत्र को अपनी घरेलू विधि के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार होगा कि क्या परिस्थितियां नियंत्रण के बाहर हैं ;

(च) जहां नुकसान या क्षति या विलंब अव्यक्त या अंतर्निहित दोष या प्राकृतिक हास के कारण है;

(छ) डाक-वस्तु एक रजिस्ट्रीकृत बल्क बैग (एम बैग) है;

(ज) नियंत्रण से परे परिस्थितियों में अभिलेखों के नष्ट होने के कारण डाक-वस्तु का निपटान का पता नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि दायित्व को अन्य साधनों द्वारा साबित नहीं किया जाए;

(झ) सीमा शुल्क या किसी सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के कारण डाक-वस्तु डिलिवरी नहीं किया जा सका;

(ञ) डाक-वस्तु खो जाती है और जब ऐसा नुकसान या क्षति प्रेषक की चूक या लापरवाही के कारण हुई है, या सामग्री की प्रकृति से उत्पन्न होती है;

(ट) डाक-वस्तु बीमित है और बीमित डाक-वस्तुओं के मामले में जिनका सामग्री के वास्तविक मूल्य से अधिक राशि के लिए धोखाधड़ी से बीमा किया गया है;

(ठ) डाक-वस्तु का डिलिवरी नहीं किया गया है और प्रेषक ने उस तारीख से जिसको डाक-वस्तु डाक से भेजी थी, रजिस्ट्रीकृत, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकड पैकेट सेवा, और पार्सल के लिए छह मास के भीतर; और एक्सप्रेस मेल सेवा के लिए चार मास के भीतर कोई जांच नहीं की है;

(ड) युद्ध-कैदी या सिविलियन इंटर्नी पार्सल के मामले में;

(ढ) जहां प्रतिकर प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेषक के कार्यों पर कपटपूर्ण आशय होने का संदेह है, तीस दिन की अवधि के भीतर पूरी जांच की जाएगी और यदि प्रेषक का दुर्भावनापूर्ण आशय जांच के अनुसार स्थापित किया जाता है, तो कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा;

(ण) सदस्य देश या राज्यक्षेत्र या उसके नामनिर्दिष्ट ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित देश या गंतव्य के क्षेत्र के राष्ट्रीय विधि के अधीन डाक-वस्तु को जब्त कर लिया जाता है;

(त) जहां गंतव्य देश के राष्ट्रीय विनियम उस देश के नामित ऑपरेटरों को एक निजी मेलबॉक्स या पोस्टबॉक्स में रजिस्ट्रीकृत डाक-वस्तु डिलिवरी करने की अनुमति देते हैं और प्रेषिती घोषणा करता है कि उसे डाक-वस्तु प्राप्त नहीं हुआ था;

(थ) जहां एयरलाइन ट्रांसमिशन के दौरान किसी मध्यवर्ती देश या राज्यक्षेत्र द्वारा किसी भी डाक-वस्तु को जब्त किया जाता है, क्योंकि ऐसी डाक-वस्तु को हवा के माध्यम से प्रसारित करने से प्रतिबंधित किया गया था, कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(३) अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तु के डिलिवरी में देरी, नुकसान या क्षति या आंशिक क्षति की स्थिति में देय प्रतिकर का उल्लेख अनुसूची III की सारणी IX में किया गया है।

79. अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तुओं के संबंध में शिकायत- (1) प्रेषक, साथ ही किसी डाक-वस्तु का प्रेषिती भी शिकायत कर सकेगा -

(क) क्षतिग्रस्त या आंशिक नुकसान या चोरी की दशा में, डाक-वस्तु की प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर;

(ख) उस दिन से जिस दिन डाक-वस्तु पोस्ट किया गया था छह मास की अवधि के भीतर, डाक से भेजे गए पासल या रजिस्ट्रीकृत या बीमित डाक-वस्तुओं की दशा में;

(ग) डाक से भेजी गई एक्सप्रेस मेल सेवा डाक-वस्तुओं की दशा में, उस तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, जिस दिन डाक-वस्तु डाक से भेजी गई।

(2) प्रतिकर के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि यह उप-नियम (1) में निर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् किया जाता है।

80. कतिपय दशाओं में कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा- (1) संचार मंत्रालय में डाक विभाग द्वारा निम्नलिखित की दशा में कोई प्रतिकर देय नहीं होगा, अर्थात्:-

(क) जहां प्रेषक की गलती या लापरवाही के कारण नुकसान या क्षति हुई है, या डाक-वस्तु की प्रकृति से उत्पन्न होती है;

(ख) जहां बीमा धोखाधड़ी से सामग्री के वास्तविक मूल्य से अधिक राशि के लिए किया गया है, या प्रेषक या प्राप्तकर्ता की ओर से कोई अन्य धोखाधड़ी हुई है;

(ग) जहां बीमित डाक-वस्तु को प्रेषिती को डिलिवरी किया गया है, या जहां डाक-वस्तु प्रेषक को वापस कर दी गई है और, यथा स्थिति, प्रेषिती या प्रेषक, ने बिना किसी विरोध के रसीद पर हस्ताक्षर किए और उसे वापस कर दिया या किसी बीमित डाक-वस्तु की दशा में, कार्यालय के प्रशासन को, डाक-वस्तु के निकाल लिए जाने या क्षति की शिकायत किए बिना, जिसने डाक-वस्तु का डिलिवरी किया और यह सावित किया कि पत्र के डिलिवरी से पहले अंतर्वस्तु को निकाल लिया गया या क्षति हुई थी;

(घ) जहां प्रेषक ने डाक भेजने के दिन के पश्चात् छह मास के भीतर नुकसान, निकाल लिए जाने या क्षति की सूचना नहीं दी है;

(ङ.) जहां नुकसान, निकाल लिया जाना या क्षति अनुचित या असुरक्षित पैकिंग के कारण थी;

(च) जहां कवर या मुहरों को कोई दृश्य क्षति नहीं है;

(छ) नियंत्रण से बाहर के मामलों में जैसे तूफान, पोत-विघ्वास, भूकंप या युद्ध;

(ज) जहां नियंत्रण से परे कारणों से इससे संबंधित दस्तावेजों के नष्ट हो जाने के परिणामस्वरूप बीमित डाक-वस्तु का पता नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि डाक-वस्तु के संबंध में प्रतिकर का भुगतान करने के लिए डाकघर के दायित्व का प्रमाण अन्यथा प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(झ) जहां बीमित डाक-वस्तु में कुछ ऐसा सम्मिलित है, जिसका डाक द्वारा पारेषण निषिद्ध है;

परंतु कि प्रतिकर केवल इस तथ्य के कारण अस्वीकार्य नहीं होगा कि एक बीमित पासल में कोई पत्राचार था;

(अ) जहां बीमित डाक-वस्तु देश या गंतव्य के राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवत्त किसी विधि के अधीन जब्त की जाती है;

(ट) जब कोई बीमाकृत पत्र या पार्सल खो जाता है, या नष्ट हो जाता है, या उसकी सामग्री पूरी तरह से निकाल ली जाती है;

(ठ) जब डाक सेवा के कारण हुई क्षति के कारण प्रेषिती बीमाकृत पार्सल की सुपुर्दगी लेने से इनकार करता है;

(2) पत्र, बॉक्स या पार्सल का प्रेषक जिसके लिए प्रतिकर देय नहीं है, उन शुल्कों और शुल्कों की वापसी का हकदार होगा जो भुगतान किए गए हैं, और जब डाकघर की ओर से कोई त्रुटि जांच को उद्भूत करती है ऐसे पत्र, या पार्सल के निपटान के बारे में, ऐसी जांच के कारण भुगतान किए गए किसी भी शुल्क की आगे वापसी के लिए; परन्तु ऐसे पत्र, बॉक्स या पार्सल का प्रेषक किसी भी मामले में बीमा के लिए भुगतान किए गए शुल्क की वापसी का हकदार नहीं होगा।

(3) संचार मंत्रालय में डाक विभाग बीमित आवक या जावक अंतर्राष्ट्रीय पत्र डाक, या पार्सल पोस्ट डाक-वस्तुओं या उसकी सामग्री के निकाल लिए जाने या क्षति के संबंध में इन विनियमों में उल्लिखित के अलावा प्रेषक या प्रेषिती के प्रति कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगा।

81.प्रतिकर के निपटान की अवधि- (1)प्रतिकर का निपटान शिकायत की तारीख या दावा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा:

परंतु कि लिखित रूप में फाइल किए जाने वाले कारणों के लिए किसी भी देरी की स्थिति में, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा निर्दिष्ट प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।

(2) शिकायत फाइल करना समय-समय पर निर्दिष्ट प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार होगा।

(3) प्रशासनिक प्रेषक या प्रेषिती इन विनियमों के अधीन निर्धारित प्रतिकर के लिए मांग के साथ बुकिंग का वैध प्रमाण प्रस्तुत करने पर दावा कर सकेगा, जैसा कि निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

82.शिकायत, कैसे की जाए- (1) कोई प्रेषक या प्रेषिती निम्नलिखित साधनों के माध्यम से शिकायत कर सकेगा, अर्थात् -

(क) कार्यालय के कार्य समय के दौरान सभी डाकघरों में सुझाव और शिकायत पुस्तिका (सुझाव और शिकायतें फाइल करने के लिए एक पुस्तक उपलब्ध है);

(ख) डाकघर का वेब पोर्टल;

(ग) सोशल मीडिया वेबसाइट;

(घ) इस प्रयोजन के लिए टोल फ्री नंबर; और

(3.) लिखित शिकायत।

(2) महानिदेशक, प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा, दावा किए गए प्रतिकर के आर्थिक और क्षेत्राधिकार के अनुसार संचार मंत्रालय में डाक विभाग के अधिकारियों को निर्दिष्ट कर सकेगा, जो शिकायतकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, लिखित रूप में फाइल किए जाने वाले कारणों की जांच और निपटान करेगा।

83. अप्रत्याशित परिस्थितियों में प्रतिकर के लिए दायित्व - संचार मंत्रालय में डाक विभाग अप्रत्याशित परिस्थितियों में उत्पादों और सेवाओं के डिलिवरी में देरी के बदले प्रतिकर प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

84. डाक-वस्तुओं के पारेषण का निलंबन या प्रतिबंध -संकेल प्रमुख या क्षेत्रीय प्रमुख, किसी भी समय, अधिकारिता के भीतर किसी भी डाकघर के संबंध में, सभी या किसी भी वर्ग की डाक-वस्तुओं या विवरण या सभी या किसी भी वर्ग की स्वीकृत या प्रेषित की जाने वाली डाक-वस्तुओं के वर्ग की स्वीकृति या प्रेषण को निलंबित कर सकेगा।

85. डाक-वस्तुओं पर कारवाई और पारेषण.- (1) सभी डाक-वस्तुओं को, जो लेखादेय वस्तु नहीं हैं, गैर-लेखादेय डाक-वस्तुओं डाक-वस्तुओं के रूप में माना जाएगा और उन्हें उस तरीके से पारेषित किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट डाक-वस्तुएं समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट ढंग या रीति से पारेक्षित की जाएगी।

86. नकली मुद्रा का निपटान.- डाकघर द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए प्राप्त नकली मुद्रा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक या वित मंत्रालय द्वारा जारी नकली मुद्रा का पता लगाने और जब्त करने से संबंधित अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अधीन उल्लिखित तरीके से कारवाई की जाएगी।

अध्याय V

घरेलू डाक मर्द

क. लेटर पोस्ट मर्द

87. पत्र- (1) पत्र वर्तमान और वैयक्तिक पत्राचार की प्रकृति का संचार है जो किसी व्यक्ति को संबोधित करके डाक महसूल के पूर्व भुगतान के साथ डाक द्वारा भेजा जाता है।

(2) प्रत्येक पत्र सुरक्षित रूप से बंद अवस्था में पोस्ट किया जाएगा।

(3) पत्र का वजन 500 ग्राम से अधिक नहीं होगा।

(4) डाक द्वारा पारेषित प्रत्येक पत्र निम्नलिखित अधिकतम और न्यूनतम आयामों के अनुरूप होगा, अर्थात्:-

(I) अधिकतम विमा:-

रोल फॉर्म में -

एकल विमा	800	मिमि
लंबाई और दुगुने व्यास का योग	1000	मिमि
रोल फॉर्म के अतिरिक्त अन्य रूप में -		
एकल विमा	600	मिमी

लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का योग

900 मिमि

(ii) न्यूनतम विमा:-

रोल फॉर्म में -		
एकल विमा	100	मिमि
लंबाई और दोगुने व्यास का योग	170	मिमि

रोल फॉर्म के अतिरिक्त अन्य रूप में -

140 मिमी x 90 मिमी, +- 2 मिमी की टालरेस के साथ।

88. रोल फॉर्म के अतिरिक्त अन्य पत्र.- (1) रोल फार्म के अतिरिक्त अन्य पत्र निम्नलिखित आकारों के लिफाफों में होंगे;

(क) न्यूनतम 140 x 90 मिमी; और

(ख) अधिकतम 458 x 324 मिमी;

+2 मिमी के टालरेस के साथ

(2) प्रत्येक लिफाफे का फ्लैप या तो लम्बे भाग के पीछे ऊपर की ओर होगा अथवा दायीं या बायीं ओर होगा।

(3) प्रत्येक लिफाफा 0.15 मिमी से 0.5 मिमी मोटाई वाले कागज-पत्र का बना होगा।

(4) लिफाफे की सतह एक समान सतह संरचना के साथ समतल की जाएगी।

(5) प्रत्येक लिफाफे को सभी तरफ से लगातार बंद किया जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि लिफाफे पर गौंद का कोई अवशेष न रह जाए और लिफाफे को बंद करने के लिए धातु के किलप या स्टेपल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(6) प्रत्येक लिफाफा न्यूनतम 70 याम प्रति वर्ग मीटर का बनाया जाएगा।

(7) प्रत्येक लिफाफा इतना लचीला होना चाहिए कि वह "यू आकार" में मुड़ सके।

(8) खिड़की वाले प्रत्येक लिफाफे में खिड़की का आकार 35-50 मिमी (चौड़ाई) और 80-125 मिमी (लंबाई) के बीच होगा और अंतर्वस्तु को इस तरह से रखा जाएगा कि केवल पता ब्लॉक जिसमें बार कोड शामिल है, खिड़की के माध्यम से दिखाई देगा।

(9) 35 याम प्रति वर्ग मीटर का ग्लासिन पेपर, 40 याम प्रति वर्ग मीटर का सेलोफेन कागज और 15-माइक्रोन मोटाई का पॉलीविनाइल ब्लॉराइड या द्विअक्षीय उन्मुख पॉलीप्रोपाइलीन खिड़की अंतर्वस्तु के रूप में उपयोग किया जाएगा।

(10) लिफाफे के बाएं किनारे से खिड़की के बाएं किनारे की दूरी न्यूनतम 15 मिमी होगी, खिड़की के ऊपरी किनारे की दूरी न्यूनतम 40 मिमी होगी, और लिफाफे के निचले किनारे से खिड़की के निचले किनारे की दूरी न्यूनतम 15 मिमी होगी।

(11) प्रेषक की कंपनी का लोगो और नाम ऊपरी बाएं कोने पर लिखा जा सकता है और प्राप्तकर्ता का पता ब्लॉक से कम से कम 10 मिमी के अंतर के साथ ऊपरी दाएं कोने पर स्टाम्प या स्पष्ट मुद्रा लगाई जा सकती है।

(12) लिफाफे के नीचे बार कोड मुद्रण के लिए 15 मिमी जगह छोड़ी जाएगी और 2डी बारकोड या त्वरित प्रतिक्रिया कोड के चारों ओर 5 मिमी सादा स्थान प्रदान किया जाएगा और प्रेषक का लोगो आकार 25x50 मिमी से अधिक नहीं होगा और 2डी बारकोड या त्वरित प्रतिक्रिया कोड का न्यूनतम आकार 18x18 मिमी होगा।

(13) मुद्रित बार कोड या डिजिटल कोड का आकार सादे क्षेत्र सहित लिफाफे की खिड़की में न्यूनतम 60 मिमी लंबाई और 10 मिमी चौड़ाई में रखा जाएगा और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

(14) विनियम 87 और विनियम 88 के उप-विनियम (1) से उप-विनियम (13) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, पत्र पर दोगुना डाक महसूल लगाया जाएगा और शुल्क निर्धारित करते समय उस पर भुगतान किया गया कोई भी डाक महसूल भी ध्यान में रखा जाएगा।

(15) पत्रों के लिए ग्राहकों को दी जाने वाली छूट और मूल्य संवर्धन महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

(16) पत्रों पर प्रभार्य डाक महसूल दरें अनुसूची-। की सारणी-। में उल्लिखित होंगी।

89. पत्र कार्ड:- पत्र कार्ड डाक द्वारा पारेषित किए जा सकेंगे, यदि वह निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुरूप हों, अर्थातः-

- (क) डाक महसूल का पूरा पूर्व भुगतान किया जाएगा;
- (ख) पत्र कार्ड का वजन पांच ग्राम से अधिक नहीं होगा;
- (ग) पत्र कार्ड की विमाएं, जिसमें उसके फ्लैप भी शामिल हैं, जब उसे खोला या मोड़ा गया हो, क्रमशः निम्नानुसार होंगे: -

दिना मुड़ा हुआ

अधिकतम - 300 मिमी x 210 मिमी।

न्यूनतम - 282 मिमी x 182 मिमी;

फ्लैप्स - पत्र कार्ड में तीन फ्लैप होंगे, एक बाएं और एक दाएं तरफ जो 15 मिमी गुणा 100 मिमी से अधिक नहीं होगा और दूसरा ऊपर की तरफ जो 15 मिमी गुणा 210 मिमी से अधिक नहीं होगा और यदि पत्र कार्ड को किसी अन्य प्रभावी प्रक्रिया द्वारा बंद किया जा सकता है तो फ्लैप्स की आवश्यकता नहीं होगी।

मुड़ा हुआ

अधिकतम - 210 मिमी 100 मिमी

न्यूनतम - 152 मिमी 90 मिमी ;

- (घ) पत्र कार्ड में कुछ भी अनुलग्न या संलग्न नहीं किया जाएगा;
- (ड.) घरेलू प्रेषण के लिए आशयित प्रत्येक मुड़े हुए पत्र के पते की ओर ऊपरी बाएं कोने पर बाहर की ओर शब्द "पत्र कार्ड" मुद्रित होंगे; और
- (च) पत्र कार्ड न्यूनतम 70 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के कागज से बना होगा।

स्पष्टीकरण 1.- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "पत्र कार्ड" से तात्पर्य कागज की उस शीट से है जिसे सामान्यतः पत्र लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है और जिसे उचित रूप से मोड़ा और गौंद लगाया गया हो।

स्पष्टीकरण 2.- निजी विनिर्माण के पत्र कार्डों को उपयुक्त रूप से मोड़ा जाएगा और तीन तरफ से निरंतर गौंद से चिपकाकर या किसी अन्य चिपकाने वाले पदार्थ से पूरी तरह बंद किया जाएगा, परंतु इस विनियम में उल्लिखित विमाओं और अन्य शर्तों का अनुपालन किया जाए।

90. वे शर्तें जहां उल्लंघन किया गया- (1) विनियम 89 में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन के मामले में, पत्र कार्ड को एक पत्र के रूप में माना जाएगा और ऐसे पत्र कार्ड के लिए पहले से भुगतान किए गए डाक महसूल और पत्र के लिए दो डाक महसूल के बीच की दोगुनी कमी के साथ वितरण पर शुल्क लिया जाएगा।

(2) पत्र कार्डों पर प्रभार्य डाक महसूल अनुसूची-1 की सारणी-1 में उल्लिखित होंगे।

91. पोस्टकार्ड- (1) पोस्टकार्ड डाक द्वारा प्रेषित किए जा सकेंगे, यदि वह निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप हो, अर्थात्-

- (क) डाक महसूल का पूरा पूर्व भुगतान किया जाएगा;
- (ख) पोस्ट कार्ड का वजन पांच ग्राम से अधिक नहीं होगा;

(ग) उनकी विमाएं 140 मिमी x 90 मिमी होगा और उन पर पता की ओर हिंदी या अंग्रेजी में "पोस्ट कार्ड" लिखा होगा या मुद्रित होगा;

(घ) जहां तक पदार्थ का संबंध है, वे डाकघर द्वारा जारी किए गए पोस्ट कार्डों की तुलना में न तो पतले होंगे और न ही अधिक लचीले होंगे;

(ड.) किसी भी पोस्ट कार्ड को मोड़ा नहीं जाएगा, किसी लिफाफे में बंद नहीं किया जाएगा, काटा नहीं जाएगा या अन्यथा परिवर्तित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि मुद्रित डाक टिकट (यदि कोई हो) पर आद्याक्षर सहित छिद्रित किए जा सकेंगे।

(च) पोस्टकार्ड के पते वाले हिस्से का दाहिना हिस्सा सभी मामलों में प्राप्तकर्ता के पते के लिए, पूर्व भुगतान के लिए आवश्यक डाक महसूल स्टांप या स्टांपिंग मशीन की छाप के लिए आरक्षित है, जिसे जहां तक संभव हो, ऊपरी दाहिने कोने में चिपकाया जा सकता है, और डाक निर्देशों के लिए, लेकिन पते वाले हिस्से का बायां आधा हिस्सा, साथ ही पीछे का हिस्सा, प्रेषक द्वारा संचार या एकल रंग या बहु रंग मुद्रित विज्ञापन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है और प्रेषक का पता पीछे के

ऊपरी बाएं कोने पर लिखा जा सकता है, या उप-विनियम (छ) में उल्लिखित प्रतिबंध के अधीन अन्यथा निपटाया जा सकता है:

परंतु पोस्टकार्ड के पते वाले भाग के ऊपरी दाहिने कोने पर, डाक टिकट चिपकाए जाने वाले स्थान को इंगित करने के लिए रेखाओं या सूक्ष्म विन्दुओं द्वारा चिह्नित एक छोटा स्थान छोड़ा जाएगा; (छ) पोस्ट कार्ड के साथ निम्नलिखित के अतिरिक्त कुछ भी संलग्न नहीं किया जाएगा-

- (i) डाक शूल्क या अन्य डाक संबंधी शुल्कों के भुगतान में स्टांप पोस्ट कार्ड के केवल पते वाले भाग पर चिपकाए जाएंगे;
- (ii) कार्ड पर पूरी तरह चिपका हुआ गोंद लगा हुआ लेबल, जिस पर उस व्यक्ति का नाम और पता अंकित हो जिसे कार्ड भेजा गया है;
- (iii) 50 मिमी से अधिक लम्बा और 20 मिमी से अनधिक चौड़ा एक समान लेबल जिस पर कार्ड भेजने वाले का नाम और पता अंकित हो; और
- (iv) बहुत पतले कागज पर उत्कीर्णन, चित्रण, रेखाचित्र और फोटोग्राफ जो कार्ड से पूरी तरह चिपके हों।

परंतु उप-खंड (ii) और उप-खंड (iii) में विनिर्दिष्ट मर्दें, पते वाले भाग के पीछे या बायीं और के आधे भाग में चिपकाई जाएंगी।

स्पष्टीकरण- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "पोस्ट कार्ड" से निर्धारित आकार के आयताकार कार्ड पर खुला संचार अभिप्रेत है, जिस पर निर्धारित मूल्य का स्टाम्प लगा होता है।

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, पोस्टकार्ड को पत्र माना जाएगा और डिलीवरी पर ऐसे पोस्टकार्ड के लिए पहले से भुगतान किए गए डाक महसूल और पत्र के लिए देय डाक महसूल के बीच की दोगुनी राशि का प्रभार लगाया जाएगा, जो न्यूनतम एक रुपए होगा और जहां ऐसी रकम का हिस्सा है, जिसमें पैसे शामिल हैं, वहां रकम बढ़ाकर एक रुपया कर दी जाएगी।

(3) पोस्टकार्ड पर प्रभार्य डाक दरें अनुसूची । की सारणी । में उल्लिखित होंगी।

92. बुक पोस्ट- (1) ऐसी वस्तु जिसमें बुक, कार्ड, पत्रिकाएं, जर्नल, सभी प्रकार के प्रकाशन, कागज, शीट, बिल, चालान, रिपोर्ट या वाणिज्यिक, विधिक या व्यक्तिगत प्रकृति का कोई दस्तावेज एकल या एक से अधिक प्रतियों में हो, उसे डाक द्वारा "बुक डाक" के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रेषित किया जा सकता है, अर्थात् :-

- (क) बुक पोस्ट का वजन 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा;
- (ख) बुक पोस्ट की विमाएं निम्नलिखित अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के अधीन होगा:-

(i) अधिकतम.

रोल फॉर्म में -

लंबाई

800 मिमी

लंबाई और दुगुने व्यास का योग

1000 मिमी

रोल फॉर्म के अतिरिक्त

600x300x300 मिमी

(ii) न्यूनतम

रोल फॉर्म में -

एकल विमा 100 मिमी

लंबाई और दोगुने व्यास का योग 170 मिमी

रोल फॉर्म के अतिरिक्त 140 मिमी x 90 मिमी

+ - 2 मिमी के टोलरेस के साथ;

(ग) जब बुक पोस्ट को कार्ड के रूप में खुला भेजा जाएगा, चाहे वह मुद्रा हुआ हो या नहीं, तो वह पोस्टकार्ड से न तो पतला होगा और न ही अधिक लचीला होगा;

(घ) बुक पोस्ट को निम्नलिखित आकारों के खुले लिफाफे में भेजा जाएगा, परंतु इसकी विमा 140x 90 मिमी से कम और 353 x 250 मिमी से अधिक न हो; + - 2 मिमी के टालरेस के साथ;

(ङ.) डाक-वस्तु के पते की ओर "बुक पोस्ट" अंकित होगा;

(च) बुक पोस्ट को बिना कवर के, या बिना बंधे लिफाफे में, या बुक पोस्ट के अंतर्गत कवर में पोस्ट किया जाएगा, जिसे जांच के प्रयोजन के लिए बिना किसी सील को तोड़े या किसी कागज को फाड़े या किसी चिपके हुए सतह को अलग किए आसानी से हटाया जा सके और बिना कवर के पोस्ट किए गए पैकेट को बांधा नहीं जा सकता है या अन्यथा इस तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता है जिससे आसान जांच को रोका जा सके;

(छ) किसी बुक पोस्ट में "कागजी मुद्रा" नहीं होगी, जिसमें इस विनियम के प्रयोजनों के लिए अप्रकाशित डाक या अन्य टिकट, हुंडी, चेक, बैंक पोस्ट बिल, विनिमय पत्र और धन के भुगतान के लिए सभी आदेश या प्राधिकार शामिल हैं:

परंतु बुक पोस्ट में एक टिकट लगा हुआ और पता लिखा हुआ लिफाफा, पोस्ट कार्ड या आवरण हो सकता है जिस पर पैकेट भेजने वाले का नाम और पता या उस पर नामित किसी अन्य व्यक्ति का नाम अंकित हो;

(ज) बुक पोस्ट डाक-वस्तु में निहित कोई भी दस्तावेज किसी प्राप्तकर्ता को संबोधित नहीं किया जाएगा और न ही डाक-वस्तु के अतिरिक्त किसी अन्य प्रेषक से आएगा;

परंतु बुक पोस्ट के रूप में भेजी गई सभी वस्तुओं को, यदि उनका वजन 500 ग्राम तक है, तो लेटर पोस्ट के रूप में माना जाएगा, या यदि उनका वजन 500 ग्राम से अधिक है, तो पार्सल डाक के रूप में माना जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, बुक पोस्ट को पत्र माना जाएगा और डिलीवरी पर, पत्र या भारतीय डाक पार्सल पर देय डाक शुल्क का दोगुना लिया जाएगा, जो भी कम शुल्क हो (ऐसी वस्तुओं की श्रेणी के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन) और उस पर भुगतान किए गए किसी भी डाक शुल्क को प्रभारी का आकलन करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

(3) बुक पोस्ट पर प्रभार्य डाक दरें अनुसूची । की सारणी । में उल्लिखित अनुसार होंगी।

93. दृष्टिहीनों के लिए साहित्य- (1) दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए "ब्लैल" या अन्य विशेष प्रकार में छपी किसी भी प्रकार की पत्र-पत्रिकाएं और पुस्तकें डाक द्वारा "दृष्टिहीनों के लिए साहित्य" डाक-वस्तु के रूप में भेजी जाएंगी, परंतु उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अनुसार भेजा जाए, अर्थात् :-

- (क) ऐसी वस्तुओं में केवल दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए ऊपर वर्णित अनुसार विशेष रूप से मुद्रित सामग्री ही शामिल होगी, और इसमें बुक या पत्रिकाओं के शीर्षक और विषय-सूची, विशेष प्रकार के उपयोग के लिए कुंजी या निर्देश, या पैकेट की वापसी के लिए लेबल के अतिरिक्त कोई संलग्नक के, लिखित या साधारण प्रकार में मुद्रित कोई भी संचार शामिल नहीं होगा;
- (ख) ऐसी वस्तुओं के बाहरी भाग पर "दृष्टिहीनों के लिए साहित्य" लिखा होगा और भेजने वाले का नाम और पता लिखा या मुद्रित होगा;
- (ग) ऐसी वस्तुओं को या तो बिना कवर के रखा जाएगा या दोनों सिरों से खुले कवर में रखा जाएगा, जिसे जांच के प्रयोजन के लिए आसानी से हटाया जा सके;
- (घ) "दृष्टिहीनों के लिए साहित्य" सामग्री का वजन 7 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा, और

(3.) ऐसी वस्तु की विमाएं निम्नलिखित अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप होंगी:-

(i) अधिकतम

रोल रूप में - लंबाई	800 मिमी
लंबाई और व्यास के टुगुने का योग	1000 मिमी
रोल फॉर्म के अतिरिक्त	600 x 300 x 300 मिमी

(ii) न्यूनतम

रोल रूप में - लंबाई	100 मिमी
लंबाई और व्यास के टोगुने का योग	170 मिमी
रोल फॉर्म के अतिरिक्त	100 x 70 मिमी

स्पष्टीकरण:- दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए ध्वनि रिकार्ड लिखने के चिह्न वाली प्लेट और डिस्क, फिल्म, टेप और तार, जिन पर दृष्टिहीनों के लिए मौखिक संदेश रिकार्ड किए गए हैं, जब उन्हें दृष्टिहीनों के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा भेजा गया हो या उसे संबोधित किया गया हो, उन्हें "दृष्टिहीनों के लिए साहित्य" माना जाएगा।

(2) दृष्टिहीनों के लिए साहित्य पर कोई डाक महसूल नहीं लगेगा, लेकिन हवाई मार्ग से पारेषित करने पर हवाई डाक शुल्क लगेगा।

(3) उप-विनियम (1) में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, "दृष्टिहीनों के लिए साहित्य" डाक-वस्तु पर, प्रासंगिक डाक डाक-वस्तु पर देय डाक शुल्क का टोगुना शुल्क लिया जाएगा, जैसा भी लागू हो।

94. आवधिक डाक:- (1) कोई प्रकाशन आवधिक डाक के रूप में डाक द्वारा पारेषित किया जा सकेगा, यदि वह-

(क) प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51) के अधीन "पत्रिका" शब्द की परिभाषा के अधीन आते हैं;

(ख) केवल भारत में प्रकाशित, मुद्रित या प्रकाशित;

(ग) प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51) के अधीन भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ पंजीकृत हैं और उसके पास प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आवंटित पंजीकरण प्रमाणपत्र हैं; और

(घ) प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51) के उपबंधों का अनुपालन करना।

परंतु कोई बुक या पत्रिका, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक प्रकृति की बुक या पत्रिका भी शामिल हैं, को आवधिक के रूप में डाक द्वारा पारेषित नहीं किया जाएगा।

(2) पत्रिकाओं को डाक द्वारा पारेषित करने के लिए अलग से डाक पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

परंतु उन पत्रिकाओं के लिए जो समाचार पत्र की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं और डाक द्वारा पारेषण के लिए रियायती दर पर डाक खर्च का लाभ उठाना चाहती हैं, स्वामी या प्रकाशक द्वारा (स्वामी के प्राधिकार के अधीन) पृथक डाक पंजीकरण या लाइसेंस लेना अपेक्षित है।

(3) पत्रिका के प्रथम या अंतिम पृष्ठ पर किसी भी सुविधाजनक स्थान पर "भारत के प्रेस रजिस्ट्रार संख्या " अंकित किया जाएगा।

(4) उप-विनियम (1) और (3) में विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, डाक-वस्तु को बुक पोस्ट डाक-वस्तु के रूप में माना जाएगा और उस पर शुल्क लगाया जाएगा और शुल्क का आकलन करते समय उस पर भुगतान किए गए किसी भी डाक महसूल को ध्यान में रखा जाएगा।

(5) आवधिक डाक पर प्रभार्य डाक दरें अनुसूची-I की सारणी-I में उल्लिखित होंगी।

95. पंजीकृत समाचारपत्र- (1) कोई समाचारपत्र पंजीकृत समाचारपत्र के रूप में डाक द्वारा पारेषण के लिए डाक रजिस्ट्रीकरण हेतु पात्र होगा, यदि वह-

(क) प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51) के अधीन "समाचार पत्र" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं ;

(ख) केवल भारत में निकाली गई, मुद्रित या निकाली गई;

(ग) प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51) के अधीन भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ पंजीकृत हैं और उसके पास प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आवंटित पंजीकरण प्रमाणपत्र हैं; और

(घ) प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51) के उपबंधों का अनुपालन करना।

(2) पंजीकृत समाचारपत्र से संबंधित प्रशासनिक और प्रचालनात्मक दिशानिर्देश समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) पंजीकृत समाचारपत्रों पर डाक दरें अनुसूची-I की सारणी-I में उल्लिखित हैं।

डाक - पार्सल

96. भारतीय डाक पार्सल.- (1) डाकघर व्यक्तिगत और थोक गाहकों को भारतीय डाक पार्सल की सेवा प्रदान करेगा और सभी पार्सल को लेखादेय डाक-वस्तुओं के रूप में माना जाएगा।

(2) किसी भी डाक-वस्तु को भारतीय डाक पार्सल माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक का अनुपालन करती है, अर्थात् :-

(क) जिसका वजन 500 ग्राम से अधिक हो; या

(ख) जिसके न्यूनतम विमाएं हैं:

(i) रोल के रूप में 100 मिमी, लम्बाई और दोगुने व्यास का योग 170 मिमी;

(ii) रोल रूप से भिन्न 140 x 90 मिमी;

± 2 मिमी की टालरेस के साथ; और

(ग) जिसकी लम्बाई 1.5 मीटर से अधिक न हो और लम्बाई तथा परिधि मिलाकर 3 मीटर से अधिक न हो; और

(घ) जिसका सकल भार 35 किलोग्राम या परिभाषित आयतन भार से अधिक न हो;

परंतु जहां डाक-वस्तु विनियम 87 का उप-विनियम (1) में परिभाषित एक पत्र डाक-वस्तु नहीं है, गाहक द्वारा इसे "माल" के रूप में घोषित किया जाएगा।

(3) खिड़की पर प्रस्तुत किसी भी भारतीय डाक पार्सल पर "भारतीय डाक पार्सल" अंकित होगा और उसमें ऐसा मूल्य संवर्धन भी होगा, जिसका भुगतान प्रेषक द्वारा किया जा सकेगा।

(4) नियम 9 में उल्लिखित भुगतान के किसी भी तरीके के माध्यम से किसी भारतीय डाक पार्सल पर डाक-शुल्क का पूर्णतः पूर्व भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणी 1 : महानिदेशक द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं की फ्रैकिंग मशीनों के ऐसे मॉडलों के फ्रैकिंग इंप्रेशन को किसी वस्तु पर डाक के पूर्व भुगतान का माध्यम माना जाएगा।

टिप्पणी 2: इस विनियम में निहित कोई भी बात भारतीय डाक पार्सल की बुकिंग को नहीं रोकेगी, जहां महानिदेशक द्वारा अनुमति के अनुसार डाक महसूल का संग्रहण बाद में किया जाता है।

(5) भारतीय डाक पार्सल सामान्यतः केवल सतह मार्ग से ही प्रेषित किया जाएगा।

(6) मूल्यवर्धित सेवाएं, अर्थात् प्राप्तकर्ता विशिष्ट डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, बीमा और डिलीवरी का प्रमाण, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर भारतीय डाक पार्सल के लिए उपलब्ध होंगी।

(7) सभी भारतीय डाक पार्सल को समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार प्रेषक या डाकघर द्वारा पैक किया जाएगा और विनिर्देशों के अनुरूप पैक नहीं किया गया कोई भी भारतीय डाक पार्सल बुकिंग के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) यदि डाक के माध्यम से प्रेषित किसी भारतीय डाक पार्सल में ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है, जिसका प्रेषण अधिनियम या नियमों के उपर्यांत का उल्लंघन करता है, तो उसे उस स्थान के निकटतम डाकघर में रोक लिया जाएगा, जहां वह पता चलता है और समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तरीके से निपटान किया जाएगा।

(9) भारत के किसी भी भाग को भेजे जाने वाले प्रत्येक भारतीय डाक पार्सल के साथ समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा संलग्न की जाएगी।

(10) अखिल भारतीय डाक पार्सलों की बुकिंग, प्रेषण और वितरण समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

(11) भारतीय डाक पार्सलों पर प्रभार्य डाक दरें अनुसूची I की सारणी III में उल्लिखित हैं।

97. सैन्यतंत्र डाक - (1) सर्किल प्रमुखों को समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय और नामनिर्दिष्ट स्थान विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जहां "सैन्यतंत्र" के अधीन डाक-वस्तु बुक किए जा सकते हैं या उन्हें संबोधित किया जा सकता है, समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(2) सैन्यतंत्र डाक के अंतर्गत डाक-वस्तुओं की पोस्टिंग, बुकिंग, पारेषण और डिलिवरी के लिए प्रचालन की शर्तें, समय-समय पर दिए गए प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

98. स्पीड पोस्ट - (1) प्रत्येक स्पीड पोस्ट में डाक दरारा भेजे जाने के लिए दो प्रकार की वस्तुएं होंगी, अर्थात्:-

(क) स्पीड पोस्ट दस्तावेज; और

(ख) स्पीड पोस्ट पार्सल।

टिप्पणी: दस्तावेज में विनियम 87 के उप-विनियम (1) में यथापरिभाषित पत्र या कोई अन्य संचार, लिखित, चिन्हकारी या मुद्रित हो सकता है, जिसमें माल की सामग्री शामिल नहीं है।

(2) स्पीड पोस्ट दस्तावेज और पार्सल के डाक महसूल अनुसूची I की सारणी IV में उल्लिखित अनुसार होगा।

99. स्पीड पोस्ट दस्तावेज - (1) प्रत्येक स्पीड पोस्ट संबंधी दस्तावेज वायुमार्ग से प्रेषित किया जाएगा।

परंतु स्पीड पोस्ट दस्तावेज को सतही मार्गों पर प्रेषित किया जा सकेगा, जहां यह निर्धारित हो जाता है कि यह हवाई मार्ग से अधिक तेज है।

(2) स्पीड पोस्ट दस्तावेज के लिए किसी वस्तु का वजन आयतन भार सहित 500 ग्राम से अधिक नहीं होगा।

(3) स्पीड पोस्ट दस्तावेज डाक-वस्तु पर प्रभार्य डाक महसूल और अन्य शुल्क, आयतन भार या सकल भार, जो भी अधिक हो, के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

(4) स्पीड पोस्ट दस्तावेज के लिए किसी वस्तु का आकार लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 420 मिमी, 297 मिमी और 24 मिमी के विमाओं से अधिक नहीं होगा।

(5) समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पिक-अप सुविधा, डिलीवरी का सबूत, बीमा, पंजीकरण और अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर स्पीड पोस्ट डाक-वस्तु के लिए उपलब्ध होंगी।

(6) स्पीड पोस्ट के अधीन भेजी गई वस्तु सामान्यतः पता विशिष्ट होगी, अर्थात् उसे दिए गए पते पर ही पहुंचाया जाएगा, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

100. स्पीड पोस्ट पार्सल- (1) भारतीय डाक पार्सल से संबंधित विनियम 96 के उप-विनियम (1), (2), (4), (6), (7) से (10) तक स्पीड पोस्ट पार्सल पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, सिवाय निम्नलिखित के:-

(क) प्रत्येक स्पीड पोस्ट पार्सल हवाई मार्ग से भेजा जाएगा:

परंतु स्पीड पोस्ट पार्सल को सतही मार्गों से प्रेषित किया जा सकेगा, जहां यह निर्धारित हो कि यह वायुमार्ग से प्रेषित होने की तुलना में अधिक तीव्र है:

परंतु यह और कि यदि स्पीड पोस्ट पार्सल सतह मार्ग से प्रेषित किया जाता है, तो उसे प्रेषण के प्रत्येक चरण में भारतीय डाक पार्सल पर प्राथमिकता दी जाएगी; और

(ख) खिड़की पर प्रस्तुत किसी भी स्पीड पोस्ट पार्सल पर "स्पीड पोस्ट पार्सल" अंकित होगा और उसमें मूल्य संवर्धन भी होगा, जिसका भुगतान प्रेषक द्वारा किया जा सकेगा।

अन्य डाक उत्पाद

101. डायरेक्ट पोस्ट - (1) प्रत्यक्ष डाक एक गैर-संबोधित मेल होगा, जिसमें पत्र, कार्ड, ब्रोशर, प्रश्नावली, पैम्फलेट, नमूने, प्रचार मद, कूपन, पोस्टर, मेलर या मुद्रित संचार का कोई अन्य रूप शामिल होगा जो अधिनियम या इन विनियमों द्वारा निषिद्ध नहीं है।

स्पष्टीकरण- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "डाक" से ऐसा मुद्रित सामग्री अभिप्रेत है, जो सामान्यतया एक विक्री संदेश या घोषणा ले जाती है, जिसे सावधानीपूर्वक चयनित उपभोक्ता या व्यावसायिक बाजार से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।

(2) इन डाक-वस्तुओं को अभिहित डाकघर में थोक में स्वीकार किया जाएगा और इसे पत्र बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जाएगा।

(3) अन्य शहरों में वितरण के लिए बनी वस्तुओं के मामले में, प्रत्यक्ष डाक वस्तुओं को डाक सूचकांक संख्या (पिन) कोड-वार बंडलों में स्वीकार किया जाएगा।

(4) डायरेक्ट पोस्ट का लाभ उठाने के लिए परिचालन शर्ते डाक की न्यूनतम मात्रा सहित ऐसी होंगी जो समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

(5) डायरेक्ट पोस्ट पर प्रभार्य दरों का उल्लेख अनुसूची-॥ की सारणी-॥ में किया गया है।

102. मीडिया डाक - (1) मीडिया डाक एक विजापन तंत्र होगा जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार और कॉर्पोरेट ग्राहकों को अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि यह डाक स्टेशनरी और डाक परिसर जैसे विजापन माध्यमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है।

(2) विजापन को डाकघर के परिसर में विजापन के लिए चिह्नित क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) मीडिया डाक का लाभ उठाने के लिए शर्ते समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(4) मीडिया डाक के अधीन प्रभार्य दरों का उल्लेख अनुसूची 2 की सारणी 2 में किया गया है।

103. ई-डाक - (1) ई-डाक डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संचरण और भौतिक वितरण के संयोजन के साथ भारत में किसी भी पते पर संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है।

(2) ई-डाक इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी के रूप में संदेश भेजता है और इसे एक गैर-लेखादेय पत्र डाक-वस्तु के रूप में हार्ड कॉपी में प्रेषिती को वितरित किया जाएगा।

(3) यह सुविधा खुदरा ग्राहकों के साथ-साथ थोक ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है :

परंतु थोक ग्राहक ई-डाक सुविधा का लाभ उठाने के लिए डाकघर के संबंधित प्राधिकारी के साथ एक करार करेंगे।

(4) ई-डाक भेजने के लिए प्रचालन शर्ते ऐसी होंगी जो समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) ई-डाक के अधीन प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर फीस अनुसूची-॥ की सारणी-॥ में उपबंधित है।

104. ई-भुगतान- (1) ई-भुगतान डाकघर के संबंधित प्राधिकारी के साथ एक करार करके डाकघरों के माध्यम से तीसरे पक्ष के लिए बिल रकम या अन्य भुगतानों के संग्रह की सेवाएं प्रदान करता है।

(2) ई-भुगतान से संबंधित प्रचालन शर्तें और फीस ऐसे होंगे जो समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

105. रिटेल पोस्ट - (1) खुदरा डाक इन उत्पादों या सेवाओं को डाकघरों के माध्यम से अपने आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध कराकर जनसाधारण को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय और तीसरे पक्ष के उत्पादों या सेवाओं की विक्री प्रदान करेगा।

(2) विभागीय उत्पाद या सेवाएं समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(3) तीसरे पक्ष के उत्पादों या सेवाओं को संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की इकाइयों से करार करके प्रदान की जाएंगी।

(4) डाकघर की ओर से मंडल प्रमुख संबंधित पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की संस्थाओं के साथ करार करने के लिए अधिकृत है।

(5) रिटेल पोस्ट के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर शुल्क डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) रिटेल पोस्ट के लिए प्रचालन शर्तें समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

106. मैगजीन पोस्ट - (1) कोई भी प्रकाशन डाक द्वारा 'पत्रिका डाक' के रूप में प्रसारित किया जा सकेगा, यदि वह-

(क) प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51) के अधीन "नियतकालिक" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कवर किया गया है;

(ख) केवल भारत में निकाली गई, मुद्रित या प्रकाशित हुए हो;

(ग) प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51) के अधीन भारत के महाप्रेस रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हैं और प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जनरल द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हो ;

(घ) प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51) के उपबंधों का अनुपालन करता हो;

(ङ) उसके पास कम से कम 500 ग्राहकों की एक वास्तविक सूची है ; तथा

(च) न्यूनतम 500 प्रतियों एक बार में पोस्ट की जाती हों;

(2) प्रत्येक मैगजीन पोस्ट के लेखादेय डाक-वस्तु के रूप में डाक पर उल्लिखित पते पर डिलिवर किया जाएगा ।

(3) मैगजीन पोस्ट के अधीन पत्रिकाओं पर प्रभार्य डाक शुल्क के भुगतान के लिए ग्राहक द्वारा नकद भुगतान, अभी बुक करें और बाद में भुगतान (बीएनपीएल) और अग्रिम भुगतान की सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा ।

(4) मैगजीन पोस्ट के लिए प्रचालन की शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।

(5) उप-विनियम (1) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के मामले में, मैगजीन पोस्ट के अधीन प्रेषित की गई डाक-वस्तु को स्पीड पोस्ट डाक-वस्तु के रूप में माना जाएगा और प्रभारित किया जाएगा ।

(6) पत्रिकाओं की डाक पर प्रभार्य डाक की दरें अनुसूची-॥ की सारणी-IV में यथाउल्लिखित होंगी ।

अध्याय VI

अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुएं और सेवाएं

107. अंतर्राष्ट्रीय डाक - (1) अंतर्राष्ट्रीय डाक में, लेटर पोस्ट (लेटर पोस्ट) में पत्र, पोस्टकार्ड, एयरोग्राम, मुद्रित पेपर (पुस्तकें और रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र, छोटे पैकेट, नेब्रहीनों के लिए साहित्य, एम बैग वस्तुएं और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा (आईटीपीएस) जैसे बल्क बैग वस्तु शामिल होंगी ।

(2) अंतर्राष्ट्रीय डाक में, "पार्सल डाक" में अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल, अंतर्राष्ट्रीय सतह हवाई पार्सल (एसएएल) और अंतर्राष्ट्रीय सतह पार्सल जैसे डाक-वस्तु शामिल होंगे ।

(3) एक्सप्रेस मेल सेवा (ईएमएस) दुनिया भर में दस्तावेज और माल भेजने के लिए सबसे तेज सेवा होगी ।

क. लेटर पोस्ट वस्तुएं

108. पत्र (अंतर्राष्ट्रीय)- (1) ऐसा पत्र, जिसमें लिफाफे में अंतर्विष्ट संसूचना हो सकेगी और 2 किलोग्राम तक के वजन की सीमा के साथ पता होगा, विदेशों या विदेशी क्षेत्रों में प्रेषितियों या प्रेषकों को/मंगवाया या प्रेषित किया जा सकता है।

(2) पत्र निम्नलिखित अधिकतम और न्यूनतम आयामों के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

(क) अधिकतम आयाम : लंबाई, चौड़ाई और गहराई संयुक्त रूप से : 900 मिमी, किंतु सबसे बड़ा आयाम 600 मिमी से अधिक नहीं हो सकता है, 2 मिमी की सहयसीमा के साथ ; रोल प्ररूप में : लंबाई योग व्यास का दोगुना : 1,040 मिमी, किंतु सबसे बड़ा आयाम 900 मिमी से अधिक नहीं हो सकता है, 2 मिमी की सहयसीमा के साथ ;

(ख) न्यूनतम आयाम : सतह माप 90×140 मिमी न्यूनतम, 2 मिमी की सहयसीमा के साथ ; रोल प्ररूप में : लंबाई और व्यास का दोगुना : 170 मिमी ; किंतु सबसे बड़ा आयाम 100 मिमी न्यूनतम।

(3) पत्रों (अंतर्राष्ट्रीय) पर प्रभार्य डाक व्यय की दरों का उल्लेख अनुसूची-III की सारणी-। में किया गया है।

109. एयरोग्राम- (1) एयरोग्राम, जो एक प्राथमिकता वाली डाक-वस्तु है जिसमें कागज की एक शीट उपयुक्त रूप से मुड़ी हुई है और सभी तरफ से चिपकी है, विशेष रूप से वायुमार्ग से विदेशों या विदेशी क्षेत्रों में/को प्रेषितियों को या प्रेषकों से भेजा/मंगवाया जा सकेगा।

(2) मंडल प्रमुख द्वारा विनिर्दिष्ट डाकघरों द्वारा एयरोग्राम बेचा जाएगा ;
परंतु प्राइवेट विनिर्मित एयरोग्राम डाक द्वारा पारेषित नहीं किया जाएगा ।

(3) एयरोग्राम निम्नलिखित अधिकतम और न्यूनतम आयामों के अनुरूप होंगा, अर्थात् :-

(क) एक एयरोग्राम का अधिकतम आकार मोड दिए जाने पर 110×220 मिमी से अधिक नहीं होगा और उस रूप में, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के बराबर या उससे अधिक होगी, जिसे ₹ 2 (अनुमानित मूल्य : 1.4) से गुणा किया जाएगा ;

(ख) मोडे गए एयरोग्राम के लिए अनुमत न्यूनतम आकार अक्षरों के समान होगा, अर्थात् 90×140 मिमी ।

(4) एयरोग्राम पर प्रभार्य डाक की दरों का उल्लेख अनुसूची-III की सारणी-V में किया जाएगा ।

110. पोस्ट कार्ड (अंतर्राष्ट्रीय) - (1) पोस्टकार्ड 2 मिमी की सहयसीमा के साथ 120×235 मिमी के अधिकतम आयामों के साथ कागज की एक शीट पर सतह द्वारा प्रसारित एक खुला संचार है, परंतु वे बिना किसी कठिनाई के प्रसंस्करण का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर हों ; और इसका 2 मिमी की सहयसीमा के साथ 90×140 मिमी के न्यूनतम आयामों के साथ हो।

(2) डाकघरों द्वारा जारी किए गए या निजी तौर पर विनिर्मित किए गए पोस्टकार्ड विदेशों या विदेशी क्षेत्र में पारेषण के लिए स्वीकार किए जाएंगे :

किंतु प्राइवेट रूप से विनिर्मित किए गए पोस्टकार्ड आयताकार होंगे तथा डाकघर द्वारा जारी किए गए पोस्टकार्डों के लिए प्रयुक्त सामग्री तथा आयामों के समान होंगे।

(3) पोस्टकार्ड (अंतर्राष्ट्रीय) पर प्रभार्य डाक फीस की दरों का उल्लेख अनुसूची-III की सारणी-I में किया जाएगा।

111. एयरमेल पोस्टकार्ड- (1) एयरमेल पोस्टकार्ड ऐसा पोस्टकार्ड है, जिसे वायु मार्ग से पारेषित किया जाता है।

(2) विनियम 110 के उप-विनियम (1) और (2) में यथाउलिलिखित पोस्टकार्ड के उपबंध एयरमेल पोस्टकार्ड पर लागू होंगे।

(3) एयरमेल पोस्टकार्ड पर प्रभार्य डाक फीस की दरों का उल्लेख अनुसूची III के तालिका V में किया जाएगा ।

छोटा पैकेट

112. छोटे पैकेट- (1) ऐसी पत्र डाक-वस्तुएं, जिसमें कम मात्रा में सामान जैसे उपहार, बिक्री योग्य मूल्य की वस्तुएं और माल के नमूने होते हैं, उन्हें डाक द्वारा छोटे पैकेट के रूप में प्रेषित किए जा सकेंगे ।

(2) छोटे पैकेट में कोई उत्कीर्ण लेख नहीं होगा या वर्तमान और व्यक्तिगत पत्राचार की प्रकृति के दस्तावेज या प्रेषक और प्रेषिती के अलावा अन्य व्यक्तियों के बीच आदान-प्रदान किए गए कोई दस्तावेज को शामिल नहीं किया जाएगा।

(3) छोटे पैकेट पत्रों के लिए निम्नलिखित अधिकतम और न्यूनतम आयामों के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

(क) अधिकतम आयाम : लंबाई, चौड़ाई और गहराई संयुक्त रूप से : 900 मिमी, किंतु सबसे बड़ा आयाम 600 मिमी से अधिक नहीं हो सकेगा, 2 मिमी की सहयसीमा के साथ ; रोल प्ररूप में : लंबाई

योग द्व्यास का दोगुना : 1,040 मिमी, लेकिन सबसे बड़ा आयाम 900 मिमी से अधिक नहीं होगा, 2 मिमी की सहयोगीता के साथ ;

(ख) न्यूनतम आयाम : 2 मिमी की सहयोगीता के साथ 90×140 मिमी की न्यूनतम सतह; रोल प्रस्तुप में : लंबाई योग द्व्यास का दोगुना : 170 मिमी : लेकिन सबसे बड़ा आयाम 100 मिमी से कम नहीं होगा;

(4) छोटे पैकेटों का अधिकतम वजन 2 किलोग्राम और न्यूनतम वजन 100 ग्राम होगा।

(5) छोटे पैकेटों पर प्रभार्य डाक शुल्क की दरों का उल्लेख अनुसूची-III की सारणी-। में किया गया है।

113. मुद्रित कागजात- (1) लेटर पोस्ट मट्टे, जिसमें केवल समाचार पत्र होते हैं, मुद्रित पत्रों के रूप में डाक द्वारा प्रेषित किए जा सकते।

(2) कई मुद्रित कागज एक ही डाक-वस्तु में एक साथ भेजे जा सकते हैं परंतु उनमें विभिन्न प्रेषितियों के नाम और पते न हों।

(3) मुद्रित कागजात इस तरह से तैयार किए जाएंगे कि त्वरित और आसान सत्यापन की अनुमति देते समय उनकी सामग्री पर्याप्त रूप से संरक्षित हो।

(4) मुद्रित कागजात का अधिकतम वजन 2 किलोग्राम और न्यूनतम वजन 20 ग्राम होगा।

(5) मुद्रित पत्रों पर प्रभार्य डाक-शुल्क की दरों का उल्लेख अनुसूची-III की सारणी-। में किया गया है।

114. एम-बैग (बल्क बैग) - (1) एम-बैग (बल्क बैग) विशेष बैग हैं जिनमें मुद्रित कागजात, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और समान मुद्रित दस्तावेज हैं, जो एक ही प्रेषित के उसी पते के लिए चिह्नित हैं, जो विदेश या क्षेत्र में प्रेषिती या प्रेषकों से पारेषण/मंगवाने के लिए उत्कीर्ण लेख "एम" के साथ चिह्नित है।

(2) एम-बैग का अधिकतम अनुमेय वजन 30 किलोग्राम है।

(3) प्रत्येक एम-बैग के साथ प्रेषक द्वारा तैयार प्रस्तुप सीएन22 या प्रस्तुप सीएन23 होना अपेक्षित है ;

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रस्तुप CN22" या "प्रस्तुप CN23" से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट सुसंगत प्रस्तुप अभिप्रेत है।

(4) प्रत्येक एम-बैग प्रेषक द्वारा प्रदान किए गए एक आयताकार पते के लेबल से सुसज्जित किया जाएगा और प्रेषिती से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाएगी और पता लेबल पर्याप्त रूप से कठोर सामग्री से बना होगा और उसका 90 मिमी \times 140 मिमी से अधिक माप नहीं होगा।

(5) एम-बैग के लिए भुगतान किया गया डाक शुल्क बैग के पते के लेबल पर प्रदर्शित किया जाएगा और एम-बैग के लिए वजन सीमा 30 किलोग्राम तक होगी, जो देश या गंतव्य का क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम स्वीकार्य वजन सीमा, जो भी कम हो के अधीन है।

(6) एम-बैग में निम्नानुसार अन्य सामग्री भी हो सकती है :

(क) सामग्री (निर्माताओं और वितरकों द्वारा भेजे गए वाणिज्यिक नमूने, या अन्य गैर-फीस योग्य वाणिज्यिक वस्तुएं या सूचनात्मक सामग्री जो पुनर्विक्रय के अधीन नहीं हैं) सूची के रूप में संलग्न या अन्यथा मुद्रित कागजात के साथ संयुक्त हैं;

(ख) सामग्री विशेष रूप से मुद्रित कागजात से संबंधित है जिसके साथ उन्हें मेल किया जा रहा है;

(ग) प्रत्येक सामग्री का वजन जो मुद्रित पत्रों के संयोजन में है, 2 किलोग्राम से अधिक नहीं है;

(घ) एम-बैग में शामिल मुद्रित पत्रों के प्रत्येक पैकेट पर प्रेषिती का पता दर्शित किया जाएगा।

(7) एम-बैग पर प्रभार्य डाक फीस की दरों का उल्लेख अनुसूची-III की तालिका-II में किया जाएगा।

115. नेत्रहीन के लिए साहित्य (अंतर्राष्ट्रीय) - (1) नेत्रहीन के उपयोग के लिए किसी भी प्रकार के कागजात (पत्रों सहित), पत्रिकाओं, पुस्तकों और प्लेटों को "ब्रेल" या किसी अन्य विशेष प्रकार से छापे गए नेत्रहीन (नेत्रहीन साहित्य) के लिए साहित्य के रूप में प्रेषित किया जा सकेगा।

(2) नेत्रहीन के लिए साहित्य के रूप में पारेषण के लिए ध्वनि रिकॉर्ड तभी स्वीकार किए जाएंगे जब ये नेत्रहीन के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा भेजे जाते हैं/को संबोधित किए जाते हैं और भारत में ऐसे संस्थानों की एक सूची समय-समय पर प्रकाशित की जाएगी।

(3) नेत्रहीन साहित्य के लिए अधिकतम वजन 7 किलोग्राम तक होगा।

(4) नेत्रहीन के लिए साहित्य को डाक शुल्क से छूट दी जाएगी लेकिन लागू फीस का भुगतान करके सतह एयरलिफ्ट या हवाई अधिभार का लाभ उठाया जा सकेगा।

116. अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकड पैकेट सेवा (आईटीपीएस)- (1) सर्कल प्रमुख समय-समय पर उन कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पैकेट नामक डाक-वस्तु को निम्नलिखित शर्तों के अधीन बुक किया जा सकेगा, अर्थात् : -

(क) एक अंतरराष्ट्रीय ट्रैकड किए गए पैकेट का अधिकतम वजन 2 किलोग्राम होगा, परंतु उक्त सीमा को समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा;

(ख) लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 90 सेमी से अधिक नहीं होगा और सबसे बड़ा आयाम 60 सेमी से अधिक नहीं होगा।

(2) किसी अंतरराष्ट्रीय ट्रैकड पैकेट को समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए रीति से बुक, प्रेषित और डिलिवर किया जाएगा।

(3) अंतरराष्ट्रीय ट्रैकड किए गए पैकेट के लिए याहकों को छूट और मूल्य परिवर्धन समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से प्रदान किया जाएगा।

(4) अंतरराष्ट्रीय ट्रैकड किए गए पैकेट के लिए डाक शुल्क अनुसूची-III की सारणी-VIII में उल्लिखित होगा।

ख. पार्सल पोस्ट वस्तुएं

117. अंतर्राष्ट्रीय वायु पार्सल- (1) अंतर्राष्ट्रीय वायु पार्सल ट्रैक और ट्रेस सुविधा वाले सभी विश्व डाक संघ सदस्य देशों को दस्तावेजों और वाणिज्यिक माल (मर्चेंडाइज) के पारेषण का किफायती और तेज तरीका प्रदान करता है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए निम्नलिखित शर्तों के अधीन डाकघरों में बुक किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) किसी अंतरराष्ट्रीय एयर पार्सल का अधिकतम सकल भार 20 किलोग्राम होगा, जो गंतव्य देश या के राज्यक्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम स्वीकार्य वजन सीमा, जो भी कम हो या समय-समय पर संशोधित हो ; के अधीन होगा,

(ख) लंबाई से भिन्न किसी अन्य दिशा में मापी गई लंबाई और सबसे बड़ी परिधि के योग से अधिकतम आयाम 1.5 मीटर या 3 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(3) कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल पत्रों के लिए निर्धारित न्यूनतम आकार अर्थात् $90 \text{ मिमी} \times 140 \text{ मिमी}$ से छोटा नहीं होगा।

(4) किसी अंतरराष्ट्रीय एयर पार्सल को प्रशासनिक निर्देशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रीति से बुक, प्रेषित और डिलिवर किया जाएगा।

(5) अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल का डाक शुल्क अनुसूची-III की सारणी-VI में उल्लिखित होगा।

ग. इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सेवाएं (ईएमएस)

118. अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट- (1) अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट, जिसे विश्व स्तर पर एक्सप्रेस मेल सेवा (ईएमएस) के रूप में जाना जाता है, दस्तावेजों और माल के प्रसारण के लिए एक डाक एक्सप्रेस सेवा है, और औन्तिक साधनों द्वारा संभाव्य त्वरित डाक सेवा होगी।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए :-

(क) "दस्तावेजों" में किसी भी प्रकार के दस्तावेज शामिल हैं जिनमें वर्णानुसार, संख्यात्मक या तकनीकी रूप में जानकारी या डाटा शामिल हैं, जो फीस योग्य या बिक्री योग्य नहीं हैं ; और

(ख) "वाणिज्य" में डाक द्वारा प्रेषित दस्तावेजों से भिन्न कोई भी वस्तु या चीज शामिल है, जिसका बीमा अनिवार्य नहीं है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट डाक-वस्तु (ईएमएस) देश भर के सभी डाकघरों से बुक किए जा सकेंगे।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट (ईएमएस) का लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन उठाया जा सकेगा, अर्थात्-

(क) अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट का अधिकतम सकल भार 35 किलोग्राम होगा, जो गंतव्य देश या राज्यक्षेत्र द्वारा विहित अधिकतम स्वीकार्य वजन सीमा, जो भी कम हो या समय-समय पर संशोधित हो : के अधीन हैं।

परंतु किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र को या उससे आने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के भार की उच्चतर सीमा प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी;

(ख) अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के लिए डाक-वस्तु का आकार किसी एक आयाम 1.5 मीटर और लंबाई तथा लंबाई से भिन्न किसी अन्य भुजा में मापी गई परिधि का योग 3 मीटर से अधिक नहीं होगा ;

(ग) अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के लिए गाहकों को छूट और मूल्यवृद्धि, समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रदान की जाएगी;

(घ) एक अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट (ईएमएस) को प्रशासनिक निर्देशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रीति में बुक प्रेषित और डिलिवरी किया जाएगा ;

(ङ) बहुमूल्य धातुओं (सोने, चांदी, प्लेटिनम या अन्य बहुमूल्य धातुओं सहित), बहुमूल्य पत्थर (हीरे या अन्य बहुमूल्य पत्थरों सहित), आभूषण या इनमें से कोई भी संयोजन चाहे विनिर्मित हो या नहीं, सिक्के, बैंक नोट, मुद्रा नोट, धारक को देय किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियां, ट्रेवलसे चेक, बीमित एक्सप्रेस मेल सेवा द्वारा प्रेषित किए जाएंगे, और ऐसे बीमा का मूल्य ₹1,00,000 से अधिक नहीं होगा ;

परंतु ऐसी किसी भी डाक-वस्तु के संबंध में बीमा का उच्चतर मूल्य विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवाओं का डाक शुल्क अनुसूची-III की सारणी-VII में यथा उल्लिखित होगा ।

घ. अंतरराष्ट्रीय डाक से संबंधित सामान्य विनियम

119. बुकिंग : (1) अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं के लिए देय डाक शुल्क का उल्लेख अनुसूची-III में किया गया है ।

(2) सेवाओं के निलंबन की स्थिति में प्रेषक को डाक शुल्क, विशेष फीस और हवाई अधिभार वापस किया जा सकेगा ।

120. इलेक्ट्रॉनिक अग्रिम डाटा (ईएडी)- (1) माल युक्त डाक-वस्तुएं गंतव्य देश या राज्यक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक अग्रिम डाटा प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट आयात सीमा फीस और सुरक्षा आधारित अपेक्षाओं के अधीन हो सकेंगे ।

(2) इलेक्ट्रॉनिक अग्रिम डाटा का आदान-प्रदान अतिरिक्त रूप से व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा और डाटा एकसचेंजों से संबंधित अन्य तकनीकी पहलुओं के संबंध में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करारों या प्रोटोकॉल द्वारा शासित किया जा सकेगा ।

(3) प्रत्येक डाक-वस्तु जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक अग्रिम डाटा प्रदान किया जाता है, समुचित सीमा फीस घोषणा प्ररूप सीएन22 या प्ररूप सीएन23 के साथ होगा :-

(क) सीएन 22- यदि अंतरराष्ट्रीय डाक-वस्तुओं का घोषित मूल्य 300 विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) से कम या उसके बराबर है ;

(ख) सीएन 23-यदि अंतरराष्ट्रीय डाक-वस्तुओं का घोषित मूल्य 300 विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) से अधिक है, तो सीएन 23 भी प्रदान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्ररूप सीएन22" या "प्ररूप सीएन23" से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट सुसंगत प्ररूप अभिप्रेत है।

(4) अंतरराष्ट्रीय डाक भेजने वाले को वाणिज्यिक वस्तु वाले अंतरराष्ट्रीय मेल की बुकिंग के लिए अपने गाहक को जानिए (केवाईसी) दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अपने गाहक को जानिए (ईकेवाईसी) दस्तावेज प्रदान करना अपेक्षित है।

(5) इस विनियम के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक अग्रिम डेटा, सभी मामलों में, समुचित विश्व डाक संघ सीमा फीस घोषणा प्रपत्र पर प्रलेखित डाटा को दोहराएगा ।

(6) नेत्रहीन के लिए पत्राचार या डाक-वस्तुओं वाले पत्र, पोस्टकार्ड, मुद्रित कागजात (पुस्तकों से भिन्न) या लेटर पोस्ट मद, जो सीमा फीस के अधीन नहीं हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक अग्रिम डाटा अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी ।

(7) इलेक्ट्रॉनिक अग्रिम डाटा अंगीकरण के लिए अपेक्षित नियामक और सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करने के लिए निम्नलिखित डाटा तत्वों को बाध्यकारी रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिन्हें 7+1 डाटासेट के रूप में जाना जाता है :

- (क) प्रेषक का नाम
- (ख) प्रेषक का का पता
- (ग) प्रेषिती का नाम
- (घ) प्रेषिती का पता
- (ङ) पैकेजों की संख्या
- (च) कुल सकल भार (माप इकाई क्वालिफायर सहित)
- (छ) संक्षिप्त माल या कार्गो विवरण
- (ज) पहचानकर्ता

121. **पैकेजिंग-(1)** सभी डाक-वस्तुओं को सुरक्षित रूप से और इस प्रकार से बनाया जाएगा कि उस डाक-वस्तु में अन्य डाक-वस्तुओं के फंसने डाक-वस्तुओं का कोई जोखिम न हो और पैकेजिंग डाक-वस्तु के आकार, प्रकृति और परिवहन की स्थिति के अनुकूल होगी ।

(2) प्रत्येक डाक-वस्तु इस प्रकार से तैयार की जाएगी कि वह पदधारियों के स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित न करें और जिससे कोई खतरा न हो, यदि उसमें ऐसे प्रकार की डाक-वस्तुएं अंतर्विष्ट हों जिनसे उसे संभालने के लिए बुलाए गए पदधारियों को क्षति होने की संभावना हो या अन्य डाक-वस्तुओं या डाक उपकरणों को खराब करने या नुकसान पहुंचाने की संभावना हो।

(3) मूल्य वर्धित सेवाओं सहित अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं के लिए पैकेजिंग की विस्तृत शर्तें समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

122. गंतव्य देश या राज्यक्षेत्र में डिलिवरी - (1) डाक-वस्तुओं को उनकी सुसंगत विधियों या आंतरिक विनियमों के अनुसार गंतव्य देश या राज्यक्षेत्र में वितरित किए जाएंगे।

(2) डाकघर किसी डाक-वस्तु के वितरण या बिना वितरण के वापस लौटाए जाने के रीति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि यह गंतव्य देश या क्षेत्र के सुसंगत विधियों या आंतरिक विनियमों के अनुसार किया जाता है।

(3) डिलिवरी न की जा सकने वाले डाक-वस्तुओं के निरुद्ध करने की अवधि भी गंतव्य देश या क्षेत्र के सुसंगत विधियों या आंतरिक विनियमों द्वारा शासित होगी।

ड. अंतर्राष्ट्रीय मेल आइटम की अन्य विशेषताएं

123. अन्य विशेषताएँ - कोई भी जावक लेखादेय डाक-वस्तु डाकघर में प्रस्तुत की जाएगी और ऐसे वस्तु प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को रसीद दी जाएगी।

124. ट्रैक और ट्रैस सेवा - प्रत्येक लेखादेय अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तु के लिए, डाक-वस्तुओं और रिसेप्टकल्स की आवाजाही में पारदर्शिता की सुविधा के लिए वस्तु स्तर, रिसेप्टकल्स स्तर और एयरलाइन्स स्तर पर डाटा का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान उपलब्ध है, तथापि, रजिस्ट्रीकृत पत्र संबंधी वस्तुओं के लिए, गंतव्य के आंतरिक विनियमों के अनुसार कुछ गंतव्यों के लिए यह सेवा उपलब्ध नहीं है।

125. आवक अंतर्राष्ट्रीय मेल - (1) डाक द्वारा डाक-वस्तुओं के पारेशन की शर्तें समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

परन्तु यह कि घरेलू रजिस्ट्रीकृत समाचार-पत्रों से संबंधित विनियम किसी विदेश या राज्य क्षेत्र को भेजे जाने वाले समाचार-पत्रों के मामले में भी लागू माने जाएंगे।

(2) कोई भी आवक लेखादेय प्राप्तकर्ता को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि किसी प्राधिकृत व्यक्ति ने उसके लिए रसीद पर हस्ताक्षर न कर दें।

126. सुपुर्दगी लेने में असफलता - (1) यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सल का प्राप्तकर्ता, पार्सल की प्रथम प्रस्तुतीकरण की तारीख या उसके आगमन की सूचना के उसे या उसके प्राधिकृत व्यक्ति को सुपुर्दगी की तारीख के पश्चात् सात दिन के भीतर सुपुर्दगी नहीं ले पाता है, तो सुपुर्दगी के समय प्राप्तकर्ता से आठवें दिन से विलम्ब प्रभार वसूल किया जाएगा।

परंतु यह कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पार्सेल के मामले में, जिसमें वैकल्पिक पता दिया गया हो, यदि पार्सेल को मूल पते पर वितरित नहीं किया जा सकता है, तो प्रथम प्राप्तकर्ता से संदेश विलम्ब फीस वितरण के समय दूसरे प्राप्तकर्ता से भी वसूल किया जा सकेगा।

(2) यदि

- (क) आवक अंतर्राष्ट्रीय पैकेट (या बैग) या मुद्रित कागजात;
- (ख) एक आवक अंतर्राष्ट्रीय छोटा पैकेट; या
- (ग) एक आवक अंतर्राष्ट्रीय बीमाकृत पत्र या बीमाकृत बॉक्स, का प्राप्तकर्ता

इसके प्रथम प्रस्तुति की तारीख से या इसे अपने पास या अपने प्राधिकृत व्यक्ति को इसकी सूचना की डिलीवरी की तारीख से सात दिन के भीतर इसकी डिलीवरी लेने में असफल रहता है, और यदि इसका वजन 500 ग्राम से अधिक है, तो डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता से आठ दिन से विलम्ब प्रभार वसूल किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में यथाविनिर्दिष्ट विलम्ब फीस अनुसूची-III की सारणी-XI में उल्लिखित अनुसार होंगे।

127. पोस्ट रेस्टेंट पार्सेल की डिलीवरी लेने में विफलता.- (1) यदि किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई पार्सेल का प्राप्तकर्ता "पोस्ट रेस्टेंट" पते पर डिलीवरी कार्यालय में उसके पहुंचने की तारीख से सात दिनों के भीतर डिलीवरी लेने में विफल रहता है, तो डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता से आठवें दिन से विलम्ब प्रभार वसूल किया जाएगा।

(2) यदि

- (क) मुद्रित कागजात या व्यावसायिक कागजात का आवक अंतर्राष्ट्रीय पैकेट (या बैग); या
- (ख) आवक अंतर्राष्ट्रीय बीमाकृत पत्र या बीमाकृत बॉक्स, का प्राप्तकर्ता

संबोधित "पोस्ट यदि" रेस्टेंट "डिलीवरी कार्यालय में पहुंचने की तारीख से सात दिनों के भीतर डिलीवरी लेने में विफल रहता है, और यदि इसका वजन 500 ग्राम से अधिक है, तो आठवें दिन से डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता से लिया जाएगा।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट विलम्ब फीस अनुसूची-III की सारणी-XI में उल्लिखित अनुसार होंगे।

अध्याय VII

विश्व डाक सेवा

128. विश्व डाक सेवा के अंतर्गत मेल सेवाएं.- डाकघर, विश्व मेल सेवाओं के अंतर्गत डाक सेवाओं के निम्नलिखित उत्पाद की सुविधा प्रदान करेगा, अर्थात् :-

(क) घरेलू

(i) पत्र

- (ii) लेटर कार्ड
- (iii) बुक पोस्ट
- (iv) आवधिक पोस्ट
- (v) रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र
- (vi) इष्टिहीनों के लिए साहित्य
- (vii) इंडिया पोस्ट पासल
- (viii) पोस्ट कार्ड

(ख) अंतर्राष्ट्रीय

- (i) पत्र
- (ii) एरोग्राम
- (iii) पोस्ट कार्ड
- (iv) एयरमेल पोस्ट कार्ड
- (v) छोटा पैकेट
- (vi) मुद्रित पत्र
- (vii) इष्टिहीनों के लिए साहित्य
- (viii) अंतर्राष्ट्रीय हवाई पासल

अध्याय VIII

सरकारी पत्राचार

129. डाक सेवार्थ - डाकघर के अधिकारियों, डाक लेखापरीक्षा अधिकारियों और ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा, जो इस निमित प्राधिकृत किए जाएं, डाकघर की सेवा में किसी भी श्रेणी की डाक-वस्तुओं को डाक-फीस और अन्य सभी डाक-शुल्कों से मुक्त भेजा जाएगा।

130. (1) निम्नलिखित डाक-वस्तुओं का "डाक सेवार्थ" बीमा किया जा सकेगा, अर्थात् -

- (क) आंतरिक मूल्य वाले डाक-वस्तु ;
- (ख) महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे सेवा पुस्तिका, वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) फाइल, आधिकारिक फाइलें आदि;
- (ग) अन्वेषण, सतर्कता मामले, परीक्षा आदि से संबंधित दस्तावेज ; और
- (घ) अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जिन्हें बीमाकृत डाक-वस्तुओं के रूप में भेजा जाना उचित समझा जाए।

(2) निम्नलिखित डाक-वस्तुएं "डाक सेवार्थ" रजिस्ट्रीकृत की जाएंगी, अर्थात् -

- (क) महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज- वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर), आदि;

(ख) रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली मद, जैसे आरोप पत्र, आदि; और

(ग) अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जिन्हें रजिस्ट्रीकृत डाक-वस्तुओं के रूप में भेजा जाना उचित समझा जाए।

(3) स्पीड पोस्ट के अधीन भेजी गई डाक-वस्तुओं के लिए "डाक सेवार्थ" सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

131. डाक मतपत्र या निर्वाचन सामग्री- (1) भारत के निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सामग्री को समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार बुक, प्रेषित और वितरित किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के उपबंध डाक मतपत्रों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक डाक-वस्तु को इस विनियम के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक डाक-वस्तु माना जाएगा और तदनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

अध्याय IX

मूल्य संवर्धित सेवाएं

क. घरेलू डाक-वस्तुओं

132. घरेलू डाक-वस्तुओं का रजिस्ट्रीकरण- (1) प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट डाक-वस्तुओं को अनुसूची-IV की सारणी-। में उल्लिखित फीस का संदाय करके रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा:

परंतु नेत्रहीन साहित्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी।

(2) इस विनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत मद, प्राप्तकर्ता विशेष के लिए होगी तथा रसीद के आधार पर बुक की जाएगी, जिसे हस्ताक्षरित रसीद के आधार पर प्राप्तकर्ता या प्राप्तकृत व्यक्ति को सौंपा जाएगा।

(3) ऐसा कोई डाक-वस्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी, जहां डाक-वस्तु का बीमा किया गया हो या किसी विशिष्ट राशि के लिए बीमा किए जाने का आशय हो।

133. घरेलू डाक-वस्तुओं का बीमा- (1) किसी भी लेखादेय डाक-वस्तु का बीमा, एक लाख रुपए से अनधिक मूल्य के लिए, निर्धारित बुकिंग केन्द्रों या डाकघरों पर तथा अनुसूची-IV की सारणी-॥ में उल्लिखित फीस के संदाय पर किया जाएगा।

(2) जहां मुद्रा या बैंक नोट बीमाकृत डाक द्वारा भेजे जाते हैं, वहां उनका मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा।

परंतु किसी भी मामले में ऐसा मूल्य बीमाकृत डाक-वस्तु की सामग्री के वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होगा:

परंतु यह और कि बहुमूल्य धातुओं (जिनमें सोना, चांदी, प्लेटिनम या अन्य बहुमूल्य धातुएं सम्मिलित हैं), बहुमूल्य पत्थरों (जिनमें हीरा या अन्य बहुमूल्य पत्थर सम्मिलित हैं), आभूषण या तत्समय पृथक्त किसी संयोजन को देश के लागू विधि में दी गई परिभाषाओं के अनुरूप या अन्य बहुमूल्य सामग्री के रूप में सम्मिलित किया गया हो, उनका बीमा किया जाएगा और सामग्री के वास्तविक मूल्य के आधार पर बीमा किया जाएगा।

(3) डाकघर द्वारा प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट बीमा सेवा किसी तृतीय पक्ष बीमा प्रदाता के माध्यम से भी प्रदान की जा सकेगी,

(4) प्रेषक को बुकिंग के समय डाक-वस्तु पर उसकी सामग्री का वास्तविक मूल्य घोषित करना अपेक्षित होगा।

(5) जिन डाक-वस्तुओं पर बीमा प्रणाली लागू होगी, उनमें बैंक नोट, करेसी नोट, बांड, कूपन, प्रतिभूतियां, मूल्यवान डाक-वस्तुओं वाले पार्सल तथा इस प्रकार के अन्य दस्तावेज सम्मिलित होंगे।

(6) मूल्यवान दस्तावेज जैसे विलेख, योजनाएं, संविदा, हस्ताक्षर, दुर्लभ पांडुलिपियां भी बीमाकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेंगी, परंतु जहां दस्तावेजों का मूल्य उनकी बनावट की लागत के कारण हो, वहां बीमाकृत मूल्य डाकघर की अधिकतम सीमा तक हानि की स्थिति में उन्हें बदलने की लागत से अधिक नहीं होगा।

(7) बीमा में, सिवाय प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध, दंगे, नागरिक विक्षोभ, गिरफतारी या रोक या विधिक प्रक्रिया, आदेश, प्रतिबंध या किसी निषेध के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित डाक द्वारा पारेषण के क्रम में जब्ती जैसी घटनाओं के सभी प्रकार के जोखिम सम्मिलित होंगे।

(8) इस विनियम के अंतर्गत बीमाकृत डाक-वस्तु का प्रेषक, प्राप्तकर्ता या प्राधिकृत द्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित सुपुर्दग्नि का प्रमाण निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा:

परंतु यह और कि यदि रजिस्ट्रीकृत डाक-वस्तु के प्रेषक तक डिलीवरी का सदूत नहीं पहुंचता है, तो याहक की मांग पर पोस्टमास्टर या डिलीवरी डाकघर के प्रभारी अधिकारी द्वारा डिलीवरी का प्रमाण जारी किया जाएगा और प्रेषक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किया जाएगा।

(9) निम्नलिखित में से किसी भी डाक-वस्तु की क्षति के लिए बीमा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें केवल हानि के लिए, उसी तरह फीस का संदाय करने पर जैसे कि अन्य डाक-वस्तुओं के नुकसान या क्षति के लिए बीमा किया जाता है, बीमा किया जा सकता है, अर्थात्, तरल पदार्थ और पदार्थ जो आसानी से तरल हो जाते हैं, नाशवान डाक-वस्तु और भंगुर मद, जैसे कि चीनी कांच के बने पदार्थ, मेमों की माला, गामोफोन रिकॉर्ड, आदि।

(10) किसी डाक-वस्तु का प्रेषक, प्राप्तकर्ता के पक्ष में प्रतिकर के अपने दावे का परित्याग कर सकेगा।

(11) बीमाकृत डाक-वस्तुओं के लिए पैकेजिंग की विस्तृत शर्तें समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(12) बीमाकृत डाक-वस्तुओं के संबंध में प्रतिपूर्ति विनियम 74 में उल्लिखित अनुसार संदेय होगी।

134. हवाई डाक सेवा.- हवाई मार्ग से पारेषण के लिए भेजी जाने वाले डाक-वस्तुओं पर, अनुसूची-। की सारणी-॥ में उल्लिखित विनियमों के अधीन संदेय डाक और अन्य फीस के अतिरिक्त, हवाई डाक फीस लगाई जाएगी।

135. कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) डाक-वस्तु - (1) कैश ऑन डिलीवरी डाकघर द्वारा अनुसूची-IV की सारणी-!!! में उल्लिखित फीस के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जहां ऐसी डाक-वस्तु की डिलीवरी पर प्राप्तकर्ता से राशि वसूल की जानी है और प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रेषक को प्रेषित की जाएगी।

(2) निम्नलिखित शर्तों के अधीन डाक-वस्तुओं के लिए कैश ऑन डिलीवरी का लाभ उठाया जा सकता है, अर्थात् :-

- (क) खुदरा ग्राहक और ग्राहक डाकघर के संबंधित प्राधिकारी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे;
- (ख) प्राप्तकर्ता से वसूली के लिए निर्दिष्ट राशि समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी;
- (ग) ऐसे डाक-वस्तुओं में कोई निषिद्ध डाक-वस्तु नहीं है; और
- (घ) डिलीवरी पर नकद डाक-वस्तुओं का बीमा प्रेषक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

136. सुपुर्दगी का सबूत.— (1) किसी घरेलू लेखायोग्य डाक-वस्तु का प्रेषक सुपुर्दगी के सबूत की मांग कर सकेगा, जो उसे डाक-वस्तु के सुपुर्द होने पर, किसी अन्य मूल्यवर्धित सेवा के लिए डाक फीस या फीस के अतिरिक्त अनुसूची-IV की सारणी-IV में उल्लिखित फीस का संदाय करने पर प्रदान किया जाएगा;

(2) सुपुर्दगी के सबूत पर, प्रेषिती या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षर किए जाएंगे, या यदि प्रेषिती ऐसा हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, तो उसके साथ इस आशय का कथन संलग्न किया जाएगा कि प्रेषिती या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने ऐसा हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है।

परंतु महानिदेशक प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा डिलीवरी का सबूत दर्ज करने और उसे प्रेषक के साथ साझा करने के अन्य रीति विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

(3) डिलीवरी के भौतिक सबूत के मामले में, उसे लेखादेय डाक-वस्तु के रूप में संसाधित किया जाएगा।

(4) प्रेषक निर्धारित फीस का संदाय करके मूल रसीद की सत्यापित प्रति, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्राप्त कर सकेगा :

परंतु नेत्रहीन साहित्य डाक-वस्तु पर ऐसा कोई फीस नहीं ली जाएगी।

137. पी-मेलिंग कार्यकलापों से संबंधित सेवाएं - प्रत्येक डाकघर पी-मेलिंग कार्यकलापों को प्रदान करेगा, जिसमें विभिन्न डाक-वस्तुओं पर मुद्रण, संग्रहण, पता और अंकन सम्मिलित हो सकती है, जैसा कि समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा और अनुसूची-IV की सारणी-V में उल्लिखित दरों पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

ख. अंतर्राष्ट्रीय मद

138. अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तुओं का रजिस्ट्रीकरण.— (1) पत्र, पोस्ट कार्ड, छोटे पैकेट, मुद्रित कागज, एरोग्राम, इष्टिहानों के लिए साहित्य और एम-बैग को डाकघर द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले देशों या क्षेत्रों और स्थानों को प्रेषित करने के लिए किसी भी डाकघर में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा, ऐसे अपवादों के अधीन, जिन्हें समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) घरेलू डाक-वस्तुओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित उपबंध विदेशी डाक द्वारा भेजी या प्राप्त की गई रजिस्ट्रीकृत डाक-वस्तुओं पर भी समान रूप से लागू होंगे।

(3) डाक फीस के अतिरिक्त, अनुसूची-IV की सारणी-VI में उल्लिखित अनुसार अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस ली जाएगी :

परंतु इष्टिहीन साहित्य पैकेट के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी।

139. अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तुओं का बीमा- (1) अंतर्राष्ट्रीय पत्र डाक, पार्सल डाक और एक्सप्रेस मेल सेवा डाक-वस्तुओं का बीमा किसी भी डाकघर में किया जा सकेगा :

परंतु बीमा के लिए प्रस्तुत पत्र पोस्ट डाक-वस्तु को रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(2) बीमा के लिए फीस अनुसूची-IV की सारणी-VII में उल्लिखित अनुसार होगा।

(3) डाकघर द्वारा प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट बीमा सेवा किसी तृतीय पक्ष बीमा प्रदाता के माध्यम से भी प्रदान की जा सकेगी।

140. बहुमूल्य धातुओं वाले अंतर्राष्ट्रीय मद.- (1) बहुमूल्य धातुएं (जिनमें सोना, चांदी, प्लेटिनम या अन्य बहुमूल्य धातुएं सम्मिलित हैं), बहुमूल्य पत्थर (जिनमें हीरा या अन्य बहुमूल्य पत्थर सम्मिलित हैं), आभूषण या इनमें से कोई संयोजन, चाहे निर्मित हो या नहीं, सिक्के, बैंक नोट, करेंसी नोट, धारक को संदेय किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियां, यात्री चेक, प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट को छोड़कर, डाक द्वारा पारेषण के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जब तक कि प्रेषक प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा निर्दिष्ट सामग्री के वास्तविक मूल्य पर इसका बीमा करने के लिए सहमत न हो ।

(2) जहां कोई अंतर्राष्ट्रीय बीमाकृत पत्र डाक, पार्सल डाक या एक्सप्रेस मेल सेवा मद, जिसमें उप-विनियम (1) में उल्लिखित डाक-वस्तु सम्मिलित हैं, किसी ऐसे देश या राज्य क्षेत्र को भेजी जाती है जहां बीमा उपलब्ध नहीं है, ऐसी डाक-वस्तुओं का भारत की सीमाओं के भीतर घरेलू पारगमन के लिए सामग्री के वास्तविक मूल्य पर बीमा किया जाएगा।

(3) यदि कोई गैर-बीमित अंतर्राष्ट्रीय मद, जिसमें उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट मूल्य की कोई डाक-वस्तु सम्मिलित है या स्पष्ट रूप से सम्मिलित है, किसी विदेशी देश या राज्य क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो पार्सल को गंतव्य तक भेज दिया जाएगा और बीमा के लिए फीस के संदाय के अधीन प्राप्तकर्ता को, सामग्री के घोषित मूल्य पर, या सीमा फीस प्राधिकारियों द्वारा अवधारित मूल्य पर, जो भी अधिक हो, सौंप दिया जाएगा।

परंतु ऐसी डाक-वस्तु को प्राप्तकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने पर, उसे मूल देश या राज्य क्षेत्र में वापस कर दिया जाएगा।

141. पुनर्निर्देशित या लौटाई गई अंतर्राष्ट्रीय डाक-वस्तु - जहां कोई बीमाकृत अंतर्राष्ट्रीय पार्सल, जिसे अवितरणीय के रूप में पुनर्निर्देशित या लौटा दिया गया है, इस प्रकार पुनर्निर्देशित या लौटाए जाने के कारण नए बीमा फीस के अधीन भारत में प्राप्त होता है, वहां ऐसा फीस वितरण पर वसूल किया जाएगा, मानो वह डाक शुल्क बाकी हो।

142. संदेय प्रतिकर.- (1) जब कोई अंतर्राष्ट्रीय लेटर पोस्ट या पार्सल डाक डाकघर में पोस्ट किया गया हो और उसका बीमा किया गया हो और जब ऐसा पत्र या पार्सल खो जाता है या डाक द्वारा पारेषण के दौरान उसकी सामग्री निकाल ली गई हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, तो उस राशि से अधिक प्रतिकर, जिसके लिए ऐसे पत्र या पार्सल का बीमा किया गया हो, प्रेषक को संदेय होगा, सिवाय ऐसे पार्सल के

मामले में जिसके संबंध में गंतव्य देश या राज्य क्षेत्र का प्रशासन उसी के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को प्रतिकर देने का विनिश्चय करता है:

परंतु निम्नलिखित द्वारा भेजी गई या मंगाई पत्र पोस्ट, पासल पोस्ट या एक्सप्रेस मेल सेवा डाक-वस्तु के संबंध में कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा -

(क) युद्ध बंदी, या तो सीधे या बाहरहै जिनेवा कन्वेंशन अगस्त, 1949, में निर्दिष्ट राष्ट्रीय सूचना व्यूरो या केंद्रीय सूचना अभिकरण के माध्यम से युद्धबंदियों के उपचार से संबंधित;

(ख) एक युद्धरत, एक तटस्थ देश में स्वीकार और नजरबंद;

(ग) 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन में यथापरिभाषित युद्ध के समय सिविलियन ट्यूकितयों की सुरक्षा से संबंधित, सिविलियन नजरबंद, या तो सीधे या राष्ट्रीय सूचना व्यूरो के माध्यम से या उस कन्वेंशन में निर्दिष्ट केंद्रीय सूचना अभिकरण के माध्यम से ; तथा

(घ) युद्धबंदियों के संबंध में राष्ट्रीय सूचना व्यूरो या केंद्रीय सूचना अभिकरण ।

(2) जब कभी किसी प्राप्तकर्ता ने पत्र डाक, पासल डाक या एक्सप्रेस मेल सेवा डाक-वस्तुओं का वितरण लेते समय आपति दर्ज कराया हो, जिनकी अंतर्वस्तु निकाल ली गई हो या क्षतियस्त हो गई हो, या वितरण लेने के पश्चात वितरण कार्यालय के प्रशासन को तुरंत निकासी या क्षति की शिकायत कर दी हो और यह साबित कर दिया हो कि निकासी या क्षति वितरण के पश्चात नहीं हुई है, तो संदेय प्रतिकर प्रेषक को संदेय होगा और प्राप्तकर्ता को प्रतिकर के संदाय के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) जब किसी विदेशी प्रशासन द्वारा बीमाकृत कोई पत्र डाक, पासल डाक या एक्सप्रेस मेल सेवा डाक-वस्तु खो जाती है, या उसकी अंतर्वस्तु निकाल ली जाती है या क्षतियस्त हो जाती है, तो भारतीय डाकघर द्वारा प्राप्तकर्ता को उस राशि तक प्रतिकर संदेय होगा, जो उस राशि से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए उसका बीमा किया गया है, यदि वह ऐसे प्रतिकर का दावा डिलीवरी लेने में आपति दर्ज करने के पश्चात करता है और यदि उसने यह सबूत प्रस्तुत कर दिया है कि प्रेषक ने प्राप्तकर्ता के पक्ष में ऐसे प्रतिकर के अपने अधिकारों का अधित्यजन कर दिया है।

(4) संदेय प्रतिकर किसी भी मामले में डाक-वस्तु के वास्तविक मूल्य, बीमाकृत मूल्य या डाक-वस्तु की सामग्री के नष्ट हो जाने या उसे हुए नुकसान के कारण हुई हानि की राशि, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा और परिणामस्वरूप ऐसी होने वाली किसी लाभ की हानि या अन्य अप्रत्यक्ष हानि को ऐसे प्रतिकर के मूल्यांकन में ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

143. सतही हवाई परिवहन और हवाई अधिभार- (1) पत्र, छोटे पैकेट, मुद्रित कागज, इंटिहीनों के लिए साहित्य, पोस्ट कार्ड और एम-वैग किसी भी डाकघर में पारेषण के लिए स्वीकार किए जा सकेंगे-

(क) सतही हवाई मार्ग द्वारा, प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट अपवादों के अधीन, सतही हवाई मार्ग द्वारा, सतही हवाई मार्ग से परिवहन के लिए फीस के संदाय पर, अनुसूची-III की सारणी-III में यथाउलिखित;

(ख) हवाई मार्ग द्वारा, अनुसूची-III की सारणी-IV में यथाउलिखित हवाई अधिभार के लिए फीस का संदाय करके प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट अपवादों के अधीन।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट फीस डाक और अन्य लागू फीस या प्रभारों के अतिरिक्त संदेय होगा।

144. डिलीवरी की सूचना।- (1) भारत में पोस्ट की गई और किसी देश या राज्य क्षेत्र को संबोधित रजिस्ट्रीकृत पत्र-डाक मद, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सेल, बीमाकृत डाक-वस्तु या एक्सप्रेस मेल सेवा डाक-वस्तु का प्रेषक, डाक फीस और अन्य फीस के अतिरिक्त, अनुसूची-IV की सारणी-VIII में उल्लिखित दरों पर फीस का संदाय करके पोस्ट करते समय प्ररूप सीएन 07 में वितरण की सूचना के लिए आवेदन करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण:- - इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्ररूप सीएन07" से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट सुसंगत प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) जब प्रेषक किसी डाक-वस्तु की डिलीवरी की सूचना के बारे में पूछताछ करता है जो सामान्य अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है, जिसे समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, तो पूछताछ और सूचना के अनुरोध के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी।

(3) जब भारत में पोस्ट की गई और किसी ऐसे देश या राज्य क्षेत्र को संबोधित ऐसी डाक-वस्तु का प्रेषक, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य है, ने डिलीवरी की सलाह के लिए फीस का संदाय नहीं किया है और वह डाक-वस्तु के निपटान के संबंध में डाकघर से जांच कराना चाहता है, तो वह बिना किसी प्रभार के इस सेवा का हकदार होगा।

(4) इस विनियम में विनिर्दिष्ट डाक-वस्तुओं की डिलीवरी की सूचना प्रेषक को त्वरिततम माध्यम से लौटाई जाएगी, जिसमें डिलीवरी की सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान भी सम्मिलित है।

अध्याय X

धन प्रेषण सेवाएं

क. घरेलू

145. घरेलू मनीऑर्डर।- (1) मनीऑर्डर (एमओ) डाकघर द्वारा जारी किया गया एक आदेश होगा, जिसमें धनप्रेषणकर्ता द्वारा उस व्यक्ति को धनराशि का संदाय किया जाता है जिसके नाम पर मनीऑर्डर भेजा गया है।

(2) ऐसी अधिकतम राशि जिसके लिए एकल मनीऑर्डर जारी किया जा सकेगा, दस हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी और उसमें एक रुपए का अंश सम्मिलित नहीं होगा:

परंतु यह और कि किसी माह में व्यक्ति को रिटेल मनीऑर्डर के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

(3) मनीऑर्डर जारी करने पर संदेय कमीशन अनुसूची-V की सारणी-। में उल्लिखित दर पर प्रभारित किया जाएगा।

(4) प्रधानमंत्री राहत कोष, पीएम केयर्स फंड (आपात स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष या मुद्यमंत्री राहत कोष) या समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य ऐसे कोष में अंशदान की राशि प्रेषित करने के लिए मनीऑर्डर के माध्यम से धन पारेषण, कमीशन के संदाय के बिना निःशुल्क किया जाएगा।

(5) उप-विनियम (3) में कोई भी बात, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट निःशुल्क सेवा मनीऑर्डर के पारेषण को नहीं रोकेगी।

146. मनीऑर्डर की चालू अवधि।- मनीऑर्डर की चालू अवधि जारी होने के महीने के बाद दूसरे महीने के अंतिम दिन के अंत में समाप्त हो जाएगी।

147. मनीऑर्डर की श्रेणियाँ।- मनीऑर्डर निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत बुक किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) खुदरा मनीऑर्डर जिसके अधीन देश के भीतर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को धन प्रेषित किया जाएगा;

(ख) बल्क मनीऑर्डर जिसके अधीन निम्नलिखित मामलों में धन प्रेषित किया जाएगा :-

(i) जहां किसी एक व्यक्ति द्वारा कई व्यक्तियों को धन प्रेषित किया जाता है; या

(ii) जहां कई व्यक्तियों से एक व्यक्ति को धन प्रेषित किया जाता है; और

(ग) सेवा मनीऑर्डर जिसके अधीन धन विभागीय या सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रेषित किया जाएगा।

148. मनीऑर्डर की बुकिंग।- (1) धनप्रेषणकर्ता द्वारा प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार सम्यक रूप से भरा हुआ मनीऑर्डर प्ररूप, मनीऑर्डर की रकम और देय कमीशन के साथ तथा विनियम 147 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट मनीऑर्डर की दशा में विधिमान्य पहचान पत्र सहित, मनीऑर्डर सेवा का लाभ उठाने के लिए, प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) मनीऑर्डर और उसके कमीशन के लिए उसके द्वारा संदत की गई रकम के लिए धनप्रेषणकर्ता को एक रसीद दी जाएगी।

149. मनीऑर्डर का प्रेषक -

(क) लघु संदेश सेवा या किसी अन्य डिजिटल मोड के रूप में ऑर्डर की रकम के संदाय की इलेक्ट्रॉनिक सूचना; और

(ख) बुकिंग की तारीख से तीन मास के भीतर किए जा रहे ऐसे अनुरोध के अध्यधीन रहते हुए धनप्रेषणकर्ता के अनुरोध पर संदाय का प्रमाण पत्र निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा।

150. मनीऑर्डर का संदाय।- (1) मनीऑर्डर का संदाय सामान्यतः आदाता के पते पर किया जाएगा,-

(क) आदाता को; या

(ख) आदाता द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को।

(2) यदि मनीऑर्डर का आदाता अवयस्क या निरक्षर है, या उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति ऐसी है जिससे धन प्राप्त करने का साक्ष्य प्रदान करने में असमर्थ है, तो संदाय के लिए आदाता की पहचान को ऐसी रीति से, जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। सत्यापित किया जाएगा।

151. मनीऑर्डर का पुनर्निदेशन।- (1) यदि आदाता पहचान प्रमाण के साथ प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अनुरोध करता है तो आदाता के किसी अन्य पते पर निःशुल्क मनीऑर्डर पुनर्निदेशित किया जा सकेगा।

(2) मनी ऑर्डर में आदाता के नाम में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा।

(3) मनीऑर्डर को ऐसी स्थिति में रोका जा सकेगा और धनप्रेषणकर्ता को निःशुल्क लौटाया जा सकेगा, यदि धनप्रेषणकर्ता प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अनुरोध करता है, जब तक कि डिलिवरी डाकघर उसे डिलिवरी के लिए डाकिया को जारी नहीं करता है, और ऐसी दशा में, मनीऑर्डर की रकम, उसके कमीशन के सिवाय, धनप्रेषणकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

(4) किसी भी दशा में, डाकघर धनप्रेषणकर्ता के अनुरोध के अनुसार मनीऑर्डर के संदाय को रोकने में असमर्थता या असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(5) यदि किसी मनीऑर्डर का आदाता उसे प्रस्तुत करने पर संदाय लेने से इनकार करता है, तो मनीऑर्डर की रकम उसके कमीशन के सिवाय, धनप्रेषणकर्ता को वापस कर दी जाएगी:

परन्तु यदि आदाता जो उसे प्रस्तुत किए जाने पर संदाय लेने में असमर्थ है, मनीऑर्डर के प्रतिधारण के लिए जो प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, आवेदन करता है या आदाता मनीऑर्डर पर दिए गए पते पर नहीं पाया जाता है तो मनीऑर्डर आदाता को, यथास्थिति, प्रस्तुत किए जाने की तारीख से या संदाय के लिए भेजे जाने की तारीख से अनधिक सात दिन की अवधि के लिए डाकघर में प्रतिधारित किया जाएगा और यदि आदाता सात दिन की उक्त अवधि के भीतर डाकघर से मनीऑर्डर का संदाय लेने में असफल रहता है, तो मनीऑर्डर सात दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के तुरंत पश्चात् आने वाले पहले कार्य दिवस पर धनप्रेषणकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

(6) यदि मनीऑर्डर के आदाता की मृत्यु हो चुकी है, तो मनीऑर्डर की रकम प्रेषणकर्ता को वापस कर दी जाएगी:

परन्तु कि मनीऑर्डर के प्रेषणकर्ता का निधन हो गया है, मनीऑर्डर की रकम प्रेषणकर्ता के विधिक उत्तराधिकारी को, जो प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संदत की जाएगी।

152. मनीऑर्डर के संबंध में डाकघर के दायित्व से छूट।- (1) डाकघर धनप्रेषणकर्ता द्वारा आदाता के नाम और पते के रूप में गलत या अपूर्ण जानकारी दिए जाने के कारण मनीऑर्डर के गलत संदाय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) मनीऑर्डर के संदत हो जाने के पश्चात्, चाहे वह संदाय के लिए हो या न हो, डाकघर किसी अतिरिक्त दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

153. अपरिदत मनीऑर्डर।- अपरिदत मनीऑर्डर प्रेषणकर्ता को वापस दिया जाएगा और मनीऑर्डर की रकम उसके कमीशन के सिवाय धनप्रेषणकर्ता को संदत की जाएगी।

154. अमान्य मनीऑर्डर।- जब, किसी कारण से, कोई मनीऑर्डर, या तो आदाता को या धनप्रेषणकर्ता को उसके जारी होने के मास के पश्चात् दूसरे मास के अंत तक असंदत रहता है, तो इसे जारी करने के कार्यालय द्वारा अमान्य माना जाएगा।

155. मनीऑर्डर रकम का समपहरण।- बुकिंग की तारीख से तीन वर्ष से अधिक समय तक असंदत मनीऑर्डर की रकम या मूल्य समपहरण कर लिया जाएगा और उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसी रकम या मूल्य को भारत सरकार के राजस्व के रूप में माना जाएगा।

156. सेवा का निलंबन।- किसी विशेष डाकघर या डाकघरों के समूह द्वारा विशेष परिस्थितियों में मनीऑर्डरों की सेवाओं को सर्कल प्रमुख द्वारा लिखित आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकेगा।

157. पोस्टल ऑर्डर.— (1) वह रकम जिसके लिए एकल पोस्टल ऑर्डर जारी किया जा सकेगा, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये या एक सौ रुपये के मूल्यवर्ग में होगी।

(2) वह रकम जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक-भारतीय पोस्टल ऑर्डर जारी किया जा सकेगा, दस रुपये होगी।

(3) पोस्टल ऑर्डर के संबंध में लिया जाने वाला कमीशन अनुसूची-V की सारणी-॥ में यथाउलिखित होगा।

(4) दृष्टी हुई रकम को पोस्टल ऑर्डर के पटल के भाग पर अप्रयुक्त डाक टिकटों को चिपकाकर जिसकी संख्या चार से अधिक नहीं होगी, या जहां उस ओर का स्थान पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे वाले भाग पर चिपकाकर पूरा किया जा सकेगा :

परंतु प्रत्येक ऑर्डर पर चिपकाए गए टिकटों की कुल रकम नौ रुपये से अधिक नहीं होगी और ऑर्डर पर देय कुल रकम एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसा व्यक्ति जिसको पोस्टल ऑर्डर जारी किया जाता है, उसे देने से पहले अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी अन्य भाषा में नाम भरेगा और ऑर्डर के खो जाने या चोरी होने के विरुद्ध पूर्वोपाय के रूप में संदाय के कार्यालय का नाम भरने की सिफारिश की जाती है।

(6) यहां तक की जहां बैंक के माध्यम से संदाय के उद्देश्य से पोस्टल ऑर्डर रेखांकित किया जाता है, आदाता का नाम भरा जाएगा।

158. मुद्रा अवधि.— (1) जारी करने के मास के अंतिम दिन से चौबीस मास के भीतर प्रस्तुत किए गए पोस्टल ऑर्डर, दूसरे कमीशन के बिना भुनाये जा सकेंगे।

(2) जहां पोस्टल ऑर्डर जारी करने के मास के अंतिम दिन से चौबीस मास के भीतर संदाय के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अनुसूची-V की सारणी-॥ में उल्लिखित दर पर दूसरा कमीशन प्रभारित किया जाएगा, जिसे पोस्टल ऑर्डर के पीछे चिपकाए गए डाक टिकट में या नकद रसीद के माध्यम से संदत किया जाएगा।

159. समपहरण.— जारी करने के मास के अंतिम दिन के पश्चात् छतीस मास से परे प्रस्तुत पोस्टल ऑर्डर समपहत कर लिया जाएगा और संदत नहीं किया जाएगा।

160. पोस्टल ऑर्डर का प्रतिसंदाय.— (1) पोस्टल ऑर्डर का क्रेता, इसे जारी करने के मास के अंतिम दिन से चौबीस मास के भीतर, उस डाकघर में जहां से पोस्टल ऑर्डर खरीदा गया था, पोस्टल ऑर्डर और प्रतिपर्ण को प्रस्तुत करने पर उसके मूल्य का प्रतिसंदाय, किन्तु कमीशन को छोड़कर। प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) क्रेता इसके मूल्य का प्रतिसंदाय, जारी करने के मास के अंतिम दिन से चौबीस मास के पश्चात् किन्तु छतीस मास के पश्चात् नहीं, यदि अनुसूची-V की सारणी-॥ में यथाउलिखित दर पर दूसरा कमीशन संदत किया जाता है, का हकदार होगा।

(3) यदि बैंक के माध्यम से संदाय के लिए प्रेषित ऑर्डर को क्रेता पहले पोस्टल ऑर्डर के पटल पर "कृपया नकद संदाय करें" शब्द लिखकर और अपने आद्याक्षर जोड़कर रेखन को रद्द कर देगा।

(4) आदाता को एक बार पोस्टल ऑर्डर संदत करने के पश्चात् डाकघर किसी भी अतिरिक्त दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

161. आदाता का नाम आवश्यक,- बैंक द्वारा संदाय के लिए प्रस्तुत किए जाने पर भी पोस्टल ऑर्डर का संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आदाता का नाम पोस्टल ऑर्डर के मुद्य भाग में नहीं डाला गया हो।

162. बैंक के माध्यम से संदाय. - यदि कोई पोस्टल ऑर्डर रेखांकित किया गया है, तो संदाय केवल बैंक के माध्यम से किया जाएगा, और यदि बैंक का नाम जोड़ा जाता है, तो संदाय केवल उसी बैंक के माध्यम से किया जाएगा।

163. रेखांकित (क्रॉस्ड) पोस्टल ऑर्डर का संदाय. - यदि कोई पोस्टल ऑर्डर, जिस पर बैंक का नाम अंकित हो या न हो, बैंक द्वारा या उसके माध्यम से संदाय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके मुद्य पृष्ठ पर ऐसे बैंक का नाम लिखा हुआ या मुहर लगी हुई है, वह नाम पोस्टल ऑर्डर की रकम के लिए पर्याप्त रसीद के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा और पोस्टल ऑर्डर बिना किसी अन्य रसीद के संदर्भ किया जा सकेगा।

164. कटे-फटे पोस्टल ऑर्डर. - यदि पोस्टल ऑर्डर में कोई कांट-छांट या परिवर्तन किया जाता है, या यदि काट दिया जाता है, विरुपित या विकृत हो जाता है, तो उसका संदाय अस्वीकार किया जा सकेगा।

165. इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल ऑर्डर. - विनियम 157 के उपविनियम (2) और विनियम 158 और विनियम 159 में उल्लिखित उपबंध इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल ऑर्डर पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

ख. अन्तर्राष्ट्रीय

166. विदेशी मनीऑर्डर.- (1) विदेशी मनीऑर्डर निम्नलिखित प्रवर्ग के होंगे, अर्थात्:-

- (क) इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर; और
- (ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली या यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरकलेक्शन प्लेटफॉर्म (यूपीयू-आईपी) के माध्यम से पश्च अंतरण।

(2) प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट देश और राज्यक्षेत्र जिनके साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार करके प्रत्येक प्रकार के मनीऑर्डर का आदान-प्रदान किया जाता है।

(3) भागीदार डाक देशों या राज्यक्षेत्रों के साथ विदेशी मनीऑर्डर करार को केंद्रीय सरकार द्वारा सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक विदेशी मनीऑर्डर को, प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट, सेवा के लिए फीस के साथ प्रेषित की जाने वाली रकम के संदाय पर बुक किया जाएगा।

(5) दो भागीदार देशों या राज्यक्षेत्रों के बीच विदेशी मनीऑर्डर के आदान-प्रदान के लिए प्रचालन और अन्य सामान्य शर्तें केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएंगी।

(6) एक कैलेंडर वर्ष में मनीऑर्डर के माध्यम से धनप्रेषणकर्ता द्वारा किए गए प्रेषण की अधिकतम और न्यूनतम रकम और संख्या वह होगी जो प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट

की जाए।

167. विदेशी मनीऑर्डर के प्रेषक को सूचना - विदेशी मनीऑर्डर का प्रेषक फीस का संदाय करके, प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपने संदाय की सूचना प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी फीस विदेशी मनीऑर्डर पर प्रभार्य फीस के अतिरिक्त होगी।

168. संदाय के लिए प्रेषक द्वारा नाम या पता परिवर्तित करना .- (1) विदेशी मनीऑर्डर का प्रेषक, द्वितीय फीस के संदाय द्वारा, मनीऑर्डर गंतव्य पर संदत किए जाने तक शर्तों के अनुसार, प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट, आदाता का नाम या पता परिवर्तित कर सकेगा।

(2) धनप्रेषणकर्ता, विदेशी मनीऑर्डर का संदाय रोक सकेगा, यदि संदाय नहीं किया जा सका है, और शर्तों के अनुसार, प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अनुरोध कर सकेगा कि प्रेषित रकम वापस कर दी जाए।

(3) डाकघर को किसी भी दशा में उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अधीन प्रेषक के अनुरोध को पूरा करने में असमर्थता के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, किन्तु ऐसी दशा में दूसरी फीस वापस कर दी जाएगी।

169. आवक विदेशी मनीऑर्डर.- (1) आवक विदेशी मनीऑर्डर का संदाय, धरेलू इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर की रीति से, सिवाय प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट, भुगतान किया जाएगा।

(2) विदेशी आवक मनीऑर्डर, अपरिदेय होने के कारण, मूल देश या राज्यक्षेत्र को वापस कर दिया जाएगा।

(3) विदेशी आवक मनीऑर्डर, गंतव्य देश या राज्यक्षेत्र द्वारा अपरिदेय के रूप में वापस किए जाने पर, धनप्रेषणकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

(4) धनप्रेषणकर्ता को मनीऑर्डर वापस करने में असमर्थता की स्थिति में, मनीऑर्डर पर विनियम 154 और विनियम 155 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय XI

व्यावसायिक समाधान

क. अभी बुक करें बाद में भुगतान करें

170. अभी बुक करें बाद में भुगतान करने की सुविधा।—(1) कॉरपोरेट ग्राहक, जो डाकघर के संबंधित प्राधिकरण के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करते हैं, अभी बुक करें बाद में भुगतान करें (बीएनपीएल) सुविधा के अधीन प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वस्तुओं पर डाक और अन्य फीस या प्रभार के संबंध में क्रेडिट सुविधा के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण: इस उपविनियम के प्रयोजनों के लिए "कॉरपोरेट ग्राहक" से अभिप्रेत है, जो प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट जो एकल या एकाधिक अवस्थानों पर बुकिंग कार्यालय में एक कैलेंडर मास में न्यूनतम व्यावसायिक मूल्य का डाक-शुल्क और अन्य फीस या प्रभार प्रदान करता है।

(2) क्षेत्रीय प्रमुख को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट, डाक और अन्य फीस या प्रभारों का मासिक व्यवसाय प्रदान करने की सीमा को शिथिल करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(3) सर्कल या क्षेत्र के भीतर एकाधिक अवस्थानों पर बुकिंग के साथ बुक अभी करें, बाद में संदाय करें (बीएनपीएल) की सुविधा चाहने वाले ग्राहकों के लिए पात्रता, प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट, सभी अवस्थानों को सम्मिलित करते हुए, मासिक व्यवसाय होगी:

परंतु अपवाद के मामले में, यथास्थिति, सर्कल प्रमुख या क्षेत्रीय प्रमुख के अनुमोदन से ऐसे मामलों में सीमा शिथिल की जा सकेगी :

171. अनुमोदन के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी।—(1) प्रभागीय प्रमुख को क्रेडिट सुविधा के अधीन कॉरपोरेट ग्राहक के नामांकन को अनुमोदित करने और समय-समय पर, नामनिर्दिष्ट कार्यालय और नामनिर्दिष्ट स्थान विनिर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा, जहां क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे ग्राहक की वस्तुओं को उनकी अधिकारिता के अधीन आने वाले अन्य सभी मामलों के संबंध में बुक किया जा सकेगा या मंगवाया जा सकेगा।

(2) जनरल डाकघर (जीपीओ) या प्रथम वर्ग प्रधान डाकघर (एचओ) की दशा में, उपविनियम (1) के अधीन प्रभागीय प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग, यथास्थिति, निदेशक या मुख्य डाकपाल द्वारा किया जा सकेगा।

(3) संबंधित सर्किल या क्षेत्र के सर्किल प्रमुख या क्षेत्रीय प्रमुख किसी सर्किल या क्षेत्र के भीतर एकाधिक स्थानों पर बुकिंग के साथ बुक अभी करें, बाद में संदाय करें (बीएनपीएल) सुविधा चाहने वाले ग्राहक से संबंधित मामलों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होगा।

ख. राष्ट्रीय खाता सुविधा (एनएएफ)

172. राष्ट्रीय खाता सुविधा.—(1) जिन ग्राहकों को एक से अधिक सर्किल से अपनी वस्तुओं को भेजने की आवश्यकता होती है, वे, वस्तुओं पर डाक और अन्य फीस या प्रभार के संबंध में राष्ट्रीय खाता सुविधा के लिए पात्र होंगे, जो प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) राष्ट्रीय खाता सुविधा के तहत ग्राहक को नामांकित करने के लिए पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया, वह होगी जो प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

ग. अधिम संदाय

173. अधिम संदाय की सुविधा.—(1) संविदात्मक ग्राहक, जो डाकघर के संबंधित प्राधिकारी के साथ करार करता है, वस्तुओं पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट डाक और अन्य फीस या प्रभारों के संबंध में अधिम संदाय सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। बशर्ते कि बुकिंग डाटा ऐसे ग्राहक द्वारा बुकिंग कार्यालय को विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप-विधान में उपलब्ध कराया गया हो।

(2) अधिम संदाय के तहत ग्राहक को नामांकित करने के लिए पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया वह होगी, जो प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

आध्याय XII

सहयोग के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले उत्पाद और सेवाएं

174. नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए डाकघर नेटवर्क.—(1) डाकघर, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी मंत्रालय या विभाग द्वारा दी जाने वाली नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदान करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत निवंधनों और शर्तों के अनुसार अपना नेटवर्क उपलब्ध कराएगा।

(2) भागीदारी या करार करने वाले डाकघर का संबंधित प्राधिकारी, पारस्परिक रूप से सहमत निवंधनों और शर्तों के अनुसार राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या निजी संस्थाओं की नीतियों के प्रचार या कार्यान्वयन संबंधी उत्पाद या सेवा प्रदान करेगा।

(3) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के अनुसार इन भागीदारियों या करार के प्रचालन के लिए प्रभार, प्रचालन और लेखा प्रक्रियाएं, महानिदेशक द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार होंगी।

अध्याय XIII

विविध

क. पिनकोड़

175. पोस्टल इंडेक्स नंबर.- (1) पिन कोड (पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड) डाकघर के साथ मैप किए गए क्षेत्र-विशेष के लिए छह अंकों का पोस्टकोड है, जो अपने अधिकारिता के अधीन परिदान के लिए डाक वस्तु प्राप्त करता है।

(2) पिन कोड समय-समय पर महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) डाक द्वारा पारेषण के लिए, प्रत्येक डाक वस्तु पर पिन कोड लिखना अनिवार्य होगा।

ख. दूर से प्रबंधित फ्रैकिंग मशीन

176. फ्रैकिंग मशीनें.- (1) ऐसे विकेताओं और मॉडलों की फ्रैकिंग मशीनें (दूरस्थ रूप से प्रबंधित), जो महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत हैं, का उपयोग केवल वस्तुओं पर उचित डाक मूल्य फ्रैक करने के लिए किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "फ्रैकिंग मशीन" से महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत ऐसी मशीन अभिप्रेत है, जो एक अद्वितीय फ्रैक छाप के माध्यम से किसी डाक वस्तु के संबंध में डाक के संदाय के लिए एक आनुकूलिक ढंग प्रदान करती है और क्रेडिट या डाक मूल्य अपलोड करने के लिए सर्वर के माध्यम से दूरस्थ अवस्थान से प्रबंधित की जा सकती है और इसे "दूरस्थ रूप से प्रबंधित फ्रैकिंग मशीन" भी कहा जाता है।

(2) डाकघर किसी गैर-अनुमोदित मॉडल या दोषपूर्ण मशीन की खरीद या मशीन को हुई क्षति के कारण अनुजप्तिधारी को हुई किसी भी क्षति या हानि को वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, संगठन या प्राधिकरण वस्तुओं पर डाक मूल्य को फ्रैक करने के लिए फ्रैकिंग मशीन का उपयोग करने के लिए अनुजप्ति ले सकेगा।

(4) प्रभागीय प्रमुख या डाकघर के स्वतंत्र राजपत्रित डाकपाल, जो प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली कतिपय फीसों पर फ्रैकिंग मशीन (आरएमएफएम) का उपयोग करने के लिए अनुजप्ति जारी करने हेतु अनुजापन प्राधिकारी होंगे।

(5) अनुजापन प्राधिकारी को, फ्रैकिंग मशीन का उपयोग करने के लिए जारी की गई अनुजप्ति को जारी करने या नवीनीकृत करने या निलंबित करने या रद्द करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(6) अनुजापन प्राधिकारी किसी भी समय सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए अनुजप्ति जारी करने या नवीनीकरण से इनकार करने और अनुजप्ति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रख सकेगा।

(7) फ्रैंक डाक केवल अनुजप्ति जारी करने के समय पर पहचान किए गए नामनिर्दिष्ट डाकघर में प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) किसी विशेष दिन पर फ्रैंक की गई डाक को उसी तारीख को या अगले कार्य दिवस पर (यदि विशेष परिस्थितियों के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो) डाक के विवरण के साथ नामनिर्दिष्ट डाकघर में प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु अनुजापन प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों के अधीन और लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, डाकघर में फ्रैंक डाक की प्रस्तुति की अवधि को शिथिल कर सकेगा।

(9) फ्रैंकिंग मशीन (आरएमएफएम) के संबंध में कार्य करने की प्रक्रिया, रिचार्ज करने और जांच करने की शर्तें, वह होगी जो प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।

177. वार्षिक रूप से विनियमों का अद्यतन संस्करण जारी करना।- इन विनियमों में किए गए सभी संशोधनों को संकलित किया जा सकेगा और इन विनियमों के अद्यतन संस्करण को आगामी वर्ष के जनवरी मास में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें किसी विशेष वर्ष के दौरान किए गए सभी संशोधन सम्मिलित होंगे।

178. डाक प्रचालन आदेश।- (1) इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले सभी कार्यपालक या प्रशासनिक आदेश, भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा आदेशों अर्थात् “डाक प्रचालन ऑपरेशन आदेश” या “पीओ आदेश” के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

(2) जारी किए गए सभी डाक प्रचालन आदेशों को भी अर्थवार्षिक आधार पर संकलित किया जाएगा और ऐसे संकलन क्रमशः जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के दौरान जारी किए गए आदेशों के लिए क्रमशः जुलाई और जनवरी के मास में जारी किए जाएंगे।

अध्याय XIV

डाक जीवन बीमा

179. बीमा सेवाएं।- (1) संचार मंत्रालय में डाक विभाग द्वारा प्रदान की गई जीवन बीमा या किसी अन्य बीमा सहित बीमा सेवाओं का प्रशासन, संबंधित निधियों के साथ, महानिदेशक में निहित होगा, जो ऐसी बीमा सेवाओं के प्रचालन के लिए प्रशासनिक अनुदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

(2) जीवन बीमा या डाकघर द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य बीमा सहित बीमा सेवाओं के नीतिगत मामलों को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय XV

वित्तीय सेवाएं

180. वित्तीय सेवाओं के लिए प्रशासनिक अनुदेश :- डाकघर के माध्यम से प्रदान की गई बचत स्कीम के लिए प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक सिद्धांत और प्रशासनिक अनुदेश, वे होंगे जो महानिदेशक द्वारा तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन केंद्रीय सरकार के अनुदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जारी किए जाएं।

अनुसूची ।

घरेलू वस्तुओं के लिए डाक शुल्क और फीस

[विनियम 17(2), विनियम 46(1), विनियम 47(1), विनियम 55(1), विनियम 71, विनियम 73(3), विनियम 88(16), विनियम 90(2), विनियम 91(3), विनियम 92 (3), विनियम 94(5), विनियम 95(3), विनियम 96(11), विनियम 98(2) और विनियम 134 देखें]

सारणी ।

नीचे उल्लिखित वस्तुओं पर डाक की निम्नलिखित दरें प्रभार्य होंगी:-	
(क) पत्र	
(i) बीस ग्राम से अधिक वजन के लिए	₹ 5/-
(ii) प्रत्येक बीस ग्राम या उसके अंश के लिए	₹ 5/-
(ख) पत्र कार्ड	
पत्र कार्ड के लिए	₹ 2.50/-
(ग) पोस्टकार्ड	
पोस्टकार्ड के लिए	50 पैसे
(घ) ड्रुक पोस्ट	
(i) पहले पचास ग्राम या उसके अंश के लिए	₹ 4/-
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त पचास ग्राम या उसके अंश के लिए पचास ग्राम से अधिक	₹ 3/-
(ङ) आवधिक पोस्ट	

(i) ₹ 1/- से ₹ 20/- मूल्य तक के आवधिक के लिए	पहले 100 गाम और उसके भाग के लिए ₹ 2/- और प्रत्येक अतिरिक्त 100 गाम और उसके भाग के लिए ₹ 3/-
(ii) ₹ 21/- से ₹ 50/- मूल्य तक के आवधिक के लिए	पहले 100 गाम और उसके भाग के लिए 4/- रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त 100 गाम और उसके भाग के लिए 5/- रुपये
(iii) 51/- रु. और उससे अधिक मूल्य की आवधिक पत्रिकाओं के लिए	प्रथम 100 गाम और उसके भाग के लिए 8/- रु. तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 गाम और उसके भाग के लिए 9/- रु.
(च) नेत्रहीनों के लिए साहित्य	
नेत्रहीनों के लिए साहित्य को डाक महसूल से छूट दी जाएगी	
(छ) रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र	
(क) रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र की एकल प्रति की दशा में	
(i) पचास गाम से अधिक वजन के लिए	25 पैसे
(ii) पचास गाम से अधिक किन्तु एक सौ गाम से अनधिक वाले वजन के लिए	50 पैसे
(iii) प्रत्येक अतिरिक्त एक सौ गाम या उसके एक सौ गाम से अधिक अंश के लिए	20 पैसे
(छ) किसी रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र के एक ही अंक की एक से अधिक प्रतियां एक ही पैकेट में रखे जाने की	
दशा में:-	
(i) 100 गाम से अधिक वजन के लिए	50 पैसे
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त एक सौ गाम या उसके एक सौ गाम से अधिक अंश के लिए।	20 पैसे
परंतु कि ऐसा पैकेट किसी प्राप्तकर्ता के निवास पर नहीं दिया जाएगा, किंतु डाकघर में किसी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को दिया जाएगा।	

सारणी II

एवर मैल फीस (घरेलू)	
भारत में किसी भी डाकघर में हवाई मार्ग से पैदल हेतु अंजी गई वस्तुओं पर संदेश डाक महसूल और अन्य फीस के अतिरिक्त प्रभार्य हवाई डाक फीस	पहले पचास ग्राम के लिए 2/- रु. या उसका अंश, तथा प्रत्येक अतिरिक्त पचास ग्राम या उसके अंश के लिए 1/- रु.

सारणी III

भारतीय डाक पार्सल - रिटेल				
(i) पांच सौ ग्राम से अधिक वजन के लिए	36.00			
(ii) प्रत्येक पांच सौ ग्राम या उसके 500 ग्राम से अधिक अंश के लिए।	16.00			
भारतीय डाक पार्सल - संविदागत				
वजन स्लैब	2 किलोग्राम तक	5 किलोग्राम तक प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलोग्राम के लिए	5 किलोग्राम से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलोग्राम के लिए	
दूरी				
स्थानीय	45 रु.	12 रु.	14 रु.	
राज्य के अंदर	80 रु.	20 रु.	22 रु.	
पड़ोसी राज्य	100 रु.	25 रु.	28 रु.	
अन्य राज्य	115 रु.	30 रु.	32 रु.	
मेट्रो और राज्यों की राजधानी के मध्य	105 रु.	25 रु.	28 रु.	
राज्यीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली/गाजियाबाद/नोएडा/येटर नोएडा/फरीदाबाद	70 रु.	15 रु.	18 रु.	
• वशर्त कि इसे राज्य या पड़ोसी राज्य में कवर न किया गया हो।				

सारणी IV

स्पीड पोस्ट दस्तावेज़ और पार्सन						
क्र.सं.	वजन	स्थानीय	200 किमी तक	201 से 1000 कि.मी. तक	1001 से 2000 कि.मी. तक	2000 किलोमीटर से अधिक
(1)	50 ग्राम तक	15 रु.	35 रु.	35 रु.	35 रु.	35 रु.
(2)	51 ग्राम से 200 ग्राम तक	25 रु.	35 रु.	40 रु.	60 रु.	70 रु.
(3)	201 ग्राम से 500 ग्राम तक	30 रु.	50 रु.	60 रु.	80 रु.	90 रु.
(4)	अतिरिक्त 500 ग्राम या उसका भाग	10 रु.	15 रु.	30 रु.	40 रु.	50 रु.

सारणी V

घरेलू मर्दों के लिए प्रतिकर	
(i) मद की परिदान में देरी की स्थिति में संदेय प्रतिकर	
स्पीड पोस्ट (घरेलू)	स्पीड पोस्ट संदत डाक महसूल
(ii) हानि या मद की क्षति या आशिक क्षति की स्थिति में संदेय प्रतिकर	
स्पीड पोस्ट (घरेलू)	स्पीड पोस्ट द्वारा संदत की गई डाक महसूल का दोगुना या 1000रु., जो भी वास्तविक मूल्य पर निर्भर करते हुए कम हो।
रजिस्ट्रीकृत मद	100 रु. या खोए या क्षतिग्रस्त माल या सामग्री का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो।

सारणी VI

पुनः निदेशन

किसी मद को वापस मंगाने, या उसके प्राप्तकर्ता के पते या नाम में परिवर्तन करने के लिए प्रभार्य फीस	छह रुपये प्रति मद
--	-------------------

सारणी VII

नीचे विनिर्दिष्ट उभरा हुआ (एम्बॉसड) लिफाफा और रजिस्ट्रीकरण लिफाफे निम्नलिखित कीमतों पर बेचे जाएंगे, अर्थात्:	
उभरे हुए लिफाफे	
प्रत्येक (घरेलू) लिफाफे के लिए	5/- रु.
रजिस्ट्रीकरण लिफाफे	
(i) प्रत्येक छोटे लिफाफे के लिए	22/- रु. + 50 पैसे स्टेशनरी फीस
(ii) प्रत्येक बड़े लिफाफे के लिए	22/- रु. + 1/-स्टेशनरी फीस

सारणी VIII

निम्नलिखित दरें उन मद के परिदान पर लागू होंगी, जहां डाक महसूल या हवाई मेल फीस अद्यिम संदत नहीं किया गया है या अपर्याप्त रूप से अद्यिम संदत किया गया है :	
(1) किसी असंदत मद पर	अद्यिम संदत दर दोगुनी करें
(ii) अपर्याप्त संदत मद पर	कमी दोगुनी हो जाएगी
परंतु कि वास्तव में लिया जाने वाला डाक महसूल या हवाई डाक फीस किसी भी स्थिति में एक रुपये से कम नहीं होगा।	

सारणी IX

पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग

(ए) पोस्ट बॉक्स या बैग यदि अलग से लिया जाए	
(i) यदि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए किराए पर दिया गया हो	150
(ii) तीन कैलेंडर मास या उसके भाग के लिए, यदि पूर्ण वित्तीय वर्ष से कम अवधि के लिए किराए पर दिया गया हो।	50

(बी) पोस्ट बॉक्स और बैग को एक साथ मिलाकर समान या अलग संख्या में	
(i) यदि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए किराए पर दिया गया हो	250
(ii) तीन कैलेंडर मास या उसके भाग के लिए, यदि पूर्ण वित्तीय वर्ष से कम अवधि के लिए किराए पर दिया गया हो।	80

अनुसूची ॥

अन्य डाक मर्दों के लिए डाक महसूल और फीस
 [विनियम 102(4), 103(5) और 106(6) देखिए]

सारणी ।

डायरेक्ट पोस्ट			
डायरेक्ट पोस्ट मद 1 की कीमत	प्रति मद 20 ग्राम		प्रति मद
	स्थानीय	इंटर सिटी	
	1.50 रु.	2.00 रु.	प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उसके भाग के लिए स्थानीय और अंतर-शहरी दोनों के लिए 1 रुपए

सारणी ॥

मीडिया पोस्ट				
मीडिया	दर (प्रति कीमत)		विज्ञापन स्थान (से.मी. में)	न्यूनतम ऑर्डर की मात्रा बहु रंग के एक मिलियन नग के लिए
	एकल रंग	बहु रंग		
पोस्ट कार्ड	10 पैसे	20 पैसे	3*2.2	विज्ञापन
पत्र कार्ड	15 पैसे	30 पैसे	9*2.5	एकल रंग के 0.5 मिलियन नग के लिए
एरोग्राम	20 पैसे	40 पैसे	4*5.5	विज्ञापन
लिफाफे		30 पैसे	9*2.5	
मनीऑर्डर फॉर्म	10 पैसे		2*4.25	1 मिलियन
डाकघर बचत पासबुक	10 पैसे		9*2.25	0.5 मिलियन

सारणी III

ई-पोस्ट	
	छाक महसूल
खुदरा	(क) ए4 आकार के कागज पर प्रति पृष्ठ रु.10/- + जीएसटी 18% - जब संदेश डाकघर के माध्यम से भेजा जाता है (ख) रु.6/-+जीएसटी 18% प्रति पृष्ठ - यदि ग्राहक अपने स्वयं के परिसर का उपयोग करता है
नियमित	(क) ए4 आकार के कागज पर प्रति पृष्ठ रु.6/-+ जीएसटी 18% (ख) ए4 आकार के कागज पर प्रति पृष्ठ 5 रुपये + जीएसटी @ 18% - यदि कोई कॉर्पोरेट ग्राहक एक बार में 50 या अधिक संदेश भेजता है
संदेश (अलेक से एक) (संदेश प्राप्तकर्ता के ईमेल बॉक्स में भेजा जाएगा)	(क) प्रथम प्रेषक के लिए ए4 आकार के प्रति पृष्ठ रु.5/- + जीएसटी @ 18% (ख) रु.5/-+जीएसटी @ 18% प्रति अनुलग्नक (1 एमबी तक) (ग) प्रत्येक आगामी प्रेषक के लिए रु.5/- + जीएसटी 18%
संदेश (अलेक से एक) (संदेश प्राप्तकर्ता के ईमेल बॉक्स में भेजा जाएगा)	(क) प्रथम 10 प्राप्तकर्ता के लिए ए4 आकार के प्रति पृष्ठ रु.5/- + जीएसटी @ 18% (ख) रु.5/-+जीएसटी @ 18% प्रति अनुलग्नक (1 एमबी तक) (ग) अगले 11 से 20 प्रत्येक आगामी प्राप्तकर्ता के लिए 3/-+ जीएसटी 18%

सारणी IV

मैगजीन पोस्ट			
क्र. सं.	विवरण	200 ग्राम तक	प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके भाग के लिए
(i)	पोस्टिंग स्थानों के नगरपालिका क्षेत्र के बाहर वितरित की जाने वाली मैगजीन के लिए	रु 12/-	रु. 3/-
(ii)	(ii) पोस्टिंग स्थानों के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर वितरित की जाने वाली मैगजीन के लिए	रु 8/-	रु 3/-

अनुसूची III

अंतर्राष्ट्रीय मर्दों के लिए डाक महसूल और फीस

[विनियम 31(2), 72(1), 78(3), 108(3), 109(4), 110(3), 111(3), 112(5), 113(5), 114(7), 116(4), 117(5), 118(4), 119(1), 126(3), 127(3) और 143(1) देखिए]

सारणी ।

सतह मार्ग से भेजी जाने वाली डाक मर्दों पर, जहां डाक महसूल पूर्व संदत किया गया है, निम्नलिखित डाक महसूल लागू होगा, अर्थात् -				
क्र. सं.	उत्पादों का नाम	देश का नाम	आर स्लैब	दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पत्र	संयुक्त राज्य अमेरिका	क. पहले 20 ग्राम तक ख. प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उसके 2000 ग्राम तक के भाग के लिए	32.00 22.00
		संयुक्त राज्य अमेरिका के सिवाय सभी देशों के लिए	क. पहले 20 ग्राम तक ख. प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उसके भाग के लिए 2000 ग्राम, क. प्रथम 100 ग्राम तक	25.00 15.00
2.	छोटे पैकेट	संयुक्त राज्य अमेरिका	क. प्रथम 100 ग्राम तक ख. प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके 2000 ग्राम तक के भाग के लिए	115.00 105.00
		संयुक्त राज्य अमेरिका के सिवाय सभी देशों के लिए	क. प्रथम 100 ग्राम तक ख. प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके 2000 ग्राम तक के भाग के लिए।	80.00 70.00
3.	मुद्रित कागज	संयुक्त राज्य अमेरिका	क. पहले 20 ग्राम तक ख. प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उसके 2000 ग्राम तक के भाग के लिए	35.00 25.00

		संयुक्त राज्य अमेरिका के सिवाय सभी देशों के लिए	क. पहले 20 ग्राम तक ख. प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उसके 2000 ग्राम तक के आग के लिए	27.00 17.00
4.	नेप्रहीनों के लिए साहित्य संबंधी पैकेट	सभी देशों के लिए		डाक महसूल से छूट प्राप्त
5.	पोस्ट कार्ड (एकल)	पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान		8.00
		एपीपीयू देश (पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के सिवाय)		10.00
		यूपीयू देश (एपीपीयू देशों के सिवाय)		12.00

सारणी II

जब डाक महसूल पूर्व संदर्भ किया जाता है तो मुद्रित सामग्री के एम बैग के सकल भार पर निम्नलिखित डाक महसूल दरे लागू होंगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	उत्पादों का नाम	देश का नाम	भार स्तर	दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एम बैग	सभी देशों के लिए	(क) 5 किंवा वजन से अधिक नहीं	700
			(ख) पति किया या 5 किया से अधिक 30 किया तक का आग	150

सारणी III

सतही वायु-परिवहन (एसएएल) मेल द्वारा भेजी जाने वाली डाक मर्दों के लिए सामान्य सतही मेल दरों के अतिरिक्त निम्नानुसार फीस प्रभार्य होंगी :-

क्र. सं.	सेक्टर	प्रत्येक 20 ग्राम या उसके भ्राग की फीस (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	एशिया के देश	3.00
2.	यूरोप के देश	4.00

3.	अफ्रीका के देश	4.00
4.	उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के देश	7.00
5.	दक्षिण अमेरिका के देश	9.00

सारणी IV

वायु द्वारा भेजी जाने वाली डाक मर्दाँ के लिए, सामान्य सतह मेल दरों से अतिरिक्त वायु अधिभार फीस निम्नानुसार प्रभारित होगी, :-

क्र. सं.	सेक्टर	प्रत्येक 20 ग्राम या उसके भाग की फीस (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	एशिया के देश	4.00
2.	यूरोप के देश	5.00
3.	अफ्रीका के देश	5.00
4.	उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के देश	8.00
5.	दक्षिण अमेरिका के देश	10.00

सारणी V

क्र. सं.	उत्पादों के नाम	देश का नाम	दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वायु मेल डाक कार्ड	पाकिस्तान, नेपाल, बांगलादेश और भूटान	10.00
		अन्य देश	15.00
2.	ऐरोग्राम	अन्य देशों के लिए	20.00

सारणी VI

वायु पार्सल -देशों/क्षेत्रों की सूची तथा डाक महसूल

क्र. सं.	देश/क्षेत्र	डाक महसूल (आईएनआर में)	
		पहले 250 ग्रा.	अतिरिक्त 250 ग्रा. या भाग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ऑस्ट्रेलिया	1005	170
2	कर्नाटक	1125	165
3	चीन	860	85
4	फ्रांस	1170	80
5	जर्मनी	1520	85
6	ग्रेट ब्रिटेन	1470	125
7	इंडिया	925	80
8	इटली	990	80
9	जापान	905	95
10	कोरिया (गणराज्य)	985	80
11	मलेशिया	835	70
12	न्यूज़ीलैंड	1130	195
13	रूसी फेडरेशन	1455	120
14	सऊदी अरब	655	60
15	सिंगापुर	825	70
16	स्पेन	1080	90
17	श्रीलंका	610	45
18	स्विट्जरलैंड	880	115
19	संयुक्त अरब अमीरात	660	50
20	संयुक्त राज्य अमेरिका	955	175
21	अफगानिस्तान	1030	100
22	अल्बानिया	935	130
23	एलजीरिया	855	125

24	अंगोला	885	130
25	अण्टीगुआ और बारबूडा	800	290
26	अरूबा	865	230
27	अर्जेन्टीना	1100	255
28	आर्मेनिया	1205	155
29	ऑस्ट्रिया	1090	100
30	आजरबाइजान	1075	160
31	बहामास	840	245
32	बहरीन	735	60
33	बांग्लादेश	600	50
34	बारबाडोस	810	270
35	बेलारूस	1275	175
36	बेल्जियम	1510	120
37	बेलीज	1150	260
38	बेनिन	800	170
39	भूटान	870	50
40	बोलीविया	1230	320
41	बोस्निया और हर्जेगोविना	920	130
42	बोत्सवाना	1260	155
43	ब्राजील	1135	250
44	ब्रुनेई दारएस्सलाम	625	120
45	बुल्गारिया (गणराज्य)	815	95
46	बुर्किना फासो	1005	165
47	बुर्झंडी	1235	180
48	कंबोडिया	645	70
49	कैमरून	990	160
50	केप वर्ड	1040	175
51	केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य	1055	150
52	चेड	850	150

53	चिली इंस्टर	1020	420
54	चिली	1210	325
55	हांगकांग	1225	90
56	मकाऊ	1190	105
57	कोलंबिया	1095	290
58	कोमोरोस	835	190
59	कांगो (गणराज्य)	880	200
60	कोस्टा रिका	1220	330
61	कोटे डी आइवर गणराज्य	1110	230
62	क्रोएशिया	740	105
63	क्यूबा	930	255
64	साइप्रस	910	110
65	चेक रिपब्लिक	845	115
66	कोरिया लोकतांत्रिक, जन गणराज्य	995	115
67	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	1105	185
68	डेनमार्क	1140	115
69	जिबूटी	970	205
70	डोमिनिका	840	245
71	डोमिनिकन गणराज्य	720	270
72	इक्वेडोर	1005	280
73	मिस्र	930	110
74	अल साल्वाडोर	810	260
75	इक्वेटोरियल गिनी	595	135
76	इरिट्रिया	870	110
77	इथियोपिया	625	115
78	फिजी	975	260
79	फिनलैंड	1365	110

80	फ्रैंच गुयाना	1410	235
81	फ्रैंच पोलिनेशिया	1480	365
82	ग्वाडेलोप	1405	225
83	मार्टीनिक	1405	260
84	न्यू कैलेडोनिया	1640	385
85	री-यूनियन	1440	265
86	सेंट पियरे और मिकेलॉन	1375	190
87	वालीस और फ़्युटुना	1215	370
88	गैंबॉन	965	175
89	गान्धिया	1065	170
90	जॉर्जिया	1185	105
91	घाना	1210	170
92	एंगुइला	810	260
93	एसेन्शन	800	225
94	बरमूडा	1130	270
95	केमैन द्वीप	1035	285
96	फॉकलैंड द्वीप (माल्विनास)	1045	320
97	जिब्राल्टर	790	160
98	मॉटेरेसाट	865	225
99	पिटकर्न द्वीप	1460	425
100	सेंट हेलेना	900	260
101	ट्रिस्टन दा कुहना	825	275
102	तुर्क और कैकोस द्वीप	780	225
103	ब्रिटिश वर्जिन द्वीप	815	260
104	बीस	880	110
105	ग्रेनेडा	905	235
106	ग्वाटेमाला	870	295
107	गिनी	940	185

108	गिनी-बिसाऊ	1230	170
109	गुआना	960	280
110	हैती	850	235
111	हॉंडुरास गणराज्य	920	285
112	हंगरी	1100	120
113	आइसलैंड	1535	160
114	इंडोनेशिया	920	135
115	ईरान (इस्लामिक गणराज्य)	1190	80
116	इराक	645	80
117	आयरलैंड	930	135
118	जमैका	920	280
119	जॉर्डन	665	85
120	कजाकिस्तान	1185	115
121	केन्या	815	115
122	किरिबाती	935	285
123	कुवैत	750	65
124	किर्गिजस्तान	855	145
125	लाओस जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य	840	130
126	लातविया	745	130
127	लेबनान	820	85
128	लेसोथो	980	160

129	लाइबेरिया	820	190
130	लीबिया राज्य	815	150
131	लिथुआनिया	1035	130
132	लक्समबर्ग	1000	115
133	मेडागास्कर	1260	190

134	मलावी	1080	190
135	मालदीव	760	65
136	माली	1000	200
137	माल्टा	945	125
138	मॉरिटानिया	1115	195
139	मॉरीशस	790	115
140	मेकिस्को	840	255
141	मोलदोवा	1010	115
142	मंगोलिया	960	110
143	मॉटेनेग्रो	1045	130
144	मोरक्को	980	170
145	मोज़ाम्बिक	1265	185
146	म्यांमार	655	55
147	नामिबिया	930	165
148	नाउरु	840	250
149	नेपाल	550	40
150	नीदरलैंड	1020	125
151	निकारागुआ	960	295
152	नाइजर	810	170
153	नाइजीरिया	1125	165
154	नॉर्वे	1570	130
155	ओमान	805	55
156	पाकिस्तान	680	70
157	पनामा (गणराज्य)	745	260
158	पापुआ न्यू गिनी	1560	330
159	परागुआ	800	280
160	पेरू	1135	315

161	फिलिपींस	630	105
162	पोलैंड	1085	120
163	पुर्तगाल	1275	155
164	कतर	690	60
165	रोमानिया	1310	120
166	रवांडा	965	200
167	सेंट क्रिस्टोफर और नेविस	875	240
168	सेंट लूसिया	875	235
169	सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस	965	245
170	समोआ	925	290
171	साओ टोम और प्रिंसिपे	790	160
172	सेनेगल	800	170
173	सर्बिया	1080	150
174	सेशल्स	840	215
175	सेरा लिओन	890	185
176	स्लोवाकिया	800	105
177	स्लोवेनिया	835	110
178	सोलोमन द्वीप	865	235
179	सोमालिया	550	110
180	दक्षिण अफ्रीका	995	160
181	सूडान	1045	190
182	सूरीनाम	760	235
183	एस्वतीनी	840	165
184	स्वीडन	1300	115
185	सीरियाई अरब गणराज्य	690	110
186	तजाकिस्तान	905	155
187	तंजानिया (संयुक्त गणराज्य)	945	205

188	ताइवान	1070	100
189	थाईलैंड	790	75
190	उत्तर मैसेडोनिया	855	130
191	तिमोर लेस्ते (लोकतांत्रिक गणराज्य)	720	120
192	टोगो	875	150
193	टॉगा (नुआफो'ओउ सहित)	885	250
194	त्रिनिदाद और टोबैगो	765	280
195	दयूनीशिया	1065	150
196	टर्की	1200	125
197	तुर्कमेनिस्तान	815	150
198	तुवालू	830	260
199	युगांडा	935	190
200	यूक्रेन	1440	130
201	उरुग्वे	1310	280
202	उज्बेर्किस्तान	1585	170
203	वानुअतु	830	250
204	वेटिकन	905	120
205	वेनेजुएला	830	250
206	वियतनाम	695	90
207	यमन	655	110
208	जाम्बिया	915	205
209	जिम्बाब्वे	1140	220
210	कुराकाओ	1030	225
211	एस्तोनिया	940	130
212	लिकटैस्टाइन	1240	370
213	बोनेयर, सिंट यूस्टेटियस और सबा	1000	220
214	कुक आइलैंड	1285	270

215	फिलिस्तीन	705	70
216	सिंट मार्टेन	815	190
217	दक्षिण सूडान	780	205
218	जर्सी	1395	135
219	मैयट	1400	220

तालिका VII

अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट की डाक शुल्क संरचना (ईएमएस)

क्र. सं.	देश/महाद्वीप/उपमहाद्वीप	दस्तावेज़		व्यापार	
		प्रथम 250ग्राम या उसका भाग (भारतीय रूपया)	प्रत्येक अतिरिक्त 250ग्राम या उसके भाग के लिए (भारतीय रूपया)	प्रथम 250 ग्राम या उसका भाग भारतीय रूपया	प्रत्येक अतिरिक्त 250ग्राम या उसके भाग के लिए भारतीय रूपया
1	अफगानिस्तान	1390	100	1390	100
2	अर्जेटीना	1345	295	1345	295
3	ऑस्ट्रेलिया	1125	230	1125	230
4	ऑस्ट्रिया	1430	95	1430	95
5	बहरीन	1415	50	1415	50
6	बांग्लादेश	765	50	765	50
7	बारबाडोस	1330	270	1330	270
8	बेलोरूस	1450	100	1450	100
9	बेल्जियम	1430	110	1430	110
10	बरम्बूडा	1050	215	1050	215
11	भूटान	910	70	910	70
12	बोस्निया और हर्जेगोविना	1205	150	1205	150
13	बोत्सवाना	1500	130	1500	130

14	ब्राज़िल	1595	230	1595	230
15	द्रूनेझ दारूस्सलाम	750	120	750	120
16	बुल्गारिया	1200	85	1200	85
17	कंबोडिया	730	65	730	65
18	कर्नाटा	1180	180	1180	180
19	केप वर्ड	1345	230	1345	230
20	केम्बन द्वीपसमूह	1360	235	1360	235
21	चीन	680	115	680	115
22	क्यूबा	1340	225	1340	225
23	साइप्रस	1310	110	1310	110
24	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	1490	160	1490	160
25	डेनमार्क	2190	100	2190	100
26	इक्वेडोर	1370	290	1370	290
27	मिस	1190	75	1190	75
28	अल साल्वाडोर	1810	315	1810	315
29	इरिट्रिया	1440	110	1440	110
30	एस्तोनिया	1280	130	1280	130
31	इथियोपिया	1570	100	1570	100
32	फिजी	980	240	980	240
33	फिनलैंड	1615	90	1615	90
34	फ्रांस - फ्रेंच एंटिलीज के लिए (ग्राडेलूप, मार्टीनिक), रीयूनियन, कोर्सिका, न्यू कैलेडोनिया, मैयट, फ्रेंच पोलिनेशिया, सेंट पियरे एट मिकेलॉन	4140	340	4140	340
35	फ्रांस - शेष फ्रांस	1275	105	1275	105
36	जॉर्जिया	1425	120	1425	120

37	जर्मनी	1860	80	1860	80
38	घाना	1760	140	1760	140
39	येट ब्रिटेन	1965	90	1965	90
40	यीस	1450	85	1450	85
41	गुयाना	1810	280	1810	280
42	हांगकांग	1230	90	1230	90
43	हंगरी	1455	90	1455	90
44	आइसलैंड	2350	125	2350	125
45	इंडोनेशिया	1200	90	1200	90
46	ईरान (इस्लामिक गणराज्य)	1445	80	1445	80
47	इराक	920	80	920	80
48	आयरलैंड	1610	120	1610	120
49	इजराइल	1690	80	1690	80
50	इटली	1530	105	1530	105
51	जापान	700	80	945	80
52	जॉडन	1435	70	1435	70
53	कजाखस्तान	1650	110	1650	110
54	केन्या	1455	90	1455	90
55	कोरिया (गणराज्य)	1685	70	1685	70
56	कुवैट	1040	50	1040	50
57	लातविया	1075	130	1075	130
58	लिथुआनिया	1200	150	1200	150
59	लक्समबर्ग	1150	105	1150	105
60	मकाउ	1430	90	1430	90
61	मलावी	1175	190	1175	190
62	मलेशिया	1610	60	1610	60
63	मालदीव	1165	50	1165	50

64	मॉरीशस	1210	110	1210	110
65	मेकिसिको	1605	235	1605	235
66	मंगोलिया	1170	110	1170	110
67	मोरक्को	1480	180	1480	180
68	नामिबिया	1000	140	1000	140
69	नाउरू	1025	165	1025	165
70	नेपाल	670	40	670	40
71	नीदरलैंड	1375	105	1375	105
72	न्यूजीलैंड	1040	270	1040	270
73	नाइजर	1180	195	1180	195
74	नाइजीरिया	1310	140	1310	140
75	उत्तर मैसेडोनिया	1265	150	1265	150
76	नॉर्वे	2250	100	2250	100
77	ओमान	1395	40	1395	40
78	पाकिस्तान	885	70	885	70
79	पनामा (गणराज्य)	1610	245	1610	245
80	पापुआ न्यू गिनी	1585	220	1585	220
81	फिलिपींस	1180	70	1180	70
82	पोलैंड	1205	90	1205	90
83	पुर्तगाल	1115	130	1115	130
84	कतर	1340	100	1340	100
85	रोमानिया	1250	80	1250	80
86	रूसी संघ	1040	120	1040	120
87	रवांडा	1340	100	1340	100
88	सऊदी अरब	1535	60	1535	60
89	सेनेगल	1270	160	1270	160
90	सिंगापुर	1175	65	1175	65

91	दक्षिण अफ्रीका	1310	195	1310	195
92	स्पेन - कैनरी द्वीप	2180	120	2180	120
93	स्पेन - शेष स्पेन	1425	120	1425	120
94	श्रीलंका	790	55	790	55
95	सूडान	1450	120	1450	120
96	स्वीडन	2220	95	2220	95
97	स्विट्जरलैंड	1910	105	1910	105
98	ताइवान	810	80	810	80
99	तंजानिया	1590	100	1590	100
100	थाईलैंड	1095	60	1095	60
101	ट्रिनीशिया	1345	120	1345	120
102	टक्की	1030	85	1030	85
103	युगांडा	1460	95	1460	95
104	यूक्रेन	1695	130	1695	130
105	संयुक्त अरब अमीरात	1400	40	1400	40
106	संयुक्त राज्य अमेरिका	1820	150	1820	150
107	वियतनाम	800	70	800	70
108	यमन	800	110	800	110

तालिका VIII

अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्टर पैकेट सेवा (आईटीपीएस) की डाक शुल्क संरचना

क्रम सं.	देश/महाद्वीप/उपमहाद्वीप	प्रथम 100 ग्राम या उसका भाग (रुपये में)	प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके भाग के लिए (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अरूबा	340	60
2.	ऑस्ट्रेलिया	425	45
3.	बेलोरूस	325	40
4.	भूटान	350	20
5.	कनाडा	400	35
6.	कंबोडिया	355	20
7.	चिली	350	65
8.	चीन	305	20
9.	कुराकाओ	340	55
10.	डोमिनिकन गणराज्य	340	55
11.	मिस्र	310	25
12.	एस्टोनिया	340	30
13.	फ्रांस	335	30
14.	जॉर्जिया	305	20
15.	जर्मनी	290	25
16.	जिब्राल्टर	325	40
17.	ग्रेट ब्रिटेन	360	25
18.	हांगकांग	290	25
19.	इंडोनेशिया	360	25
20.	जापान	360	30
21.	जर्सी	335	35
22.	कोरिया (गणराज्य)	360	25

23.	लिथुआनिया	310	25
24.	मलेशिया	355	25
25.	मंगोलिया	375	35
26.	मोरक्को	325	40
27.	म्यांमार	305	20
28.	नीदरलैंड	330	30
29.	न्यूजीलैंड	430	55
30.	ओमान	315	15
31.	फिलिपींस	360	25
32.	सिंगापुर	355	25
33.	सोलोमन द्वीप	340	55
34.	श्रीलंका	350	20
35.	स्वालबार्ड और जान मायेन	320	35
36.	थाईलैंड	355	20
37.	तुवालू	345	60
38.	यूक्रेन	315	25
39.	संयुक्त अरब अमीरात	300	15
40.	संयुक्त राज्य अमेरिका	550	45
41.	वियतनाम	355	25

तालिका IX

अंतर्राष्ट्रीय मदों के लिए प्रतिकर

मदों के गुम हो जाने की स्थिति में संदेय प्रतिकर:-

उत्पाद का नाम	प्रतिकर
रजिस्ट्रीकृत मद	अंतर्वस्तु का घोषित मूल्य या 30 एसडीआर जो भी कम हो और भुगतान किया गया डाक शुल्क।
अंतर्राष्ट्रीय पार्सल	40 एसडीआर प्रति मद जमा 4.5 एसडीआर प्रति किलोग्राम या अंतर्वस्तु का घोषित मूल्य, जो भी कम हो, 130 एसडीआर की अधिकतम सीमा जमा संदत किए गए डाक शुल्क के अध्यधीन।
अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस मेल सेवा (ईएमएस मर्चेंडाइज)	अंतर्वस्तु सामग्री के घोषित मूल्य या 130 एसडीआर (जो भी कम हो) जमा संदत डाक शुल्क तक सीमित।
अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस मेल सेवा (ईएमएस दस्तावेज)	केवल संदत डाक शुल्क तक सीमित।
अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा (आईटीपीएस)	अधिकतम सीमा रु. 1000/- या क्षतियस्त या गुम हुई सामग्री का वास्तविक घोषित मूल्य, जो भी कम हो।

(ii) मदों की क्षति या आंशिक क्षति की स्थिति में संदेय प्रतिकर:-

उत्पाद का नाम	प्रतिकर
रजिस्ट्रीकृत मद	गुम हुई या क्षतियस्त अंतर्वस्तु के घोषित मूल्य तक सीमित। टिप्पण 1: किसी भी मामले में, यह राशि हानि, पूर्ण चोरी या पूर्ण क्षति के मामले में अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकृत मद के लिए उल्लिखित तत्समान रकम से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: इस मामले में प्रेषक द्वारा संदत डाक शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय पार्सल	गुम हुई या क्षतियस्त अंतर्वस्तु के घोषित मूल्य तक सीमित। टिप्पण 1: किसी भी मामले में, यह राशि हानि, पूर्ण चोरी या पूर्ण क्षति के मामले में अंतर्राष्ट्रीय पार्सल के लिए उल्लिखित तत्समान रकम से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: इस मामले में प्रेषक द्वारा संदत डाक शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस मेल सेवा (ईएमएस मर्चेंडाइज)	गुम हुई या क्षतिग्रस्त अंतर्वस्तु के घोषित मूल्य तक सीमित। टिप्पणि 1: किसी भी मामले में, यह राशि हानि, पूर्ण चोरी या पूर्ण क्षति के मामले में एक्सप्रेस मेल सेवा (अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट) माल के लिए उल्लिखित तत्समान रकम से अधिक नहीं होगी। टिप्पणि 2: इस मामले में प्रेषक द्वारा संदत डाक शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस मेल सेवा (ईएमएस दस्तावेज)	केवल संदत डाक शुल्क तक सीमित।
अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा (आईटीपीएस)	रु. 1000/- तक सीमित या गुम हुई सामग्री का वास्तविक घोषित मूल्य जो भी कम हो

तालिका X

विदेश डाक द्वारा प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मर्चों के परिदान पर निम्नलिखित दरें तब प्रभार्य होंगी, जब डाक या हवाई मेल शुल्क का अधिम संदाय नहीं किया गया हो या अपर्याप्त रूप से अधिम संदाय किया गया हो:

(i) जब डाक या हवाई मेल शुल्क का अधिम संदाय न किया गया हो	पूर्व संदत दर का दुगना
(ii) जब डाक या हवाई मेल शुल्क का अधिम संदत अपर्याप्त रूप से किया गया हो	कमी का दुगना
परंतु वास्तविक रूप से प्रभारित डाक या हवाई डाक शुल्क किसी भी दशा में एक रूपये से कम नहीं होगा।	

तालिका XI

क्र.सं.	विलंब शुल्क प्रभार	
अंतरराष्ट्रीय एयर पार्सेल के लिए विलंब शुल्क प्रभार		
1.	विलंब शुल्क प्रभार आठवें दिन से आरंभ होकर, प्रेषिती से संबंधीत किया जाएगा, यदि अंतरराष्ट्रीय एयर पार्सेल का प्रेषिती उसके प्रथम प्रस्तुतिकरण की तारीख या उसके आगमन की सूचना के उसे या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को परिदान की तारीख के बाद सात दिनों के भीतर परिदान लेने में विफल रहता है।	प्रतिदिन एक रुपया (अधिकतम चौबीस रुपए और पचास पैसे के अध्ययन)
2.	विलंब शुल्क प्रभार आठवें दिन से आरंभ होकर, प्रेषिती से संबंधीत किया जाएगा, यदि "पोस्ट रेस्टार्ट" पते वाले किसी अंतरराष्ट्रीय एयर पार्सेल का प्रेषिती उसके प्रथम प्रस्तुतिकरण की तारीख या उसके आगमन की सूचना के उसे या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को परिदान की तारीख के बाद सात दिनों के भीतर परिदान लेने में विफल रहता है।	प्रतिदिन एक रुपया
आवक अंतरराष्ट्रीय पैकेट (या बैग) अथवा मुद्रित पेपर अथवा आवक अंतरराष्ट्रीय छोटा पैकेट अथवा आवक अंतरराष्ट्रीय बीमित पत्र अथवा बीमित बॉक्स के लिए विलंब शुल्क प्रभार		
3.	विलंब शुल्क, आठवें दिन से शुरू होकर, परिदान के समय प्राप्तकर्ता से संबंधीत किया जाएगा, यदि (क) किसी आवक अंतरराष्ट्रीय पैकेट (या थैला) या मुद्रित कागज या (ख) किसी आवक अंतरराष्ट्रीय छोटा पैकेट या (ग) किसी आवक अंतरराष्ट्रीय बीमाकृत पत्र या बीमाकृत बॉक्स का प्रेषिती, इसकी पहली प्रस्तुति की तारीख के बाद या उसके आगमन की सूचना के लिए उसे या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को परिदान की तारीख से सात दिनों के भीतर इसका परिदान लेने में विफल रहता है, और यदि इसका वजन 500 ग्राम से अधिक है।	दस रुपए प्रतिदिन
4.	विलंब शुल्क प्रभार, आठवें दिन से आरंभ होकर, परिदान के समय प्रेषिती से संबंधीत किया जाएगा, यदि (क) मुद्रित कागजों या आवक अंतरराष्ट्रीय पैकेट (या थैले), या (ख) आवक अंतरराष्ट्रीय छोटा पैकेट, या (ग) "पोस्ट रेस्टार्ट" पते वाले आवक अंतरराष्ट्रीय बीमाकृत पत्र या बीमाकृत बॉक्स का प्रेषिती परिदान के कार्यालय में उसके पहुंचने की तारीख से सात दिनों के भीतर उसका परिदान लेने में विफल रहता है, और यदि उसका वजन 500 ग्राम से अधिक है,	दस रुपए प्रतिदिन

तालिका XII

सीमाशुल्क निकासी	
सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी के लिए, सीमा शुल्क उद्घाटन करने के बाद जारी किए जाने पर, प्रेषिती से निम्नलिखित दर पर शुल्क संग्रहीत किया जा सकेगा	
(क) प्रत्येक विदेश पत्र पैकेट या बीमाकृत बॉक्स के लिए, तथा (ख) ऐसी मुद्रित सामग्री के प्रत्येक विदेश पार्सल या थोक बैग के लिए जिसका वजन 500 ग्राम से अधिक है,	तीस रुपए तीस रुपए

अनुसूची IV

मूल्य वर्धित सेवाएं

[विनियम 132(1), 133(1), 135(1), 136(1), 137, 138(3), 139(2) और 144(1) देख]

घरेलू

तालिका I

घरेलू मर्दों का रजिस्ट्रीकरण	
डाक शुल्क के अतिरिक्त, किसी भी मर्द के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभारी शुल्क	रु. -/17
अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने का शुल्क	
रजिस्ट्रीकरण मर्द के लिए प्रेषिती द्वारा हस्ताक्षरित मूल रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए शुल्क	दो रुपए

तालिका II

बीमा शुल्क (घरेलू)	
डाक शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क के अतिरिक्त, बीमा के लिए प्रभार्य अतिरिक्त शुल्क निम्नानुसार हैं:	
(i) स्पीड पोस्ट पार्सल के बीमा के लिए:	
(क) बीमित मूल्य 200रु. तक	4 रु.
(ख) बीमाकृत मूल्य 200 रु. से अधिक	4 रु. + 200 रु. से अधिक बीमित मूल्य का 1.50%
(ii) स्पीड पोस्ट पार्सल के अतिरिक्त अन्य मर्दों की बीमा के लिए:	
(क) जब बीमाकृत मूल्य 200/- रु. से अधिक न हो	10रु.
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 100/- रु. या 200/- रु. से अधिक उसके अंश के लिए	6/-रु.

तालिका III

परिदान के समय नकद भुगतान (सीओडी)	
प्रेषिती से वसूल की जाने वाली राशि	शुल्क की अनुसूची
6,500/ रु. तक	वसूल की गई राशि का%1.6
6, 500/- रुपये से अधिक	रु. 100/- + 6,500/-रु. से अधिक राशि का 1%

तालिका IV

परिदान का सबूत	
मर्दों के परिदान के प्रमाण पर संदेय शुल्क	डाक शुल्क एवं अन्य लागू शुल्क के अतिरिक्त प्रति मद दस रुपए।

तालिका V

मेन भेजने से पहले की गतिविधियाँ

क्रम सं.	गतिविधि	दरें (रुपये में)	
		अ-रजिस्ट्रीकृत	रजिस्ट्रीकृत
1	परिसर से संग्रहण	0.30	0.50
2	फ्रैकिंग	0.40	0.50
3	पता लिखना	0.50	0.50
4	सील लगाना	0.20	0.20
5	लिफाफे में डालने के लिए (लिफाफे में डालने के लिए प्रति लिफाफा)	0.20	0.20
6	लिफाफे में डालने से पहले मोड़ने के लिए	0.10	0.20
7	निरंतर स्टेशनरी के लिए जिसे काटने की आवश्यकता होती है	0.05	0.05
8	गाँद लगे हुए कम्प्यूटरीकृत पता लेबल चिपकाने के लिए	0.05	0.05
9	कम्प्यूटरीकृत पता लेबल चिपकाना, जिसमें पहले से गाँद न लगी हो	0.10	0.10
10	लिफाफे में डालने वाले ऐसे कागज, जिनका मिलान लिफाफे पर लिखे पते से किया जाना है	0.15	0.15
11	100ग्राम तक वजन वाली मटों के लिए विशेष हैंडलिंग	0.30	0.70
12	प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम या भाग के लिए विशेष हैंडलिंग	0.20	0.20

अंतरराष्ट्रीय

तालिका VI

अंतरराष्ट्रीय मर्दों का रजिस्ट्रीकरण

डाक शुल्क के अतिरिक्त, मर्दों के रजिस्ट्रीकरण हेतु शुल्क (विदेश डाक द्वारा भेजा गया)

क्रम संख्या	मर्द	शुल्क
(1)	(2)	(3)
1	पज, पोस्ट कार्ड, एटोटे पैकेट, मुद्रित कागज, एरोग्राम	150 रु.
2	मुद्रित सामग्री का एम बैग (जिसे पहले बल्क बैग कहा जाता था)	750 रु.

तालिका VII

बीमा शुल्क (अंतरराष्ट्रीय)

डाक शुल्क के अतिरिक्त, बीमा के लिए निम्नलिखित प्रभारित किया जाएगा:-

(i)	जब बीमित मूल्य 500/- रु. तक का हो	210 रु.
(ii)	प्रत्येक अतिरिक्त 500/- रु. या 500/- रु से अधिक उसके अंश के लिए	10 रु.
(ख) अंतरराष्ट्रीय पार्सल के लिए		
(i)	जब बीमित मूल्य 500/- रु. तक का हो	10 रु.
(ii)	प्रत्येक अतिरिक्त 500/- रु. या 500/- रु से अधिक उसके अंश के लिए	10 रु.
(ग) एक्सप्रेस मेल सेवा (ईएमएस) / अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट		
(i)	जब बीमित मूल्य 500/- रु. तक का हो	10 रु.
(ii)	प्रत्येक अतिरिक्त 100/- रु. या 200/- रु से अधिक उसके अंश के लिए	6 रु.

तालिका VIII

परिदान शुल्क की सनाह

भूटान और नेपाल के लिए	10 रु.
अन्य बाह्य देशों के लिए	20 रु.

अनुसूची V

धन प्रेषण सेवाएं

[विनियम 145(3), 157(3), 158(1) और 160(2) देखें]

घरेलू

तालिका I

मनीआर्डर

मनीआर्डर पर प्रभार्य कमीशन निम्नानुसार होगा- :	
प्रेषण रकम के प्रत्येक बीस रुपए या उसके अंश के लिए	1 रु.

तालिका II

पोस्टल ऑर्डर

पोस्टल ऑर्डर पर प्रभार्य कमीशन निम्नानुसार होगा- :

क्रम सं.	कीमत	कमीशन
(1)	10 रु. के लिए	1/- रु.
(2)	20 रु. तक	2/- रु.
(3)	50 रु. तक	5/- रु.
(4)	100 रु. तक	10/- रु.

[फा. सं. 01-02/2024-पीओ]

विवेक कुमार दक्ष, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2024

S.O. 5440(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Post Office Regulations, 2024.

(2) They shall come in to force on the 16th day of December, 2024.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) **“accountable items”** means such items that provide a receipt at the time of booking for track and trace (stage wise electronic data on movement of item) and require the signature (in ink or digital) of the addressee, the payee, or their authorised person upon receipt of an item, to provide evidence of delivery and include items such as India Post Parcel, Speed Post, Magazine Post, International Speed Post Services (EMS), International Air Parcels, International Tracked Packets, International Registered Letter items, Money Order and items with value added services like registration, insurance and cash on delivery (COD);

(b) **“Act”** means the Post Office Act, 2023 (43 of 2023);

(c) **“addressee”** means the intended recipient or the person to whom any item is to be delivered;

(d) **“administrative instructions”** means the executive or administrative orders or instructions including guidelines issued by the Central Government or, as the case may be, the Director General as specified under regulation 178 or regulation 179 or regulation 180, as the case may be;

(e) **“authorised person”** means a person, duly authorised by the addressee to receive the item or by a payee to receive the money on his behalf;

(f) "delivery" means the delivery of an item at the address of the addressee, or to the addressee or other person or location considered to be authorised to receive the item according to the usual manner of delivering items to the addressee;

(g) "Director (Postal Services)" means the Director in any administrative office of the Post Office or an officer exercising the powers of Director (Postal Services);

(h) "in course of transmission by post" means the period starting from receipt of an item by the post office to its delivery to the addressee or return to the sender or otherwise disposed of;

(i) "letter box" means a box installed in post offices or mail offices or at public places, for posting of fully prepaid letters, postcards, letter cards and book post items;

(j) "payee" means the person who intends to receive money through money remittance services;

(k) "post" means any system for collection, clearance, sorting, dispatch, conveyance, and delivery of items by the postal network;

(l) "Postmaster" means the Director or Chief Postmaster of general post office, or Senior Postmaster or Head Postmaster of head post office, or an officer exercising the powers of Postmaster, as the case may be, who is the head of such post office;

(m) "redirection" means action of assigning or directing an item to an address, other than the one to which it was initially addressed, for a specific reason;

(n) "remitter" means the person who remits money through money remittance services;

(o) "rules" means the Post Office Rules, 2024 and the expression "rule" shall mean a rule of the said rules;

(p) "schedule" means the schedule annexed to these regulations;

(q) "sender" means a person who sends any item; and

(r) "weight" means gross weight or volumetric weight, whichever is higher, except when stated otherwise.

(2) Words and expressions used herein but defined in the Act or the Post Office Rules, 2024, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.

CHAPTER II

GENERAL

3. Business hours.-(1) The business hours in a post office, during which business is transacted with the public, shall generally be as under on normal weekdays, which are not holidays for the Post Office or the Government holidays, namely: -

Sl. No.	Work	Business Hours
(i)	For references and enquiries	During the entire working hours of the office
(ii)	Counter services including booking and posting of items, premium collection of insurance premiums	Six hours
(iii)	Money remittance- Electronic Money Order, Indian Postal Order etc.	Six hours
(iv)	Savings Bank	Six hours

(2) Branch post offices shall be kept open for a maximum period of five hours in a day.

4. (1) The Circle Head, Regional Head and Divisional Head are empowered to specify the period of each of the post offices under their jurisdiction, during which business is transacted with the public or customer and the time at which items are delivered and dispatched, keeping in view, the maximum working hours, business hours, local convenience and the arrival and departure timings of the items and working of the post office counters.

(2) The Circle Head or Regional Head may, if it is necessary or expedient to meet the requirement of the public, or in any special circumstances, specify-

- (a) the business hours and the days other than the working days including Sundays and holidays, during which the post offices shall be opened for business;
- (b) the kind of transactions available during such business hours; and
- (c) the maximum number of items that may be tendered for booking during business hours to meet the rush of work in a post office and to ensure the equitable availability of facilities to the public.

5. Payment of postage and other sums chargeable on items.-(1) Postage shall generally be paid by modes mentioned in rule 9.

(2) The pre-payment of postage and other sums payable on an item shall be mandatory except otherwise mentioned in these regulations.

6. Postage on unaccountable items and unpaid items.-(1) If the postage required on unaccountable items, which have embossed postage on it, is more than the value of the stamp printed on them, the difference shall be made good by affixing additional postage stamps of the requisite value.

(2) Unpaid or insufficiently paid items are liable to be kept on hold for charging the postage due on them.

7. Postage and chargeable sums not deemed to be prepaid.- The postage and other sums chargeable on an item shall not be deemed to be prepaid by means of a proper stamp or franking impression or point of sale receipt if-

(a) the stamp or impression of a stamp or impression which has not been provided for use as a postage stamp or franking impression or point of sale receipt under these regulations or rules;

(b) the stamp has been obliterated, defaced, torn, cut or otherwise rendered imperfect;

(c) the stamp or franking impression or point of sale receipt has upon it, any word, letter, figure or design, printed or impressed upon it, otherwise than by the Director General before posting; or

(d) the stamp has been cut, or otherwise, separated from an embossed envelope, or from a postcard or wrapper:

Provided that nothing in this regulation shall prevent the perforation of postage stamps with initials, or other identifying marks, traced in minute holes;

Provided further that nothing in this regulation shall prevent the transmission of Book Now Pay Later (BNPL) items or other items as specified by administrative instructions from time to time.

8. Supply of postage stamps.-(1) The operational guidelines for supply, custody and sale of postage stamps, shall be specified by administrative instructions from time to time.

(2) No person or entity or institution or organisation or electronic platform shall sell or distribute postage stamps or deal in any other manner in postage stamps, except with the prior permission of the Director General.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-regulation (2) above or any term or condition of permission issued thereunder shall be punishable under the relevant provisions of the applicable law of the land for the time being in force.

9. Fraudulent usage of stamp.- (1) The act of usage of previously used postage stamp, fraudulently or with intent to cause loss to the Government, shall be punishable under the applicable law of the land for the time being in force.

(2) If such postage stamp is detected on an item already posted, the item shall not be delivered and dealt with in a manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

10. Illegal manufacture or usage of postage stamps.- (1) The illegal manufacturing and usage of the postage stamp such as forged, counterfeit, or fictitious postage stamps shall be punishable under the applicable law of the land for the time being in force.

(2) Reproduction of stamps shall only be allowed for illustration purposes in a philatelic publication, or in an item or section relating wholly to postage stamps that may appear in a publication or a general character, and such reproductions shall only be in such form as may be specified by administrative instructions from time to time.

11. Philately.- (1) Philately is a study and collection of stamps, postal stationery, postmarks and other philatelic materials.

(2) The operational procedures related with the philately shall be specified by administrative instructions from time to time.

12. Philatelic materials.- (1) Philatelic materials shall be issued by the Post Office as per administrative instructions specified from time to time.

(2) Philatelic materials include –

- (a) philatelic stamps;
- (b) first day covers, brochures or information sheets, special covers, maxim cards, annual packs, postal stationeries and various Philatelic publications and ancillaries;
- (c) artworks, proofs, progressive sheets, printed sheets and printing plates of philatelic stamps; and
- (d) postmarks, slogan dies and other artifacts used in connection with the production of philatelic stamps.

(3) The Director General shall specify by administrative instructions the philatelic material to be sold in post offices.

(4) All the activities corresponding to production and issue of philatelic materials shall be carried out as per administrative instructions issued from time to time.

13. Issuance of postage stamps.- The postage stamps shall be issued in the following types, namely:-

(a) Definitive Stamps: Definitive Stamps are postage stamps, specifically issued to

meet the day-to-day postage needs and are made available for sale for a period till stocks of a particular series last, which shall be printed and reprinted in different denominations as per the requirement of the post office.

(b) Commemorative Stamps:

(i) Commemorative Stamps are postage stamps issued to commemorate an event, institution, theme and personages, which shall be printed only once, in limited numbers and are sold for a limited period, as may be specified by administrative instructions from time to time, through philatelic bureaus, philatelic counters, online channels or authorised offices.

(ii) The Commemorative Stamps may be kept as collectible items and may be used for payment of postage.

(c) Special Stamps: Special Stamps are postage stamps which are thematic like flora, fauna, architecture or art without commemorating any specific event.

(d) Joint Issue Stamps: Joint Issue Stamps are postage stamps which are issued by India and any other country on mutually agreed terms and conditions.

(e) My Stamps: My Stamps are such stamps which are issued on the basis of personalised or customised printing elements provided by the customer or proponent, subject to confirmation with administrative instructions specified from time to time.

14. (1) Issuance of Commemorative Postage Stamp. - Any citizen of India may tender a proposal for issue of Commemorative Postage Stamp in accordance with the administrative instructions specified from time to time.

(2) All such proposals shall be examined on the basis of the administrative instructions specified by the Central Government from time to time.

(3) Proponents for issue of a commemorative stamp relating to institutions or events or organisations are required to make a mandatory purchase of number of such stamps as specified by administrative instructions from time to time:

Provided that in exceptional and deserving cases, Central Government may relax this condition.

(4) The denominations of postage stamps shall be in consonance with domestic and international postal postage.

(5) No postage stamp shall be issued on a living personality.

(6) Stamp design and denomination shall be as approved by the Central Government.

(7) All philatelic stamps, brochures, first day covers and philatelic ancillaries shall be sold by the Post Office on the denoted value or on the value specified by administrative instructions from time to time.

15. Philatelic Advisory Committee.- (1) The Philatelic Advisory Committee shall advise on the issue of Commemorative Stamps, Special Stamps, and other allied matters related thereto.

(2) The Union Minister-in-Charge of the Ministry of Communications shall be the *ex officio* Chairperson of the Philatelic Advisory Committee and shall nominate the official and non-official members of the Committee as per the administrative instructions specified from time to time.

16. Manner of affixing postage stamps.- (1) Stamps affixed to an item must be completely adherent to the item itself and not to any part of its contents or any separate label or other device tied or attached to the item.

(2) The stamps should be affixed to the right-hand top corner of the address side.

(3) The provisions of this regulation shall apply to franking of items in toto.

17. Price of postage stamps and stationery.- (1) Postage stamps, postcards, letter card and aerogramme shall be sold for the denoted value of the stamps which they bear.

(2) The embossed envelopes and the registration envelopes shall be sold at the prices mentioned in Table VII of Schedule I.

(3) Special Rakhi Envelopes shall be sold at the prices as the Circle Head concerned may determine.

18. Standards for addressing on domestic items.- (1) An item shall not have more than one delivery address;

Provided that nothing in this sub-regulation shall prevent the delivery of an item to another address as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The address, either handwritten or machine printed, shall contain such elements and, in such order, as given below: -

Name

C/o, D/o, S/o, W/o, H/o

Mobile Number (optional)

House/ Building (including floor)/ Apartment (including floor)

Street / Road / Lane

Landmark

Area / Locality / Sector

Village/ Town/City

Post Office
District
State
PIN code/ Postcode

(3) The address of the addressee shall be written in the centre of the front side and address of the sender shall be written on the lower left of the front side of an envelope.

(4) Address of the addressee and the sender should be started from the words "To" and "From", respectively.

(5) Blank space of minimum 15mm shall be kept from left, bottom and right side of envelope and the address block of addressee shall have minimum gap of 40 mm from top.

(6) Stamps or Frank impressions shall be affixed in maximum area of 74 mm on the upper right corner.

(7) The address of addressee and sender should be positioned parallel to the length of the envelope.

(8) A zone of 10mm around the address block should be free from any printing or writing.

(9) Non-address information such as sender's code, serial or account numbers or other information are not to be generally included in the address of the addressee and if necessary, it should be printed above the first line but never below the last line of the address.

(10) The spacing between the address lines shall be uniform and be more than 1mm and less than 5mm.

(11) The maximum number of characters per line is 40 characters, excluding spaces between words.

(12) An accountable item tendered at a post office for transmission shall not be accepted unless they are addressed to a particular person or firm or institution.

(13) Such items addressed to a particular person or firm, care of post box and the name of the office where the post box is located shall also be accepted, provided they are addressed to persons or firms in whose names the post box stands registered;

Provided that in the office of delivery, if it is found that there is no post box in the name of the addressee, or the addressee has ceased to be a renter of a post box, the item shall be returned to the sender.

19. Mails for defence services personnel.- The following particulars shall be furnished in the address in the case of items for the personnel of the defence services, which are to be delivered through the army post offices: -

No.

Rank

Name

Unit

Such items should be addressed to Care of (C/o) 56 A.P.O. or Care of (C/o) 99 A.P.O.

20. Exemption in method of addressing of an item in certain cases.- Item(s) addressed to such authorities and with specified superscription on the envelope, tendered at a post office, shall be accepted for transmission without the name and complete address of the sender as may be specified by administrative instructions from time to time.

21. Standards for addressing on international items.- (1) An item shall not have more than one delivery address:

Provided that nothing in this sub-regulation shall prevent the delivery of an item to another address as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The address, either handwritten or machine printed, shall be worded in a precise, complete and legible manner to ensure the easy transmission of the item and its delivery at the country or territory of destination to the addressee.

(3) The address of the sender and the addressee must be written in roman letters and in Arabic numerals, and wherever required, the address of the addressee may also be written in the language of country or territory of destination.

(4) The name of the place of destination and the country or territory of destination shall be written in capital letters together with the correct postcode number or delivery zone number, whichever applicable.

(5) The address of the sender and addressee shall contain such elements, whichever applicable, and, in such order, as given below, unless otherwise specified: -

Name

Mobile Number (optional)

Building (door, floor, stairwell, wing, building, distinct instances)

Street (street name/number/type, primary thoroughfare, secondary thoroughfare)

PO Box

Post Office

City/town/Rural Area

Administrative Areas (region level)

Postcode

Country/Territory

(6) The address of the addressee shall be written on right of front side and address of the sender shall be written on lower left of front side on an envelope.

(7) The address of the addressee and the sender should be started from the words "To" and "From", respectively.

(8) Blank space of minimum 15mm shall be kept from left, bottom and right side of envelope and the address block of addressee shall have minimum gap of 40 mm from top. Stamps or Frank impressions shall be affixed in maximum area of 74 mm on the upper right corner.

(9) A zone of 10mm around the address block should be free from any printing or writing.

(10) Non-address information such as sender's code, serial or account numbers or other information are not to be generally included in the address of the addressee and if necessary, it should be printed above the first line but never below the last line of the address.

(11) The spacing between the address lines shall be uniform and be more than 1mm and less than 5mm.

(12) The maximum number of characters per line is 40 characters, excluding spaces between words.

(13) An accountable item tendered at a post office for transmission shall not be accepted unless they are addressed as per regulations 18, 19 and sub-regulation (5).

22. Posting of items.- The following modes may be used for posting of items: -

(a) **Letter Boxes** - Letters, letter cards, aerogramme, postcards, airmail postcards, book post, small packets, printed papers and literature for the blind, shall be posted in the letter boxes, provided the postage chargeable is fully prepaid.

Note 1: Registered newspaper items, periodical post items and franked items shall not be posted in these letter boxes and, if posted, these shall be treated as unpaid and shall be dealt as per regulation 71.

Note 2: Accountable items shall also not be posted in the letter boxes.

Note 3: Large items, which owing to their size cannot be posted in the letter-boxes, may be received by hand at the window of the post office. However, such items shall not be deemed to be accountable items.

(b) **Post office counter** - All the accountable items shall be presented at the counter of post office for transmission by post.

(c) **Franchisee Outlet**- Items as specified by administrative instructions from time to time, may be presented through the franchisee outlet of the Post Office.

(d) **Self-Booking Kiosk**- Self-booking kiosk available at the designated post offices may be used for posting of items as may be specified by administrative instructions.

Note: The Regional Head is authorised to designate the post offices, where the service of self-booking kiosk is available.

(e) **Web or Mobile Application**- The authorised web portal or mobile application may be used for posting of items as may be specified by administrative instructions from time to time.

23. Receipt for transmission by post.- A receipt shall be given to the person who presents an accountable item for transmission by post.

24. Ownership of items.- (1) For domestic items, an item shall remain the property of the sender until it is delivered to the rightful addressee, except in the case of seizure of the item under the applicable law of the land for the time being in force.

(2) For international items, an item shall remain the property of the sender until it is delivered to the rightful addressee, except in the case of seizure of the item under any law of the land of the country or territory of origin or transit or destination.

25. Prohibition of domestic items. - (1) Subject to the provisions of these regulations, no person shall send by post, -

(a) any explosive, dangerous, filthy, noxious or deleterious substance, any sharp instrument not properly protected, or any living creature which is either noxious or likely to injure items in course of transmission by post or any officer of the Post Office; or

(b) anything likely to injure, any item during transmission by post, or any officer of the Post Office; or

(c) any ticket, proposal, advertisement or any other matter relating to a lottery, except the case where the lottery is organised or authorised by the Central Government or State Government; or

- (d) any indecent, immoral or obscene printing, painting, photograph, lithograph, engraving, book or card, or any other digital media, or any other indecent, immoral, or obscene item; or
- (e) any item having thereon, or on the cover thereof, any words, marks or designs of an indecent, obscene, seditious, scurrilous, threatening or grossly offensive character; or
- (f) any item having thereon, or on the cover thereof, any matter which is prejudicial to the maintenance of law and order; or
- (g) any item having thereon, or on the cover thereof, any pictorial representation of a person who is a proclaimed offender, or who has been convicted of an offence punishable under any applicable law of the land for the time being in force; or
- (h) any item having thereon, or on the cover thereof, anything written, printed, or otherwise impressed upon or attached to its address side, which, either on account of its being likely to be mistaken for stamps used for the payment of postage or by inconvenient proximity to any such stamp or by tending to prevent the easy and quick reading of the address; or
- (i) narcotics and psychotropic substances, as defined by the International Narcotics Control Board, or other illicit drugs which are prohibited in the country or territory of destination, the country or territory of origin, the Central Government, State Governments, or any authorised agency; or
- (j) counterfeit and pirated items; or
- (k) anything which, by their nature or their packing, may expose officials or the general public to danger, or soil or damage other items, postal equipment, or third-party property; or
- (l) dangerous goods, narcotics and psychotropic substances, prohibited drugs and cosmetics items, items prohibited by or under International Air Transport Association (IATA), International Civil Aviation Organisation (ICAO), Department of Wildlife and the Drug and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or items prohibited by any law of the land; or

Explanation.- For the purpose of this clause, "dangerous goods" means items or substances that are capable of posing a risk to health, safety, property or environment, which include explosives, gases, flammable liquids, toxic and infectious substances, corrosives and other miscellaneous items which may cause health and safety hazards :

Provided that battery and other items, the transmission of which, by air, is prohibited, shall be sent to the addressee through surface mode only; or

- (m) live animals except otherwise permitted in these regulations; or
- (n) coins, banknotes and other valuable items, except permitted through a special process;

Provided that the order shall be in consonance with Reserve Bank of India guidelines, Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015 made under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), or any other applicable law of the land for the time being in force on the subject:

Provided further that currency notes, coins, or bank notes, shall invariably be transmitted as insured items; or

- (o) other items, the importation or circulation of which is prohibited in the country or territory of origin or destination; or
- (p) documents having the character of current and personal correspondence, with the exception of archived materials, exchanged between persons other than the sender and the addressee or persons living with them; or
- (q) anything prohibited in International Postal Services by the Universal Postal Union (UPU) or any other organisation; or
- (r) any other thing, prohibited by Central Government from time to time.

26. Prohibition of international items. - International items not fulfilling the conditions laid down in these regulations shall not be admitted and items sent in furtherance of a fraudulent act or with the intention of avoiding payment of the postage or other postal fee, shall not be admitted.

27. Application of regulation 25 on international items. - Regulation 25 shall apply to International items to be transmitted by post to or from any foreign country or territory, except in the following cases, namely: -

- (a) such dangerous goods which may be transmitted by post between the country or territory of origin and destination that have declared their willingness to admit them either reciprocally or in one direction, provided that they comply with national and international relevant laws;
- (b) live animals which shall be admitted in-

- (i) letter post items other than insured items: bees, leeches and silk-worms; parasites and destroyers of noxious insects intended for the control of those insects and exchanged between officially recognised institutions; flies of the

family drosophilidae for biomedical research exchanged between officially recognised institutions;

(ii) parcels: live animals whose conveyance by post is authorised by the postal regulations or applicable laws of the countries or territories concerned.

28. Transmission of precious metals and precious stones.- (1) Precious metals (including gold, silver, platinum or other precious metals), precious stones (including diamond or other precious stones), jewellery or any combination of these, whether manufactured or not, coins, bank notes, currency notes, securities of any kind payable to bearer, travellers' cheques, except as otherwise specified, shall, in no case, be transmitted by post in an uninsured letter-post item.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), any country or territory may prohibit the enclosure of gold bullion in insured or uninsured parcels originating from or addressed to its territory or sent in transit à découvert (open transit) across its territory; to the actual value of the items so transmitted.

29. Items for blind prohibited in certain cases.- The items shall be prohibited from being transmitted as printed papers and literature for the blind under the following conditions, namely:-

- shall not bear any inscription or contain any item of correspondence;
- shall not contain any postage stamp or form of prepayment, whether cancelled or not, or any paper representing a monetary value, except in cases where the item contains as an enclosure, a card, envelope or wrapper, bearing the printed address of the sender of the item or his authorised person in the country or territory of posting or destination of the original item, which is prepaid for return.

30. Items transmitted in contravention of regulation 27.- (1) An item in contravention of regulation 27 shall, in no circumstances, be forwarded to their destination, delivered to the addressees, or returned to origin whichever is applicable.

(2) Where, any item referred to in sub-regulation (1) is discovered during transit, it shall be handled under the applicable law of the country or territory of transit.

(3) Where, any item referred to in sub-regulation (1) is discovered during transmission, it shall be liable to be removed and disposed of in the manner as may be specified by administrative instructions and the remainder of the items shall be forwarded to its destination, together with information about the disposal of such inadmissible item.

31. Customs control.- (1) All international outbound items tendered at the post office shall be subject to customs control and the applicable laws of the country or territory of origin and the country or territory of destination.

(2) All international inward items shall be subject to customs' control and the applicable law of the land for the time being in force.

(3) Any custom duty imposed by the customs department, along with an additional postal fee as mentioned in Table XII of Schedule III, shall be charged from the addressee at the time of delivery.

32. Post Office authorised to collect customs duty, etc.- The Post Office shall be authorised to collect from the sender or addressee of items, as the case may be, the customs duty and all other fees which may be due.

33. Items sent in contravention of any law.- Any item sent by post in contravention of any Act, rules, regulations, or any other law of the land for the time being in force, may be detained and disposed of in the manner as directed by the enforcement agency or authority or officer, as the case may be.

34. Disposal of intercepted items.- (1) If an official or officer of the Post Office suspects on reasonable grounds that an item in the course of its transmission –

- (a) contains anything in respect of which an offence is being committed or an attempt to commit an offence is being made; or
- (b) contains anything that will afford evidence of the commission of an offence; or
- (c) is being sent to further the commission of an offence; or
- (d) needs to be obtained and examined in the interests of defence, public safety or public order,

Such official or officer shall inform the competent authority for directions to detain the item for the purpose of examination by the concerned law enforcement authority in accordance with the provisions of the rules.

(2) If, on examination of an item under sub- regulation (1), the suspicion that gave rise to its examination –

- (a) is substantiated, the item may be detained for the purposes of evidence in a criminal prosecution or destroyed or dealt with in such other manner as may be authorised in the orders of the law enforcement authorities;
- (b) is not substantiated, the item shall be delivered to the person to whom it is addressed or to the authorised person.

35. Items suspected to contain dangerous substances. - (1) Where an item is suspected to contain any explosive, dangerous, obnoxious, deleterious or filthy substance, or anything likely to injure the mails or any officer of the Post Office, it shall be intercepted and detained at the point of transmission, where it is so detected and the officer-in-charge of the post office shall immediately inform the matter to the police authorities, post office authorities and other designated authorities, as may be applicable.

(2) Further necessary action in respect of the item, shall be taken in accordance with the directions of the authorities as referred in sub-regulation (1).

36. Restriction on disclosure. - No person may disclose any communication or information, which is obtained in the exercise of his powers or the performance of his duties in terms of these regulations, except—

- (a) to any other person, who of necessity requires it for the like exercise or performance of their functions in terms of these regulations;
- (b) information which is required to be disclosed in terms of any law or as evidence in any court of law.

37. Disposal of items opened. - (1) If any item opened or examined by designated postal officer under the rules is found to be an unlawful item or prohibited item, the items shall be disposed of in accordance with the directions of the designated authorities.

(2) If the item referred to in sub-regulation (1) is found not to be an unlawful or prohibited one, it shall be forwarded to its destination as if it had not been so opened or examined.

38. Notice of opening of an item. - Where an item that is found to be unlawful, is opened by a postal officer or official under section 9 of the Act, a notice shall be sent to the sender, and if not found, to the addressee.

39. No relief from liability. - The detention, opening, examination, destruction or disposal of an item under the Act or rules or these regulations shall not relieve any person from the liability for any offence against these regulations.

40. No right to compensation. - No person shall have any right to compensation, nor shall any liability be incurred by the Department of Posts in the Ministry of Communications or any of its officers or officials, by the reason of the detention, opening, examination, forfeiture, destruction or disposal of an item or its enclosure, under the powers conferred by the Act or rules or regulations or the applicable law of the land for the time being in force.

CHAPTER III

MANNER OF DELIVERY OF ITEMS

41. Accountable items.- The delivery of the accountable items shall be made-

- (a) to the addressee or the authorized person in case of registered item, insured item, Cash on Delivery, Money order;
- (b) to the authorised person or on the address in case of speed post item, India post parcel, etc.

42. Accountable items to be issued for delivery.- (1) An accountable item shall be issued for delivery and if it is not delivered due to any reason on its first presentation, it shall be issued once again for delivery. In case of inability to deliver after two attempts, it shall, in no case, be issued again for delivery.

(2) A notice of arrival of the accountable item, shall, however, be issued to the addressee for taking delivery of such item himself or by authorised person from the post office.

43. Addressee to sign in receipt.- (1) The addressee of an accountable item or an authorised person, shall sign in the receipt and proof of delivery, in case relating thereto, of the item, unless the outward appearance of the cover gives rise to suspicion of tampering.

(2) Where the outward appearance of the cover of the accountable item is suspected to be tampered, the item shall be opened at the post office, in the presence of the Postmaster, and to have its contents entered in an inventory, which shall be prepared in duplicate and shall be signed by the addressee.

(3) One copy of the signed inventory shall be forwarded by the post office to the sender with unsigned proof of delivery attached to it and in case, the addressee or authorised person is not known to the staff of the post office from which the item is to be delivered, the identification of the addressee or authorised person by a person known to the post office staff, or the production of evidence which will establish his identity to the satisfaction of the Postmaster, shall be necessary if so, required by the delivering post office official.

44. Letter delivery box of items other than accountable items.- (1) Items may be delivered in the post box or post bag for such addressee who has availed the facility of post box or post bag.

(2) In cases of non-availing of post box or post bag, items shall be delivered through a letter delivery box installed in the premises of the addressee.

(3) A letter delivery box with the name and address superscribed thereon and of such dimension as per the requirement of the addressee, shall be installed by the addressee on the ground floor of each of the house or buildings referred to in sub-regulation (2) in which the addressee is located and such letter delivery boxes shall be located at a convenient place which is easily accessible to the Postman or delivery person.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, the term "building" refers to construction having two storeys or more, including high-rise buildings, and are in existence or construction of which has been completed;

Provided that a single letter delivery box may be provided as a common letter box by one or more or all the addressees located in a building or same floor of the building;

Provided further that where an item required to be delivered against receipt remains undelivered due to non-availability of the addressee, an intimation relating thereto may be given through the letter delivery box or through digital communication.

(4) Every such letter delivery box shall be provided with a posting aperture located at the top and facing the front, incorporating a horizontal ledge projecting inwards from the lower edge of the posting aperture.

(5) Where such a letter delivery box is not installed, the delivery of such items shall only be effected at the post office till the time the letter delivery box is installed.

(6) Where there is a genuine difficulty in complying with the provisions of this order in a particular building, the Divisional Head, for reasons to be recorded in writing, exempt the said building from the provisions of this regulation.

(7) Items of such size that cannot be delivered in a letter delivery box, and unpaid or insufficiently paid items shall be delivered to the addressee or authorised person or on the address, through the Postman or delivery person.

(8) The delivery of the unpaid or insufficiently paid items shall be made only after collection of the postage, required to be collected.

45. Window delivery.- The addressee of an item may avail the facility of receiving items at the post office during business hours without having the facility of post box or post bag system, by giving a written request to the Postmaster without any charge and in such case, the item shall not be given to Postman for doorstep delivery.

46. Post box.- (1) A person, a firm, or other body, may avail the facility of post box at certain post offices by an application accompanied by the applicable fee as mentioned in Table IX of Schedule I, for delivery of fully prepaid items bearing the post box number, through the post box.

(2) The conditions related to the post box shall be specified by administrative instructions from time to time.

47. Post bags - (1) A person, a firm or other body, may avail the facility of post bag at any post office by making an application accompanied by the applicable fee as mentioned in Table IX of Schedule I, for receiving and delivery of fully prepaid items bearing the post bag number, through the post bag.

(2) The conditions related to the post bag shall be as specified by administrative instructions from time to time.

48. Smart delivery box.- (1) The Circle Head is authorised to designate the post offices or other locations, where the services of the smart delivery box are available.

(2) The service shall be availed by anyone by applying to the post office along with the fee or charge as specified by administrative instructions from time to time.

(3) The smart delivery box shall be used for delivery of such items addressed to the assignee of the box as specified by administrative instructions from time to time.

49. Delivery to public officers.- (1) Items superscribed "On India Government Service", and containing in the address both the name and official designation of a public officer or does not contain the official designation, shall be delivered or redirected according to the official designation even when the person named no longer holds the appointment designated or has left the station.

(2) Items which do not bear the superscription "On India Government Service", but contain in the address both the name and official designation of a public officer, shall be delivered or redirected according to the name, whereas items which do not contain the name in the address, shall be delivered according to the official designation of the addressee.

50. Special procedure for delivering items to firms, etc.- (1) The items addressed for delivery to a firm or company, shall be delivered to the authorised person by the owner, partner, or proprietor, as the case may be.

(2) The authority letter shall be given by the owner or proprietor or partner, as the case may be, to the Postmaster of the delivery post office of the area where the office of the firm or company is situated.

51. Items addressed to deceased persons.- Items addressed to persons who are dead, shall be treated as if they were unclaimed and disposed of as per provisions of sub-regulation (2) of regulation 65.

52. Delivery of damaged item.- Where an accountable item is received in the office of delivery in a damaged condition, a notice shall be sent to the addressee requesting

him to attend the post office within seven days in the case of domestic item and fifteen days in the case of international item to take delivery and the delivery or disposal of such item shall be effected as may be specified by administrative instructions.

53. Intimation to addressee.- The intimation to the addressee shall be served by the Postman for accountable items as may be specified by administrative instructions from time to time.

54. Seeking identification of addressee, if needed.- (1) The postman or delivery person may seek the identification of the addressee or authorised person before delivering the item, in case, the addressee or the authorised person is not known to him.

(2) The delivery of accountable items containing passport, Permanent Account Number (PAN) card, driving licence, and other items, shall be delivered only after seeking the identification of the recipient in a manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

55. Redirection of items.- (1) The sender of an item may avail the following facility in respect of the accountable domestic item and international inward item, by paying a postal fee as mentioned in Table VI of Schedule I, without reference to the consent of the addressee, namely :-

(a) recall of the item from the post:

Provided that the item may be cancelled before it has been dispatched from the office of booking for any reason as may be specified by administrative instructions from time to time; or

(b) alteration in address or name of the addressee.

(2) The addressee of an item may avail the facility of alteration in address, free of charge in case where the original address and the substitute address are within the delivery area of the same post office; or otherwise by paying a postal fee, as mentioned in sub-regulation (1).

(3) The Post Office shall give a receipt of the applicable fees.

56. Request to avail certain facilities.- No request of the sender or addressee of an item, under regulation 57 shall be entertained if the item is out for delivery at the destination post office, or has been seized, or confiscated, or destroyed under any applicable law of the land concerned.

57. Manner of making request.- (1) A sender or addressee or authorised person may make a written request for availing the facilities mentioned in regulation 55, with reasons, accompanied by the applicable fee, to the post office:

Provided that no such request shall be entertained in case of an item addressed to a foreign country or territory unless such item is addressed to a country or territory as may be specified by administrative instructions in this regard.

(2) Postage and applicable fee, once paid, shall, in no circumstances, be refunded.

58. Post Office not liable for non-fulfilment of request.- Subject to the conditions mentioned in regulations 55 and 56, the Post Office shall not be liable for non-fulfilment of the request of the sender and shall not incur any liability by reason of delivery of any item contrary to an application made in this regard:

Provided that, in such cases, the fee charged for such a request shall be refunded.

59. Postage payable on delivery . - The Postmaster or officer in-charge, shall ensure that the following classes of items are properly charged with postage in their presence:

- (a) insufficiently paid items that have been treated as fully prepaid;
- (b) unpaid items that are not impressed with the postage due stamp; and
- (c) items that have not been charged by the offices of dispatch with the full amount of postage due on them.

60. Postage-due stamp.- (1) The postage-due stamp shall be impressed on the items mentioned in regulation 59 and the amount shown by the impression of the postage-due stamp of the office of dispatch shall be mentioned under the initials of the Postmaster or the officer in-charge or the authorised office or official.

(2) In the case of an item received by foreign post, postage shall not, under any circumstances, be charged by any post office other than the foreign post office through which it passes.

(3) If an unpaid item of the foreign post, which has not been impressed with the T - stamp by the office of origin and has not been taxed by the foreign post office through obvious error, is received in a post office for delivery, then such item shall be sent back to the foreign post office concerned to be properly taxed and shall be delivered on receipt back after recovery of the postage due:

Provided that items received with just printed impressions indicating the country or territory of origin and the phrase "Tax persue" meaning "charge collected", "Port paye" meaning "Postage Paid", or a similar expression in the language of the country or territory of origin, without any amount of the postage collected being indicated, shall not be taxed either by the offices of exchange or by the offices of delivery and shall be delivered as if fully prepaid.

61. Delivery of items on which customs duty is due.- Items on which customs duty to be recovered is in excess of the amount as specified by administrative instructions from time to time, shall ordinarily be delivered at the post office window and such duty may be paid either in cash or by cheque or by any other specified mode.

62. Refusal of items.- (1) The addressee of an item shall not be bound to pay the amount due on it to the post office, if he does not want to take delivery of it and in such case, the word "Refused" shall be written by the Postman across the cover.

(2) Unclaimed and refused items shall be returned, at once, direct to the offices of posting for delivery to the sender and if the sender of such items so returned to the office of posting cannot be found, the items shall then be sent to the Returned Letter Office.

(3) In respect of international item, such item shall be returned to the foreign post office for further disposal.

63. Obligation to pay sum charged.- When a person takes delivery of an item on which any sum is due to the Post Office, he shall pay the amount marked upon it.

64. Detention and disposal of undelivered items at post office of addressee.- (1) An item shall ordinarily be kept in deposit in the post office to which it is addressed for a period of seven days after all enquiries to find the addressee have proved unsuccessful.

(2) An item, on instructions for deposit at the post office received from the addressee, shall remain in the post office to which it is addressed, for a period as may be specified by administrative instructions from time to time.

65. Undelivered items to be returned in certain cases.- (1) An undelivered item, of which the addressee-

(a) has refused, or after due notice omitted, to take delivery, or the addressee does not take delivery within the period as specified by administrative instructions from time to time; or

(b) is known to have left address without intimation to the post office as to the redirection of his correspondence; or

(c) is dead and there is no person to whom the item could properly be delivered,

shall not be detained in the post office to which it is addressed and shall be returned to the sender if the item bears clearly on the outside, the name and address of the sender, or otherwise sent to the Returned Letter Office concerned.

(2) The item referred to in sub-regulation (1) shall be delivered to the sender or authorised person and any proof of delivery attached thereto shall not be delivered and destroyed.

(3) In case of the item being undelivered to the sender, such item shall be sent to the Returned Letter Office (RLO) concerned.

66. Standard remarks on undelivered items.- (1) The reasons for non-delivery shall be recorded by use of the standard remarks, as specified by administrative instructions from time to time.

(2) The production of an item, having thereon the official mark of the Post Office denoting that the item has been dealt with as indicated by any of the standard remarks, as specified in sub-regulation (1) shall be proof of the fact so denoted and the person from whom the item is purported to have come, shall, until the contrary is proved, be deemed to be the sender thereof.

67. Detention and disposal of undelivered items at Returned Letter Office (RLO).- The items that remain undelivered to the address as well as the sender, shall be detained at Returned Letter Office for a period of -

- (a) fifteen days when they are unaccountable; and
- (b) thirty days when they are accountable.

Explanation.- For the purpose of this rule, "Returned Letter Office" means an office that deals with unclaimed and refused items, or items without addresses, or with undecipherable or incomplete addresses.

68. Procedure in case of dealing undelivered items.- (1) The undelivered items referred to in regulation 64 to 66 shall be dealt with as follows: -

- (a) items without intrinsic value, such as, items containing printed or handwritten papers, shall be disposed of forthwith by selling it as waste paper or destroyed;
- (b) magazines, periodicals and newspapers may, at the option of the Regional Head, be used for any public purpose;
- (c) items with intrinsic value shall be disposed of through auction;
- (d) postcards and letter cards on which the postage has not been prepaid shall be destroyed forthwith;

Provided that nothing in this regulation shall prevent the immediate destruction of any item deemed necessary for public good.

(2) On the expiration of the period specified in regulation 67, the item shall be disposed of, in a manner as deemed fit by the Circle Head or the Regional Head concerned, in the Returned Letter Office.

69. Period for which intimation regarding change in address remain valid.- (1) A resident can give written intimation, regarding change in his residential or official address, to the concerned post office for delivery of the items addressed to him or to his address to the new address.

(2) Such intimation shall remain valid for a period not exceeding three months.

(3) the provisions of sub-regulation (2) of regulation 55 shall *mutatis mutandis* be applicable for delivery of items.

70. Officers or officials authorised to make an official mark.- (1) The following officers or officials are authorised to make an official mark on items denoting that any postage or other sum is due in respect thereof to the Post Office and such mark shall be the proof that the sum so denoted is due; and that the item has been refused or rejected or unclaimed, or cannot for any other reason be delivered: -

(a) Postmaster of the office;

(b) concerned supervisor and officials, who have been assigned with the work of delivery of the items;

(c) Postman or the authorised delivery person.

(2) In the cases related with branch post offices, the delegation of work, as referred to in sub-regulation (1) performed by the Post Master and Postman or authorised delivery person shall be performed by the Grameen Dak Sevak Branch Postmaster and Grameen Dak Sevak performing the work of delivery of items respectively.

(3) The procedure for the purposes of these regulations shall be as specified by administrative instructions from time to time.

71. Recovery of dues in respect of unpaid and insufficiently paid domestic items.- Any item on which the postage or airmail fee thereon is not prepaid, or is insufficiently prepaid, shall, on delivery of the postal articles to the addressee or, in case of undeliverable, to the sender, be charged with the rates as mentioned in Table VIII of Schedule I.

72. Recovery of dues in respect of unpaid and insufficiently paid international items.- (1) Any inward international item on which the postage or airmail fee thereon is not prepaid or is insufficiently prepaid, shall, on delivery of the postal articles to the

addressee or, in case of undeliverable, to the sender, be charged with the rates as mentioned in Table X of Schedule III.

(2) Any outward international item on which the postage or airmail fee thereon is not prepaid or is insufficiently prepaid, shall not be forwarded to the destination but shall be delivered to the sender without any charge.

CHAPTER-IV

COMPENSATION

73. Compensation in respect of domestic items.- (1) The compensation shall be payable to the sender of the item by Department of Posts in the Ministry of Communications in event of loss of, damage to, part loss of or delay of an item, subject to the conditions mentioned in these regulations except as otherwise specified.

(2) The compensation shall be given in the event of loss of, damage to, part loss of or delay of an item, unless that item-

- (a) is considered to be undeliverable in the following circumstances, namely: -
 - (i) following a failed delivery, the addressee has not taken advantage of the opportunity under "intimation served" within the holding period; or
 - (ii) the address is unsafe or unsecured or if access to the delivery point has been prevented or impeded; or
 - (iii) the address to which the item is to be delivered is not permanently occupied by any person; or
 - (iv) the item is not fully and correctly addressed in a manner which includes all the elements of the address, written clearly on the front, or on a label securely attached to the front of the cover (or otherwise in a manner such that the address is clearly visible in its entirety as if it had been written on the front of the cover); or
 - (v) the address is illegible; or
 - (vi) the health and safety of any individual may be put at risk; or
 - (vii) for any other reason, if found it is impracticable or unreasonable to deliver the item;
- (b) has not fully met all of the conditions mentioned in these regulations;
- (c) has insufficient or no postage paid for the service requested;
- (d) is one that contains prohibited items or restricted items by any law of the land or under the Act or these regulations;
- (e) for which the claim is submitted is undelivered due to situations outside the control, including exceptionally severe weather conditions, acts of terrorism or vandalism;

(f) is one where the loss, damage or delay is due to a latent or inherent defect or natural deterioration.

(3) The compensation payable in the event of delay in delivery, loss or damage or part damage of domestic item are as mentioned in Table V of Schedule I.

74. Compensation in respect of insured items.- There shall be payable to the sender of an insured item, compensation by Department of Posts in the Ministry of Communications not exceeding the amount for which the item has been insured, for the loss of an item or any of its contents or for any damage caused to it in the course of transmission by post, except in cases as specified by administrative instructions from time to time:

Provided that the compensation shall in no case exceed the value of the item or any of its contents lost, or the amount of the damage caused, and provided that in the case of loss, the sender shall furnish full particulars of the contents of the item and its value.

75. Complaint in respect of domestic or insured items.- (1) The sender, as well as, the addressee of an item may make a complaint-

- after fifteen days and within sixty days of booking the item for non-receipt of the item;
- within two days of receipt of the item, in case of damaged or loss in the item.

(2) No claim for compensation shall be admitted, if it is made more than sixty days after the item was posted.

76. Filing of complaint. - (1) Filing of complaint shall be in accordance with the administrative instructions specified from time to time.

(2) Complaints may be made through the modes as specified in regulation 82.

77. Items treated as lost.- (1) The maximum period after which an item may be treated as lost in the absence of final delivery status for the purpose of payment of compensation, shall be sixty days from the date of booking or thirty days from the date of receipt of the complaint, whichever is later, provided that the complaint is made within the said period .

(2) The compensation against a claim to the sender of the item, so declared as lost, shall be paid thereafter within a period of ten days.

(3) The sender or addressee may claim compensation prescribed under these regulations on submission of a valid proof of booking along with the requisition in writing.

78. Compensation in case of international items.- (1) The compensation shall be payable by Department of Posts in the Ministry of Communications in the cases involving accountable international items only subject to the conditions mentioned in these regulations, except as otherwise provided.

(2) The compensation shall be given in the event of loss of, damage to, part loss of or delay of an item, unless that item-

- (a) is considered to be undeliverable in the following circumstances, namely: -
 - (i) following a failed delivery, the addressee has not taken advantage of the opportunity under "intimation served" within the holding period; or
 - (ii) the address is unsafe or unsecured or if access to the delivery point has been prevented or impeded; or
 - (iii) the address to which the item is to be delivered is not permanently occupied by any person; or
 - (iv) the item is not fully and correctly addressed in a manner which includes all the elements of the address or as per the S42 addressing standard of the Universal Postal Union, written clearly on the front or on a label securely attached to the front of the cover (or otherwise in a manner such that the address is clearly visible in its entirety as if it had been written on the front of the cover).

Explanation. - For the purposes of this clause, "S42" means an addressing standard specified by the Universal Postal Union;

- (v) the address is illegible; or
- (vi) the health and safety of any individual may be put at risk; or
- (vii) for any other reason, if found it is impracticable or unreasonable to deliver the item;

- (b) all of the conditions mentioned in these regulations are not complied with;
- (c) insufficient (or no) postage has been paid for the service requested;
- (d) contains prohibited items or restricted items by any law of the land for the time being in force, or under the Act or these regulations, and it is either destroyed or seized by the competent authority;
- (e) an item for which claim is submitted is undelivered due to situations outside the control (*force majeure*) including exceptionally severe weather conditions, acts of terrorism or vandalism, the country or territory of destination has a right to decide whether the circumstances are beyond control as per its domestic law;
- (f) where the loss, damage, or delay is due to a latent or inherent defect or natural deterioration;
- (g) the item is a registered bulk bag (M Bag);

- (h) disposal of the item is unable to be traced due to destruction of records in circumstances beyond control unless the liability is proved by other means;
- (i) the item could not be delivered due to decision of the Customs' or the decision of any competent authority;
- (j) the item is lost and when such loss or damage has been caused by the fault or negligence of the sender, or arises from the nature of the contents;
- (k) the item is insured and in the case of insured items which have been fraudulently insured for a sum greater than the actual value of the contents;
- (l) the item is not delivered and the sender has made no inquiry within six months for registered, International Tracked Packet Service, and parcel; and within four months for Express Mail Service from the date on which the item was posted;
- (m) in the case of prisoner-of-war or civilian internee parcels;
- (n) where the sender's actions may be suspected of fraudulent intent, aimed at receiving compensation, complete investigation shall be made within a period of thirty days and if the malicious intent of the sender is established as per the inquiry, then no compensation shall be paid;
- (o) the item is seized under the national legislation of the country or territory of destination, as notified by the member country or territory or its designated operator;
- (p) Where the national regulations of the destination country permit the designated operators of that country to deliver the registered item to a private mailbox or postbox and the addressee declares that he did not receive the item;
- (q) where any item is seized by an intermediate country or territory during airline transmission, as such item was prohibited to be transmitted through air, no compensation shall be payable.

(3) The compensation payable in the event of delay in delivery, loss or damage or part damage of international item are mentioned in Table IX of Schedule III.

79. Complaint in respect of international items.- (1) The sender, as well as the addressee of an item may make a complaint-

- (a) within twenty-four hours of receipt of the item, in case of damaged or partial loss or theft;
- (b) in case of parcels or registered or insured items posted, within a period of six months from the day on which the item was posted;

(c) in case of Express Mail Service items posted, within a period of four months from the date on which the item was posted.

(2) No claim for compensation shall be admitted if it is made after the timelines specified in sub-rule (1).

80. No compensation to be paid in certain cases.- (1) No compensation shall be payable by Department of Posts in the Ministry of Communications under following instances, namely: -

(a) where the loss or damage has been caused by the fault or negligence of the sender, or arises from the nature of the item;

(b) where the insurance has been fraudulently made for a sum above the real value of the contents, or there has been any other fraud on the part of the sender or the addressee;

(c) where the insured item has been delivered to the addressee, or where the item is returned to the sender and the addressee or sender, as the case may be, has signed and returned the receipt therefor without protest, or in the case of an insured item, without immediately making a complaint of abstraction or damage to the contents of the item to the administration of the office which delivered the item and proving that the abstraction or damage took place before the delivery of the letter;

(d) where the sender has not given intimation of the loss, abstraction or damage within six months following the day of posting;

(e) where the loss, abstraction or damage was due to improper or insecure packing;

(f) where there is no visible damage to the cover or seals;

(g) in cases beyond control such as tempest, shipwreck, earthquake or war;

(h) where the insured item cannot be traced in consequence of the destruction of the documents relating to it from causes beyond control, unless proof of liability of the Post Office to pay compensation in respect of the item has been furnished otherwise;

(i) where the insured item contained anything, the transmission of which by post, is prohibited;

Provided that compensation shall not be inadmissible by reason only of the fact that an insured parcel contained any correspondence;

(j) where the insured item is seized under any law for the time being in force in the country or territory of destination;

(k) when an insured letter or box or parcel is lost, or destroyed, or its contents are wholly abstracted;

(l) when by reason of damage attributable to the postal service, the addressee refuses to take delivery of an insured parcel;

(2) The sender of the letter, box or parcel for which compensation is not payable, shall be entitled to a refund of the charges and fees which have been paid, and when an error on the part of the post office gives rise to enquiry as to disposal of such letter, or parcel, to a further refund of, any fee paid on account of such enquiry; but the sender of such letter, box or parcel shall in no case be entitled to a refund of the fee paid for insurance.

(3) The Department of Posts in the Ministry of Communications shall not accept any liability to the sender or the addressee, other than that mentioned in these regulations in respect of loss of an insured inward or outward international letter post, or parcel post items or the abstraction of, or damage to, the contents thereof.

81. Period for settlement of compensation.-(1) The compensation shall be settled within the period of thirty days from the date of complaint or receipt of claim application:

Provided that in event of any delay for reasons to be recorded in writing, compensation shall be payable as specified by administrative instructions from time to time.

(2) Filing of complaint shall be in accordance with the administrative instructions specified from time to time.

(3) The sender or addressee may claim for compensation prescribed under these regulations on submission of a valid proof of booking along with the requisition, as specified by administrative instructions.

82. Complaint, how to be made.-(1) A sender or addressee may make a complaint through the following means, namely: -

- (a) suggestion and complaints book (A book for recording suggestions and complaints is available at all post offices, during the working hours of the office);
- (b) web portal of the Post Office;
- (c) social media websites;
- (d) toll free numbers for the purpose; and

(e) written complaint.

(2) The Director General may, by administrative instructions, specify the officers of the Department of Posts in the Ministry of Communications as per the pecuniary and jurisdictional remits of the compensation claimed, who shall examine and dispose of the complaints for reasons to be recorded in writing, after giving a reasonable opportunity of being heard to the complainant.

83. Liability for compensation in *force majeure* circumstances. - The Department of Posts in the Ministry of Communications shall not be liable to provide compensation in lieu of delay in delivery of products and services in *force majeure* circumstances.

84. Suspension or restriction of transmission of items. - The Circle Head or the Regional Head may, at any time, in respect of any post office within his jurisdiction, suspend the acceptance or dispatch of all or any of the classes of items or description or both of all or any of the classes of items to be accepted or dispatched.

85. Treatment and transmission of items. - (1) All items, which are not accountable, shall be treated as unaccountable items and transmitted in a manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The items referred to in sub-regulation (1) shall be transmitted through the mode or in a manner, as specified by administrative instructions from time to time.

86. Treatment of counterfeit currency. - Counterfeit currency received by the post office for any purpose shall be dealt with in the manner mentioned under the instructions and guidelines relating to the detection and impounding of counterfeit currency, issued by the Reserve Bank of India or the Ministry of Finance.

CHAPTER V

DOMESTIC ITEMS

A. LETTER POST ITEMS

87. Letters. - (1) Letter is a communication in the nature of current and personal correspondence addressed to a person transmitted by post with pre-payment of postage.

(2) Every letter shall be posted in securely closed condition.

(3) The weight of the letter shall not exceed 500 grams.

(4) Every letter for transmission by post shall conform to the following maximum and minimum dimensions, namely:-

(i) Maximum dimensions:-

In roll form -

Single dimension	800 mm
Sum of length and twice diameter	1000 mm

In other than roll form -

Single dimension	600 mm
Sum of length and breadth and thickness combined	900 mm

(ii) Minimum dimensions:-

In roll form -

Single dimension	100 mm
Sum of length and twice diameter	170 mm

In other than roll form -

140 mm x 90 mm with tolerance of +/- 2mm.

88. Letters in other than roll form.- (1) Letter in other than roll form shall be in envelopes of the following sizes;

(a) minimum 140 x 90 mm; and

(b) maximum 458 x 324 mm;

with tolerance of +/- 2 mm

(2) Every envelope shall have the flap either at the top on back of the longer side or at right or left.

(3) Every envelope shall be made of paper having thickness from 0.15 mm to 0.5 mm.

(4) Surface of the envelope shall be levelled with uniform surface structure.

(5) Every envelope shall be continuously closed on all sides taking care to avoid a residue of gum on the envelope itself and metal clips or staples shall not be used for closing the envelope.

(6) Every envelope shall be made of minimum 70 Grams per Square Meter.

(7) Every envelope shall be flexible enough to bend into "U shape".

(8) Every envelope with window shall have sizes of window between 35-50 mm (breadth) and 80-125 mm (length) and the contents shall be placed in such manner that only address block which includes bar code shall be visible through window.

(9) Glassine paper of 35 Grams per Square Meter, Cellophane paper of 40 Grams per Square Meter and Polyvinyl Chloride or Biaxially Oriented Polypropylene of 15-micron thickness shall be used as window material.

(10) Distance of left edge of window from left edge of envelope shall be minimum 15 mm, distance of top edge of window shall be minimum 40 mm, and distance of bottom edge of window from bottom edge of envelope shall be minimum 15 mm.

(11) Logo and name of the sender's company may be written on top left corner and stamps or frank impression on top right corner having gap of minimum 10 mm from address block of recipient.

(12) 15 mm shall be left for bar code printing at the bottom of envelope and 5 mm quiet space around 2D barcode or Quick Response Code shall be provided and the sender's logo size shall not exceed 25x50 mm in size and the 2D barcode or Quick Response Code shall have minimum size 18x18 mm.

(13) The size of printed bar code or digital code along with quiet zone shall be kept minimum 60 mm in length and 10 mm in breadth in a window of envelope and shall be clearly visible.

(14) In case of infringement of the conditions mentioned in regulation 87 and sub-regulation (1) to (13) of regulation 88, the letter shall be charged with double the postage and **any postage paid on it shall be taken into account in assessing the charges.**

(15) The discount and value additions to the customers for letters may be specified by administrative instructions in accordance with the norms determined by the Director General from time to time;

(16) The rates of postage chargeable on letters shall be as mentioned in Table I of Schedule I.

89. Letter cards.- Letter cards may be transmitted by post, if it conforms to the following specifications, namely:-

- (a) the postage shall be prepaid in full;
- (b) the weight of the letter card shall not exceed five grams;
- (c) the dimensions of the letter card including its flaps when unfolded or folded shall respectively be as follows:-

Unfolded

Maximum - 300 mm by 210 mm.

Minimum - 282 mm by 182 mm;

Flaps- Letter Card shall have three flaps, one each on the left and right side not exceeding 15 mm by 100 mm and another on the top side not exceeding 15 mm by 210 mm and the flaps may not be required if the letter card can be closed by any other effective process.

Folded

Maximum - 210 mm by 100 mm

Minimum - 152 mm by 90 mm;

- (d) nothing shall be attached to or enclosed in a letter card;
- (e) there shall be printed on the outside at the top left-hand corner on the address side of every folded letter intended for domestic transmission the words "Letter Card"; and
- (f) letter card shall be made of paper of minimum 70 Grams per Square Meter.

Explanation 1.- For the purposes of this regulation, "Letter card" means a sheet of paper of the kind ordinarily used for letter writing suitably folded and gummed.

Explanation 2.- Letter cards of private manufacture shall be suitably folded and fully closed on three sides by continuous gumming, glue or any other adhesive provided the dimensions and other conditions mentioned in this regulation are complied with.

90. Conditions where infringed.- (1) In case of infringement of the conditions specified in regulation 89, the letter card shall be treated as a letter and charged on delivery with double the deficiency between the postage already paid for such letter card and the postage payable for a letter.

(2) The rates of postage chargeable on letter cards shall be as mentioned in Table I of Schedule I.

91. Postcards.- (1) Postcards may be transmitted by post, if it shall conform to the following conditions, namely: -

- (a) the postage shall be prepaid in full;
- (b) the weight of the post card shall not exceed five grams;
- (c) their dimensions shall be 140 mm x 90 mm and they shall have the legend, "Post Card" written in Hindi or English or printed on the address side;
- (d) as regards substance, they shall be neither thinner nor more flexible than the post cards issued by the Post Office;
- (e) no post card shall be folded, enclosed in any cover, cut or otherwise altered except that the impressed postage stamp (if any) may be perforated with initials';

(f) the right-hand of the address-side of a postcard is in all cases reserved for the address of the recipient, for the postage stamp or impression of stamping machine necessary for prepayment, which may, so far as possible, be affixed in the upper right-hand corner, and for the postal directions but the left hand half of the address-side, as well as the back, may be used by the sender for the purpose of a communication or single colour or multi colour printed advertisement and address of the sender may be written on top left-hand corner of back, or may be otherwise disposed of, subject to the restriction mentioned in sub-regulation (g):

Provided that a small space marked off by lines or minute dots to indicate the place where the postage stamp is to be affixed, shall be allowed on the upper right-hand corner of the address-side of postcards;

(g) nothing shall be attached to a post card except-

- (i) stamps in payment of postage or other postal fees which shall be affixed only to the address side of the post card;
- (ii) a gummed label completely adherent to the card, and bearing the name and address of the person to whom the card is sent;
- (iii) a similar label not exceeding 50 mm in length and 20 mm in width bearing the name and address of the sender of the card; and
- (iv) engravings, illustrations, drawings and photographs on very thin paper and completely adherent to the card.

Provided that the items specified in sub-clauses (ii) and (iii) shall be affixed either to the back or the left-hand half of the address side.

Explanation.- For the purposes of this regulation, "Post card" means an open communication on a rectangular card of prescribed size, having a stamp of the prescribed value impressed on it.

(2) In case of infringement of any of the conditions specified in sub-regulation (1), the postcard shall be treated as a letter and charged on delivery with double the deficiency between the postage already paid for such postcard and the postage payable for a letter subject to a minimum of one rupee, and where such amount is a part of a rupee containing paise, the amount shall be increased to one rupee.

(3) The rates of postage chargeable on postcard shall be as mentioned in Table I of Schedule I.

92. Book post.- (1) Item containing book, cards, magazines, journals, publications of all kinds, paper, sheets, bills, invoices, reports, or any document of commercial, legal

or personal nature in single or multiple copies, may be transmitted by post as "book post", subject to the following conditions, namely: -

- (a) a book post shall not exceed 5 kilograms in weight;
- (b) the dimensions of a book post shall be subject to the following maximum and minimum limits: -

(i) Maximum.

In roll form -

length	800 mm
--------	--------

Sum of length and twice diameter	1000 mm
----------------------------------	---------

In other than roll form	600x300x300 mm
-------------------------	----------------

(ii) Minimum

In roll form -

Single dimension	100 mm
------------------	--------

Sum of length and twice diameter	170 mm
----------------------------------	--------

In other than roll form	140mm x 90mm
-------------------------	--------------

with tolerance of + - 2 mm;

- (c) book post when sent open in card form, whether folded or not shall be neither thinner nor more flexible than postcard;
- (d) book post shall be consigned in an unfastened envelope of the following sizes, provided its dimensions are not less than 140x 90 mm and not more than 353 x 250 mm; with tolerance of + - 2 mm;
- (e) the item shall have the inscription "Book Post" on the address side of the item;
- (f) a book post shall be posted without a cover, or in an unfastened envelope, or in a cover under "Book Post", which can be easily removed for the purpose of examination without breaking any seal or tearing any paper or separating any adhering surfaces and a packet posted without a cover may not be fastened or otherwise treated so as to prevent easy examination;
- (g) a book post shall not contain "paper money", which for the purposes of this regulation includes unobliterated postage or other stamps, hundies, cheques, bank post bills, bills of exchange, and all orders or authorities for the payment of money;

Provided that a book post may contain one stamped and addressed envelope, post card or wrapper bearing the name and address of the sender of the packet, or some other person named thereon;

(h) any document contained in the book post item shall not be addressed to an addressee nor stem from a sender other than those of the item:

Provided that all items posted as book post shall be treated as letter post if the weight is upto 500 gms, or as parcel post if the weight is more than 500 gms.

(2) In case of infringement of any of the conditions mentioned in sub-regulation (1), the book post shall be treated as a letter and on delivery, be charged with double the postage payable on letter or India post parcel according to whichever entails lower charge (subject to the conditions prescribed for such class of items being satisfied) and any postage paid on it shall be taken into account in assessing the charges.

(3) The rates of postage chargeable on book post shall be as mentioned in Table I of Schedule I.

93. Literature for blind.-(1) Papers of any kind, periodicals, and books impressed in "Braille" or other special type for the use of the blind, shall be transmitted by post as "Literature for the Blind" items, provided that they are posted in accordance with the following conditions, namely: -

(a) such items shall consist only of materials specially impressed as described above for the use of the blind, and shall not contain any communication either in writing or printed in ordinary type, except the title and table of contents of the book or periodicals, and any key to, or instructions, for the use of the special type, or any enclosure except a label for the return of the packet;

(b) such items shall bear on the outside the inscription "Literature for the Blind" and written or printed name and address of the sender;

(c) such items shall be posted either without a cover, or in a cover open at both ends, which can easily be removed for the purpose of examination;

(d) the weight of a "Literature for the Blind" item shall not exceed 7 kilograms; and

(e) the dimensions of such item shall conform to the following maximum and minimum limits: -

(i) Maximum

In roll form - Length 800 mm

Sum of length and twice diameter 1000 mm

In other than roll form 600 x 300 x 300 mm

(ii) Minimum

In roll form - Length	100 mm
Sum of length and twice diameter	170 mm
In other than roll form	100 x 70 mm

Explanation.- Plates bearing the characters of writing sound records for the use of the blind and discs, films, tapes and wires, on which spoken messages for the blind have been recorded when sent by, or addressed to, an officially recognised institution for the blind shall be treated as "Literature for the Blind".

(2) No postage shall be chargeable on the literature for the blind, but air mail fee shall be chargeable for transmission by air.

(3) In case of infringement of any of the conditions mentioned in sub-regulation (1), the "Literature for the Blind" item shall be charged with double the postage as payable on relevant postal item, as applicable.

94. Periodical Post.- (1) Any publication may be transmitted by post as periodical post, if it is-

- covered under the definition of the term "periodical" under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023);
- brought out, printed, or published in India only;
- registered with the Press Registrar General of India under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023) and possesses the certificate of registration allotted by the Press Registrar of General; and
- comply with the provisions of the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023).

Provided that a book, or a journal including a book or journal of scientific, technical and academic nature shall not be transmitted by post as periodicals.

(2) No separate postal registration shall be required for transmission of periodicals by post.

Provided that for the periodicals which are covered under the definition of newspaper and wish to avail concessional rate of postage for transmission by post, a separate postal registration or license is required to be taken by the owner or publisher (under the authority of owner).

(3) The periodical shall bear in print on any convenient place either on the first or last page thereof, the superscription "Press Registrar of General of India under No.....".

(4) In case of infringement of any of the conditions specified in sub-regulation (1) and (3), the item shall be treated and charged as a book post item and any postage paid on it shall be taken into account in assessing the charges.

(5) The rates of postage chargeable on periodical post shall be as mentioned in Table I of Schedule I.

95. Registered newspapers. - (1) A newspaper shall be eligible for postal registration for transmission by post as registered newspaper, if it is-

- (a) covered under the definition of the term "newspaper" under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023);
- (b) brought out, printed, or published in India only;
- (c) registered with the Press Registrar General of India under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023) and possesses the certificate of registration allotted by the Press Registrar of General; and
- (d) comply with the provisions of the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023).

(2) The administrative and operative guidelines related to registered newspaper shall be as specified by administrative instructions from time to time.

(3) The rates of postage on registered newspaper are mentioned in Table I of Schedule I.

PARCEL POST

96. India post parcel. - (1) The Post Office shall offer India post parcel to individual and bulk customers and all parcels shall be treated as accountable items.

(2) Any item shall be treated as an India post parcel, if it complies with at least one of the following conditions, namely:-

- (a) which weighs more than 500 grams; or
- (b) which has minimum dimensions of:
 - (i) 100 mm in roll form, sum of length and twice diameter 170 mm;
 - (ii) 140 x 90 mm in other than roll form;

With a tolerance of ± 2 mm; and

- (c) whose length does not exceed 1.5 metres and the length and girth combined does not exceed 3 meters; and
- (d) whose gross weight does not exceed 35 kgs or volumetric weight as defined;

Provided that where the item is not a letter item as defined in regulation sub-regulation (1) of 87 shall be declared as "merchandise" by the customer.

(3) Any India post parcel presented at the window shall have the inscription "India Post Parcel" on it with such value additions as may be paid for, by the sender.

(4) The postage on an India post parcel shall be fully pre-paid through any of the modes of payment as mentioned in rule 9.

Note 1: Franking Impressions of such models of franking machines of vendors approved by the Director General shall be deemed to be mode of prepayment of postage on an item.

Note 2: Nothing contained in this regulation shall prevent the booking of India post parcels where the postage is collected at a later stage as permitted by the Director General.

(5) India post parcel shall ordinarily be transmitted by surface only.

(6) The value-added services, that is, addressee specific delivery, cash on delivery, insurance and proof of delivery, shall be available for India post parcel on payment of a fee specified by administrative instructions from time to time.

(7) All India post parcels shall be packaged by the sender or by the post office as specified by administrative instructions from time to time and any India post parcel not packed in conformity with specifications shall not be accepted for booking.

(8) If any India post parcel in the course of transmission through post, is found to consist of anything the transmission of which is in contravention of the provisions of the Act or the rules, it shall be detained at the post office nearest to the place at which it is detected shall be dealt in the manner as specified by administrative instructions from time to time.

(9) Every India post parcel addressed to any part of India shall be accompanied by a declaration in a form as specified by administrative instructions from time to time.

(10) All India post parcels shall be booked, transmitted and delivered in the manner as specified by administrative instructions from time to time.

(11) The rates of postage chargeable on India post parcels are mentioned in Table III of Schedule I.

97. Logistic post. - (1) The Circle Heads are authorised to specify, by administrative instructions, from time to time, the designated office and designated place where the items under "Logistics Post" may be booked at or addressed to.

(2) The operational conditions for posting, booking, transmission and delivery of items under Logistics Post, shall be, as specified by administrative instructions from time to time.

98. Speed post. - (1) Every Speed post shall contain two classes of items for transmission by post, namely: -

- (a) Speed Post Document; and
- (b) Speed Post Parcel.

Note: A Document may contain a letter as defined in sub-regulation (1) of regulation 87 or any other communication, written, drawn, or printed, excluding the contents of merchandise

(2) The postage of speed post document and parcel shall be as mentioned in Table IV of Schedule I.

99. Speed post document. - (1) Every speed post document shall be transmitted by air:

Provided that, speed post document may be transmitted by surface on routes where it is determined to be faster than air transmission.

(2) The weight of an item for the speed post document shall not exceed 500 grams including volumetric weight.

(3) The postage and other fees chargeable on the speed post document item, shall be charged in accordance with the volumetric weight or gross weight, whichever is higher.

(4) The size of an item for speed post document shall not exceed the dimension of 420 mm, 297 mm and 24 mm in respect of length, breadth and thickness, respectively.

(5) The pick-up facility, proof of delivery, insurance, registration and other value-added services as specified by administrative instructions from time to time, shall be available for speed post item on payment of fees specified by administrative instructions from time to time.

(6) The item posted under the speed post shall generally be address specific that is it shall be delivered at the given address, unless otherwise specified.

100. Speed post parcel.- (1) Sub-regulations (1), (2), (4), (6), (7) to (10) of regulation 96, relating to India post parcels shall apply *mutatis mutandis* to speed post parcels, except as follows: -

(a) every speed post parcel shall be transmitted by air:

Provided that speed post parcel may be transmitted by surface routes where it is determined to be faster than transmission by air;

Provided further that speed post parcel, if transmitted by surface, shall be prioritised over India post parcel at every stage of transmission; and

(b) any speed post parcel presented at the window shall have the inscription "Speed Post Parcel" on it with such value additions as may be paid for, by the sender.

OTHER POSTAL PRODUCTS

101. Direct post.- (1) Direct post shall be an un-addressed mail, comprising of un-addressed items like letters, cards, brochures, questionnaires, pamphlets, samples, promotional items, coupons, posters, mailers or any other form of printed communication that is not prohibited by the Act or these regulations.

Explanation.- For the purposes of this regulation, "mail" means printed matter usually carrying a sales message or announcement, designed to elicit a response from a carefully selected consumer or business market.

(2) These items shall be accepted in bulk in designated post office and shall not be posted in a letter box.

(3) In case of items meant for delivery in other towns, direct post items shall be accepted in Postal Index Number (PIN) Code wise bundles.

(4) The operational conditions for availing direct post, including minimum quantity of mail, shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) The rates chargeable on direct post are mentioned in Table I of Schedule II.

102. Media post.- (1) Media post shall be an advertising mechanism designed to help the Central Government or State Government and corporate clients for promoting their products and services as it offers a range of advertising mediums such as postal stationery and postal premises.

(2) The advertisement shall be displayed at the area identified for advertisement in the premises of the post office.

(3) The conditions for availing media post shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(4) The rates chargeable under media post are mentioned in Table II of Schedule II.

103. e-Post.- (1) e-Post provides facility to send a message to any address in India with a combination of electronic transmission and physical delivery through a network of post offices.

(2) e-Post sends messages as a soft copy through internet and at the destination, it will be delivered to the addressee in the form of hard copy as an unaccountable letter item.

(3) This facility is available for retail as well as for bulk customers:

Provided that bulk customers shall enter into an agreement with the concerned authority of the Post Office for availing the e-Post facility.

(4) The operational conditions for sending e-Post shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) The fee on services to be provided under the e- Post are mentioned in Table III of Schedule II.

104. e-Payment.- (1) e-Payment provides the services of collection of bill amount or other payments for third party through post offices by entering into an agreement with the concerned authority of the Post Office.

(2) The operational conditions and fee relating to e-Payment shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

105. Retail post.- (1) Retail post shall provide the sale of departmental and third party products or services with an aim to provide convenience to the general public by making these products or services available in their vicinity through post offices.

(2) Departmental products or services shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(3) The third party products or services shall be offered through entering into an agreement with the concerned public sector and private sector entities.

(4) The Circle Head is authorised to enter into an agreement with the concerned public sector and private sector entities on behalf of the Post Office.

(5) The charges on services to be provided under the retail post shall be such as may be specified by administrative instructions by the Post Office after taking into consideration the aspects of the service to be provided.

(6) The Operational conditions for retail post shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

106. Magazine post.- (1) Any publication may be transmitted by post as 'magazine post', if it is -

(a) covered under the definition of the term "periodical" under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023);

(b) brought out, printed, or published in India only;

(c) registered with the Press Registrar of General of India under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023) and possesses the certificate of registration allotted by the Press Registrar of General;

(d) adhere with the provisions of the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023);

(e) have a bonafide list of at least 500 subscribers; and

(f) posted with minimum 500 copies at a time.

(2) Every magazine post shall be delivered to the address mentioned on the post as an accountable item.

(3) The facilities of cash payment, Book Now Pay Later (BNPL) and advance payment may be availed by the customer for payment of postage chargeable on the periodicals under the magazine post.

(4) The operational conditions for magazine post shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) In case of infringement of conditions mentioned in sub-regulation (1), the item posted under the magazine post shall be treated and charged as a speed post item.

(6) The rates of postage chargeable on magazine post shall be as mentioned in Table IV of Schedule II.

CHAPTER VI

INTERNATIONAL ITEMS AND SERVICES

107. International post.- (1) In the international post, letter post shall include items such as letters, postcards, aerogramme, printed papers (including books and

registered newspapers, small packets, literature for the blind, M Bag (Bulk Bag), and International Tracked Packet Service (ITPS).

(2) In the international post, "parcel post" shall include items such as international air parcel, international surface airlifted parcels (SAL) and international surface parcels.

(3) Express Mail Service (EMS) shall be the fastest service for sending documents and merchandise worldwide.

A. LETTER POST ITEMS

108. Letters (International).- (1) Letter, which may contain a communication enclosed in an envelope and addressed with a weight limit up to 2 kgs, may be transmitted to or from addressees or senders in foreign countries or territories.

(2) Letters shall conform to the following maximum and minimum dimensions, namely:-

(a) **maximum dimensions:** length, width and depth combined: 900 mm, but the greatest dimension may not exceed 600 mm, with a tolerance of 2 mm; in roll form: length plus twice the diameter: 1,040 mm, but the greatest dimension may not exceed 900 mm, with a tolerance of 2 mm;

(b) **minimum dimensions:** surface measuring not less than 90 x 140 mm, with a tolerance of 2 mm; in roll form: length plus twice the diameter: 170 mm; but the greatest dimension may not be less than 100 mm.

(3) The rates of postage chargeable on letters (International) are mentioned in Table I of Schedule III.

109. Aerogramme.- (1) Aerogramme which is a priority item consisting of a sheet of paper suitably folded and gummed on all sides, shall be transmitted exclusively by air to or from addressees or senders in foreign countries or territories.

(2) Aerogramme shall be sold by the post offices specified by the Circle Head:

Provided that privately manufactured aerogramme shall not be transmitted by post.

(3) Aerogramme shall conform to the following maximum and minimum dimensions, namely:-

(a) the maximum size of an aerogramme shall not exceed 110 X 220 mm when folded and, in that form, its length shall be equal to or greater than its width multiplied by $\sqrt{2}$ (Approximate value: 1.4);

(b) the minimum size permissible for folded aerogrammes shall be same as for letters, i.e. 90 X 140 mm.

(4) The rates of postage chargeable on aerogramme shall be mentioned in Table V of Schedule III.

110. Post card (International).-(1) Postcard is an open communication transmitted by surface, on a sheet of paper with maximum dimensions of 120 x 235 mm, with a tolerance of 2 mm, provided they are sufficiently stiff to withstand processing without difficulties; and with minimum dimensions of 90 x 140 mm, with a tolerance of 2 mm.

(2) Postcards, either issued by the Post Offices or manufactured privately shall be accepted for transmission to foreign countries or territory:

Provided that privately manufactured postcards shall be rectangular and be made of material and dimensions similar to those used for the postcards issued by the Post Office.

(3) The rates of postage chargeable on postcard (International) shall be mentioned in Table I of Schedule III.

111. Airmail postcard.-(1) Airmail postcard is a postcard which is transmitted by air.

(2) The provisions of postcard as mentioned in sub-regulation (1) and (2) of regulation 110 shall be applicable to airmail postcard.

(3) The rates of postage chargeable on airmail postcard shall be mentioned in Table V of Schedule III.

SMALL PACKET

112. Small packet.-(1) Letter post items which contain small quantities of goods such as gifts, items of saleable value, and samples of merchandise, may be transmitted by post, as small packets.

(2) Small packets shall not bear any inscriptions or contain documents in the nature of current and personal correspondence or any document exchanged between persons other than the sender and the addressee.

(3) Small packets shall conform to the following maximum and minimum dimensions and prescribed for letters, namely:-

(a) **maximum dimensions:** length, width and depth combined: 900 mm, but the greatest dimension may not exceed 600 mm, with a tolerance of 2 mm; in roll form: length plus twice the diameter: 1,040 mm, but the greatest dimension may not exceed 900 mm, with a tolerance of 2 mm;

(b) **minimum dimensions:** to have a surface measuring not less than 90 x 140 mm, with a tolerance of 2 mm; in roll form: length plus twice the diameter: 170 mm; but the greatest dimension may not be less than 100 mm

(4) Small packets shall have maximum weight upto 2 kg and minimum weight of 100 gms.

(5) The rates of postage chargeable on small packets are mentioned in Table I of Schedule III.

113. Printed papers.- (1) Letter post items which contain only newspapers, may be transmitted by post as printed papers.

(2) Several printed papers may be sent together in a single item provided that they shall not bear the names and addresses of different addressees.

(3) Printed papers shall be made up in such a way that their contents are sufficiently protected while permitting quick and easy verification.

(4) Printed papers shall have a maximum weight upto 2 kg and a minimum weight of 20 gms.

(5) The rates of postage chargeable on printed papers are mentioned in Table I of Schedule III.

114. M-Bag (Bulk bag).- (1) M-Bag (Bulk bag) are special bags containing printed papers, newspapers, periodicals, books and similar printed documentation for the same addressee at the same address marked with the inscription "M" intended for transmission to or from addresses or senders in foreign countries or territory.

(2) The maximum permissible weight of an M-bag is 30 kg.

(3) Each M-Bag should be accompanied by Form CN22 or Form CN23 prepared by the sender;

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, "Form CN22" or "Form CN23" means the relevant forms specified in this behalf by the Universal Postal Union.

(4) Every M-Bag shall be furnished with a rectangular address label provided by the sender and providing all the information concerning the addressee and the address label shall be made of sufficiently rigid material and shall not measure more than 90mmX140mm.

(5) The postage paid for the M-Bag shall be shown on the address label of the bag and the weight limits for M-Bags shall be up to 30 kg, which is subject to the maximum acceptable weight limit specified by the country or territory of destination, whichever is lower.

(6) M-Bags may also contain other contents as under:

- (a) the contents (commercial samples shipped by manufacturers and distributors, or other non-dutiable commercial items or informational materials that are not subject to resale) are as list affixed to or otherwise combined with the accompanying printed papers;
- (b) the contents relate exclusively to the printed papers with which they are being mailed;
- (c) the weight of each content which is in combination with printed papers does not exceed 2 kg;
- (d) the addressee's address shall be shown on each packet of printed papers included in the M Bag.

(7) The rates of postage chargeable on M-Bag shall be mentioned in Table II of Schedule III.

115. Literature for blind (International).-(1) Papers of any kind (including letters), periodicals, books and plates impressed in "braille" or any other special type for the use of the blind may be transmitted as literature for the blind (blind literature).

(2) Sound records shall be admitted for transmission as literature for the blind only if these are sent by, or addressed to, an officially recognised institute for the blind and a list of such institutions in India shall be published from time to time.

(3) The maximum weight for the blind literature shall be upto 7 kg.

(4) The literature for the blind shall be exempted from postage but surface airlift or air surcharge may be availed by paying the applicable fee.

116. International tracked packet service (ITPS).-(1) The Circle Head is authorised to specify, from time to time, the offices where the item called as international tracked packet may be booked subject to the following conditions, namely: -

- (a) the maximum weight of an international tracked packet shall be 2 kg, provided that the said limit may be amended from time to time;
- (b) the sum of the length, width and depth shall not exceed 90 cm and the largest dimension shall not exceed 60 cm.

(2) An international tracked packet shall be booked, transmitted and delivered in the manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

(3) The discount and value additions to the customers for international tracked packet shall be provided in the manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

(4) The postage for International Tracked Packet shall be as mentioned in Table VIII of Schedule III.

B. PARCEL POST ITEMS

117. International air parcel.- (1) International air parcel provides economical and faster mode of transmission of documents and merchandise to all the Universal Postal Union member countries with track and trace facility.

(2) International air parcel may be booked in the post offices as may be specified by administrative instructions from time to time, subject to the following conditions, namely: -

(a) the maximum gross weight of an international air parcel shall be 20 kg, subject to the maximum acceptable weight limit specified by the country or territory of destination, whichever is lower or as amended from time to time;

(b) the maximum dimension shall not exceed 1.5 metre or 3 meters for the sum of the length and the greatest circumference measured in a direction other than that of length.

(3) No international air parcel shall be smaller than the minimum size prescribed for letters i.e. 90 mm X 140 mm.

(4) An international air parcel shall be booked, transmitted, and delivered in the manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) The postage of international air parcel shall be as mentioned in Table VI of Schedule III.

C. INTERNATIONAL SPEED POST SERVICES (EMS)

118. International speed post.- (1) International speed post, globally known as Express Mail Service (EMS), is a postal express service for transmission of documents and merchandise, and shall be the best possible quickest postal service by physical means.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation:-

(a) "documents" includes documents of any kind containing information or data in alphabetical, numerical or technical form, which are not dutiable or saleable; and

(b) "merchandise" includes any article or thing, other than documents transmissible by post, the insurance of which is not compulsory.

(2) International speed post items (EMS) may be booked from all the post offices across the country.

(3) International Speed Post (EMS) may be availed subject to the following conditions, namely:-

(a) the maximum gross weight of an international speed post shall be 35 Kg, which is subject to the maximum acceptable weight limit prescribed by the country or territory of destination, whichever is lower or as amended from time to time;

Provided that the higher limit of weight of an international speed post service addressed to or from any other country or territory may be such as may be specified by administrative instructions;

(b) the size of an item for international speed post service shall not exceed 1.5 meter for any one dimension and 3 meters for the sum of the length and the greatest circumference measured in a direction other than the length;

(c) discount and value additions to the customers for international speed post shall be provided as may be specified by administrative instructions from time to time;

(d) an international speed post (EMS) shall be booked, transmitted and delivered in the manner as may be specified by administrative instructions from time to time;

(e) precious metals (including gold, silver, platinum or other precious metals), precious stones (including diamond or other precious stones), jewellery or any combination of these whether manufactured or not, coins, bank notes, currency notes, securities of any kind payable to bearer, travellers' cheques, shall be transmitted by insured Express Mail Service, and the value of such insurance shall not exceed ₹1,00,000;

Provided that the higher value of insurance may be specified in respect of any such item.

(4) The postage of international speed post services shall be as mentioned in Table VII of Schedule III.

D. COMMON REGULATIONS RELATED WITH INTERNATIONAL MAI

119. Booking: (1) The postage payable for international items are as mentioned in Schedule III.

(2) The postage, special fee and air surcharges may be refunded to the sender in the event of suspension of services.

120. Electronic advance data (EAD).— (1) Items containing goods may be subject to specific import customs and security based requirements for providing electronic advance data at the country or territory of destination.

(2) The exchange of electronic advance data may be additionally governed by bilateral or multilateral agreements or protocols regarding the protection of personal data and other technical aspects relating to data exchanges.

(3) Each item for which electronic advance data is provided shall be accompanied by the appropriate customs declaration Form CN22 or Form CN23:-

(a) CN 22- if the declared value of the international items less than or equal to 300 Special Drawing Rights (SDR);

(b) CN 23-If the declared value of the international items is greater than 300 Special Drawing Rights (SDR), a CN 23 shall also be provided.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, "Form CN22" or "Form CN23" means the relevant forms specified in this behalf by the Universal Postal Union.

(4) The sender of international mail is required to provide Know Your Customer (KYC) documents or electronic Know Your Customer (eKYC) documents for the booking of international mail containing merchandise.

(5) The electronic advance data necessary to meet the requirements under this regulation shall, in all cases, replicate data documented on the appropriate Universal Postal Union customs declaration form.

(6) Letters, postcards, printed papers (other than books) or letter-post items containing correspondence or items for the blind, which are not subject to customs duties, shall be exempted from electronic advance data requirements.

(7) Electronic advance data adoption requires mandatory submission of the following data elements, known as the 7+1 dataset to comply with required regulatory and security requirements:

(a) Consignor name

(b) Consignor address

(c) Consignee name

(d) Consignee address

(e) Number of packages

(f) Total gross weight (including measure unit qualifier)

(g) Brief merchandise or cargo description

(h) Identifier

121. Packaging. - (1) All items shall be made up securely and in such a way that there is no risk of other items getting trapped in the item and the packaging shall adapt to the shape, nature of the item and the condition of transport.

(2) Every item shall be made up in such a way as not to affect the health of officials and so as not to present any danger, if it contains items of a kind likely to injure the officials called upon to handle it or soil or damage other items or postal equipments.

(3) The detailed conditions of packaging for international items including value added services, shall be as may be specified by administrative instructions from time to time.

122. Delivery in country or territory of destination. - (1) Items shall be delivered in the country or territory of destination in accordance with their relevant laws or internal regulations.

(2) The Post Office shall not be responsible for the manner in which an item is delivered or returned undelivered, if it is done in accordance with the relevant laws or internal regulations of the country or territory of destination.

(3) The period of detention of undeliverable items shall also be governed by the relevant laws or internal regulations of the country or territory of destination.

E. OTHER FEATURES OF INTERNATIONAL MAIL ITEMS

123. Other features. - Any outward accountable item shall be presented to the post office and a receipt shall be given to the person who presents such item.

124. Track and trace service. - For every accountable international item, electronic exchange of data is available at item level, receptacle level and airlines level to facilitate transparency in the movement of items and receptacles, however, for registered letter items, this service is not available for some of the destination as per the internal regulations of destination.

125. Inward international mails. - (1) The conditions for transmission of items by post shall be as may be specified by administrative instructions from time to time.

Provided that the regulations relating to domestic registered newspapers shall be deemed to apply in the case of newspapers sent to any foreign country or territory.

(2) Any inward accountable item shall not be delivered to the addressee unless and until an authorised person has signed a receipt for it.

126. Failure to take delivery. -(1) If the addressee of an international air parcel fails to take delivery of it within seven days, following the date of its first presentation or the date of delivery to him or to the authorised person of an intimation of its arrival, a demurrage charges, commencing from the eighth day, shall be collected from the addressee at the time of delivery:

Provided that in the case of an international air parcel, bearing an alternate address, if the parcel cannot be delivered at the original address, the demurrage charge due from the first addressee shall also be collected from the second addressee at the time of delivery.

(2) If the addressee of-

- (a) an inward international packet (or bag) or printed papers;
- (b) an inward International small packet; or
- (c) an inward International insured letter or insured box

fails to take delivery of it within seven days following the date of its first presentation or the date of delivery to him or to his authorised person of an intimation of its arrival, and if its weighs more than 500 grams, a demurrage charge commencing from the eighth day, shall be collected from the addressee at the time of delivery.

(3) The demurrage charges as referred in sub-regulations (1) and (2), shall be as mentioned in the Table XI of Schedule III.

127. Failure to take delivery of Post Restante parcel. - (1) If the addressee of an international air parcel addressed "Poste Restante" fails to take delivery of it within seven days following the date of its arrival in the office of delivery, a demurrage charge, commencing from the eighth day, shall be collected from the addressee at the time of delivery.

(2) If the addressee of -

- (a) an inward international packet (or bag) of printed papers; or
- (b) an inward International small packet; or
- (c) an inward International insured letter or insured box,

addressed "Poste Restante" fails to take delivery of it within seven days following the date of its arrival in the office of delivery, and if it weighs more than 500 grams, commencing from the eighth day shall be collected from the addressee at the time of delivery.

(3) The demurrage charges as referred in sub-regulations (1) and (2), shall be as mentioned in the Table XI of Schedule III.

CHAPTER VII

UNIVERSAL POSTAL SERVICE

128. Mail services under Universal Postal Service. - The Post Office shall offer the following products of mails services under the Universal Postal Services, namely:-

(a) Domestic

- (i) Letters
- (ii) Letter card
- (iii) Book Post
- (iv) Periodical Post
- (v) Registered Newspaper
- (vi) Literature for Blind
- (vii) India Post Parcel
- (viii) Post Card

(b) International

- (i) Letters
- (ii) Aerogramme
- (iii) Post Card
- (iv) Airmail Post Card
- (v) Small Packet
- (vi) Printed Papers
- (vii) Literature for Blind
- (viii) International Air Parcel

CHAPTER VIII

OFFICIAL CORRESPONDENCE

129. On postal service. - Items of any class on the service of the Post Office by officers of the Post Office, Posts Audit Officers and such other officers, as may be authorised in this behalf, shall be transmitted free of postage and all other postal fees.

130. (1) The following items may be insured "On Postal Service", namely: -

- (a) items having intrinsic value;
- (b) important documents such as service book, Annual Performance Assessment Report (APAR) file, Official files, etc.;
- (c) documents related to investigation, vigilance cases, examination etc.; and

(d) other important documents deemed fit to be sent as Insured Items.

(2) The following items shall be registered "On Postal Service", namely: -

- (a) important official documents- Annual Performance Assessment Report (APAR), etc.;
- (b) items required to be sent through registered post such as charge sheets, etc.; and
- (c) other important documents deemed fit to be sent as registered items.

(3) "On Postal service" shall not be available for items posted under speed post.

131. Postal ballot or election material. - (1) The election material tendered by the Election Commission of India or the State Election Commission shall be booked, transmitted and delivered in accordance with the procedure as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The provisions of sub-regulation (1) shall be equally applicable to postal ballots.

(3) Every item referred to in sub-regulations (1) and (2) shall be deemed to be an official item for the purposes of this regulation and given priority accordingly.

CHAPTER IX

VALUE ADDED SERVICES

A. DOMESTIC ITEMS

132. Registration of domestic items. - (1) The items, as may be specified by administrative instructions, may be tendered for registration, on payment of a fee as mentioned in Table I of Schedule IV:

Provided that no fee shall be charged for the registration of blind literature item.

(2) The item, which is registered under this regulation, shall be addressee specific, and booked against a receipt, which shall be delivered to the addressee or an authorised person against a signed receipt.

(3) No such item shall be accepted for registration, where the item is insured or is intended to be insured for any specific sum.

133. Insurance of domestic items. - (1) Any accountable item, shall be insured for the value not exceeding one lakh rupees at identified booking centres or post offices and on payment of such fee as mentioned in Table II of Schedule IV.

(2) Where currency or bank notes are dispatched by insured post, the value shall not exceed twenty thousand rupees.

Provided that in no case such value shall exceed the real value of the contents of the item insured:

Provided further that items containing precious metals (including gold, silver, platinum or other precious metals), precious stones (including diamond or other precious stones), jewellery or any combination of these in conformity with the definitions in the applicable law of the land for the time being in force or other valuable contents, shall be insured and for the actual value of the contents.

(3) Insurance service may also be provided by the Post Office through a third-party insurance provider as may be specified by administrative instructions.

(4) The sender shall declare on the item, the actual value of the contents at the time of booking of the item.

(5) Items to which the insurance system is applicable shall be those which contain bank notes, currency notes, bonds, coupons, securities, parcels containing valuables, and other documents of the kind.

(6) Documents of value such as deeds, plans, contracts, autographs, rare manuscripts, may also be sent by insured post, provided that where documents have value by reason of the cost of their preparation, the insured value may not exceed the cost of replacing them in case of loss limited to the maximum limit of Post Office.

(7) Insurance shall cover all risks, except acts of God, or occurrences such as war, riots, civil commotions, arrest or restrained or seizure under legal process, order, restriction or any prohibition imposed by the Central Government, in the course of transmission by post.

(8) The sender of an insured item under this regulation shall be entitled to obtain free of charge a proof of delivery of its delivery signed by the addressee or authorised person:

Provided further that in case, if the proof of delivery does not reach the sender of the registered item, then a certificate of delivery shall be issued by Post Master or officer-in-charge of the delivery post office, on demand of the customer and shall be given to the sender in electronic form.

(9) Items containing any of the following items may not be insured against damage, but they may be insured against loss only, on payment of fees on the same scale as those for insurance of other items against loss or damage, that is to say, liquids and substances which easily liquefy, perishable items and fragile items, such as, china glassware, millinery, gramophone records, etc.

(10) The sender of an item may waive his claim to compensation in favour of the addressee.

(11) The detailed conditions of packaging for insured items shall be as may be specified by administrative instructions from time to time.

(12) Compensation in respect of insured items shall be payable as mentioned in regulation 74.

134. Airmail service. - Items intended to be posted for transmission by air, shall be charged an airmail fee, in addition to the postage and other fee payable under the regulations, as mentioned in Table II of Schedule I.

135. Cash on delivery (COD) items. - (1) Cash on delivery shall be made available by the Post Office for a fee as mentioned in Table III of Schedule IV, where an amount is to be recovered from addressee on delivery of such item and shall be remitted to the sender in the manner as may be specified by administrative instructions.

(2) Cash on delivery may be availed for items, subject to the following conditions, namely:-

(a) retail customers and customers shall sign an agreement with the concerned authority of the Post Office;

(b) the amount specified for recovery from addressee shall be as may be specified by administrative instructions from time to time;

- (c) such items do not contain any prohibited items; and
- (d) insurance of Cash on Delivery items may be availed by sender.

136. Proof of delivery. - (1) The sender of any domestic accountable item may request for a proof of delivery, which shall be provided to him or her on delivery of the item on payment of fees as mentioned in Table IV of Schedule IV in addition to the postage or fees for any other value-added service.

(2) The proof of delivery, shall be signed in ink by the addressee or an authorised person, or if the addressee refuses to so sign, shall be accompanied by statement to the effect that the addressee or his duly authorised person has refused to so sign:

Provided that the Director General may specify by administrative instructions other means of recording proof of delivery and sharing the same with the sender.

(3) In case of a physical proof of delivery, the same shall be processed as an accountable item.

(4) The sender may obtain an attested copy of the original receipt on payment of prescribed fee, in a manner as may be specified by administrative instructions from time to time:

Provided that no such fee shall be charged on blind literature item.

137. Services relating to pre-mailing activities. - Every post office shall provide pre-mailing activities, which may include printing, collection, addressing and franking on various items as may be specified by administrative instructions from time to time and at the rates mentioned in Table V of Schedule IV.

B. INTERNATIONAL ITEMS

138. Registration of international items. - (1) Letters, post cards, small packets, printed papers, aerogrammes, literature for the blind and M-Bag may be registered at any post office for transmission to countries or territories and places served by the Post Office, subject to such exceptions as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) Provisions relating to the registration of domestic items, shall be equally applicable to registered items sent or received by the foreign post.

(3) In addition to the postage, a fee shall be charged for the registration of the international items as mentioned in Table VI of Schedule IV:

Provided that no fees shall be payable for the registration of a blind literature packet.

139. Insurance of International items. - (1) International letter post, parcel post and express mail service items may be insured at any post office:

Provided that letter post item tendered for insurance, not required to be registered.

(2) The fee for insurance shall be as mentioned in Table VII of Schedule IV.

(3) Insurance service may also be provided by the Post Office through a third-party insurance provider as may be specified by administrative instructions.

140. International items with precious metals.- (1) An item containing precious metals (including gold, silver, platinum or other precious metals), precious stones (including diamond or other precious stones), jewellery or any combination of these, whether manufactured or not, coins, bank notes, currency notes, securities of any kind payable to bearer, travellers' cheques, except as otherwise specified by administrative instructions, shall not be accepted for transmission by post, unless the sender also agrees to insure it at the actual value of the content, as specified by administrative instructions.

(2) Where an international insured letter post, parcel post, or express mail service item containing objects as mentioned in sub-regulation (1), is addressed to a country or territory where insurance is not available, such items shall be insured for its domestic transit within the limits of India for the actual value of the content.

(3) If an uninsured international item, declared to contain or manifestly containing any of the objects of the value specified in sub-regulation (1), is received from a foreign country or territory, the parcel shall be forwarded to the destination and delivered to the addressee subject to the payment of a fee for insurance on the declared value of the contents, or on the value assessed by the customs authorities, whichever is higher:

Provided that such item is refused by the addressee, it shall be returned to the country or territory of origin.

141. Redirected or returned international item. -Where an insured international parcel, which has been redirected or returned as undeliverable, is received in India subject to a fresh insurance fee by reason of its having been so redirected or returned, such fee shall be recoverable on delivery, as if it were postage due.

142. Compensation payable.- (1) When an international letter post or parcel post, has been posted in and insured by the post office and when such letter or parcel has been lost, or the contents thereof have abstracted or damaged in the course of transmission by post, compensation not exceeding the amount for which such letter or parcel has been insured, shall be payable to the sender except in the case of a parcel in respect

of which the administration of the country or territory of destination decides to pay compensation to the addressee under the same:

Provided that no compensation shall be paid in respect of letter post, parcel post or express mail service item sent by or addressed to -

- (a) a prisoner of war, either directly or through a National Information Bureau or Central Information Agency referred to in Geneva Convention of the 12th August, 1949, relating to the treatment of prisoners of war;
- (b) a belligerent, received and interned in a neutral country;
- (c) a civilian internee, as defined in the Geneva Convention of the 12th August, 1949, relating to the protection of civilian persons in time of war, either directly or through a National Information Bureau or in Central Information Agency referred to in that Convention; and
- (d) a National Information Bureau or a Central Information Agency regarding prisoners of war.

(2) Whenever an addressee has made reservations at the time of taking delivery of letter post, parcel post or express mail service items, the contents of which have been abstracted or damaged, or has, after taking delivery thereof, immediately made a complaint of abstraction or damage to the administration of the office of delivery and proved that the abstraction or damage did not take place after the delivery, the compensation payable shall be payable to the sender and no claim for the payment of compensation to the addressee shall be entertained.

(3) When a letter post, parcel post or an express mail service item insured by a foreign administration is lost, or the contents thereof are abstracted or damaged, compensation shall be payable by the Indian Post Office to the addressee up to an amount not exceeding that for which it has been insured, if he claims such compensation after having made reservation in taking delivery and if he furnished proof that the sender has waived his rights to such compensation in favour of the addressee.

(4) The compensation payable, in no case, exceeds actual value of the item, insured value, or amount of loss occasioned by the abstraction of, or damage to, the contents of the item, whichever is lower and any resultant loss of profits or other indirect loss shall not be taken into consideration in the assessment of such compensation.

143. Surface airlift and air surcharge. - (1) Letters, small packets, printed paper, literature for the blind, post card, and M-bag may be accepted at any post office for transmission-

(a) by surface airlifted, subject to such exceptions as may be specified by administrative instructions, on payment of fee for surface airlift as mentioned in Table III of Schedule III;

(b) by air, subject to such exceptions as may be specified by administrative instructions, on payment of fee for air surcharge as mentioned in Table IV of Schedule III.

(2) The fee specified in sub-regulation (1) shall be chargeable in addition to the postage and other applicable fee or charges.

144. Advice of delivery. - (1) The sender of a registered letter-post item, international air parcel, insured item, or express mail service item posted in India and addressed to any country or territory shall be entitled to apply for advice of delivery in the form CN 07 at the time of posting by paying a fee, in addition to the postage and other fee, at the rates as mentioned in Table VIII of Schedule IV. **Explanation.** - For the purposes of this sub-regulation, "Form CN07" means the relevant forms specified in this behalf by the Universal Postal Union.

(2) When the sender enquires about an advice of delivery of an item which is not received within the normal period, as may be specified by administrative instructions from time to time, no fee shall be collected for inquiries and requests for information.

(3) When the sender of such item posted in India and addressed to any country or territory who is a member of Universal Postal Union, has not paid the fee for advice of delivery and desires to have an enquiry made by the Post Office regarding the disposal of item, he shall be entitled to this service without any charge.

(4) The advice of delivery of the items referred to in this regulation shall be returned to the sender by the quickest means which includes electronic exchange of advices of delivery.

CHAPTER X

MONEY REMITTANCE SERVICES

A. DOMESTIC

145. Domestic money order. - (1) Money order (MO) shall be an order issued by the Post Office for the payment of a sum of money to the person in whose name the money order is sent, by the remitter.

(2) The maximum amount for which a single money order may be issued shall not exceed ten thousand rupees and shall not include a fraction of a rupee:

Provided that total amount remitted through retail money order to a person in a month shall not exceed twenty-five thousand rupees.

(3) A commission payable on the issue of money order shall be charged at the rate as mentioned in Table I of Schedule V.

(4) The remittance of money through money order shall be made free of charge without payment of commission therefor transmission of amount of contribution to the Prime Minister's Relief Fund, PM CARES Fund (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund) or Chief Minister's Relief Fund, or any other such fund as may be notified from time to time.

(5) Nothing in sub regulation (3) shall prevent transmission of service money order free of charge as may be specified by administrative instructions from time to time.

146. Period of currency of money order. - The currency period of the money order shall expire upon the end of the last day of the second month following the month of issue.

147. Categories of money order. - The money order shall be booked under the following categories, namely: -

(a) retail money order under which money shall be remitted from a person to another person within the country;

(b) bulk money order under which money shall be remitted in the following cases: -

(i) where money is remitted by one person to many persons; or

(ii) where money is remitted from many persons to one person; and

(c) service money order under which money shall be remitted for departmental or official purposes.

148. Booking of money order. - (1) The money order form as specified by administrative instructions, duly filled in by the remitter, together with the amount of the money order and the commission payable and in case of money order referred to in of clause(b) of regulation 147 along with a valid identification proof, may be submitted by the remitter for availing the money order service.

(2) A receipt shall be given to the remitter for the amount paid by him on account of the money order and the commission therefor.

149. The remitter of a money order shall be entitled to obtain, free of charge,-

(a) an electronic intimation of the payment of the amount of the order in shape of short messaging service or any other digital mode; and

(b) a certificate of payment on the request of the remitter, subject to such request being made within three months from the date of booking.

150. Payment of money order. - (1) The payment of a money order shall ordinarily be made at the address of the payee -

- (a) to the payee; or
- (b) to any person authorised by the payee.

(2) If the payee of a money order is a minor or illiterate, or his physical or mental condition is such rendering him incapable of providing acquittance of having received the money, then the identity of the payee for the payment shall be verified in such manner as may be specified by administrative instructions by the Director General from time to time.

151. Redirection of money order. - (1) A money order may be redirected to another address of payee, free of charge, if the payee makes a request, as specified by administrative instructions along with the proof of identity.

(2) No alteration in the name of payee shall be permitted in the money order.

(3) A money order may be stopped and returned to the remitter, free of charge, if the remitter makes a request, as may be specified by administrative instructions, until the delivery post office issues it to the postman for the delivery, and in such a case, the amount of the money order, excluding the commission thereof, shall be refunded to the remitter.

(4) In no case, the Post Office shall be responsible for inability or failure to stop payment of a money order as per remitter's request.

(5) If the payee of a money order refuses to take payment on its presentation to him, the amount of the money order shall be returned to the remitter excluding the commission thereof:

Provided that if the payee who is unable to take payment on its presentation to him, makes an application, as may be specified by administrative instructions for retention of the money order or the payee is not found at the address given on the money order, the money order shall be retained in the post office for a period not exceeding seven days from the date of its presentation to the payee, or from the date it is sent out for payment, as the case may be, and if the payee fails to take payment of the money order from the post office within the said period of seven days, the money order shall be returned to the remitter on the first working day immediately following the expiry of the said period of seven days.

(6) If the payee of money order is dead, the amount of the money order shall be returned to the remitter:

Provided that the remitter of money order is dead, the amount of money order shall be paid to the legal heir of the remitter, as may be specified by administrative instructions.

152. Exemption from liability of Post Office in respect of money order. - (1) The Post Office shall not be responsible for the wrong payment of a money order by incorrect or incomplete information given by the remitter as to the name and address of the payee.

(2) After a money order has been paid, to whosoever it is meant for payment, the Post Office shall not be liable to any further claim.

153. Undelivered Money Order. - The undelivered money order shall be returned to the remitter and the amount of the money order shall be paid to the remitter excluding the commission thereof.

154. Void money order. - When, for any reason, a money order remains unpaid, either to the payee or the remitter, at the end of the second month following the month of its issue, it shall be treated as *void* by the office of issue.

155. Forfeiture of money order amount. - The amount or value of money order unpaid beyond three years from the date of booking shall be forfeited and after expiry of the said period, such amount or value shall be treated as revenue to the Government of India.

156. Suspension of service. - The services of money orders by any particular post office, or group of post offices, in special circumstances, may be suspended by the Circle Head, by order in writing.

157. Postal order. - (1) The amount for which a single postal order may be issued shall be in the denomination of ten rupees, twenty rupees, fifty rupees or one hundred rupees.

(2) The amount for which an electronic -Indian postal order shall be issued is ten rupees.

(3) The commission charged in respect of a postal order shall be as mentioned in Table II of Schedule V.

(4) Broken amounts may be made up by affixing unused postage stamps, not exceeding four in number on the face of the postal orders, or where the space on that side is not adequate on the reverse thereof:

Provided that the total of stamps affixed on each order shall not exceed nine rupees and the total amount payable on the order shall not exceed one hundred rupees.

(3) The person to whom a postal order is issued shall, before parting with it, fill the name in English or any other language mentioned in Eighth Schedule to the Constitution and is recommended to fill in the name of the office of payment as a precaution against the order being lost or stolen.

(6) Even where a postal order is crossed with a view to the payment through a bank, the name of the payee shall be filled in.

158. Currency period. - (1) The postal orders presented within twenty-four months from the last day of the month of issue, are encashable without second commission.

(2) Where postal order is not presented for payment within twenty-four months from the last day of the month of issue, a second commission at the rate mentioned in Table II of Schedule V, shall be charged, which shall be paid in postage stamp affixed to the back of the postal order or through cash receipt.

159. Forfeiture. - A postal order presented beyond thirty-six months after the last day of the month of issue shall be forfeited and shall not be paid.

160. Repayment of postal order. - (1) The purchaser of a postal order shall, within twenty-four months from the last day of the month of issue, be entitled to obtain repayment of its value, but not the commission, on presenting the postal order and the counterfoil at the post office from which the postal order was purchased.

(2) The purchaser shall also be entitled to repayment of its value after twenty-four months but not after thirty-six months from the last day of the month of issue, provided a second commission at the rate as mentioned in Table II of Schedule V, is paid.

(3) Should the order have been crossed for payment through a bank, the purchaser shall first cancel the crossing by writing across the face of the postal order the words "please pay cash" and add his initials.

(4) After a postal order has once been paid to the payee, the Post Office shall not be liable for any further claim.

161. Payee's name essential. - A postal order shall not be paid even though presented for payment by a bank unless the name of the payee is inserted in the body of the postal order.

162. Payment through bank. - If a postal order is crossed, payment shall be made only through a bank, and if the name of the bank is added, payment shall be made only through that bank.

163. Payment of crossed postal order. - If a postal order which is crossed with or without name of the bank, is presented for payment by or through a bank, with the

name of such bank written or stamped upon the face thereof, that name may be accepted as a sufficient receipt for the amount of the postal order, and the postal order may be paid without any other receipt.

164. Mutilated postal orders. - If any erasure or alteration is made, or if the postal order is cut, defaced or mutilated, payment thereof may be refused.

165. Electronic postal order. - The provisions mentioned in sub-regulation (2) of regulation 157 and regulations 158 and 159 shall apply *mutatis mutandis* to the electronic postal order.

B. INTERNATIONAL

166. Foreign money orders. - (1) Foreign money orders shall be of the following categories, namely: -

(a) electronic money order; and

(b) Pos transfer through International Financial System or Universal Postal Union Interconnection Platform (UPU-IP).

(2) The countries and territory with which money orders of each kind are exchanged by entering into bilateral or multilateral agreements, shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(3) The foreign money order agreement with partner postal countries or territories may be activated or deactivated by the Central Government.

(4) Every foreign money order shall be booked on the payment of the amount to be remitted along with the fee for the service as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) The operational and other general conditions for exchange of foreign money orders between two partner countries or territories shall be determined by the Central Government from time to time.

(6) The maximum and minimum amount, and number of remittances made by a remitter through money orders in a calendar year shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

167. Advice to remitter of foreign money order. - The remitter of a foreign money order shall be entitled to receive an advice of its payment by paying a fee as may be specified by administrative instructions and such fee shall be in addition to the fee chargeable on the foreign money order.

168. Remitter to change name or address for payment. - (1) The remitter of a foreign money order may, by payment of second fee, change the name or address of the payee, until the money order is paid at the destination, as per the conditions as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The remitter may stop the payment of the foreign money order, if not paid, and may request that the remitted amount be returned to them as per the conditions as may be specified by administrative instructions from time to time.

(3) The Post Office shall, in no case, be held liable for inability to fulfill the request of the remitter under sub-regulations (1) and (2), but, in such cases, the second fee shall be refunded.

169. Inward foreign money orders. - (1) The payment of inward foreign money orders shall be as provided for domestic electronic money orders, except otherwise specified by administrative instructions.

(2) A foreign inward money order, being undeliverable, shall be returned to the country or territory of origin.

(3) A foreign outward money order, on being returned by the country or territory of destination as undeliverable, shall be returned to the remitter.

(4) In the event of inability to return the money order to the remitter, money order shall be dealt with as per the relevant provisions of regulations 154 and 155.

CHAPTER XI

BUSINESS SOLUTIONS

A. BOOK NOW PAY LATER

170. Book now pay later facility. - (1) The corporate customers, who sign an agreement with the concerned authority of a post office, shall be eligible for the credit facility in respect of postage and other fee or charges on the items, as specified by administrative instructions, under the book now pay later (BNPL) facility.

Explanation: For the purposes of this sub-regulation "corporate customer" means anyone who provides minimum business worth of postage and other fee or charges on the items, in a calendar month at a booking office at single or multiple locations, as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The Regional Head shall be authorised to relax the limit of providing the monthly business of postage and other fee or charges, subject to such conditions as may be specified by administrative instructions from time to time.

(3) The eligibility for customers seeking book now pay later (BNPL) facility with booking at multiple locations within a circle or region shall be the monthly business comprising all the locations, as specified by administrative instructions from time to time:

Provided that, in exceptional cases, the limit in such cases may be relaxed with the approval of the Circle Head or, as the case may be, the Regional Head.

171. Authority authorised to approve. - (1) The Divisional Head shall be authorised for approving the enrolment of corporate customer under credit facility and to specify, from time to time, the designated office and designated place where the items of such customer, availing the credit facility may be booked at or addressed to in respect of all other cases falling under their jurisdiction.

(2) In case of general post office (GPO) or Class 1st head post office (HO), the powers of the Divisional Head under sub-regulation (1) may be exercised by the Director or Chief Post Master, as the case may be.

(3) The Circle Head or Regional Head of respective circle or region shall be the approving authority for cases involving customer seeking book now pay later (BNPL) facility with booking at multiple locations within a circle or region.

B. NATIONAL ACCOUNT FACILITY (NAF)

172. National account facility. - (1) The customers having requirement of posting their items from more than one circle, shall be eligible for the national account facility in respect of postage and other fee or charges on the items, as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The eligibility and process of application for enrolling the customer under the national accounting facility shall be as may be specified by administrative instructions from time to time.

C. ADVANCE PAYMENT

173. Advance payment facility. - (1) The contractual customer, who enter into an agreement with the concerned authority of a post office, shall be eligible for availing

advance payment facility in respect of postage and other fee or charges on the items, as may be specified by administrative instructions, provided that the booking data are made available to the booking office by such customer in the specified electronic format.

(2) The eligibility and process of application for enrolling the customer under advance payment shall be as may be specified by administrative instructions from time to time.

CHAPTER XIII

PRODUCTS AND SERVICES OFFERED THROUGH COLLABORATION

174. Post Office network for citizen centric services. - (1) Post Office shall provide its network for offering citizen centric service offered by any Ministry or Department under the Central Government in accordance with the mutually agreed terms and conditions.

(2) The concerned authority of a Post Office entering into a partnership or agreement, shall provide any product or service towards promotions or implementation of the policies of the State Government, local bodies, public or private entities, in accordance with the mutually agreed terms and conditions.

(3) The charges, operating and accounting procedures for operationalisation of these partnerships or agreement as per sub-regulations (1) and (2) above, shall be such as may be issued by administrative instructions by the Director General from time to time.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

A. PINCODE

175. Postal Index Number. - (1) PIN Code (Postal Index Number Code) is a six-digit postcode for the particular area mapped to the post office that receives the mail items for delivery under its jurisdiction.

(2) PIN Code shall be specified by the Director General from time to time.

(3) The writing of PIN code shall be mandatory on each item for transmission by post.

B. REMOTELY MANAGED FRANKING MACHINE

176. Franking machines. - (1) Franking machines (Remotely Managed) of such vendors and models, which are authorised by the Director General, shall only be used for franking an appropriate postage value on the items.

Explanation.- For the purposes of this regulation, "franking machine" means a machine authorised by the Director General, which provides an alternative mode for payment of postage in respect of an item through a unique frank impression and can be managed from a remote location through a server for uploading credits or postage value and are also called "remotely managed franking machines".

(2) The Post Office shall not incur any liability for any damage or loss, caused to the licensee due to the purchase of an unapproved model or defective machine or any damage done to the machine.

(3) Any person, organisation, or authority may take the license for using the franking machine for franking a postage value on the items.

(4) The Divisional Head or independent Gazetted Postmaster of the Post Office shall be the licensing authority for issuance of license for using franking machine (RMFM) on certain fees as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) The licensing authority shall be authorised to issue or renew or suspend or cancel a license issued for using a franking machine.

(6) The licensing authority may reserve the right to refuse the issue or renewal of a license and cancel a license at any time after giving an opportunity being heard and for reasons to be recorded in writing.

(7) The franked mail shall only be presented in the designated post office, identified at the time of issuance of license.

(8) The mail which is franked on a particular day shall be presented in the designated post office on the same date or on the very next working day (if is not presented due to special circumstances) along with statement of mailing:

Provided that the licencing authority may relax the period of presentation of franked mail in the post office under special circumstances and for the reasons to be recorded in writing.

(9) The conditions, procedure of working, recharging and checking in respect of franking machine (RMFM), shall be as such may be specified by administrative instructions from time to time.

177. Issuance of updated version of regulations annually. - All the amendments made to these regulations may be compiled and an updated version of these regulations containing all the amendments made during a particular year, shall be published in the month of January of the following year.

178. Postal operations order. - (1) All the executive or administrative orders, to be specified under these regulations, shall be issued by the Department of Posts in the Government of India through orders, namely "postal operations order" or "PO order".

(2) All postal operations orders issued shall also be compiled on half yearly basis and such compilation shall be issued in the month of July and January, for the orders issued during January to June and July to December, respectively.

CHAPTER XIV

POSTAL LIFE INSURANCE

179. Insurance services. - (1) The administration of insurance services including Life Insurance or any other insurance provided by the Department of Posts in the Ministry of Communications with the respective funds shall be vested in Director General who shall be authorised to issue administrative instructions and guidelines for operationalisation of such insurance services.

(2) The policy matters of the insurance services including Life Insurance or any other insurance provided by the Post Office, shall be decided by the Director General with the prior approval of the Central Government.

CHAPTER XV

FINANCIAL SERVICES

180. Administrative instructions for financial services. - The procedural guidelines and administrative instructions for savings scheme provided through the Post Office, shall be such as may be issued by the Director General in accordance with the instructions or guidelines of the Central Government under the relevant laws for the time being in force.

SCHEDULE I

POSTAGE AND FEE FOR DOMESTIC ITEMS

[See regulations 17(2), 46(1), 47(1), 55(1), 71, 73(3), 88(16), 90(2), 91(3), 92 (3), 94(5), 95(3), 96(11), 98(2) and 134]

TABLE I

The following rates of postage shall be chargeable on below mentioned items: -	
(a) Letters	
(i) For a weight not exceeding twenty grams	₹ 5/-
(ii) For every twenty grams or fraction thereof	₹ 5/-
(b) Letters Cards	
For a letter card	₹ 2.50/-
(c) Postcards	
For a Postcard	50 paise
(d) Book Post	
(i) For the first fifty grams or fraction thereof	₹ 4/-
(ii) For every additional fifty grams or fraction thereof in excess of fifty grams	₹ 3/-
(e) Periodical Post	
(i) For the value of periodical from ₹ 1/- to ₹ 20/-	₹ 2/- for first 100 gms and part thereof, and ₹ 3/- for every additional 100 grams and part thereof
(ii) For the value of periodical from ₹ 21/- to ₹ 50/-	₹ 4/- for first 100 gms and part thereof, and ₹ 5/- for every additional 100 gms and part thereof
(iii) For the value of periodical from ₹ 51/- and above	₹ 8/- for first 100 gms and part thereof, and ₹ 9/- for every additional 100 gms and part thereof

(f) Literature for the Blind

Literature for the blind shall be exempted from postage.

(g) Registered Newspapers

(a) In the case of a single copy of a registered newspaper

(i) For a weight not exceeding fifty grams	25 paise
(ii) For a weight exceeding fifty grams but not exceeding one hundred grams	50 paise
(iii) For every additional one hundred grams or fraction thereof exceeding one hundred grams	20 paise

(b) In the case of more than one copy of the same issue of a registered newspaper being carried in the same packet: -

(i) For a weight not exceeding 100 grams	50 paise
(ii) For every additional one hundred grams or fraction thereof, exceeding one hundred gms.	20 paise

Provided that such a packet shall not be delivered at any addressee's residence but shall be given to a recognized agent at the post office.

TABLE II

Air Mail fee (Domestic)

Air mail fee chargeable in addition to the postage and other feepayable on items posted for transmission by air at any post office in India	₹ 2/- for the first fifty grams or fraction thereof; and ₹ 1/- for every additional fifty grams or fraction thereof
---	--

TABLE III

India Post Parcels - Retail

(i) For a weight not exceeding five hundred grams	₹ 36.00
(ii) For every five hundred grams or fraction thereof exceeding 500 gms.	₹ 16.00

India Post Parcels - Contractual				
Weight slab Distance	Upto 2 Kilograms	Every additional 1 Kilogram up to 5 Kilograms	Every additional 1 Kilogram above 5 Kilograms	
Local	Rs. 45	Rs. 12	Rs. 14	
Within State	Rs. 80	Rs. 20	Rs. 22	
Neighbouring State	Rs. 100	Rs. 25	Rs. 28	
Other State	Rs. 115	Rs. 30	Rs. 32	
Between Metro and State Capital*	Rs. 105	Rs. 25	Rs. 28	
National Capital Region- Delhi/Ghaziabad/Noida/Greater Noida/Faridabad	Rs. 70	Rs. 15	Rs. 18	

* Provided it is not covered under, within State or neighbouring State

TABLE IV

Speed Post Document and Parcel

SL No.	Weight	Local	Upto 200 Kms.	From 201 to 1000 Kms	From 1001 to 2000 Kms	Above 2000 Kms
(1)	Upto 50 grams	₹ 15	₹ 35	₹ 35	₹ 35	₹ 35
(2)	From 51 grams to 200 grams	₹ 25	₹ 35	₹ 40	₹ 60	₹ 70
(3)	From 201 grams to 500 grams.	₹ 30	₹ 50	₹ 60	₹ 80	₹ 90
(4)	Additional 500 grams or part thereof	₹ 10	₹ 15	₹ 30	₹ 40	₹ 50

TABLE V

COMPENSATION FOR DOMESTIC ITEMS

(i) Compensation payable in event of delay in delivery of item

Speed Post (Domestic) Speed Post postage paid

(ii) Compensation payable in event of loss or damage or part damage of item

Speed Post (Domestic) Double the amount of Speed Post postage paid or ₹ 1000 whichever is less depending upon the actual value.

Registered Item	₹100 or the actual value of the item or the content lost or damaged, whichever is less.
-----------------	---

TABLE VI

REDIRECTION	
Fee chargeable for recall, or alteration in address or name of the addressee of an item	Rupee six per item

TABLE VII

The embossed envelope and the registration envelopes specified below shall be sold at the following prices, namely:	
Embossed Envelopes	
For each (Domestic) envelope	₹ 5/-
Registration Envelopes	
(i) For each small envelope	₹ 22/- + 50 paise stationery charges
(ii) For each large envelope	₹ 22/- + ₹ 1/- stationery charge

TABLE VIII

The following rates shall be chargeable on the delivery of items where the postage or air mail fee is not prepaid or is insufficiently prepaid:	
(i) On an unpaid item	Double the prepaid rate
(ii) On an insufficiently paid item	Double the deficiency
Provided that the postage or air mail fee actually charged shall in no case be less than rupee one.	

TABLE IX

Post Box and Post Bag	
(a) Post Boxes or Bags if taken separately	
(i) If rented for full financial year	150
(ii) For three calendar months or part thereof, if rented for a period of less than a full financial year	50

(b) Post Box and Bag combined together with the same or different number

(i) If rented for full financial year	250
(ii) For three calendar months or part thereof, if rented for a period of less than a full financial year	80

SCHEDULE II
POSTAGE AND FEE FOR OTHER POSTAL ITEMS

[See regulations 102(4), 103(5) and 106(6)]

TABLE I

Price of 1 Direct post item	Per item for 20 grams		Per item For every additional 20 grams or part thereof Rs. 1 for both local and inter-city
	Local	Inter City	
	Rs. 1.50	Rs. 2.00	

TABLE II

Media	Rate (per price)		Advertisement space (in cms)	Minimum order quantity One million pieces for multi colour
	Single Colour	Multi Colour		
Post Card	10 paise	20 paise	3*2.2	advertisements
Letter Card	15 paise	30 paise	9*2.5	0.5 million pieces for single colour
Aerogramme	20 paise	40 paise	4*5.5	advertisements
Envelopes		30 paise	9*2.5	
Money Order Forms	10 paise		2*4.25	1 million

Post Office savings pass books	10 paise	9*2.25	0.5 million
--------------------------------	----------	--------	-------------

TABLE III

E-POST	
	Postage
Retail	(a) Rs.10/- + GST @ 18% per page of A4 size paper - when message is sent through Post Office (b) Rs.6/- + GST @ 18% per page - in case customer uses his own premises
Corporate	(a) Rs.6/- + GST @ 18% per page of A4 size paper (b) Rs.5/- + GST @ 18% per page of A4 size paper - if a corporate customer sends 50 or more messages in one go
Messages (Many to one) (The message will be delivered in recipient's email box)	(a) Rs.5/- + GST @ 18% per page of A4 size for the 1st sender (b) Rs.5/- + GST @ 18% per attachment thereof (up to 1 MB) (c) Rs.5/- + GST @ 18% for each subsequent sender
Messages (One to many) (The message will be delivered in recipient's email box)	(a) Rs.5/- + GST @ 18% per page of A4 size for the first 10 recipients (b) Rs.5/- + GST @ 18% per attachment thereof (up to 1 MB) (c) Rs.3/- + GST @ 18% for each subsequent recipient from 11th to 20th recipient

TABLE IV

MAGAZINE POST			
SL. No.	Description	Up to 200 grams	For every additional 100 grams or part thereof
(i)	For magazines to be delivered outside the municipal area of the posting locations	Rs 12/-	Rs.3/-

(ii)	For magazines to be delivered within the municipal area of the posting locations	Rs 8/-	Rs 3/-
------	--	--------	--------

SCHEDULE III

POSTAGE AND FEE FOR INTERNATIONAL ITEMS

[See regulations 31(2), 72(1), 78(3), 108(3), 109(4), 110(3), 111(3), 112(5), 113(5), 114(7), 116(4), 117(5), 118(4), 119(1), 126(3), 127(3) and 143(1)]

TABLE I

The following rates of postage shall be chargeable on the postal items to be sent by surface where the postage is prepaid, namely: -

Sl. No.	Name of products.	Name of the Country.	Weight slab.	Rate (in rupees).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LETTERS	USA	a. Up to first 20 gms.	32.00
			b. For every additional 20 gms or part thereof up to 2000 gms.	22.00
		For all countries except USA	a. Up to first 20 gms.	25.00
			b. For every additional 20 gms or part thereof up to 2000 gms.	15.00
2.	SMALL PACKETS	USA	a. Up to first 100 gms.	115.00
			b. For every additional 100 gms or part thereof up to 2000 gms.	105.00
		For all countries except USA	a. Up to first 100 gms.	80.00
			b. For every additional 100 gms or part thereof up to 2000 gms.	70.00
3.	PRINTED PAPER	USA	a. Up to first 20 gms.	35.00
			b. For every additional 20 gms or part thereof up to 2000 gms.	25.00
		For all countries except USA	a. Up to first 20 gms.	27.00
			b. For every additional 20 gms or part thereof up to 2000 gms.	17.00

4.	Literature for the Blind packet	For all countries	Exempted from postage
5.	Post Card (Single)	Pakistan, Nepal, Bangladesh and Bhutan	8.00
		APPU Countries (except Pakistan, Nepal, Bangladesh and Bhutan)	10.00
		UPU Countries (except APPU Countries)	12.00

TABLE II

The following rates for postage shall be chargeable on the gross weight of M Bag of printed matter when the postage is prepaid, namely: -

Sl.No.	Name of products.	Name of the Country.	Weight slab.	Rate (in rupees).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M BAG	For all Countries	(a) For weight not exceeding 5 Kg	700
			(b) Per Kg or part exceeding 5 Kg. upto 30 Kg.	150

TABLE III

For the postal items to be sent by Surface Airlifted (SAL) mail the fee shall be charged as under, in addition to normal surface mail rates: -

S. No	Sector	Fee of every 20gms or part thereof (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Countries in Asia	3.00
2.	Countries in Europe	4.00
3.	Countries in Africa	4.00
4.	Countries in North America & Australia	7.00
5.	Countries in South America	9.00

TABLE IV

For the postal items to be sent by air, the air surcharge fee shall be charged as under, in addition to normal surface mail rates: -

S. No.	Sector	Fee of every 20 gms or part thereof (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Countries in Asia	4.00
2.	Countries in Europe	5.00
3.	Countries in Africa	5.00
4.	Countries in North America and Australia	8.00
5.	Countries in South America	10.00

TABLE V

Sl. No.	Name of products	Name of the Country	Rate (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Airmail Post Card	Pakistan, Nepal, Bangladesh and Bhutan	10.00
		Other countries	15.00
2.	Aerogramme	For all countries	20.00

TABLE VI

Air Parcel -List of Countries/Territories and Postage			
Sl. No.	Country/Territory	Postage (in INR)	
		First 250 gms	Additional 250 gms or part
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Australia	1005	170
2	Canada	1125	165

3	China	860	85
4	France	1170	80
5	Germany	1520	85
6	Great Britain	1470	125
7	Israel	925	80
8	Italy	990	80
9	Japan	905	95
10	Korea (Republic)	985	80
11	Malaysia	835	70
12	New Zealand	1130	195
13	Russian Federation	1455	120
14	Saudi Arabia	655	60
15	Singapore	825	70
16	Spain	1080	90
17	Sri Lanka	610	45
18	Switzerland	880	115
19	United Arab Emirates	660	50
20	United States of America	955	175
21	Afghanistan	1030	100
22	Albania	935	130
23	Algeria	855	125
24	Angola	885	130
25	Antigua and Barbuda	800	290
26	Aruba	865	230
27	Argentina	1100	255
28	Armenia	1205	155
29	Austria	1090	100
30	Azerbaijan	1075	160

31	Bahamas	840	245
32	Bahrain	735	60
33	Bangladesh	600	50
34	Barbados	810	270
35	Belarus	1275	175
36	Belgium	1510	120
37	Belize	1150	260
38	Benin	800	170
39	Bhutan	870	50
40	Bolivia	1230	320
41	Bosnia and Herzegovina	920	130
42	Botswana	1260	155
43	Brazil	1135	250
44	Brunei Darussalam	625	120
45	Bulgaria (Republic)	815	95
46	Burkina Faso	1005	165
47	Burundi	1235	180
48	Cambodia	645	70
49	Cameroon	990	160
50	Cape Verde	1040	175
51	Central African Republic	1055	150
52	Chad	850	150
53	Chile Easter	1020	420
54	Chile	1210	325
55	Hong Kong	1225	90
56	Macau	1190	105
57	Colombia	1095	290
58	Comoros	835	190

59	Congo (Republic)	880	200
60	Costa Rica	1220	330
61	Cote d'Ivoire Republic	1110	230
62	Croatia	740	105
63	Cuba	930	255
64	Cyprus	910	110
65	Czech Republic	845	115
66	Democratic, People Republic of Korea	995	115
67	Democratic Republic of the Congo	1105	185
68	Denmark	1140	115
69	Djibouti	970	205
70	Dominica	840	245
71	Dominican Republic	720	270
72	Ecuador	1005	280
73	Egypt	930	110
74	El Salvador	810	260
75	Equatorial Guinea	595	135
76	Eritrea	870	110
77	Ethiopia	625	115
78	Fiji	975	260
79	Finland	1365	110
80	French Guiana	1410	235
81	French Polynesia	1480	365
82	Guadeloupe	1405	225
83	Martinique	1405	260
84	New Caledonia	1640	385
85	Re-union	1440	265

86	Saint Pierre and Miquelon	1375	190
87	Wallis and Futuna	1215	370
88	Gabon	965	175
89	Gambia	1065	170
90	Georgia	1185	105
91	Ghana	1210	170
92	Anguilla	810	260
93	Ascension	800	225
94	Bermuda	1130	270
95	Cayman Island	1035	285
96	Falkland Island (Malvinas)	1045	320
97	Gibraltar	790	160
98	Montserrat	865	225
99	Pitcairn Island	1460	425
100	St. Helena	900	260
101	Tristan da Cuhna	825	275
102	Turks and Caicos Island	780	225
103	British Virgin Island	815	260
104	Greece	880	110
105	Grenada	905	235
106	Guatemala	870	295
107	Guinea	940	185
108	Guinea-Bissau	1230	170
109	Guyana	960	280
110	Haiti	850	235
111	Honduras Republic	920	285
112	Hungary	1100	120
113	Iceland	1535	160

114	Indonesia	920	135
115	Iran (Islamic Republic)	1190	80
116	Iraq	645	80
117	Ireland	930	135
118	Jamaica	920	280
119	Jordan	665	85
120	Kazakhstan	1185	115
121	Kenya	815	115
122	Kiribati	935	285
123	Kuwait	750	65
124	Kyrgyzstan	855	145
125	Lao People's Democratic Republic	840	130
126	Latvia	745	130
127	Lebanon	820	85
128	Lesotho	980	160
129	Liberia	820	190
130	State of Libya	815	150
131	Lithuania	1035	130
132	Luxembourg	1000	115
133	Madagascar	1260	190
134	Malawi	1080	190
135	Maldives	760	65
136	Mali	1000	200
137	Malta	945	125
138	Mauritania	1115	195
139	Mauritius	790	115
140	Mexico	840	255

141	Moldova	1010	115
142	Mongolia	960	110
143	Montenegro	1045	130
144	Morocco	980	170
145	Mozambique	1265	185
146	Myanmar	655	55
147	Namibia	930	165
148	Nauru	840	250
149	Nepal	550	40
150	Netherlands	1020	125
151	Nicaragua	960	295
152	Niger	810	170
153	Nigeria	1125	165
154	Norway	1570	130
155	Oman	805	55
156	Pakistan	680	70
157	Panama (Republic)	745	260
158	Papua New Guinea	1560	330
159	Paraguay	800	280
160	Peru	1135	315
161	Philippines	630	105
162	Poland	1085	120
163	Portugal	1275	155
164	Qatar	690	60
165	Romania	1310	120
166	Rwanda	965	200
167	Saint. Christopher and Nevis	875	240
168	Saint. Lucia	875	235

169	Saint Vincent and the Grenadines	965	245
170	Samoa	925	290
171	Sao Tome and Principe	790	160
172	Senegal	800	170
173	Serbia	1080	150
174	Seychelles	840	215
175	Sierra Leone	890	185
176	Slovakia	800	105
177	Slovenia	835	110
178	Solomon Islands	865	235
179	Somalia	550	110
180	South Africa	995	160
181	Sudan	1045	190
182	Suriname	760	235
183	Eswatini	840	165
184	Sweden	1300	115
185	Syrian Arab Republic	690	110
186	Tajikistan	905	155
187	Tanzania (United Republic)	945	205
188	Taiwan	1070	100
189	Thailand	790	75
190	North Macedonia	855	130
191	Timor Leste (Democratic Republic)	720	120
192	Togo	875	150
193	Tonga (including Niuafo'ou)	885	250
194	Trinidad and Tobago	765	280
195	Tunisia	1065	150

196	Turkey	1200	125
197	Turkmenistan	815	150
198	Tuvalu	830	260
199	Uganda	935	190
200	Ukraine	1440	130
201	Uruguay	1310	280
202	Uzbekistan	1585	170
203	Vanuatu	830	250
204	Vatican	905	120
205	Venezuela	830	250
206	Vietnam	695	90
207	Yemen	655	110
208	Zambia	915	205
209	Zimbabwe	1140	220
210	Curacao	1030	225
211	Estonia	940	130
212	Liechtenstein	1240	370
213	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	1000	220
214	Cook Island	1285	270
215	Palestine	705	70
216	Sint Maarten	815	190
217	South Sudan	780	205
218	Jersey	1395	135
219	Mayotte	1400	220

TABLE VII

Postage Structure of International Speed Post (EMS)					
S. No.	Country/Continent/Sub- continent	Documents		Merchandise	
		First 250 grams or part thereof INR	For every additional 250 grams or part thereof INR	First 250 grams or part thereof INR	For every additional 250 grams or part thereof INR
1	Afghanistan	1390	100	1390	100
2	Argentina	1345	295	1345	295
3	Australia	1125	230	1125	230
4	Austria	1430	95	1430	95
5	Bahrain	1415	50	1415	50
6	Bangladesh	765	50	765	50
7	Barbados	1330	270	1330	270
8	Belarus	1450	100	1450	100
9	Belgium	1430	110	1430	110
10	Bermuda	1050	215	1050	215
11	Bhutan	910	70	910	70
12	Bosnia and Herzegovina	1205	150	1205	150
13	Botswana	1500	130	1500	130
14	Brazil	1595	230	1595	230
15	Brunei Darussalam	750	120	750	120
16	Bulgaria	1200	85	1200	85
17	Cambodia	730	65	730	65
18	Canada	1180	180	1180	180
19	Cape Verde	1345	230	1345	230

20	Cayman Islands	1360	235	1360	235
21	China	680	115	680	115
22	Cuba	1340	225	1340	225
23	Cyprus	1310	110	1310	110
24	Democratic Republic of Congo	1490	160	1490	160
25	Denmark	2190	100	2190	100
26	Ecuador	1370	290	1370	290
27	Egypt	1190	75	1190	75
28	El Salvador	1810	315	1810	315
29	Eritrea	1440	110	1440	110
30	Estonia	1280	130	1280	130
31	Ethiopia	1570	100	1570	100
32	Fiji	980	240	980	240
33	Finland	1615	90	1615	90
34	France - for French Antilles (Guadeloupe, Martinique), Reunion, Corsica, New Caledonia, Mayotte, French Polynesia, Saint Pierre et Miquelon	4140	340	4140	340
35	France – Rest of France	1275	105	1275	105
36	Georgia	1425	120	1425	120
37	Germany	1860	80	1860	80
38	Ghana	1760	140	1760	140
39	Great Britain	1965	90	1965	90
40	Greece	1450	85	1450	85
41	Guyana	1810	280	1810	280

42	Hong Kong	1230	90	1230	90
43	Hungary	1455	90	1455	90
44	Iceland	2350	125	2350	125
45	Indonesia	1200	90	1200	90
46	Iran (Islamic Republic)	1445	80	1445	80
47	Iraq	920	80	920	80
48	Ireland	1610	120	1610	120
49	Israel	1690	80	1690	80
50	Italy	1530	105	1530	105
51	Japan	700	80	945	80
52	Jordan	1435	70	1435	70
53	Kazakhstan	1650	110	1650	110
54	Kenya	1455	90	1455	90
55	Korea (Republic)	1685	70	1685	70
56	Kuwait	1040	50	1040	50
57	Latvia	1075	130	1075	130
58	Lithuania	1200	150	1200	150
59	Luxembourg	1150	105	1150	105
60	Macau	1430	90	1430	90
61	Malawi	1175	190	1175	190
62	Malaysia	1610	60	1610	60
63	Maldives	1165	50	1165	50
64	Mauritius	1210	110	1210	110
65	Mexico	1605	235	1605	235
66	Mongolia	1170	110	1170	110
67	Morocco	1480	180	1480	180
68	Namibia	1000	140	1000	140
69	Nauru	1025	165	1025	165

70	Nepal	670	40	670	40
71	Netherlands	1375	105	1375	105
72	New Zealand	1040	270	1040	270
73	Niger	1180	195	1180	195
74	Nigeria	1310	140	1310	140
75	North Macedonia	1265	150	1265	150
76	Norway	2250	100	2250	100
77	Oman	1395	40	1395	40
78	Pakistan	885	70	885	70
79	Panama (Republic)	1610	245	1610	245
80	Papua New Guinea	1585	220	1585	220
81	Philippines	1180	70	1180	70
82	Poland	1205	90	1205	90
83	Portugal	1115	130	1115	130
84	Qatar	1340	100	1340	100
85	Romania	1250	80	1250	80
86	Russian Federation	1040	120	1040	120
87	Rwanda	1340	100	1340	100
88	Saudi Arabia	1535	60	1535	60
89	Senegal	1270	160	1270	160
90	Singapore	1175	65	1175	65
91	South Africa	1310	195	1310	195
92	Spain - Canary Island	2180	120	2180	120
93	Spain - Rest of Spain	1425	120	1425	120
94	Sri Lanka	790	55	790	55
95	Sudan	1450	120	1450	120
96	Sweden	2220	95	2220	95
97	Switzerland	1910	105	1910	105

98	Taiwan	810	80	810	80
99	Tanzania	1590	100	1590	100
100	Thailand	1095	60	1095	60
101	Tunisia	1345	120	1345	120
102	Turkey	1030	85	1030	85
103	Uganda	1460	95	1460	95
104	Ukraine	1695	130	1695	130
105	United Arab Emirates	1400	40	1400	40
106	United States of America	1820	150	1820	150
107	Vietnam	800	70	800	70
108	Yemen	800	110	800	110

TABLE VIII

Postage Structure of International Tracked Packet Service (ITPS)			
Sl. No.	Country/Continent/Sub-Continent	First 100 gms or part thereof (in Rupees)	For every additional 100 gms or part thereof (in Rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aruba	340	60
2.	Australia	425	45
3.	Belarus	325	40
4.	Bhutan	350	20
5.	Canada	400	35
6.	Cambodia	355	20
7.	Chile	350	65
8.	China	305	20
9.	Curacao	340	55

10.	Dominican Republic	340	55
11.	Egypt	310	25
12.	Estonia	340	30
13.	France	335	30
14.	Georgia	305	20
15.	Germany	290	25
16.	Gibraltar	325	40
17.	Great Britain	360	25
18.	HongKong	290	25
19.	Indonesia	360	25
20.	Japan	360	30
21.	Jersey	335	35
22.	Korea (Republic)	360	25
23.	Lithuania	310	25
24.	Malaysia	355	25
25.	Mongolia	375	35
26.	Morocco	325	40
27.	Myanmar	305	20
28.	Netherlands	330	30
29.	New Zealand	430	55
30.	Oman	315	15
31.	Philippines	360	25
32.	Singapore	355	25
33.	Solomon Island	340	55
34.	Sri Lanka	350	20
35.	Svalbard and Jan Mayen	320	35
36.	Thailand	355	20
37.	Tuvalu	345	60

38.	Ukraine	315	25
39.	United Arab Emirates	300	15
40.	United States of America	550	45
41.	Vietnam	355	25

TABLE IX

COMPENSATION FOR INTERNATIONAL ITEMS	
(i) Compensation payable in event of loss of the items: -	
Name of the Product	Compensation
Registered item	The declared value of contents or 30 SDR, whichever is less, plus the postage paid.
International Parcel	Limited to 40 SDR per item plus 4.5 SDR per kg or the declared value of the contents, whichever is less subject to an upper ceiling of 130 SDR, plus the postage paid.
International Express Mail Service (EMS Merchandise)	Limited to the declared value of contents or 130 SDR, whichever is less, plus the postage paid.
International Express Mail Service (EMS Document)	Limited only to the postage paid.
International Tracked Packet Service (ITPS)	Restricted to ₹ 1000/- or the actual declared value of the contents damaged or lost whichever is less.
(ii) Compensation payable in event of damage or part damage of the items: -	
Name of the Product	Compensation
Registered item	<p>Limited to the declared value of lost or damaged content.</p> <p>Note 1: In any case, it shall not exceed the corresponding amounts mentioned for International registered item in case of loss, total theft or total damage.</p> <p>Note 2: Postage paid by the sender shall not be refunded in this case.</p>
International Parcel	<p>Limited to the declared value of lost or damaged content.</p> <p>Note 1: In any case, it shall not exceed the corresponding amounts mentioned for International Parcel in case of loss, total theft or total damage.</p> <p>Note 2: Postage paid by the sender will not be refunded in this case.</p>
International Express Mail	Limited to the declared value of lost or damaged

Service (EMS Merchandise)	<p>content.</p> <p>Note 1: In any case, it shall not exceed the corresponding amounts mentioned for Express Mail Service (International Speed Post) Merchandise in case of loss, total theft or total damage.</p> <p>Note 2: Postage paid by the sender will not be refunded in this case.</p>
International Express Mail Service (EMS Document)	Limited only to the postage paid.
International Tracked Packet Service (ITPS)	Restricted to ₹ 1000/- or the actual declared value of the contents damaged or lost whichever is less

TABLE X

<p>The following rates shall be chargeable on the delivery of international items received by the Foreign Post, when the postage or air mail fee is not prepaid or is insufficiently prepaid:</p>	
(i) When the postage or air mail fee is not prepaid	Double the prepaid rate
(ii) When the postage or air mail fee is insufficiently prepaid	Double the deficiency
<p>Provided that the postage or air mail fee actually charged shall in no case be less than rupee one.</p>	

TABLE XI

S. No.	Demurrage charges	
Demurrage charges for international air parcel		
1.	Demurrage charges, commencing from the eighth day, to be collected from the addressee, in case, the addressee of an international air parcel fails to take delivery of it within seven days following the date of its first presentation or the date of delivery to him or to his accredited agent of an intimation of its arrival	Rupee one per day (subject to maximum of twenty four rupees and fifty paise)
2.	Demurrage charges, commencing from the eighth day, to be collected from the addressee, in case, the addressee of an international air parcel, addressed "Poste Restante" fails to take delivery of it within seven days	Rupees one per day (subject to

	following the date of its first presentation or the date of delivery to him or to his accredited agent of an intimation of its arrival	maximum of forty rupees)
Demurrage charges for an inward international packet (or bag) or printed papers; or an inward international small packet; or an inward international insured letter or insured box		
3.	Demurrage charge, commencing from the eighth day, to be collected from the addressee at the time of delivery, if the addressee of (a) an inward international packet (or bag) or printed papers or (b) an inward international small packet or (c) an inward international insured letter or insured box, fails to take delivery of it within seven days following the date of its first presentation or the date of delivery to him or to his accredited agent of an intimation of its arrival, and if it weighs more than 500 grams	Rupees ten per day
4.	Demurrage charge, commencing from the eighth day, to be collected from the addressee at the time of delivery, if the addressee of (a) an inward international packet (or bag) or printed papers, or (b) an inward international small packet, or (c) an inward international insured letter or insured box, addressed "Poste Restante" fails to take delivery of it within seven days following the date of its arrival in the office of delivery, and if it weighs more than 500 grams	Rupees ten per day

TABLE XII

CUSTOM CLEARANCE	
For clearance through the Customs, a fee, recoverable from the addressee, at the following rate if released after levying customs duty	
(a) for each foreign letter packet or insured box; and	Rupees thirty
(b) for each foreign parcel or bulk bag of printed matter which weighs more than 500 grams,	Rupees thirty

SCHEDULE IV

VALUE ADDED SERVICES

[See regulations 132(1), 133(1), 135(1), 136(1), 137, 138(3), 139(2) and 144(1)]

DOMESTIC

TABLE I

REGISTRATION OF DOMESTIC ITEMS

In addition to the postage, fee chargeable for the registration of any Item	₹ 17/-
FEE FOR OBTAINING AN ATTESTED COPY	
Fee for obtaining an attested copy of the original receipt signed by the addressee for registered item	Rupees two

TABLE II

INSURANCE FEE (DOMESTIC)

In addition to the postage and the fee for registration, the further fees chargeable for insurance is as under:	
(i) For insurance of Speed Post parcels:	
(a) Insured value upto ₹ 200	₹ 4
(b) Insured value above ₹ 200	₹ 4 + 1.50% of insured value exceeding ₹ 200
(ii) For insurance of Items other than Speed Post Parcels:	
(a) When the value insured does not exceed ₹ 200/-	₹ 10/-
(b) For every additional ₹ 100/- or fraction thereof in excess of ₹ 200/-	₹ 6/-

TABLE III

CASH ON DELIVERY (COD)

Amount to be recovered from addressee	Schedule of fee
Up to Rs. 6,500/-	1.6% of the amount recovered
Above Rs. 6,500/-	Rs. 100/- + 1% of amount exceeding Rs. 6,500/-

TABLE IV
PROOF OF DELIVERY

Fee payable on proof of delivery of items	Rupees ten per item in addition to postage and other applicable fee.
---	--

TABLE V
PRE-MAILING ACTIVITIES

Sl. No.	Activity	Rates (In Rs.)	
		Un-Registered	Registered
1	Collection from Premises	0.30	0.50
2	Franking	0.40	0.50
3	Addressing	0.50	0.50
4	Sealing	0.20	0.20
5	For Inserting (per insertion)	0.20	0.20
6	For Folding before insertion	0.10	0.20
7	For Continuous stationery that requires cutting	0.05	0.05
8	For pasting pre-gummed computerized address label	0.05	0.05
9	Pasting computerized address labels that are not pre-gummed	0.10	0.10
10	For insertions that are to be matched with address on the envelope	0.15	0.15
11	Special handling for items weighing upto 100 gms	0.30	0.70
12	Special handling for every additional 100 gms or part	0.20	0.20

INTERNATIONAL

TABLE VI

REGISTRATION OF INTERNATIONAL ITEMS

In addition to the postage, the fees for registration of the items (sent by foreign post)

Serial Number	Item	Fee
(1)	(2)	(3)
1	Letters, post cards, small packets, printed papers, aerogrammes	₹ 150
2	M Bag (Formerly referred as Bulk bag) of Printed Matter	₹ 750

TABLE VII

INSURANCE FEE (INTERNATIONAL)

In addition to postage, the following fees shall be charged for insurance:-

(a) For International Letter Post

(i)	For the value insured up to ₹ 500	₹210
(ii)	For every additional ₹ 500 or part thereof in excess of ₹ 500	₹10

(b) For International Parcel

(i)	For the value insured up to ₹ 500	₹10
(ii)	For every additional ₹ 500 or part thereof in excess of ₹ 500	₹10

(c) For Express Mail Service (EMS)/ International Speed Post

(i)	For the value insured up to ₹ 200	₹10
(ii)	For every additional ₹ 100 or part thereof in excess of ₹ 200	₹6

TABLE VIII

ADVICE OF DELIVERY FEE	
For Bhutan and Nepal	Rs. 10
For other foreign countries	Rs. 20

SCHEDULE V
MONEY REMITTANCE SERVICES

[See regulations 145(3), 157(3), 158(1) and 160(2)]

DOMESTIC
TABLE I

MONEY ORDER	
Commission chargeable on Money Order shall be as under: -	
For every twenty rupees of the amount of remittance or fraction thereof	₹ 1

TABLE II

POSTAL ORDER		
Commission chargeable on Postal Order shall be as under: -		
Sl No	Value	Commission
(1)	For ₹ 10	₹ 1/-
(2)	Upto ₹ 20	₹ 2/-
(3)	Upto ₹ 50	₹ 5/-
(4)	Upto ₹ 100	₹ 10/-

[F. No. 01-02/2024-PO]

VIVEK KUMAR DAKSH, Dy. Director General



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262088
CG-DL-E-28032025-262088

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1505।

No. 1505।

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2025

का.आ.1523(अ).—महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन में, डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर विनियम, 2024 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का संधिस नाम डाकघर (संशोधन) विनियम, 2025 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2025 को प्रवृत्त होंगे।
- डाकघर विनियम, 2024 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के, विनियम 116 में, -
(i) उप-विनियम (1) के घंट (क) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-
(क) "अंतरराष्ट्रीय ट्रैकट ऐवेट के लिए वजन की सामान्य अधिकतम सीमा 5 किंवद्दन है, जो गंतव्य देश द्वारा विहित अधिकतम स्वीकार्य वजन सीमा के अधिक्षीण है, जो भी कम हो";

(ii) उप-विनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(5) "अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्टर पैकेट के लिए विशेष दरें ऐसी रीति में उपब्रधित की जा सकेंगी जो समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं";

(3) उक्त विनियमों में, अनुसूची III की तालिका VIII में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"तालिका VIII"

अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्टर पैकेट सेवा (आईटीपीएस) की डाक शुल्क संरचना

क्रम सं.	देश/ महाद्वीप/ उपमहाद्वीप	पहला 50 ग्राम या उसका भाग (रुपए में)	प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम या उसके भाग के लिए (रुपए में)
1.	अरुणाचल	220	50
2.	आॅस्ट्रेलिया	370	40
3.	बेलारूस	195	25
4.	भूटान	185	15
5.	बुल्गारिया	195	25
6.	कंबोडिया	310	25
7.	कनाडा	360	40
8.	चिली	235	65
9.	चीन	185	15
10.	कुराकाओ	220	50
11.	डोमिनिकन गणराज्य	235	65
12.	मिस्र	195	25
13.	एस्टोनिया	220	25
14.	जॉर्जिया	205	35
15.	जर्मनी	245	25
16.	जिम्बाल्टर	200	30
17.	हांगकांग	190	15
18.	इंडोनेशिया	305	20
19.	जापान	310	20
20.	जर्सी	210	25
21.	कजाकिस्तान	190	10
22.	कोरिया (गणराज्य)	310	20
23.	लिथुआनिया	195	25
24.	मलेशिया	190	15
25.	मेक्सिको	220	50
26.	मंगोलिया	345	60

27.	मोरक्को	195	25
28.	म्यामार	185	15
29.	नीदरलैंड	320	30
30.	न्यूजीलैंड	390	55
31.	ओमान	200	15
32.	फिलीपीन	205	15
33.	मिनापुर	185	15
34.	मोलोमन द्वीप	220	45
35.	थीनंका	305	15
36.	थाइलैंड	185	10
37.	तुवानू	235	65
38.	यूके	195	20
39.	संयुक्त अरब अमीरात	185	15
40.	संयुक्त राज्य अमेरिका	400	35
41.	उरुग्वे	230	60
42.	विनतनाम	190	20
43.	जिम्बाब्वे	225	55

[फा. म. मीएफ-71/38/2024-सीएफ-डीओपी]

लक्ष्मीवालं दाश, उप महानिदेशक (आईआर एवं जीवी)

टिप्पणी :- मूल विनियम भारत के राजपत्र, अनाधारण, भाग II, छंड 3, उप-छंड (ii) में संलग्नक का.आ. 5440(अ.) के अधीन 16 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित किया गया थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2025

S.O. 1523(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Post Office Regulations, 2024, namely: -

- (1) These regulations may be called the Post Office (Amendment) Regulations 2025.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2025.

2. In the Post Office Regulations, 2024 (hereinafter referred to the said regulations), in regulation 116,-

(i) in sub-regulation (1), for clause (a), the following shall be substituted namely:-

(a) "the general maximum limit of weight for international tracked packet is 5 kg, which is subject to the maximum acceptable weight limit prescribed by the destination country, whichever is lower;".

(ii) after sub-regulation(4), the following shall be inserted, namely:-

(5) "The special rates for international tracked packets may be provided in the manner as may be specified by the administrative instructions from time to time";

(3) In the said regulations, in the schedule III, for Table VIII, the following shall be substituted, namely:-

“TABLE VIII

Postage Structure of International Tracked Packet Service (ITPS)			
Sl. No.	Country/ Continent/ Sub-Continent	First 50 gms or part thereof (in Rupees)	For every additional 50 gms or part thereof (in Rupees)
1.	Aruba	220	50
2.	Australia	370	40
3.	Belarus	195	25
4.	Bhutan	185	15
5.	Bulgaria	195	25
6.	Cambodia	310	25
7.	Canada	360	40
8.	Chile	235	65
9.	China	185	15
10.	Curacao	220	50
11.	Dominican Republic	235	65
12.	Egypt	195	25
13.	Estonia	220	25
14.	Georgia	205	35
15.	Germany	245	25
16.	Gibraltar	200	30
17.	Hong Kong	190	15
18.	Indonesia	305	20
19.	Japan	310	20
20.	Jersey	210	25
21.	Kazakhstan	190	10
22.	Korea (Republic)	310	20
23.	Lithuania	195	25
24.	Malaysia	190	15
25.	Mexico	220	50
26.	Mongolia	345	60
27.	Morocco	195	25
28.	Myanmar	185	15
29.	Netherlands	320	30
30.	New Zealand	390	55
31.	Oman	200	15
32.	Philippines	205	15



33.	Singapore	185	15
34.	Solomon Island	220	45
35.	Sri Lanka	305	15
36.	Thailand	185	10
37.	Tuvalu	235	65
38.	Ukraine	195	20
39.	United Arab Emirates	185	15
40.	United States of America	400	35
41.	Uruguay	230	60
42.	Vietnam	190	20
43.	Zimbabwe	225	55%

[F. No. CF-71/38/2024-CF- DOP]

LAKSHMIKANTA DASH, Dy. Director General (IR&GB)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 5440(E), dated the 16th December, 2024.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262728
CG-DL-E-28042025-262728

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/ वैशाख 8, 1947

No. 224]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

संचार मंत्रालय

(वाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 263(अ).— महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; एतद्वारा, डाकघर विनियम, 2024 में आगे संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) वे 1 मई, 2025 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर विनियम, 2024 में -

(i) विनियम 92 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“92 क. ज्ञान पोर्ट” - (1) वोई पुस्तक या पुस्तकों वाला पैकेट, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित पुस्तकें हों, को उप विनियम (2) में उल्लिखित निवेदनों के अधीन “ज्ञान पोर्ट” मद्द के रूप में पारेपित किया जा सकता है :

(क) जो पत्राचार और नियमित पाठ्यक्रम में द्धारों हेतु, निम्न द्धारा विहित हों :

(i) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक बोर्ड, विश्वविद्यालय;

(ii) सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय और मान्विषिक निकाय

(ग) देश के मुमंगत विधि के अनुसार जारी या प्रकाशित सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप से संबंधित साहित्य;

(ग) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों

स्पष्टीकरण - (1) "पुस्तक" में किसी भी भाषा में प्रकाशित प्रत्येक खंड, खंड का भाग या हिस्सा तथा अलग से मुद्रित संगीत, मानचित्र, चार्ट या योजना का प्रत्येक पृष्ठ शामिल है और यह पूरी तरह या अधिकांशतः पठन सामग्री, प्रिंटिंग, फोटोग्राफ, चित्र या इस प्रकार की अन्य सामग्री हो सकती है, जिसमें छात्रों द्वारा नोट करने के लिए रिक्त स्थान दिया गया हो अथवा नहीं।

(2) सरकार में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या नंप राज्य-क्षेत्र की सरकार अभिषेत है।

(2) कोई पुस्तक या पुस्तकों वाले पैकेट को निम्नलिखित के अधीन, "ज्ञान पोस्ट" के अंतर्गत पारेपित किया जाएगा;

(क) इनमें नियमित अंतराल पर प्रकाशित कोई प्रकाशन नहीं होना चाहिए;

दृष्टांत - नियमित समय अंतराल जैसे सामाहिक, पाश्चिक, मासिक, द्वि-मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक इत्यादि पर प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं, जर्नल या इसी प्रकार का कोई अन्य प्रकाशन।

(ग) पुस्तकों वाले ऐसे पैकेट के ऊपर "ज्ञान पोस्ट" अंकित होना चाहिए।

(ग) पुस्तकों में 'आनुवंशिक घोषणाओं' अथवा 'पुस्तकों की सूची' के अलावा कोई भी विज्ञापन नहीं होगा;

(घ) ऐसे पैकेट में रखी गई प्रत्येक पुस्तक पर मुद्रक अथवा प्रकाशक का नाम अंकित होगा;

(इ.) इस उत्पाद के माध्यम से कोई भी व्यावसायिक अथवा वाणिजिक स्वरूप की पुस्तक नहीं भेजी जाएगी;

(च) ऐसे पैकेट में किसी भी पुस्तक पर ग्रिटिंग अथवा मैन्यूस्क्रिप्शन (हस्तालिपि) के अलावा किसी भी अन्य रीति में पुनरुत्पादित वर्ण या लेख विद्यमान नहीं होगे;

परंतु यह कि इस प्रकार के किसी भी प्रकाशन में प्रेषिती का नाम, तारीख, प्रेषक अथवा स्वामी का नाम और पता या सम्मानसूचक अथवा भेट स्वरूप दर्शाते आद्याधार हो सकते हैं; जो

(छ) ऐसे पैकेट में निहित, किसी भी प्रकाशन में कोई भी मूल्य सूची या विल अथवा पुस्तकों की 'आपूर्ति संबंधी आदेश' नहीं होगा;

परंतु यह कि उस पैकेट में भेजे जाने वाले प्रकाशन से संबंधित इनबॉइल या विल अथवा दोनों हो सकते हैं।

(3) "ज्ञान पोस्ट" के अंतर्गत चुक की गई वस्तुओं को 'ट्रैक करने योग्य वस्तु' के रूप में प्रेषित किया जाएगा। 'ज्ञान पोस्ट' श्रेणी के अंतर्गत कोई भी वस्तु ट्रैक नहीं की जा सकने वाली' या 'साधारण वस्तु' के रूप में प्रेषित नहीं की जाएगी।

(4) ज्ञान पोस्ट के रूप में भेजी गई वस्तु विनिर्दिष्ट पते पर होगी।

(5) इस श्रेणी के अंतर्गत चुक किए गए पैकेटों को सड़क मार्ग से प्रेषित किया जाएगा।

(6) प्रेषक, लागू शुल्क या प्रभागों का भुगतान बार, रजिस्ट्रीकरण, डिलीवरी का प्रमाण और बीमा संबंधी मूल्यवर्धित सेवा का लाभ ले सकते हैं।

(7) उत्त वस्तु पर डिलीवरी पता और प्रेषक का वापसी पता अंकित होना चाहिए तथा यह, डाकपर के अधिकारियों और पदाधिकारियों द्वारा जांच के अध्यधीन होगी।

(8) ऐसी जांच पर, ज्ञान पोस्ट उत्पाद के अधीन प्रक्रिया किए जाने के लिए अपात्र सामग्री अथवा ऊपर (क) से (ज) तक में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के मामले में, इस उत्पाद के अधीन भेजे गए पैकेट को भारतीय डाक पार्सल - रिटेल उत्पाद के माध्यम से प्रेषित डाक-वस्तु माना जाएगा और ऐसे पैकेट पर पहले से ही भुगतान किए गए डाक महसूल तथा 'भारतीय डाक पार्सल - रिटेल उत्पाद डाक-वस्तु' के लिए देय डाक महसूल की दर के बीच के अंतर की दोगुना राशि डिलीवरी के समय प्रभारित की जाएगी।

(9) "ज्ञान पोस्ट" के अंतर्गत पैकेट चुक किए जाने के लिए न्यूनतम वजन सीमा तीन सौ ग्राम होगी और इस उत्पाद के अंतर्गत चुक किए जाने वाले पैकेट की अधिकतम वजन सीमा पांच किलोग्राम होगी।

(10) ज्ञान पोस्ट के अधीन डाक-वस्तुओं की पोस्टिंग, बुकिंग, पारेपण और डिलीवरी संबंधी प्रचालनगत शर्तें, समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार होंगी।

(11) "ज्ञान पोस्ट" के अंतर्गत भेजी जाने वाली डाक-वस्तुओं पर प्रभारी डाक महमूल की दरें, अनुसूची I की सारणी X में उल्लेखानुसार होंगी।"

(ii) अनुसूची I में, शीर्षक "परेलू डाक-वस्तुओं के लिए डाक महमूल और शुल्क" के नीचे, 92(3) के पश्चात्, निम्नलिखित बाकड़े और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"92क.";

(iii) अनुसूची I में, सारणी IX के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

ज्ञान पोस्ट वस्तु के लिए डाक-महमूल की दर (लागू करों को छोड़कर)	
वस्तु का वजन	डाक-महमूल की दर (₹. में)
300 ग्राम तक	20
301 से 500 ग्रा. के बीच	25
501 से 1000 ग्रा. के बीच	35
1001 से 2000 ग्रा. के बीच	50
2001 से 3000 ग्रा. के बीच	65
3001 से 4000 ग्रा. के बीच	80
4001 से 5000 ग्रा. के बीच	100

[का. नं. 27-06/2024-पीओ]

प्रियोक कुमार दत्त, उप महानिदेशक

टिप्पणी :- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में 16 दिसंबर, 2024 के का.आ. 5440 (अ.) के तहत प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण के माध्यम से 28 मार्च, 2025 के का.आ. 1523 (अ.) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF POSTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2025.

G.S.R. 263(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Post Office Regulations, 2024, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Post Office (Second Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force from 1st May 2025.

2. In the Post Office Regulations, 2024,-

(i) after regulation 92, the following regulation shall be inserted, namely:-

"92 A. GYAN POST.- (1) A book or packet containing the books related with the following, may be transmitted as a "Gyan Post" item, subject to the conditions mentioned in sub regulations (2):

- (a) prescribed in syllabus for correspondence and regular courses for students by:
 - (i) recognized boards of education, universities of the Government;
 - (ii) autonomous bodies and statutory bodies under the Government
- (b) containing the literature related with social, cultural and religious nature issued or published in accordance with relevant law of the land;
- (c) text book used by aspirants of various competitive examinations

Explanation. - (1) "Book" includes every volume, part or division of a volume, in any language and every sheet of music, map, chart or plan separately printed and consists wholly or substantially of reading matter, paintings, photographs, diagrams or any other similar matter, with or without blank spaces, for notations by students.

(2) Government means Central Government, State Government or Government of the Union Territories.

(2) A Book or packet containing the books shall be transmitted under the "Gyan Post" subject to the following:

- (a) They shall not contain any publication, published at regular intervals;

Illustration- Magazines, journal or similar publication issued at a regular interval of time – weekly, fortnightly, monthly, bi-monthly, quarterly, half yearly and so- on.

- (b) Such packet containing the books shall bear on the outside the inscription "Gyan Post";

(c) Books shall not contain any advertisements other than incidental announcements or list of books;

- (d) Each book in such packet shall contain the name of the printer or publisher;

(e) No book of business or commercial in nature, shall be sent through this product;

(f) No book in such packet shall bear any character or inscription reproduced by any means other than printing or manuscript;

Provided that any such publication may contain in writing the name of the person to whom it is sent or presented, the date, the name and address of the sender or owner or initials of a complimentary nature or signifying presentation.

(g) No publication in such packet shall contain any price list or bills or orders for supply of the books:

Provided that the packet may contain an invoice or a bill or both pertaining to publication being sent in that packet.

(3) The items booked under "Gyan Post" shall be transmitted as trackable item. No item under Gyan Post category shall be transmitted as untracked or ordinary item.

(4) The item posted as Gyan Post shall be address specific.

(5) The packets booked under this category, shall be transmitted through surface mode.

(6) The value-added service of registration, proof of delivery and insurance, may be availed by the sender on payment of applicable fees or charges.

(7) The said item must have a delivery address and the sender's return address and are subject to inspection by the post office officers and officials.

(8) Upon such inspection, matter not eligible for the processing under the Gyan Post product or in case of infringement of the conditions mentioned in (a) to (g) above, the packet sent under this product, shall be treated as an item posted through India Post Parcel - Retail product and charged on delivery with double the deficiency between the postage already paid for such packet and the postage payable for an India Post Parcel - Retail product item.

(9) The minimum weight for booking packet under "Gyan Post" shall be three hundred gms. and the maximum weight for which packet under this product may be booked, shall be five kg.

(10) The operational conditions for posting, booking, transmission and delivery of items under Gyan Post, shall be, as specified by administrative instructions from time to time

(11) The rates of postage chargeable on items, posted under "Gyan Post" shall be as mentioned in Table X of Schedule I.;

(ii) in the SCHEDULE I, below the heading "POSTAGE AND FEE FOR DOMESTIC ITEMS", after the figures 92(3), the following figures and letter shall be inserted, namely:- "92A.;"

(iii) in the SCHEDULE I, after Table IX, the following Table shall be inserted, namely:-

Table

The rate for postage of Gyan post item (exclusive of applicable taxes)	
Weight of item	Rate of postage (in Rs.)
Upto 300 grams	20
Between 301 to 500 gms	25
Between 501 to 1000 gms	35
Between 1001 to 2000 gms	50
Between 2001 to 3000 gms	65
Between 3001 to 4000 gms	80
Between 4001 to 5000 gms	100

[F. No. 27-06/2024-PO]

VIVEK KUMAR DAKSH, Deputy Director General.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 5440(E), dated 16th December, 2024 and amended vide Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 1523(E), dated 28th March, 2025.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062025-263979
CG-DL-E-19062025-263979

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2673।

No. 2673।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2025/ज्येष्ठ 29, 1947

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2025/JYAISTA 29, 1947

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2025

का.आ. 2738(ब).—महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन में, डाकपर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकपर विनियम, 2024 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाने हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संभिस नाम डाकधर (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये विनियम 20 जून, 2025 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकपर विनियम, 2024 में, अनुमूली - 3 की सारणी 8 में इस संख्या 43 और उगने संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संगत्या और प्रविष्टियों अतःस्वापित की जाएगी, अर्थात् :-

44.	ग्रेट ब्रिटेन	200	25
45.	फ्रांस	335	30".

[फा. सं. सीएफ-71/36/2024-नीएफ-डीओपी]
 लक्ष्मीकांत दाग, उप महानिवेशक (आईआर एवं जीवी)

टिप्पणी: इसका प्रयोग विनियम, 2024, भारत के राजपत्र, अमाध्यारण भाग-II, खंड 3, उपलंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5440(अ),
 तारीख 16 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 263(अ),
 तारीख 28 अप्रैल, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित हुए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2025

S.O. 2738(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023),
 the Director General, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further
 to amend the Post Office Regulations, 2024, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Post Office (Third Amendment) Regulations 2025.

(2) They shall come into force on the 20th day of June, 2025.

2. In the Post Office Regulations, 2024, in Schedule III, in Table VIII, after serial number 43 and the entries relating
 thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

44.	Great Britain	200	25
45.	France	335	30".

[F. No. CF-71/36/2024-CF- DOP]

LAKSHMIKANTA DASH, Dy. Director General (IR&GB).

Note: The Post Office Regulations, 2024, were published in the Gazette of India, Extraordinary, *Part II, section 3, sub-section (ii) vide* number S.O. 5440 (E), dated the 16th December, 2024 and were last amended *vide* notification number S.O. 263 (E), dated the 28th April, 2025.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-3.-26092025-266429
CG-DL-E-26092025-266429

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4256।
No. 4256।

नई दिल्ली, बहस्त्रियावार, सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2025

का. आ. 4375(अ) – महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, डाकधर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकधर विनियम, 2024 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम डाकधर (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 है।
(2) ये 1 अक्टूबर, 2025 को प्रवृत्त होंगे।
- डाकधर विनियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल विनियम कहा गया है) के, विनियम 2 के उपविनियम, (1) में, खंड (ड) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्वापित किया जाएगा, अर्थात्:
(ड क)- "रजिस्ट्रीकरण" या "रजिस्ट्रीकृत डाक" से व्युत्पन्न विनिर्दिष्ट डिलिवरी के लिए स्पीड पोस्ट डाक-वस्तु

(दस्तावेज और पार्सल) हेतु मूल्य वर्धित सेवा अभिप्रेत है;

3. मूल विनियम के विनियम 98 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा; अर्थातः

(2) "स्पीड पोस्ट पार्सल और स्पीड पोस्ट दस्तावेज के डाक महसूल अनुसूची I की सारणी IV और सारणी IV के में उल्लिखित अनुसार होगा"।

4. विनियम 132 का लोप किया जाएगा।

5. मूल विनियम के, विनियम 133 के उपनियम 1 में, "किसी भी लेखादेय डाक-वस्तु" शब्दों के स्थान पर "स्पीड पोस्ट डाक-वस्तु" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल विनियम के विनियम 136 के पश्चात निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थातः-

"136 क- वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित डिलिवरी.- जब प्रेपक अनुसूची IV की तालिका IV (क) में उल्लिखित फीस का भुगतान करके इस सेवा का विकल्प लेता है, तो प्रेपिती को डाक-वस्तु की डिलिवरी तभी की जाएगी जब डिलिवरी के समय प्रेपिती डिलिवरी स्टाफ को ओटीपी प्रदान करता है।"

7. उक्त मूल विनियम की, अनुसूची I की, सारणी IV में-

(क) "स्पीड पोस्ट दस्तावेज और पार्सल" शीर्षक के स्थान पर "स्पीड पोस्ट पार्सल" शीर्षक रखा जाएगा

(ख) सारणी IV के अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थातः :

"टिप्पण: जीएसटी अतिरिक्त, जैसा लागू हो।"

(ग) सारणी IV के पश्चात निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः :-

"सारणी IV क

स्पीड पोस्ट दस्तावेज						
वज्जन/ दूरी	स्थानीय	200 कि.मी.	201 से तक	501 से तक	1001 से कि.मी. तक	2000 कि.मी. से अधिक
50 ग्राम तक	19	47	47	47	47	47
51 ग्राम से 250 ग्राम तक	24	59	63	68	72	77

251 ग्राम से 500 ग्राम तक	28	70	75	82	86	93
---------------------------	----	----	----	----	----	----

"टिप्पण : जीएसटी अतिरिक्त, जैसा लागू हो।"

(घ) मद (ii) में "रजिस्ट्रीकृत मद" शीर्षक और तत्समान प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

(ङ) सारणी VII के अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थातः-

"टिप्पण : रजिस्ट्रीकरण लिफाफों के लिए संग्रहीत किए गए 22/- रुपए का प्रयोग पूर्व संदर्भ डाक-महसूल के रूप में किया जाएगा"

8. मूल विनियम की अनुसूची IV में,

(क) सारणी I में, "धरेलू मदों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

"डाक महसूल के अतिरिक्त, स्पीड पोस्ट डाक-वस्तु (दस्तावेज़/पार्सल) के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभार्य फीस 5/- रु. (जीएसटी अतिरिक्त, जैसा लागू हो)"

(ii) सारणी II में, "वीमा फीस (धरेलू)" शीर्षक के अधीन,

(i) मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थातः :-

(i) स्पीड पोस्ट डाक-वस्तु (दस्तावेज़ या पार्सल) के वीमा के लिए;

(ii) मद (ii) का लोप कर दिया जाएगा।

(ग) सारणी IV के पश्चात निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"सारणी IV क

वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित डिलिवरी	
स्पीड पोस्ट डाक-वस्तुओं (दस्तावेज़/पार्सल) की वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित डिलिवरी के लिए संदेश फीस	डाक महसूल एवं अन्य लागू फीस के अतिरिक्त प्रति मद 5/- रुपए (जीएसटी अतिरिक्त, जैसा लागू हो)

(ए) सारणी V के 'मेल भेजने से पहले की गतिविधियां' शीर्षक के अधीन दरे (रुपए में) स्तंभ में "अ-रजिस्ट्रीकृत" और "रजिस्ट्रीकृत" उप-शीर्षकों के स्थान पर, क्रमशः: "सैर-लेखादेव" और "लेखादेव" उप-शीर्षक रखे जाएंगे।

[पा. सं. 27-06-2024-पीओ]

विवेक कुमार दश, उपमहानिदेशक

टिप्पणि :- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5440. (अ.), तारीख 16 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम बार संख्यांक का.आ. 2738 (अ), तारीख 19 जून, 2025 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2025

S.O. 4375(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Post Office Regulations, 2024, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Post Office (Fourth Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 2025.

2. In the Post Office Regulations, 2024 (hereinafter referred to as principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (m), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ma) “Registration” or “Registered Post” means value added service for Speed Post items (documents and parcels) for addressee specific delivery:—”

3. In the principal regulations, in regulation 98, for sub-regulation (2), the following sub- regulation shall be substituted, namely:—

(2) “The postage of Speed Post Parcel and Speed Post Document shall be as mentioned in TABLE IV and TABLE IV A of Schedule I.”

4. Regulation 132 shall be omitted.

5. In the principal regulations, in regulation 133, in sub-regulation 1, for the words “Any accountable item”, the words “Speed Post item” shall be substituted.

6. In the principal regulations, after regulation 136, the following regulation shall be inserted namely:—

“136 A - One Time Password (OTP) based delivery. Once the sender opts for this service on payment of fees mentioned in Table IV A of Schedule IV, the item shall be delivered to the addressee only when the addressee provides the OTP to the delivery staff at the time of delivery.”

7. In the said principal regulations, in SCHEDULE I, in Table IV,-

(a) for the heading “Speed Post Document and Parcel”, the heading “Speed Post Parcel” shall be substituted;

(b) the following note shall be inserted at the end of table, namely:-

“Note: GST extra as applicable”.

(c) after Table IV, the following table shall be inserted, namely:-

“TABLE IV A

SPEED POST DOCUMENT						
Weight/Distance	Local	upto 200 Kms.	201 to 500 Kms.	501 to 1000 Kms.	1001 to 2000 Kms.	Above 2000 Kms.
Up to 50 grams	19	47	47	47	47	47
51 grams to 250 grams	24	59	63	68	72	77
251 grams to 500 grams	28	70	75	82	86	93

“Note: GST extra as applicable”;

(d) in item (ii), the heading “Registered Item” and the corresponding entry shall be omitted.

(c) the following note shall be inserted at the end of table VII, namely:-

“ Note: ₹ 22/- collected for Registration Envelopes shall be used as pre-paid postage”.

8. In the principal regulations, in SCHEDULE IV,

(a) in the TABLE I, under the heading “REGISTRATION OF DOMESTIC ITEMS”, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“ In addition to the postage, fee chargeable for the registration of Speed Post item (Document or Parcel) ”	Rs.5/- (GST extra as applicable)”;
---	------------------------------------

(b) in TABLE II, under the heading “INSURANCE FEE (DOMESTIC)”, -

(i) for item (i), the following item shall be substituted, namely: -

(i) For insurance of Speed Post Item (Document or Parcel)”;

(ii) item (ii) shall be omitted;

(c) after Table IV, the following table shall be inserted, namely: -

“TABLE IV A

ONE-TIME PASSWORD (OTP) BASED DELIVERY	
Fee payable for One-Time Password (OTP) based delivery of Speed Post Items (Document/Parcel)	Rs.5/- (GST extra as applicable) per item in addition to postage and other applicable fee.”

(d) in TABLE V, under the heading “PRE-MAILING ACTIVITIES”, in column “Rates (in Rs.)”, for the sub-headings “Un-registered” and “registered”, the sub-headings “Unaccountable” and “Accountable” shall respectively be substituted.

[F. No. 27-06-2024-PO]

VIVEK KUMAR DAKSH, Dy. Director General

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O 5440, (E), dated the 16th December, 2024, and lastly amended vide number S.O 2738, (E), dated the 19th June, 2025.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

 सी.जी.डी.एस. - 31-28102025-267211
 CG-DL-E-28102025-267211

 अद्याधारण
 EXTRAORDINARY

 भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
 PART II—Section 3—Sub-section (ii)

 प्राधिकार में प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

म. 4756]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 28, 2025/ कार्तिक 6, 1947

No. 4756]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2025/ KARTIKA 6, 1947

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4907(ब).—महानिदेशक, केंद्रीय मरकार के पूर्व अनुमोदन में, डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की बारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर विनियम, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर (पांचवा संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये 29 अक्टूबर, 2025 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर विनियम, 2024 की, अनुसूची - 3 की सारणी 8 में, क्रम संख्यांक 45 और उससे संबंधित प्रविधियों के पश्चात्, निम्नलिखित कम संख्यांक और प्रविधियों अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

46.	ऑस्ट्रिया	325	30
47.	ब्रैटीना	360	65
48.	बहरीन	290	20
49.	बांग्लादेश	240	20
50.	बेल्जियम	325	30

51.	बोलिया और हज़ेरगोलिया	355	35
52.	ब्राजील	290	55
53.	कोलंबिया	315	60
54.	क्रीएशिया	355	30
55.	साइप्रस	305	35
56.	नेकिया	275	30
57.	डेनमार्क	325	30
58.	किन्नरैड	370	35
59.	पाना	385	50
60.	श्रीलंका	375	35
61.	हंगरी	315	30
62.	आयरलैंड	320	35
63.	इजराइल	360	35
64.	इटली	350	30
65.	केन्या	240	30
66.	कूवैत	230	25
67.	लातिया	385	35
68.	माल्दीव	340	35
69.	मौरीश	295	35
70.	नामिबिया	280	45
71.	नेपाल	220	15
72.	नाइजीरिया	250	45
73.	नॉर्वे	325	35
74.	पोलैंड	355	30
75.	पुर्तगाल	305	35
76.	कतर	385	25
77.	रोमानिया	310	25
78.	सजदी अरब	280	25
79.	सर्बिया	325	30
80.	स्लोवेनिया	260	30
81.	विल्यन अफ्रीका	245	35
82.	स्पेन	295	35
83.	स्वीडन	320	30
84.	स्विट्जरलैंड	350	35
85.	नुर्मिये	370	35".

[पा. स. सीएफ-71/17/2025-सीएफ-डीओपी]
लक्ष्मीकांत दागा, उप महानिवेशक (आईआर एवं जीवी)

टिप्पणी : डाकघर विनियम, 2024, भारत के राजपत्र, अमाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5440 (अ), तारीख 16 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4375 (अ), तारीख 25 निंतंबर, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित हुए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Posts)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2025

S.O. 4907(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Post Office Regulations, 2024, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Post Office (Fifth Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the 29th day of October, 2025.

2. In the Post Office Regulations, 2024, in schedule III, in Table VIII, after serial number 45 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

46.	Austria	325	30
47.	Argentina	360	65
48.	Bahrain	290	20
49.	Bangladesh	240	20
50.	Belgium	325	30
51.	Bosnia and Herzegovina	355	35
52.	Brazil	290	55
53.	Colombia	315	60
54.	Croatia	355	30
55.	Cyprus	305	35
56.	Czechia	275	30
57.	Denmark	325	30
58.	Finland	370	35
59.	Ghana	385	50
60.	Greece	375	35
61.	Hungary	315	30
62.	Ireland	320	35
63.	Israel	360	35
64.	Italy	350	30
65.	Kenya	240	30
66.	Kuwait	230	25
67.	Latvia	385	35
68.	Malta	340	35
69.	Mauritius	295	35
70.	Namibia	280	45
71.	Nepal	220	15
72.	Nigeria	250	45
73.	Norway	325	35
74.	Poland	355	30
75.	Portugal	305	35
76.	Qatar	385	25
77.	Romania	310	25

78.	Saudi Arabia	280	25
79.	Serbia	325	30
80.	Slovenia	260	30
81.	South Africa	245	35
82.	Spain	295	35
83.	Sweden	320	30
84.	Switzerland	350	35
85.	Turkiye	370	35 ^{**}

[F. No. CF-71/17/2025-CF- DOP]

LAKSHMIKANTA DASH, Dy. Director General (IR&GB)

Note: The Post Office Regulations, 2024, were published in the Gazette of India, Extraordinary, *Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide* number S.O. 5440 (E), dated the 16th December, 2024 and last amended *vide* notification number S.O. 4375(E), dated the 25th September, 2025.

Legislation

- Post Office Act, 2023

Subordinate Legislations

- Post Office Rules, 2024
- Post Office Regulations, 2024

LEGAL HIERARCHY



CONSTITUTION



LAW/ACT



RULES



REGULATIONS

Act, Rules & Regulations

Item	ACT	RULES	REGULATIONS
Meaning	A specific legislative proposal is passed by a legislative body outlining rules and regulations for a particular subject.	Rules are formulated to define procedures and implement Acts. Prescribed guidelines for proper conduct derived from and subordinate to the parent Acts.	Regulations are the guidelines that a statutory body frames for its own governance and management.
Subordinate to	The Constitution	Act	Both Act and Rules
Used in	Legal sense	Both General and Legal sense	Legal sense
Created by	The Parliament	Central or State Government	Organization or Body

Factual Details Numbers

POST OFFICE ACT, 2023	16 Sections
THE POST OFFICE RULES, 2024	19 Rules
THE POST OFFICE REGULATIONS, 2024	15 Chapters 180 Regulations

ISSUANCE OF THE PO ACT, 2023

- Passed by the Parliament on 18.12.23
- Hon'ble President's assent on 24.12.2023.
- Published in Gazette of India on 24.12.2023 for general information.
- Act enacted w.e.f. 18.06.24 by Gazette Notification published vide S.O. 2352(E) dated 17th June, 2024.
- New Legislation for Post Office after 125 year

MANDATE OF ACT

Governing the functioning relating to Post Office in India and the matters connected therewith.

PREVIOUS ACT VS NEW ACT

	IPO ACT, 1898	THE POST OFFICE ACT, 2023
Size of legislation	Bulky, 77 sections	Compact/ simplified, 16 sections
Monopoly on Letter mail	Yes	No
Penal Provisions	Yes (23 Sections)	No
Focus	Predominantly Mails	(predominantly Letters) Any service provided by the Post Office
Reserve area	Letters	Postage stamp and Postal stationary
Language	Complex	Simplified
Content	Operational	Enabling
Scope	Government centric	Citizen centric
Liability	Confined with postage	Covers sums due on services provided through Post Office
Future orientation	No scope	Provision for Address identifiers & Postcodes and Empowering the Director General for introduction of new services or products
Power of fixing of rates	Central Government	Director General Postal Services

DIFFERENCE - PREVIOUS RULES VS NEW RULES

	IPO Rules, 1933	The Post Office Rules, 2024
Size	Bulky, 225 rules	Compact/ simplified, 19 rules
Penal Provisions	Yes	No
Central idea	Operational aspects	Enabler for services
Language	Complex	Simplified
Content	Operational	Enabling provisions in respect of services and related activities
Flexibility	Rigid (Amendment needs to be done)	Flexible
Future orientation	No scope	Provision for Address identifiers and Postcodes and digital mode of payments, introducing products under the bucket of services

FACTS ON POST OFFICE REGULATIONS, 2024

- Issued through gazette notifications w.e.f. 16th December 2024
- Issued first time
- Number -180 in 15 chapters
- Contains operational aspects

FEATURES OF THE PO REGULATIONS, 2024

- Issued under the powers of Director General (with the prior approval of Central Government)
- Covers operational matters as well as administrative matters of the Post Office
- Rationalized Mails Products and Parcel Products
- Enabling provisions for Insurance and Financial Services
- Things related with day to day functioning of post offices e.g. Timing of post office
- Provision of Universal Postal Service (to ensure the availability of affordable postal services to every citizen across the country)
- Provision for Philately
- Tariff, Fees and Postage in separate schedule

RATIONALISATION OF PRODUCTS

- The products having identical features have been subsumed into one product.
- The products which have become non-relevant/obsolete due to advent of electronic media, have been done away with.
- Features of some products including weight, dimensions, periodicity etc. have been modified to meet the demands of market and customer.

RATIONALE FOR RATIONALISATION OF PRODUCTS

- To promote ease of working amongst staff- earlier three different products are available for a specific need. All are packets but of specific need. The staff are confused or troubled to identify the different type during the processing of the article resulting into mismanagement.
- To promote facilitation to the customer : In many cases, the customers faces problem of having penalties on their items for violation of the conditions as the three different products are similar in nature and differs only with some aspects. Eg. Customer using facility of book packet containing printed books cannot send any book having advertisement. During the course of transmission, if the same has been noticed then the sender is penalized.
- Ease of operations: Single product eases the processes involved in operations as the staff does not require knowledge of different products with slight differences and chances of difficulty or error diminishes in handling the article.
- Reduction in probability of leakage of revenue: One product may also result in reduction in cases related with leakage of revenue as one rate of postage will be applicable across all the similar articles. Earlier, the article which is to be sent as book packet, were also being sent as book packet containing printed books, which is highly subsidized product, thereby leads to leakage of revenue to the department

Major changes in the PO Regulations, 2024

S. No.	Name of old Product	Name of New Product	Features of new product	Rationale/Alternate
1.	Postcard (PC) Reply Post Card Printed Post card Competition Post card Meghdoot Post card	Postcard	One Rate@ .5 Rupees Can be registered as registered Postcard	Multiplicity of products removed.
2.	Letters	Letters	Weight limit reduced from 2 kg to 500 gms	To differentiate between letter and parcel
3.	Book Packet containing printed Books Pattern & Sample Packet Book Packet	Book Post	<ul style="list-style-type: none"> • All the existing features of the Book Packet containing printed Books, • Pattern & Sample Packet, Book Packet are subsumed. • No minimum items to be posted. • Printed books with advertisement can be posted 	<ul style="list-style-type: none"> • These products are packet with minor specified needs. This may lead to confusion. To avoid this, rationalisation is done • Ease of understanding and handling at operational level. • One Product One Need • Facilitation of customer – avoiding instances of imposing penalties on violation of conditions for the product
4.	Registered Parcel	India post Parcel - retail	<ul style="list-style-type: none"> • All the features of registered parcel including rate of postage is adopted • Additionally, items which weighs more than 500 grams; • Declared as merchandise addressee specific delivery, cash on delivery, insurance and proof of delivery 	Rationalise different products to avoid confusion
5.	Business Parcel	India post Parcel - Contractual	All features of business parcel including rates are taken	Same as point 4
6.	Electronic Money Order	Money order	<ul style="list-style-type: none"> • Maximum limit of amount increased to 10,000 • total amount remitted to a person in a month shall not exceed twenty-five thousand rupees. • An undertaking at the time of delivery from the payee in the form 	Same as point 4

S. No.	Name of old Product	Name of New product	Features of new product	Rationale/ Alternate
			<ul style="list-style-type: none"> • Rate of commission as it is. • contribution to the Prime Minister's Relief Fund, PM CARES Fund (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund) or Chief Minister's Relief Fund, is without commission. • an electronic intimation of the payment of the amount of the order in shape of short messaging service or any other digital mode; and • a certificate of payment on the request of the remitter if request being made within three months from the date of booking. • Money order can be redirected • Name of payee cannot be altered • Stop payment facility availableTo cater the social security disbursement greater than 5000. 	
7	Indian Postal Order	Indian Postal Order	<ul style="list-style-type: none"> • Denomination less than Rs 10 are discontinued • Available in Rs 10, 20, 50 & 100 	Smaller denominations are not in usage.
8	Book packet containing periodicals	Periodical Post	<ul style="list-style-type: none"> • Periodicals having periodicity greater than 7 days will be handled • Same rates of postage 	Change in definition of newspaper by Press and registration of periodicals act, 2023
9	Registered Newspaper	Registered newspaper	<ul style="list-style-type: none"> • Periodicals having periodicity upto a week are handled as newspaper. 	Definition of newspaper changed in Press and Registration of periodicals Act, 2023
10	Value Payable	Cash on Delivery (Retail)	<ul style="list-style-type: none"> • All features of VPP • Maximum booking amount changed from Rs. 5000 to Rs. 10000. 	Products with similar features subsumed

